00093

सत्यमेव जयते

उर्वरक राजसहायता
की निष्पादन लेखापरीक्षा

उर्वरक विभाग
रसायन और उर्वरक मंत्रालय

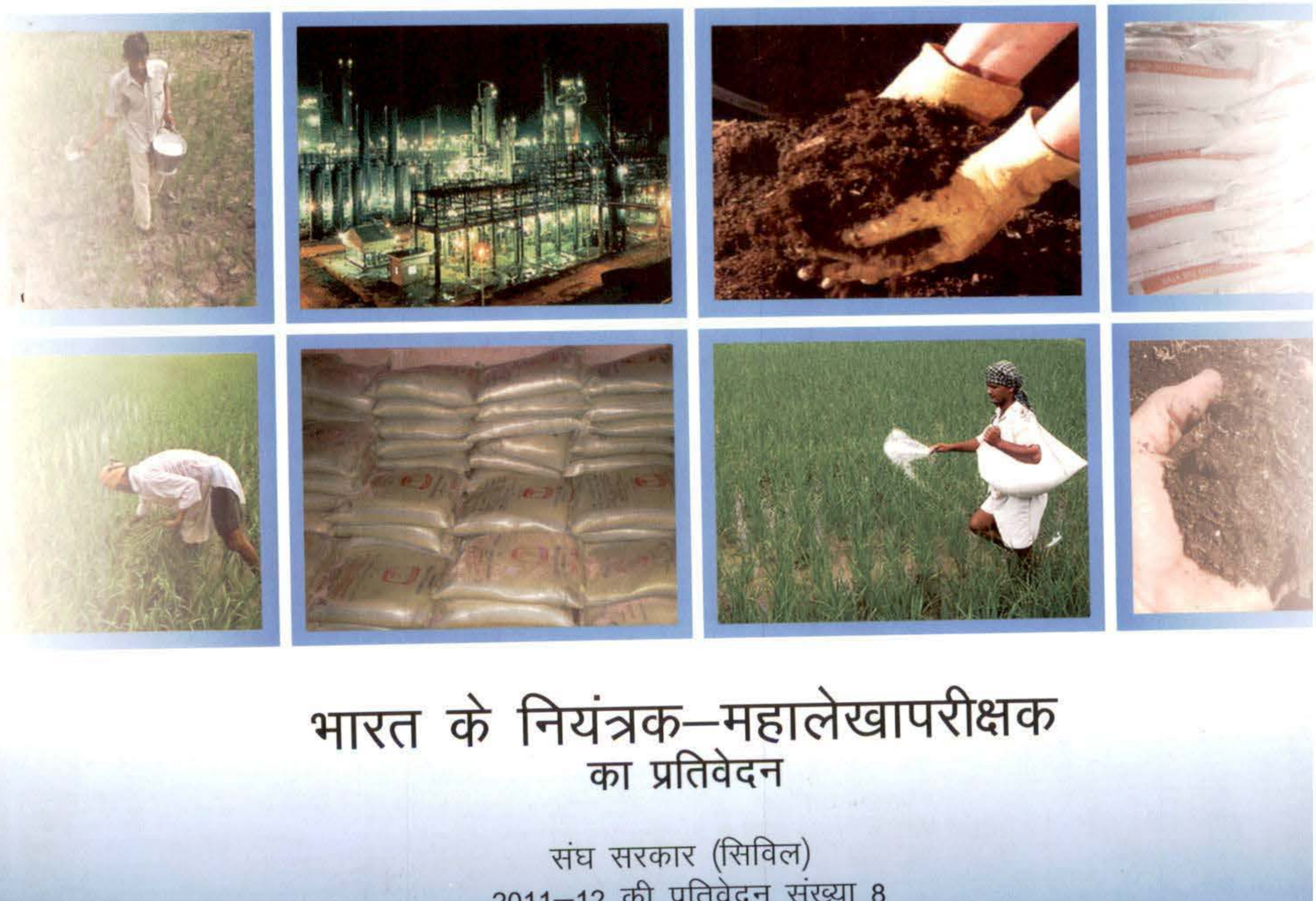

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)
2011–12 की प्रतिवेदन संख्या 8
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

उर्वरक राजसहायता
की निष्पादन लेखापरीक्षा

उर्वरक विभाग
रसायन और उर्वरक मंत्रालय

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

प्रस्तुत
दिनांक 0 5 AUG 2011

संघ सरकार (सिविल)
2011–12 की प्रतिवेदन संख्या 8
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

LASTIC BAGS

विषय–सूची

	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सार	vii
1	**उर्वरक – एक विहंगावलोकन**	**1**
2	**उर्वरक राजसहायता व्यवस्था**	**5**
3	**लेखापरीक्षा दृष्टिकोण, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्ष और वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन**	**15**
4	**उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन**	**19**
5	**उर्वरक उत्पादन, आयात और खपत**	**29**
6	**राजसहायता दावों का भुगतान**	**47**
7	**गुणवत्ता नियंत्रण**	**63**
8	**डीलर और किसान सर्वेक्षण के परिणामों का सार**	**73**
9	**राज्य विशेष निष्कर्ष**	**77**
9.1	आन्ध्र प्रदेश	79
9.2	असम	89
9.3	बिहार	99
9.4	छत्तीसगढ़	107
9.5	गुजरात	113
9.6	हरियाणा	121
9.7	हिमाचल प्रदेश	127
9.8	जम्मू और कश्मीर	137
9.9	झारखण्ड	145
9.10	कर्नाटक	153
9.11	केरल	159
9.12	मध्य प्रदेश	167
9.13	महाराष्ट्र	181
9.14	मणिपुर	189
9.15	मेघालय	195
9.16	नागालैण्ड	201
9.17	उड़ीसा	207
9.18	पंजाब	215
9.19	राजस्थान	221
9.20	तमिलनाडु	231
9.21	त्रिपुरा	237
9.22	उत्तर प्रदेश	243
9.23	उत्तराखण्ड	251
9.24	पश्चिम बंगाल	257
10	**निष्कर्ष**	**269**
	परिशिष्ट	271
	संक्षेपकों की सूची	304

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये, जिसमें "उर्वरक राजसहायता" की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम हैं, को संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2009 से मार्च 2010 के बीच, उर्वरक विभाग, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति और 24 राज्य सरकारों के कृषि निदेशालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के साथ–साथ उर्वरक व्यापारियों और किसानों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के जरिये की गई। लेखापरीक्षा के अन्तर्गत, शामिल अवधि 2003–04 से 2008–09 की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियाँ वस्तुनिष्ठ हैं और इन्हें लेखापरीक्षित संस्थान को प्रत्युत्तर के पर्याप्त अवसर देकर तैयार किया गया है, हमने अपने लेखापरीक्षा विधि तंत्र को इस प्रकार व्यवस्थित किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित विभाग को अपने निष्कर्षों से अवगत कराने के लिए कम से कम दो आपसी विचार–विमर्श हो सकें। इन अवसरों को संबंधित विभाग की तरफ से कोई भी ऐसी शंका, जिससे उन्हें यह महसूस हो कि उनके विचार बिन्दु को हमारे निष्कर्षों में शामिल नहीं किया गया, का निवारण करने के लिए भी निरूपित किया गया है। निरपवाद रूप से, जहां हम विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हैं; हमने उनके विचार बिन्दु को भी प्रतिवेदन में प्रतिबिम्बित किया है।

जबकि पूरी तरह से पारदर्शिता और एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया, हम यह बताने के लिए बाध्य हैं कि इस लेखापरीक्षा के दौरान, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा ने 1.12.2010 को उर्वरक विभाग के सचिव को मसौदा प्रतिवेदन पर उनकी टिप्पणियॉ प्राप्त करने और एक समापन सम्मेलन कराने के लिए मसौदा प्रतिवेदन अग्रेषित किया था, परन्तु पत्र का उत्तर नहीं दिया गया। बाद में, प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा ने पुनः 25.02.2011 को उर्वरक विभाग के सचिव को संबोधित करके कहा कि विभाग की टिप्पणियॉ अभी तक प्रतीक्षित हैं। उन्होंने सचिव को समापन सम्मेलन के लिये एक सुविधाजनक तिथि सूचित करने के लिए भी स्मरण कराया। दुर्भाग्य से, इस पत्र की भी उपेक्षा कर दी गई।

यह संसद और लोक लेखा समिति को निर्णय करना है कि क्या सरकारी विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति इस प्रकार की निम्न प्राथमिकता दर्शाना जारी रहना चाहिये।

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

भारत में उर्वरक राजसहायता/रियायत व्यवस्था का एक लम्बा और उतार–चढ़ाव भरा इतिहास है, जोकि 1957 से है। वर्तमान में, यूरिया ही एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है, जोकि उर्वरक नियंत्रक आदेश और उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत, उत्पादन के 50 प्रतिशत तक मूल्य वितरण और संचलन नियंत्रण के अधीन है। दूसरे उर्वरक जैसे कि डी.ए.पी. (डाई–अमोनियम फॉस्फेट), मोनो–अमोनियम फॉस्फेट (एम.ए.पी.), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टी. एस.पी.), पोटाश का म्यूरिएट (एम.ओ.पी.) और एन.पी. के (नाइट्रोजन–फॉस्फेट–पोटाशियम) मिश्रण विनियंत्रित उर्वरक हैं, जिनके कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिये प्रयोग पर राजसहायता दी जाती है।

हमने यह निष्पादन लेखापरीक्षा क्यों की

हमने यूरिया की अवधारण मूल्य राजसहायता (आर.पी.एस.) योजना की समीक्षा की, जिसे सी.ए.जी. के वर्ष 2000 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 (सिविल) के जरिये सूचित किया गया था। हमने रियायत योजना सूचना प्रणाली (सी.एस.आई.एस.) की आई.टी. लेखापरीक्षा भी की थी और सी.ए.जी. के वर्ष 2005 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल) के अध्याय 3 में निष्कर्षों की सूचना दी थी। उसके बाद से, यूरिया की आर.पी.एस. को नई मूल्य योजना (एन.पी.एस.) से प्रतिस्थापित कर दिया गया। उर्वरक राजसहायता पर व्यय की मात्रा भी, जोकि 2009–10 में कम होकर 61,636 करोड़ रुपये आने से पहले 2008–09 (जिसमें उर्वरक बॉडों के निर्गमन से प्राप्त राजसहायता भुगतान भी शामिल हैं) में 96,603 करोड़ रुपये के स्तर को छू गई थी बहुत अधिक बढ़ गई। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों के राजसहायता प्राप्त मूल्यों और उत्पादन/आयात मूल्य में भारी अंतर होने के कारण, राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के कृषि से न जुड़े होने वाले उद्देश्यों की तरफ विचलन के लिए पर्याप्त प्रेरक कारण हैं। परिणामस्वरूप, हमने उर्वरक राजसहायता, जिसमें नियंत्रित और विनियंत्रित उर्वरक दोनों शामिल हों, की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय किया।

हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा में 2003–04 से 2008–09 की अवधि की उर्वरक राजसहायता (जिसमें 2006–07 और 2008–09 के दौरान 54,358 करोड़ रुपये के 979 उर्वरक राजसहायता दावों/भुगतानों की नमूना जांच शामिल है) 24 राज्यों, जिसमें 94 जिले व 188 प्रखण्ड सम्मिलित थे में, उर्वरकों के वितरण का सत्यापन, और 44 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की जांच शामिल है इसके अतिरिक्त, 24 राज्यों में 5498 किसानों और 1092 व्यापारियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

(पैरा 3.1.3)

मुख्य निष्कर्ष

उर्वरक आवश्यकताओं का आंकलन

हमने पाया कि उर्वरक आवश्यकताओं के विस्तृत आंकलन की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा मौसमी कृषि क्षेत्रीय इनपुट सम्मेलनों में हुए विचार–विमर्श के कोई कार्यवृत्त नहीं रखे गये थे, जिसके अभाव में, प्रमुख उर्वरकों का राज्य वार और महीने–वार आवश्यकता का औचित्य नहीं आंका जा सका। जिसकी बाद में राज्य विशेष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों में पुष्टि हो गई, जिसमें पाया गया कि उर्वरकों की आवश्यकताओं को पिछले मौसम/वर्ष की आवश्यकताओं से सामान्यतः 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करके प्रक्षिप्त किया गया जो इस ओर संकेत करता है कि उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिये कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। अधिकांश राज्यों में, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता को केवल राज्य कृषि निदेशालय के स्तर पर प्रक्षिप्त किया गया (जिला और निचले स्तरों के इनपुट लिये बिना) और जो सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, मिट्टी की गुणवत्ता और अन्य स्थानीय कारकों पर आधारित नहीं थे। इसके अलावा, अधिकतर राज्यों में, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच, जो कि उर्वरक पोषकों की सही मात्रा के निर्धारण में सहायक होती, के लिए केवल कृषि भूमि के एक अंश को जांच में शामिल किया गया।

(पैरा 4.2)

उर्वरक उत्पादन, आयात और खपत

हमने पाया कि उर्वरकों की आंकलित आवश्यकता 1998–99 से 2008–09 की 11 वर्ष की अवधि में, 70 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ गई, कुल उत्पादन केवल 11 प्रतिशत ही बढ़ा, जबकि आयात लगभग 236 प्रतिशत बढ़ गया। भारी मात्रा में राजसहायता के बावजूद, (1998–99 में 11,387 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008–09 में 96,603 करोड़ रुपये हो गई), उर्वरकों का उत्पादन केवल 269 लाख एम.टी. से 298 लाख एम.टी. तक ही बढ़ पाया। राजसहायता प्रणाली में बदलाव, जिसमें नई मूल्य योजना (एन.पी.एस.) के चरण I से III शामिल हैं, उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहनात्मक वृद्धि देने में असफल रहे। इस प्रकार, उर्वरकों की बढ़ी हुई खपत को बड़े पैमाने पर उर्वरकों के आयात से पूरा किया गया। इससे देश आयातों पर निर्भर हो गया, जिनका मूल्य अस्थिर है। 1998–99 से 2008–09 तक आयातित उर्वरकों पर राजसहायता/रियायत की मात्रा कुल राजसहायता के 3 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई।

(पैरा 5.1)

1998–99 से 2008–09 की 11 वर्ष की अवधि के दौरान यूरिया के उत्पादन में केवल 3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि यूरिया राजसहायता नीति में अवधारण मूल्य योजना (आर.पी.एस.) के अन्तर्गत वैयक्तिक इकाई पर आधारित मूल्य से नई मूल्य योजना (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत समूह पर आधारित मूल्य में बदलने के कारण नैफथा आधारित यूरिया उत्पादन से गैस आधारित यूरिया उत्पादन में भारी परिवर्तन आया, परन्तु इससे कारण यूरिया की क्षमता में या उत्पादन में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हुई। यूरिया की बढ़ी हुई खपत को मुख्यतः आयातों से पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त, यूरिया के

उत्पादन के भारित औसत मूल्य में, एन.पी.एस. के बाद, 81 प्रतिशत से 120 प्रतिशत की भारी वृद्धिहुई। यहां तक कि नैफथा इकाइयों को गैस पर आधारित इकाइयों में बदलने के बावजूद उत्पादन के मूल्य में कमी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त एन.पी.एस. के सामूहिक प्रस्ताव के बावजूद, ऊर्जा खपत के पहले से निर्धारित किये गये मानक (जोकि यूरिया के उत्पादन मूल्य में एक सबसे बड़े घटक का द्योतक है) एक ही समूह में एक इकाई से दूसरी इकाई में अलग–अलग पाये गये।

(पैरा 5.3.2)

फॉस्फेटिक उर्वरकों के मामले में, यद्यपि 1998–99 से 2008–09 में क्षमता लगभग दुगुनी हो गई, डी.ए.पी. और एन.पी.के. मिश्रणों के वास्तविक उत्पादन में केवल 30 प्रतिशत की बढ़त हुई। वास्तव में, डी.ए.पी. का उत्पादन तेजी से कम हुआ। तथापि, फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे माल / माध्यमों पर आधारित है। डी.ए.पी. / एम.ए.पी. / एन.पी. के मिश्रणों की खपत में वृद्धि की पूर्ति मुख्यतः ऊंचे मूल्यों पर किये गये आयातों से की जाती थी, जिसके कारण राजसहायता पर पड़ने वाले बोझ में कई गुणा वृद्धि हुई।

(पैरा 5.4.2)

पोटाशिक उर्वरकों के मामले में, देश की आवश्यकताओं को पूरी तरह आयातों से पूरा किया जाता है। हमने पाया कि, और आयातों पर नियंत्रण और मार्च 2008 को उपलब्ध भंडार में से आहरण की बजाय, मंत्रालय ने एम.ओ.पी. के 57 लाख एम.टी. का अतिरिक्त आयात किया (व्यय के आंकड़ों के अनुसार 43 लाख एम.टी.) जिससे राजसहायता पर पड़ने वाले बोझ में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की परिहार्य वृद्धि हुई।

(पैरा 5.5)

खपत के मामले में, यद्यपि खपत और आंकलित आवश्यकताओं में समानुरूप अन्तर था, खपत के आंकड़े व्यापक रूप से उर्वरक (उत्पादऩआयात), की कुल उपलब्धता के अनुसार थे जो इस ओर संकेत दे रहे थे कि जितना भी उर्वरक उपलब्ध था, उसकी तुरन्त खपत हो गई। ऐसा सम्भवतः ऊंचे राजसहायता प्राप्त मूल्य के कारण है, यह आवश्यकता के आंकलन को एक वैज्ञानिक आधार पर न करने की कमी की पुष्टि भी करता है।

2003–04 से 2008–09 तक जबकि उर्वरकों की खपत में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई उसी अवधि में कृषि उत्पादन (अनाज, तिलहन और गन्ना) के मुख्य घटकों में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक कमजोर सहसंबंध की ओर संकेत करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की खपत के नमूनों में भी बहुत असमानता थी, जिसमें आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में खपत दरें बहुत ज्यादा थी, जबकि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और झारखंड में खपत दरें बहुत कम थी। खपत दरों और सिंचित क्षेत्र के अनुपात में जबरदस्त सहसंबंध था; जितना ज्यादा सिंचित क्षेत्र का अनुपात था, उतनी ज्यादा उर्वरकों की खपत दर। उदाहरण के लिए, पंजाब ने 98 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के साथ 2008–09 में 221 कि.ग्रा. / है0 की खपत की जबकि झारखंड ने 10 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के साथ केवल 56 कि.ग्रा. / है0 की खपत की। यह ध्यान में रखा जाए कि उर्वरकों की खपत के आंकड़े जिला स्तरों पर

केवल प्रथम बिन्दु बिक्री पर आधारित हैं और इनमें कृषि उद्देश्य के लिये वैयक्तिक रूप से किसानों द्वारा की गई वास्तविक खपत (केवल क्रय को ही लें) को नहीं लिया गया है। उस हद तक उर्वरकों की खपत के आंकड़े अविश्वसनीय हैं। इसके अलावा, राजसहायता/रियायत की भारी राशि के बावजूद, हमें उर्वरकों की अनुपलब्धता/कमी के कई मामलों के साथ–साथ उर्वरकों के अधिक भंडारण/अधिक उपलब्धता के मामले भी मिले, जो आपूर्ति और निचले स्तर पर आवश्यकता के बेमेल होने की पुष्टि करते हैं। हमें उर्वरकों के कृषि के अलावा अन्य उद्देश्यों में विचलन के साथ–साथ पूर्वी/उत्तर–पूर्वी राज्यों में सीमावर्ती जिलों में तस्करी के भी कई मामले मिले।

(पैरा 5.6)

राजसहायता दावों का भुगतान

उर्वरक इकाईयां/आयातकर्त्ता राजसहायता भुगतानों के पात्र तब होते हैं, जब उर्वरकों को जिले में प्रथम भंडारण केन्द्रों पर प्रेषित कर दिया जाता है, और प्रेषण के विवरणों को वैब पर आधारित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (एफ.एम.एस.) पर अपलोड कर दिया जाता है। तथापि, जिलों में प्रथम भंडारण केन्द्र में प्राप्तियों के संगत आंकड़ों के साथ इकाई–वार और जिले वार प्रेषण आंकड़ों के समाशोधन के लिये कोई प्रणाली नहीं है। हमने एक नमूना आधार पर 2008–09 (अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008) के लिये एक सीमित समाशोधन अभ्यास की कोशिश की, जिसमें पाया गया कि विनिर्माता ईकाइयों द्वारा 83 करोड़ रूपये मूल्य के जो 48,624 एम.टी. उर्वरक प्रेषित किये गये बताये गये विभिन्न राज्यों में प्रथम भंडारण केन्द्रों में प्राप्त हुए दर्ज नहीं किये गये।

हमारे विचार से, कृषि विषयक उद्देश्यों के लिये (प्रमाणन प्रक्रिया में अपर्याप्तताओं के बावजूद) विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री में राज्य सरकारों द्वारा प्रोफार्मा 'बी' में प्रमाणन की आवश्यकता ही उर्वरकों के प्रयोग का प्रमुख नियंत्रण है।

प्रमाणन को शेष 10/15 प्रतिशत (असमायोजित रियायत के 100 प्रतिशत के बराबर बैंक गांरटी का दंडात्मक प्रावधान रखकर) भुगतान के निस्तारण के साथ जोड़कर प्रोफार्मा 'बी' को समयपूर्वक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टतः प्रेरणादायक/अप्रेरणादायक कारण के रूप में रखा गया। जून 2007 से इस प्रकार के जुड़ाव को हटाने से, कृषि विषयक उद्देश्यों के लिये विनियंत्रित उर्वरकों के प्रयोग का सक्षम प्राधिकारियों (जैसे राज्य सरकारें) द्वारा प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिये कोई पर्याप्त प्रेरक कारण शेष नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप 2007–08 से 2009–10 के वर्षों के 50,587 करोड़ रुपये के बकाया प्रोफार्मा 'बी' इकट्ठे हो गये।

(पैरा 6.2 और 6.10)

इसके अतिरिक्त, ज्यादातर राज्यों में, कृषि विषयक उद्देश्यों (जो राजसहायता के उचित प्रयोग का आश्वासन दिलायेंगे) के लिए बिक्री का सत्यापन या तो था ही नहीं या अपर्याप्त था, क्योंकि इसमें प्रथम बिन्दु पर बिक्री से आगे स्टॉकों के भौतिक सत्यापन या बिक्री का समावेश नहीं था, और अनेक मामलों में प्राप्तियों, बीजकों इत्यादि का भी सत्यापन नहीं था। इसके अलावा, यद्यपि उर्वरकों कीजिला स्तर पर प्राप्ति के आधार पर राजसहायता का निस्तारण किया जाता था और शुल्क राजसहायता ब्लॉक स्तर

तक दी जाती थी, जिला, ब्लॉक और उपभोक्ता स्तरों पर प्राप्ति की पुष्टि के भौतिक सत्यापन की राज्य स्तर पर कोई प्रणाली नहीं थी। हमने उर्वरकों की बिक्री के लिये लाइसेंस संबंधी और अन्य प्रबंधों में भी कमियां पाई।

(पैरा 6.3)

उर्वरक विभाग द्वारा 2005–06 से 2008–09 की अवधि में सरकारी लेखे में यूरिया के आयात से संबंधित अभिलेख और आई.पी.एल. द्वारा 2007–08 के दौरान सरकारी निर्देशों पर डी.ए.पी. के आयात के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। हमें उपलब्ध कराये गये आयातित उर्वरक से संबंधित अभिलेखों के आधार पर, आई.पी.एल द्वारा डी.ए.पी. के आयात में कुछ अनियमितताएँ पाई गई, इसके साथ–साथ आई.पी.एल. द्वारा डी.ए.पी. के आयातों और समानुरूप आपूर्ति में कुछ असंगतियां मिली हैं।

(पैरा 6.6.1)

हमें विभिन्न राज्यों में मिश्रक इकाईयों द्वारा राजसहायता प्राप्त उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. इत्यादि) की खपत कोबढ़ाते जाने की असामान्य प्रवृत्ति मिली। इसके परिणामस्वरूप राजसहायता की श्रृंखला टूट गई, क्योंकि मिश्रणों के मूल्य सामान्यतः ज्यादा थे और विभिन्न राज्यों में लाइसेंस और नियमन/स्व–नियमन के बदलते हुए स्तरों के अनुसार थे। इसके अतिरिक्त, इन मिश्रक इकाईयों द्वारा की गई उर्वरकों की खपत सामान्य किसान की कीमत पर थी। उर्वरक मिश्रणों की गुणवत्ता पर नियंत्रण भी नगण्य था, जिसने निम्न गुणवत्ता वाले मिश्रणों के जोखिम को संदेहरहित किसानों के सामने खोल दिया था।

(पैरा 6.7)

गुणवत्ता नियंत्रण

हमने पाया कि देश में उर्वरक की गुणवत्ता जांचने के लिये संरचना पूर्णतया अपर्याप्त थी। एक वर्ष में दो बार (जैसे कि एक बार प्रत्येक रबी और खरीफ के लिये) सभी बिक्री केन्द्रों से नमूनों की जांच के लिएवर्तमान गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की वार्षिक क्षमता, आवश्यक क्षमता, की केवल 25 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, कई प्रयोगशालाएं भौतिक और मानवीय दोनों हीसंरचनाओंके मायनों में दोषपूर्ण थी। परिणामस्वरूप, प्रयोगशालाओं की क्षमता और लक्ष्य दोनों की तुलना में, जांचे गये वास्तविक नमूनों की संख्या में भारी कमी थी। इसके साथ ही, अधिकतर राज्यों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में नमूने भेजने, संबंधित प्राधिकरणों को प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण रिपोर्टें भेजने और उन पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं हो रहा था और अत्यधिक देरी हो रही थी। इसके कारण, जब तक निम्न गुणवत्ता के उर्वरक का पता चला, और विश्लेषण रिपोर्टें संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंची और कार्यवाही शुरू हुई, तब तक उर्वरक के (निम्न कोटि के नमूने से संबंधित)शेष भंडार पहले ही असंदिग्ध किसानों को बेच दिये गये थे, जो कि अनजाने में ही इस प्रकार के निम्न कोटि के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे थे।

(पैरा 7.2. और 7.3)

किसानों और व्यापारियों के सर्वेक्षण के परिणाम

1092 उर्वरक व्यापारियों पर किये गये सर्वेक्षण में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए। 57 प्रतिशत व्यापारियों ने बताया कि उन्हें उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा और किस्में समय पर नहीं मिली। 37 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें अपनी जरूरत के उर्वरकों कीढुलाई में परिवहन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। केवल 51 प्रतिशत ने ही ऐसा संकेत दिया कि वे किसानों को उनकी मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति समय पर देने में समर्थ थे। 40 प्रतिशत व्यापारियों ने संकेत दिया कि पिछले तीन सालों से उर्वरक की गुणवत्ता की जांच के लिये उनके भंडार में से कोई नमूने नहीं चुने गये थे।

5498 किसानों पर किये गये सर्वेक्षण में भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए। सर्वेक्षण में शामिल किसानों में से 45 प्रतिशत ने सूचित किया कि उन्होंने एम.आर.पी. से ज्यादा मूल्यों पर उर्वरकों को खरीदा था, जबकि 56 प्रतिशत ने सूचित किया कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि सरकार ने उर्वरकों पर एम.आर.पी. निर्धारित किया है। 59 प्रतिशत किसानों को उर्वरकों की अपेक्षित पूरी मात्रा समयपूर्वक पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वेक्षण में शामिल किसानों में से 55 प्रतिशत ने उर्वरकों की अपनी जरूरतके लिए कम मात्रा वाले बैगों की माँग जाहिर की (इसके विपरीत, सर्वेक्षण में शामिल व्यापारियों में से केवल 40 प्रतिशत ने सूचित किया कि किसान कम मात्रा वाले बैगों की मांग कर रहे थे); 51 प्रतिशत ने सूचित किया कि उनके पास अपनी जरूरत के अनुसार उर्वरक खरीदने के लिये पर्याप्त धन नहीं था। सर्वेक्षण में शामिल किसानों में से 76 प्रतिशत ने उर्वरकों की उचित आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तौर पर अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराई थी।

(पैरा 8.1. और 8.2)

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा उर्वरक राजसहायता/रियायत पर भारी मात्रा में व्यय के बावजूद, उर्वरकों का वार्षिक उत्पादन मामूली रूप से 2003–04 में 284 लाख एम.टी. से 2008–09 में केवल 298 लाख एम. टी तक ही बढ़ पाया। राजसहायता प्रणाली में परिवर्तन उर्वरक के घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रोत्साहन देने में असफल रहे। कुल मिलाकर, उर्वरक की बढ़ी हुई खपत को बड़े पैमाने पर उर्वरक के आयात को बढ़ाकर ही पूरा किया जाता है।

उर्वरक की आवश्यकताओं के विस्तृत आंकलन की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, जिसमें कि पिछले मौसम/वर्ष की आवश्यकता से 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रक्षेपण की सामान्य प्रथा को अपनाया गया था। इसके अतिरिक्त, उर्वरक राजसहायता जारी करने के उद्देश्य से प्रथम बिन्दु बिक्री को खपत माना गया था।

उर्वरक की आपूर्तियों की योजना में महत्वपूर्ण कमियां थी, जिसमें जिला और निचले स्तरों पर अधिक आपूर्ति और कम आपूर्ति दोनों के ही कई उदाहरण थे, जिसके परिणामस्वरूप, जब किसानों को इनकी जरूरत होती थी, तब आवश्यक उर्वरकों का आधिक्य/कमी होती थी। यहां तक कि राज्य सरकारों द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री के सत्यापन के लिये बनाए गए निर्धारित नियंत्रणों को बड़े पैमाने पर

प्रथम बिन्दु बिक्री केन्द्रों तक ही सीमित कर दिया गया, और उन्हें ब्लॉक और निचले स्तरों और अंतिम उपभोक्ताओं यानि किसानों तक लागू नहीं किया गया। बिक्री और भंडारों (यहां तक कि एक नमूना/प्रतिशत आधार पर भी) का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। विभिन्न राज्यों में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों ष्की मिश्रक ईकाइयोंष्द्वारा खपत ष्राजसहायता शृंखलाष का प्रमुख दोष निरूपित करती है, ये ईकाइयां राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की खपत करती हैं, परन्तु विभिन्न राज्यों में (बिना किसी केन्द्रीय नियंत्रण के) लाइसेंस/नियमन/स्व–नियमन के बदलते हुये स्तरों के साथ मिश्रणों को ऊंचे दामों पर बेचती हैं।

हमें राजसहायता प्राप्त उर्वरकों पर गुणवत्ता नियंत्रण में अपर्याप्त/निम्न स्तरीय संरचना, पर्याप्त निपुण जनबल की कमी, और उर्वरक नमूनों की जांच में भारी मात्रा में कमियों के रूप में महत्वपूर्ण कमियां मिली।

परिणामस्वरूप, हमें यह आश्वासन प्राप्त करना मुश्किल था कि उर्वरकों के विनिर्माताओं/आयातकों को दिये गये उर्वरक राजसहायता भुगतानों पर किया गया भारी व्यय, किसानों को वास्तव में उनकी आवश्यकतानुसार निर्धारित राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर समयपूर्वक उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक पूरी मात्रा में उपलब्ध कराता है।

हम क्या अनुशंसा करते हैं ?

भारत की अधिकांश जनसंख्या अभी भी अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर है। बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता केवल भोजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और बरकरार रखने के लिये ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों की एक समान और ऊंची दरों पर आय वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिये योजना का एक मुख्य घटक, उत्पादों में वृद्धि के लिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखते हुए और मिट्टी और पानी पर प्रतिकूल प्रभाव को बचाते हुये रासायनिक उर्वरकों का सर्वोत्तम प्रयोग है, इस उद्देश्य की ओर,

- कृषि और सहकारिता विभाग (डी.ओ.ए.सी.) को सुनिश्चित करना चाहिये कि उर्वरक की मौसमी आवश्यकताओं का आंकलन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये न कि केवल पिछले वर्ष की खपत में एक निर्धारित प्रतिशत जोड़कर। इस उद्देश्य के लिये, डी.ओ.ए.सी. को उर्वरकों की विस्तृत आवश्यकताओं को (आदर्शतः ब्लॉक स्तर तक) मुख्यतः इलैक्ट्रोनिक प्रपत्र में प्रस्तुत करने को कहना चाहिये, ताकि विश्लेषण में सुविधा हो और कमियों पर विशेष बल दिया जा सके। साथ ही, चुने हुये राज्यों/जिलों की आवश्यकताओं की भी एक नमूना/चक्रीय आधार पर विस्तृत जांच/छानबीन होनी चाहिए।

- एन.पी.एस. की भावना के साथ, डी.ओ.एफ. को समूह की सभी यूरिया विनिर्माता ईकाइयों के साथ एक समान ऊर्जा वाले मानक निर्धारित करने के लिये समय रेखाएंतय करनी चाहिए। उर्वरक विनिर्माताओं को संभावित असुविधा के बावजूद, राज्य सरकारों द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों की कृषि संबंधी बिक्री को प्रोफार्मा 'बी' में प्रमाणन मिलने तक 10–15 प्रतिशत राजसहायता रखने वाली पुरानी प्रणाली के आधार पर पुनः चालू करने के लिए विचार करना चाहिये। इसके साथ ही, डी.

ओ.एफ. को राज्य सरकारों (ब्लॉक और उपभोक्ता स्तरों पर प्राप्ति के सत्यापन के साथ) द्वारा कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिये बिक्री के सत्यापन के लिये विस्तृत प्रक्रियायें, प्रथम बिन्दु बिक्री केन्द्र के पश्चात् भंडारों या बिक्री के भौतिक सत्यापन आदि को निर्धारित करना चाहिये। डी.ओ.एफ. को यूरिया के संबंध में भी षनियंत्रितष उर्वरक होने के बावजूद, इसी तरह की एक नियामक प्रणाली पर विचार करना चाहिए।

- सभी प्रकार के राजसहायता प्राप्त उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एम.ए.पी., एम.ओ.पी. इत्यादि) की मिश्रक ईकाइयों को बिक्री की अनुमति नहीं देनी चाहिये, इन मिश्रकईकाइयों को अपने प्रयोग के लिये गैर राजसहायता प्राप्त उर्वरक खरीदने चाहिये। जहां डी.ओ.एफ. महसूस करता है कि कुछेक मिश्रण कृषि संबंधी उपभोग के लिये आवश्यक/वांछनीय है, तो उनके मूल्यों को राजसहायता प्राप्त विवरणों (पोषक मूल्य के अनुसार) के आधार पर अधिसूचित कर देना चाहिये, इसके साथ हीवे पूरी तरह से गुणवत्ता जांच के विषयक भी होने चाहिये।

- देश में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण की संरचना को नई प्रयोगशालाएं लगाकर, वर्तमान प्रयोगशालाओं के ढांचें के आधुनिकीकरण और अनुकूल शिक्षित कर्मचारियों की भर्ती करके उन्नत करना चाहिये। सभी बिक्री केन्द्रों की मौसमी जांच की पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिये समय रेखा निर्धारित करनी चाहिये। यदि आवश्यक समझा जाये, तो इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

- राज्य सरकार के विभागों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को नमूने लेने, नमूनों का विश्लेषण करने और नमूना निष्कर्षों को प्रेषित करने संबंधी समय रेखा के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। नमूनों के निष्कर्षों को मिलाने और व्यापक प्रसार के लिये आई.टी. का प्रयोग करना चाहिये; इसके अतिरिक्त, ब्लॉक पंचायतों के सूचना पट्टों पर नमूना निष्कर्षों को प्रदर्शित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

1 उर्वरक– एक परिचय

1.1 उर्वरकों की मुख्य किस्में

कोई भी सामग्री, कार्बनिक या अकार्बनिक, प्राकृतिक या कृत्रिम जो कि पौधे के विकास के लिए जरूरी, एक या अधिक रसायनिक तत्वों की आपूर्ति करती है, उर्वरक कहलाती है। पौधे के विकास के लिए सोलह तत्वों को आवश्यक तत्वों के रूप में पहचाना गया है, जिसमें से नौ तत्व की दीर्घ मात्रा में और सात तत्व सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ती है। जबकि पौधे के विकास के लिए प्राथमिक तत्व **नाइट्रोजन (एन)**, **फॉस्फोरस (पी)** और **पोटाशियम (के)** हैं। उर्वरक में इनका केंद्रीकरण एन, पी$_2$ओ$_5$ और के$_2$ओ के प्रतिशत में व्यक्त किया गया है। प्रमुख पोषक तत्व साधारणतया रासायनिक उर्वरकों द्वारा आपूर्ति किये जाते हैं।

उर्वरकों को मुख्यतः निम्न में बांटा गया है :

- **नाइट्रोजन (एन) के उर्वरक** –यूरिया नाइट्रोजन के उर्वरक में प्रमुख है।
- **फॉस्फेट (पी) के उर्वरक** –इस समूह के मुख्य उर्वरक[1] डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एम.ए.पी.) और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टी.एस.पी.) है।
- **पोटाशियम (के) के उर्वरक** –मुरियेट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) (जो पी और के तत्व उपलब्ध करवाता है), पोटाशियम के उर्वरक में प्रमुख है।
- **जटिल और अन्य उर्वरक** –इसमेंजटिल उर्वरकों के विभिन्न वर्ग (जो कि एन.पी. के मिश्रण कहलाते हैं) जो अलग–अलग अनुपातों में (जैसे कि 15–15–15; 17–17–17; 14–28–17; 12–32–16[2]) सभी तीन तत्व प्रदान करते हैं और अन्य उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट (ए.एस.), नाइट्रो फॉस्फेट आदि शामिल हैं।

1.2 गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व

कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर गौण/पोषक तत्व कहलाते हैं और पौधे के विकास में इनकी जरूरत प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में पड़ती है। गौण और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति में कमियों से प्राथमिक पोषक–तत्वों की कार्यक्षमता कम हो जाती है जिससे उत्पादकता का स्तर घट जाता है। अतः इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए, फसलों को प्राथमिक तत्वों के साथ गौण तत्वों की आपूर्ति भी की जानी चाहिए।

सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्वों का एक समूह है जोकि पौधे के विकास के लिए अति लघु मात्रा में आवश्यक होते हैं। गहन–कृषि में, मृदा से सभी पोषक तत्व, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल है, बहुत तेजी से कम हो जाती है। इसलिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का चयनित प्रयोग आवश्यक है। आयरन, जिंक, मैगनीज, कॉपर, बोरोन,मोलीबिडनम और क्लोरीन इस वर्ग में आते हैं। दस सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे कि जिंक सल्फेट (मोनोहाइड्रेट और हेफ्टाहाईड्रेट) मैंग्नीज सल्फेट, बोराक्स, सोलुबोर, कॉपर सल्फेट, फेरश सल्फेट, अमोनियम मोलीबड़ेट, सिलेटेड जिंक, और

---

[1]डी.ए.पी. (डाई अमोनियम फॉस्फेट) और एम.ए.पी. (मोनो अमोनियम फॉस्फेट) भी, नाइट्रोजन के मुख्य स्त्रोत है (फॉस्फेट के अलावा)

[2]यह आंकड़े एन–पी–के का अनुपात दर्शाते हैं।

सिलेटेड आयरन, उर्वरक–नियंत्रण आदेश में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त–पोषित उर्वरक जैसे जिंकयुक्त यूरिया और बोरोनयुक्त सिंगल सुपरफॉस्फेट को भी उर्वरक–नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

1.3 नियंत्रित और विनियंत्रित उर्वरक

नियंत्रण के आधार पर, उर्वरकों को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है :

- **नियंत्रित उर्वरक (यूरिया)** –जैसे कि उर्वरक जिनके मूल्य, वितरण और आवाजाही पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत नियंत्रण हो और अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये उर्वरक आवाजाही नियंत्रण आदेश। यूरिया अकेला नियंत्रित उर्वरक है जिसमें उत्पादन का 50 प्रतिशत नियंत्रित किया जाता है।

- **विनियंत्रित उर्वरक** –अन्य सभी उर्वरक[3] (डी.ए.पी., एन.पी.के. के जटिल उर्वरक, एम.ए.पी. एम.ओ. पी., टी.एस.पी. और एस.एस.पी. इत्यादि)।

जबकि व्यवहार में, उर्वरक (नियंत्रित अथवा विनियंत्रित) जोकि कृषि संबंधी उपयोग के लिए अनुवृतित किये गये हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सुस्पष्ट/अंतर्निहित नियंत्रण को, ध्यान में रखते हुए (औपचारिक आबंटन आदेश अथवा आपूर्ति योजना द्वारा), मुख्यतः यह सुनिश्चित करना है कि उर्वरकराजसहायता दी गई है और राजसहायता प्राप्त उर्वरक का गैर–कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए न्यूनतम पथांतरण हुआ है। इसी तरह राजसहायता के आधार पर सभी मुख्य उर्वरकों के 'फार्म–गेट' मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किये जाने हैं जिससे सुनिश्चित हो सके कि पूरे देश में समान बिक्री मूल्य है जो कि उत्पादकता/आयात की लागत से पर्याप्त रूप से कम है।

1.4 आयात पर निर्भरता

विभिन्न फसलों के लिए जरूरी तीन प्राथमिक पोषक तत्वों (एन, पी और के) में से स्वदेशी कच्चा माल मुख्यतःनाइट्रोजन के उर्वरकों के लिए उपलब्ध है। जबकि यूरिया की जरूरत अधिकतर स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जाती है, इसे सरकारी खाते से, घरेलू उत्पादन और जरूरत के अंतर को पूरा करने के लिए आयात भी किया जाता है। वर्ष 2008–09 में, आयातित यूरिया, कुल जरूरत का लगभग 15 प्रतिशत था। यह वर्ष 2000–01, 2002–03 और 2003–04 की स्थिति के विपरीत है, जब घरेलू उत्पादन, सम्पूर्ण जरूरत को पूरा करने के लिए काफी था और इसलिए सरकारी खाते से यूरिया आयात नही किया गया।

---

[3]डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.), मोनो–अमोनियम फॉस्फेट (एम.ए.पी.), मुरीएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टी.एस.पी.), अमोनियम सल्फेट (ए.एस.), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.)

फॉस्फेट्स के मामले में, घरेलु कच्चा माल की कमी, देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में एक बाधा रही है। स्वदेशी रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति, पी2ओ5 (फॉस्फेट) की कुल जरूरत का केवल 5 से 10 प्रतिशत रही है। वर्ष 2008–09 के दौरान, फॉस्फेट के उर्वरक की जरूरत का लगभग 65 प्रतिशत, घरेलू उत्पादन द्वारा पूरा किया गया जोकि निम्न पर आधारित था :

- स्वेदशी/आयातित रॉक फॉस्फेट, आयायित सल्फर और अमोनिया; और
- स्वेदशी/आयातित मध्यवर्ती जैसे अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड;
- जरूरत का शेष 35 प्रतिशत तैयार उर्वरक के आयात द्वारा पूरा किया गया।

एम.ओ.पी. के मामले में, जटिल उर्वरकों के उत्पादन और प्रत्यक्ष संप्रयोग के लिए सम्पूर्ण मांग, आयात के द्वारा पूरी की गई।

IPL
SINGLE SUPER PHOSPHATE
FERTILISER
GRANULATED

2 उर्वरकराजसहायता व्यवस्था

2.1 उर्वरकराजसहायता व्यवस्था का क्रमागत विकास

उर्वरकराजसहायता/रियायत व्यवस्था का 1957 के प्रारंभ से एक लम्बा और विविध इतिहास रहा है जैसा कि नीचे सारांशित किया गया है:

सारणी 2.1 उर्वरक अनुवृत्ति और नियंत्रण संबंधी मुख्य घटनाओं का कालक्रम

अवधि	घटना
1957	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 के तहत यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य तय करना
1973	उर्वरक वितरण और इसके अंतर्राज्यीय आवाजाही पर सरकारी नियंत्रण हेतु उर्वरक (आवाजाही) नियंत्रण आदेश जारी किया गया
नवबंर 1977	नाइट्रोजन के उर्वरकों के लिए अवधारण मूल्य योजना लागू की गई।
फरवरी 1979	जटिल उर्वरकों के लिए अवधारण मूल्य योजना (आर.पी.एफ.) लागू की गई।
मई 1982	अवधारण मूल्य योजना (आर.पी.एफ.) के अंतर्गत सिंगल सुपर फॉस्फेट शुरू की गई।
अगस्त 1992	जे.पी.सी. की अनुशंसाओं के आधार पर फॉस्फॉटिक (पी)
अक्टूबर 1992	विनियंत्रित पी और के उर्वरकों को रियायत दी गई।
अप्रैल 2003	अवधारण मूल्य योजना आर.पी.एफ. का क्रमवार नई मूल्य निर्धारण योजना (क्रम I) में प्रतिस्थापन
अप्रैल 2004	नई मूल्य निर्धारण योजना (क्रम I) – 1.4.2004 से 30.9.2010
अक्टूबर 2006	नई मूल्य निर्धारण योजना (क्रम II) – 1.10.2006
अप्रैल 2010	वर्तमान रियायत योजना[4] (एम.बी.एस.) के प्रतिस्थापन में पोषक तत्व आधारित राजसहायता

2.2 यूरिया पर राजसहायता

2.2.1 तत्कालीन प्रतिधारण मूल्य योजना (आर.पी.एस.)

मार्च 2003 तक, अवधारण मूल्य योजना (आर.पी.एफ.) ने, यूरिया निर्माताओं को दी गई राजसहायता का निम्न मुख्य रेखाओं पर नियंत्रित किया:

[4]इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत नहीं लिया गया है।

- तकनीकी, फीडस्टॉक–उपयोग, उपयोग क्षमता का स्तर, ऊर्जा उपभोग, फीडस्टॉक/कच्चा माल के स्त्रोत से दूरी इत्यादि में आधार पर, प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई के लिए एक अवधारण मूल्य (सरकार द्वारा आंकी गई प्रत्येक इकाई के उत्पादन की लागत के साथ शुरू संपत्ति पर 12 प्रतिशत पश्चात–कर जोड़कर तय किया गया।
- इकाई–वार अवधारण मूल्य और कानूनन अधिसूचित बिक्री–मूल्य के बीच अंतर का राजसहायता के रूप में भुगतान किया गया।

2.2.2 नई मूल्य–निर्धारण योजना

नई मूल्यनिर्धारण योजना (एन.पी.एस.), अवधारणा मूल्य योजना को प्रतिस्थापन करने के लिए अप्रैल 2003 में नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.) तैयार की गई और इससे, उत्पादन में बढ़ावा, यूरिया उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक मानदण्ड व मापदण्ड को बढ़ावा यूरिया राजसहायता में कमी और अधिकतम पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ावा देने की उम्मीदें थी। नई मूल्य निर्धारण योजना (एन. पी.एस.) ने राजसहायता की गणना के लिए इकाई–वार दृष्टिकोण की बजाय समूह आधारित रियायत दृष्टिकोण को अपनाया जोकि पुरानी फीडस्टाक पर आधारित थी। नई मूल्य–निर्धारण योजना के अंतर्गत पुरानी फीडस्टाक के आधार पर, यूरिया निर्माण इकाइयों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया:

- 1992–पूर्व, गैस आधारित इकाइयां
- 1992–पश्चात, गैस आधारित इकाइयां
- 1992–पूर्व, नैफ्था आधारित इकाइयां
- 1992–पश्चात, नैफ्था आधारित इकाइयां
- एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.[5] आधारित इकाइयां
- मिश्रित ऊर्जा आधारित इकाइयां

प्रत्येक समूह के लिए, अवधारण मूल्य उत्पादन की मानक–लागत के साथ शुद्ध संपत्ति पर 12 प्रतिशत पश्चात कर जोड़कर तय किये गये।

नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.) ने तीन चरण परिकल्पित किये, जिनकी मुख्य विशेषतायें निम्न थी:

एन.पी.एस. चरण	मुख्य विशेषतायें
एन.पी.एस.–I **(अप्रैल 2003 से मार्च 2004)**	• पुराने फीडस्टाक के आधार पर इकाइयों का छः समूहों में वर्गीकरण • प्रत्येक समूह के लिए, 1.4.2002 को लागू होने वाले इकाई के भारित औसत अवधारण मूल्य और व्यापारी मुनाफा की गणना की जानी थी। • समूह औसत के संदर्भ में, 20 प्रतिशत और अधिक विचलनों वाली इकाइयों को उनके संबंधित समूहों से बाहर कर दिया गया इकाइयों को, जिनका अवधारण मूल्य, भारित समूह औसत से कम था, उनके व्यक्तिगत अवधारण मूल्य के आधार पर, रियायत दी जानी थी।

[5]ईंधन तेल/निम्न सल्फर भारी स्टॉक

एन.पी.एस. चरण	मुख्य विशेषतायें
	• असाधारण रूप से बहुत अधिक या कम अवधारण मूल्य वाली इकाइयों, जैसे समूह औसत के संदर्भ में 20 प्रतिशत या अधिक का विचलन, को बाहरी इकाई माना गया और उन्हें उनके स्वयं के अवधारण मूल्य और समूह औसत रियायत दर के अंतर के 50 प्रतिशत के रूप में विशिष्ट व्यवस्था दी गई।
एन.पी.एस.–II (अप्रैल 2004 से सितंबर 2006)	• 6 समूह चरण–I में ही रहेंगे और समूह औसत से कम रियायत प्राप्त करने वाली इकाईयां व्यक्तिगत रियायत प्राप्त करती रहेंगी। रियायत दरें, पूंजी उपयोग स्तर को कम करने में समायोजित की जायेंगी। समूह ऊर्जा मानदंड कुशलता बढ़ाने के लिए लागू किये जायेंगे। समूह ऊर्जा मानदंड और पूंजी उपयोग स्तर में कमी का पैमाना उर्वरक विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा।
एन.पी.एस.–III (अक्टूबर 2006 से मार्च 2010[6])	• इकाइयों का छः समूहों में वर्गीकरण जारी रहेगा। 92–पूर्व नैफ्था और ए.ओ./एल.एस.एच.एस. आधारित सयंत्र का 93 प्रतिशत और 92 पूर्व, गैस, 92 पश्चात नैफ्था और मिश्रित ऊर्जा आधारित सयंत्र का 98 प्रतिशत का क्षमता उपयोगिता स्तर, यूरिया इकाइयों के लिए रियायत दरें आंकने में लिया जायेगा। • पुनः आंकी गई क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 100 प्रतिशत और 110 प्रतिशत के बीच उत्पादन, सरकार और इकाई के बीच 65:35 को शुद्ध लाभ वितरण अनुपात में इस प्रावधान के साथ प्रोत्साहन राशि के रूप में बांट दिया जायेगा कि परिवर्तित लागत सम्मिलित करने के बाद, इकाई को भुगतान की जाने वाली कुल राशि, इकाई के अपने रियायत तक सीमित रहेगी। • अतिरिक्त उत्पादन, जोकि कृषि संबंधी उपयोग के लिए जरूरी नहीं है, पर सरकार राजसहायता नहीं देगी। • देश में यूरिया के आवाजाही और वितरण पर निगरानी "ऑन लाइन कम्प्यूटर आधारित निगरानी प्रणाली" द्वारा की जायेगी। वर्तमान भुगतान प्रणाली अर्थात 45 दिन का भी समय–सीमा का पालन किया जायेगा। यूरिया, जिला तक पहुंचने के बाद ही रियायत का भुगतान किया जायेगा। यूरिया इकाइयों को रियायत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी।

[6]अग्रिम आदेश तक बाद में बढ़ाया गया।

आयातित यूरिया के संबंध में, चूंकि स्वदेशी और आयातित यूरिया दोनों के ही उपभोक्ता मूल्य समान रूप से तय किये जाते हैं आयात की लागत और कानूनन तय किये गये उपभोक्ता मूल्य के बीच अंतर को कम करने के लिए, राजसहायता का भुगतान किया गया।

यूरिया की आवाजाही और वितरण को आंशिक रूप से विनियंत्रित किया गया (2003 खरीफ के दौरान उत्पादन का 25 प्रतिशत और 2003–04 रबी के दौरान उत्पादन का 50 प्रतिशत) जहां यूरिया निर्माण इकाइयों को, विनियंत्रित यूरिया, कानूनन अधिसूचित बिक्री मूल्य पर, देश में कहीं भी बेचने की अनुमति दी गई। व्यवहार में, जबकि यूरिया का वितरण 50 प्रतिशत तक विनियंत्रित कर दिया गया है, विस्तृत पूर्ति योजना की जरूरत यह दर्शाती है कि प्रभावी रूप से, कृषि संबंधी उपभोग का सभी वितरण नियंत्रित किया गया है।

आवाजाही और वितरण पर नियंत्रण उर्वरक विभाग द्वारा किया गया। उत्पादन केन्द्र और बंदरगाह (आयात के लिए) से आपूर्ति, कम्पनियों और राज्यों को आबंटन के द्वारा व्यवस्थित की गई और प्रत्येक कम्पनी को इंटरनेट आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली के द्वारा की जाने वाली निगरानी के साथ मासिक आवाजाही आदेश जारी किये गये।

2.3 विनियंत्रित उर्वरकों के लिए रियायत योजना

फॉस्फेट और पोटाश के उर्वरकों के लिए रियायत योजना, जोकि आजकल उर्वरक विभाग द्वारा व्यवस्थित की जा रही है, तदर्थ रूप से 1 अक्टूबर 1992 में शुरू की गई थी। रियायत योजना के तहत उर्वरकों को उर्वरक विभाग द्वारा तय किये गये सूचक अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर बेचा गया।

फार्म गेट पर उर्वरकों की कुल आपूर्ति लागत और किसानों द्वारा भुगतान की गई अधिकतम खुदरा मूल्य एम.आर.पी. के बीच के अंतर की भारत सरकार द्वारा किसानों को रियायत/राजसहायता दी गई और उर्वरक निर्माताओं/आयातकर्ताओं में बांट दी गई।

विनियंत्रित उर्वरकों के लिए, आवाजाही अनुमोदित आपूर्ति योजना के अनुसार ही है (साप्ताहिक और पाक्षिक आधार पर जरूरत के आधार पर राज्यों द्वारा आंका गया)। निगरानी इंटरनेट आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफ.एम.एस.) के द्वारा की गई।

मार्च 2010 तक, रियायत योजना में विभिन्न फॉस्फेट और पोटाश के उर्वरक, डाई अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.), नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश (एन.पी.के.) मुरियेट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.), सम्मिलित किये और इन्हें सूचक अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.)[7] पर बेचा गया। स्वदेशी और आयातित ट्रिपल सल्फर फॉस्फेट (टी.एस.पी.) (0–46–0) और स्वदेशी अमोनियम सल्फेट (20.6–0–0–23) भी क्रमशः अप्रैल 2008 और जुलाई 2008 से रियायत योजना में शामिल कर लिये गये।

[7]अप्रैल 2008 तक, मूल्य राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किये गये; मई 2008 से, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने समान अखिल भारतीय अधिकतम खुदरा मूल्य अधिसूचित किये। अन्य एस.एस.पी (जो अधिकतम खुदरा मूल्य पर नहीं बेचे गये) रियायत के लिए उपयुक्त नहीं है।

प्रारम्भ में, उर्वरक विभाग सी.सी.ई.ए के अनुमोदन से रियायत योजना को वर्ष दर वर्ष, बढ़ा रहा था। 1999–2000 के बाद से, योजना दर आयोग की अनुशंसा के आधार पर, तैयार की गई। जटिल उर्वरकों पर 1.4.2002 से और डी.ए.पी और एम.ओ.पी. पर 1.4.2003 से, दर आयोग के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के साथ, जनवरी 2004 में सी.सी.ई.ए. ने रियायत योजना को नई कार्य प्रणाली के साथ 31.3.2006 तक अनुमोदित किया, जिसे बाद में 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2007–08 के लिए रियायत योजना में विस्तार के दौरान, उर्वरक विभाग ने, कार्यान्वयन में अन्य परिवर्तनों के साथ–साथ त्रैमासिक से मासिक रियायत दरें अधिसूचित करने के आधार में भी परिवर्तन के लिए अनुमोदन की मांग की।

1.4.2008 (2008–09) से रियायत योजना में विस्तार करते हुए, निम्न परिवर्तन भी शामिल किये गये:

- रियायत योजना के तहत सभी उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) संशोधित किये गये।
- स्वदेशी डी.ए.पी. के लिए रियायत को आयातित डी.ए.पी. के लिए रियायत के सममूल्य किया।

विनियंत्रित उर्वरकों जैसे डी.ए.पी., एन.पी.के, एम.ओ.पी. इत्यादि के लिए रियायत का दावा करने के लिए यह जरूरी है कि आपूर्ति, आपूर्ति योजना के अनुसार हो।

बाजार/अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्यों (एम.आर.पी.) के बीच इतना अधिक अंतर है कि व्यवहार में, विनियंत्रित उर्वरक जो कि रियायती दरों पर बेचे गये भी नियंत्रित किये गये हैं।

2.4 पोषक तत्व आधारित रियायत (एन.बी.एस.) पद्धति

रियायत योजना के प्रतिस्थापन में, 1 अप्रैल 2010 से सरकार ने विनियंत्रित फॉस्फेट और पोटाश के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित रियायत (एन.बी.एस.) नीति शुरू की। इस योजना के तहत डी.ए. पी. (18–46–0), एम.ओ.पी., एम.ए.पी. (11–52–0), ट्रिपल, सल्फर फॉस्फेट (टी.एस.पी.), जटिल उर्वरकों की 12 श्रेणियां, अमोनियम सल्फेट (ए.एस.) (जी.एस.एफ.सी. और एफ.ए.सी.टी. द्वारा कारपोलैक्टम श्रेणी) और एस.एस.पी. सम्मिलित किये गये हैं। एफ.सी.ओ. के अनुसार, द्वितीय ओर सूक्ष्म पोषक तत्व सहित उर्वरक का कोई भी तत्व, एन.बी.एस. के लिए उपयुक्त है।

एन.बी.एस. और पूर्व रियायत योजना में मुख्य अंतर यह है कि पूर्व–रियायत दरें, प्रत्येक उर्वरक के लिए अलग–अलग तय की गई थी जबकि एन.बी.एस. के तहत, रियायत दरें एन, पी, के और एस के प्राथमिक पोषक तत्वों (द्वितीय और सुक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन और जिंक के लिए अतिरिक्त राजसहायता दरें) की मात्राओं के लिए तय किये गये हैं, इस तरह से अलग–अलग उर्वरक संरचना के लिए रियायत दरों के निर्धारण में समरूपता लाई गई।

1 अप्रैल 2010 से, वर्ष 2010–11 के लिए एन, पी, के और एस पोषक तत्वों के प्रति किलोग्राम एन.बी. एस. क्रमशः रू. 23.227, रू. 26.276, रू. 24.487 और रू. 1.784 हैं।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2010 से भारत में उत्पादित/आयातित विनियंत्रित उर्वरकों का 20 प्रतिशत अब ई.सी.ए. 1955 के तहत आवाजाही नियंत्रण के अंतर्गत आता है।

2.5 मालभाड़ा राजसहायता

1 अप्रैल 2008 से स्वदेशी और आयातित यूरिया के लिए एन.पी.एस–III के तहत सभी रियायती उर्वरकों पर एक अलग समरूप मालभाड़ा राजसहायता और फॉस्फेट और पोटाश के उर्वरकों के लिए रियायत योजना, शुरू की गई। समरूप मालभाड़ा नीति के तहत, उर्वरक कम्पनियों को उत्पादक इकाई/बंदरगाह से ब्लाक स्तर तक उर्वरकों की ढुलाई के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मालभाड़ा का, की प्रतिपूर्ति की गई। इसके लिए, वास्तविक रेल मालभाड़े के आधार पर दरें आंकलित की गई और सड़क परिवहन के मामले में, जिले के सभी ब्लाकों की औसत पहुंच दूरी और रेक पाइंट से ब्लाक तक राज्य स्तरीय ट्रक की दरों के आधार पर दरें तय की गई।

2.6 राजसहायता भुगतान और अधिकतम खुदरा मूल्य एम.आर.पी.

वर्ष 2003–04 और 2009–10 के बीच अदा की गई राजसहायता का विवरण निम्न प्रकार है:

सारणी 2.2 2003–10 के दौरान अदा की गई राजसहायता

उत्पाद	राजसहायता (करोड़ रूपये में)						
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
यूरिया	8509	10737	11887	15924	23056*	31,048*	22184
विनियंत्रित उर्वरक (क्रम)	3326	5142	6596	10298	16934*	65,555*	39452
कुल	11835	15879	18483	26222	39990	96,603	61636

*इसमें उर्वरक बांड्स जारी करके अदा की गई राजसहायताशामिल है। यह बांड्स, बकाया राजसहायता दावों के लिए जिनकी परिपक्वता अवधि 15 वर्ष या अधिक है उर्वरक इकाइयों को जारी किये गये हैं जिससे भारत सरकार नकद भुगतानों को तदनुसार टाल सके।

जैसाकि ऊपर से ज्ञात होता है, उर्वरक राजसहायताके लिए किये गये भुगतान में, वर्ष 2009–10 में थोड़ी सी कमी होने से पहले, वर्ष 2003–04 से 2008–09 तक आठ गुना वृद्धि हुई। इस संबंध में, विनियंत्रित उर्वरक प्राथमिक कारण रहे जिनकी 2003–04 से 2008–09 तक 20 गुना वृद्धि हुई।

यूरिया तथा अन्य विनियंत्रित उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य एम.आर.पी. और औसत राजसहायताकी तुलना में निम्न स्थिति का पता चलता है:

सारणी 2.3 यूरिया के लिए एम.आर.पी. और औसत राजसहायता (रूपये/मीट्रिक टन)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
यूरिया एम.आर.पी.	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830
प्रति मीट्रिक टन औसत अनुवृत्ति	4305	5196	5331	6543	8880	11651	8317

सारणी 2.4 यूरिया पर राजसहायता के प्रमुख प्राप्तकर्त्ता

(रूपये करोड़ में)

क्रम संख्या	विनिर्माण इकाइयां[8]	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	जोड़
1.	इफको*(को–ऑप)	1616.66	2115.67	1822.18	2631.6	3377.97	4276.61	15840.69
2.	एन.एफ.एल.*(पी. एस.यू.)	1961.37	1758.84	1557.83	1849.71	3013.48	3498.79	13640.02
3.	आर.सी.एफ.*(पी. एस.यू.)	669.42	671.09	852.01	1193	1618.37	2217.27	7221.16
4.	सी.एफ.सी. एल*(प्राइवेट)	848.09	1207.68	1157.71	761.83	1387.65	1403.62	6766.58
5.	एम.एफ.एल.*(पी. एस.यू.)	409.76	496.74	676.39	1008.89	899.39	1045.66	4536.83
6.	एम.एफ.सी.एल. *(प्राइवेट)	354.32	482.3	623.83	825.42	1002.65	1231.92	4520.44
7.	जैड.आई.एल. *(प्राइवेट)	381.41	484.61	623.09	786.03	748.69	1066.19	4090.02
8.	एम.सी.एफ.एल. *(प्राइवेट)	226.21	384.63	461.32	640.67	758.17	988.59	3459.59
9.	जी.एन.एफ.सी. *(पी.एस.यू.)	224.85	265.46	293.98	325.71	775.73	664.13	2549.86
आयातकर्त्ताओं (यूरिया) को दी गई राजसहायता								
1.	एम.एम.टी.सी (एस.टी.ई)	0	294.42	506.57	1365.1	3314.09	3282.62	8762.8
2.	आई.पी.एल. (एस.टी.ई)	0	250.14	339.76	1449.03	2400.16	4255.11	8694.2
3.	एस.टी.सी. (एस.टी.ई)	0	0	0	0	0	1609.94	1609.94

*एन.एफ.एल. की सभी इकाइयां

*इफको की सभी इकाइयां

[8] भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड (इफको), राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन.एफ.एल.), राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आर.सी.एफ.), चंबल उर्वरक और रसायन लिमिटेड (सी.एफ.सी.एल.), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (एम.एफ. एल.), नागार्जुन उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एन.एफ.सी.एल.), जुआरी उद्योग लिमिटेड (जैड.आई.एल.), मंगलौर रसायन और उर्वरक लिमिटेड (एम.एफ.सी.एल.), गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कं.लि. (जी.एन.एफ.सी.), खनिज और खान व्यापार निगम लि. (एम.एम.टी.सी.), मैसर्स इंडियन पोटाश लि. (आई.पी.एल.), राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एस.टी.सी.)

सारणी 2.5 यूरिया पर राजसहायता के प्रमुख प्राप्तकर्त्ता

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
एम.आर.पी. प्रति मीट्रिक टन			3400 से 9350*			3400 से 10350	3400-10350
औसत अनुवृत्ति प्रति मीट्रिक टन	2242	3044	3691	5234	8735	27842	14895

*17.06.2008 तक

सारणी 2.6 विनियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता के प्रमुख प्राप्तकर्त्ता

(रूपये करोड़ में)

क्रम संख्या	विनिर्माण इकाइयां[9]	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	जोड़
1.	इफको(को–ऑप)	657.21	971.71	1096.33	1287.01	2785.79	10007.45	16805.5
2.	सी.एफ.एल. (प्राइवेट)	157.63	301.52	369.06	626.72	876.53	7176.89	9508.35
3.	जी.एस.एफ.सी. (पी.एस.यू.)	197.39	263.47	299.9	696.66	1176.35	3347.48	5981.25
4.	पी.पी.एल(प्राइवेट)	206.05	310.32	494.69	794.05	1165.48	2961.93	5932.52
5.	टी.सी.एल. (प्राइवेट)	0	233.96	270.23	460.71	726.17	2311.85	4002.92
6.	जैड.आई.एल. (प्राइवेट)	139.7	243.99	304.83	481.35	741.27	1840.07	3751.21
7.	एफ.ए.सी.टी. (पी.एस.यू.)	122.41	211.66	281.05	404.8	359.06	1215.92	2594.90
8.	**कुल**	**1480.39**	**2536.63**	**3116.09**	**4751.3**	**7830.65**	**28861.59**	**48576.65**
आयातकर्त्ता								
1.	आई.पी.एल. (एस.टी.ई)	374.26	685.36	979.8	1607.45	4667.46	12643.96	20958.29

[9] इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (इफको), कोमोमोंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड (सी.एफ.एल.), गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एण्ड कैमिक्लस लिमिटेड (जी.एस.एफ.सी.), पाराद्वीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (पी.पी.एल0), टाटा कैमिकल्स लिमिटेड (टी.सी.एल.), फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रैवनकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई.पी. एल.)

2.7 राजसहायता संगठनात्मक ढांचा

भारत सरकार में उर्वरक राजसहायताके लिए प्रधान मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग है। उर्वरक राजसहायता/रियायत प्रदान करने में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका नीचे दर्शायी जा रही है:

आंकड़ा 2.1 संगठनात्मक ढांचा

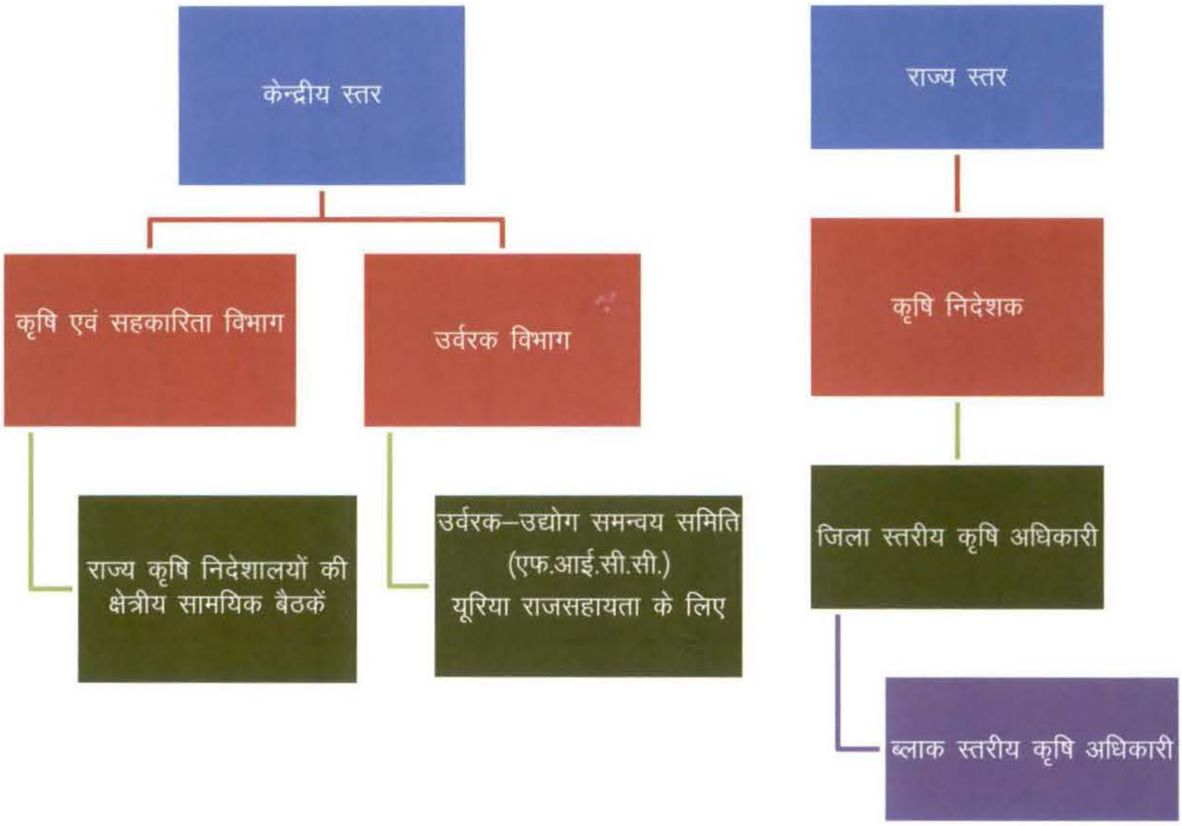

2.8 उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफ.एम.एस.)

विभिन्न उर्वरकों में उनकी मूल्य श्रृंखला की अलग–अलग श्रेणियों में, आवाजाही पर निगरानी रखने हेतु जनवरी 2007 में उर्वरक विभाग ने एफ.आई.टी. प्रणाली, उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफ.एम.एस.) की शुरूआत की। यह डी.ए.पी., एम.ओ.पी., टी.एस.पी., एम.ए.पी., एन.पी.के. और यूरिया (स्वेदशी और आयातित) उर्वरकों की उत्पादन, प्रेषण, प्राप्ति और बिक्री पर निगरानी रखता है। प्रक्रिया अवधि कम करने हेतु एफ.एम.एस., डी.ए.पी., एम.ओ.पी., टी.एस.पी., एम.ए.पी. और एन.पी. के उर्वरकों की राजसहायता/रियायत भुगतानों (प्राप्ति के आधार पर) की प्रक्रिया सुगम भी बनाता है।

3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण, पिछली लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं वर्तमान लेखापरीक्षा उपलब्धियों का संगठन

3.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

3.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि–

- उर्वरकों पर परिदेय/रियायत के लिये नीतियां एवं प्रक्रियाएं पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता, उर्वरकों का समान वितरण, उर्वरक परिदेय पर बजटीय प्रभाव कम करना, दक्षता लाभ प्रोत्साहन एवं उर्वरक के रिसाव को कम करके लक्षित लाभभोगी समूह से दूर रखने हेतु डिजाइन की गई थी;
- परिदय/रियायत निर्धारित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार दी गई;
- उर्वरकों के विभाजन एवं उत्पादन की निगरानी की प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- उर्वरकों की समय पर प्राप्ति की पुष्टि वास्तव में पर्याप्त एवं प्रभावी प्रक्रिया जमीनी स्तर पर निर्धारित दामों पर समान वितरित थे; और
- सभी स्तरों पर उर्वरकों की गुणवत्ता की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी।

3.1.2 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा के मापदंड के मुख्य स्त्रोत थे:

- परिदान/रियायत को शासित करने वाली डी ओ एफ/एफ आई सी सी द्वारा जारी की गई हिदायतें/परिपत्र आदेश;
- डी ओ एफ द्वारा जारी आपूर्ति योजनाएं एवं ई सी ए आबंटन; और
- परिदान/रियायत के भुगतान की स्वीकृति।

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार

निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2006–07 से 2008–09 (3 वर्ष) की उर्वरक परियाद भुगतान जो कि 979 दावों का 54358 करोड़ रुपये था, की छानबीन शामिल था इसके साथ ही एक बन्दरगाह (कांडला) पर मई 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि में और आयात के उर्वरक का जिसमें 24 राज्य, 94 जिले व 188 शामिल थे की जांच की जानी थी। इसके अतिरिक्त 44 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की छानबीन व 24 राज्यों के 5498 कृषकों व 1092 वितरकों का सर्वेक्षण किया गया।

नमूना चयन साधारण यादृच्छिक नमूना बिना प्रतिस्थापन (एस आर एस डब्ल्यू आर) विधि का प्रयोग करते हुए किया गया। नमूना लेखापरीक्षा का वितरण **अनुबंध 3.1** में निर्दिष्ट है।

3.1.4 लेखापरीक्षा धार्य प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा उर्वरक विभाग से अप्रैल 2009 में प्रविष्टि सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण से शुरू हुई। जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, विषय क्षेत्र उद्देश्य व मापदंड स्पष्ट किये गये थे। क्षेत्र लेखापरीक्षा जिसमें जून 2009 और मार्च 2010 के बीच के दस्तावेजों की छानबीन व सर्वेक्षण करना शामिल था। इसके अतिरिक्त जनवरी 2010 में भारतीय उर्वरक संस्थान के साथ बैठक की गई।

उर्वरक परिदान की निष्पादन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट मसौदा उर्वरक विभाग को 1.12.2010 को जारी किया गया। अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, कोई उतर प्राप्त नहीं हुआ न ही लेखापरीक्षा प्रस्ताव डी ओ एफ से नियत समय चर्चा करने हेतु बाहर सम्मेलन हो सका तथापि 21 में से 24 राज्य सरकारों के विशेष लेखापरीक्षा प्रस्ताव (सिवाय बिहार, महाराष्ट्र और त्रिपुरा) का बाहर सम्मेलन हुआ।

लेखापरीक्षा आभारसहित डी ओ एफ, राज्य सरकार एवं उनके कर्मचारियों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के विभिन्न स्तरों पर दिये सहयोग एवं सहायता स्वीकार करता है।

3.2 लेखापरीक्षा के पिछले प्रस्ताव

''नियमित उर्वरकों की बेच पर अवरोधन मूल्य परिदान स्कीम को लागू करना'' पर पुनरीक्षण भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 2, वर्ष 2000 (सिविल) में प्रतीत हुआ। इस पुनरीक्षण के मुख्य लेखापरीक्षा प्रस्ताव निम्न प्रकार से थेः–

- उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ आई सी सी) ने वर्ष 1992–98 में यूरिया पर 25,155 करोड़ रुपये उर्वरक परिदान अदा किये।

  बिना स्वतन्त्र जांच व छानबीन के उनके द्वारा रखे गये मूल दस्तावेजों के आधार पर लागत आंकड़ों को उर्वरक इकाईयों ने प्रस्तुत किया।

- डी ओ एफ ने अपनी कार्यवाही की टिप्पणी में सलाह दी (अगस्त 2001) कि एफ आई सी सी के कार्यालय में भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के उपर्युक्त लागत एवं चार्टर्ड लेखाकार से लागत आंकड़ा की जांच करवाये।

- वर्ष 1994–95, 1996–97 व 1997–98 के दौरान सभी उर्वरक इकाईयों के निगम कर के संशोधन एवं समायोजन में कटौती में विलम्ब के परिणामस्वरूप 408 करोड़ रुपये के परिदान पर अन्तिम अतिरिक्त भुगतान किया गया।

  डी ओ एफ ने बताया कि परिदान के संशोधन एवं समायोजन में विलम्ब का कारण था किः–

  (क) छठे मूल्य निर्धारण अवधि के मापदंड के अनुमोदन में देरी।

  (ख) कर्मचारियों की अल्पता व लगातार स्थानांतरण

  (ग) उस अवधि में बनाई गई कई समितियों में एफ आई सी सी सम्मिलित थी।

- नमूना जांच ने प्रकट किया कि एफ आई आई सी सी ने वर्ष 1991–97 के दौरान 20 उर्वरक इकाईयों को 2731 करोड़ रुपये निगम कर[10] के तौर पर बिना वास्तव राशि का पता लगाये इन इकाईयों को भुगतान किया और वर्ष 1998–99 के लिये 1849 करोड़ रुपये के निगम कर के भुगतान का प्रावधान रखा व सामान्य संशय में स्थानांतरित किया। इसके बदले में अवधारण मूल्य

[10]एफ आई सी सी द्वारा प्रतिधारण मूल्य की गणना करने के लिए लागत गणना करने का तत्व

स्कीम की संगठन के लिये निविल मूल्य का भाग माना जिसके परिणामस्वरूप 460 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिदान दिया गया।

डी ओ एफ ने उत्तर में मात्र डी ओ एफ की दिनांक 16.8.94 की टिप्पणी भेजी, जोकि 26.8.94 को सी सी ई ए की अपनी बैठक में अनुमोदित थी। कहते हुए कि वापिसी की दर निविल मूल्य पर 12 प्रतिशत होनी चाहिये। वर्तमान निगम कर की दरों व समूह अवरोधन मूल्य इस समय जारी नहीं किया गया होगा।

- एफ आई सी सी ने 5.28 प्रतिशत की निर्धारित दर के प्रति 6.33 प्रतिशत मूल्यह्रास की उच्च दर थी अपनाया जिसके परिणामस्वरूप 592 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मूल्यह्रास का प्रावधान वर्ष 1993–98 के लिये रखा गया व इससे परिदान का अधिक भुगतान हुआ।

  डी ओ एफ ने अपनी कार्यवाही की टिप्पणी में बताया कि वे यूरिया इकाईयों के लिये व्यय आयोग की सिफारिशों पर नई मूल्य नीति बनाने की प्रक्रिया में थे।

- परिदान की वसूली घटिया उर्वरक की बिक्री पर नहीं थी जहां परिदान बढ़िया उर्वरक पर अदा किया गया।

- बी आई एफ आर के कहने पर कुछ इकाईयों के बन्द होने पर 1985.95 से कई इकाईयों को 43 करोड़ के लिये गये भुगतान की वापिसी लम्बित थी।

- डी ओ एफ ने बताया कि वापिसी का मुद्दा बी आई एफ आर से निर्णय प्राप्त होने पर लिया जायेगा।

- नौ इकाईयों के सम्बन्ध में अंतिम/संशोधन मूल्य में विलम्ब के परिणामस्वरूप 678 करोड़ रुपये के परिदान का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

  डी ओ एफ ने कहा कि नौ इकाईयों में 6 ईकाईयों के सम्बन्ध में प्रतिधारण दामों में परिवर्तन प्रभावी करने हेतु अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। एक इकाई के सम्बन्ध में वसूली की जानी थी अन्य दो मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित से इकाईयां से भिन्न थी।

एक आई टी रियायत योजना सूचना प्रणाली (सी एस आई एस) की लेखापरीक्षा की समीक्षा भी भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 3 (सिविल) के अध्याय 3 में दिखाई दी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षेप में हैं:–

- कम योजना, डिजाईन एवं कम्प्यूटरीकृत रियायत सूचना प्रणाली (सी एस आई एस) निर्माताओं की रियायत को वियंत्रित करने के लिये एवं अनियंत्रित उर्वरकों की बेचने प्रणाली की उपयोगिता की विश्वसनीयता को दबाया एवं अनाधिकृत कार्य प्रयायों के खतरे का कम किया।

- आई टी प्रणाली में औपचारिक सुरक्षा नीति व प्रक्रिया की कमी ने प्रणाली को असुरक्षित बनाया।

- रियायत प्रणाली के कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों की कमी है जोकि जोखिम मुक्त प्रबंधन के लिये आवश्यक है और उनमें उचित वैधता नियंत्रण नहीं है, मुख्य आंकड़ा सारणी में आंकड़ा प्रविष्टि की त्रुटियों को कम करना व गलत रियायत का भुगतान।

यह प्रणाली 22 जनवरी 2007 से उर्वरक नियंत्रण प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दी गई है।

3.3 वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संगठन

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष दो खंडों में श्रेणित किये गये हैं

- *कुल मिलाकर लेखापरीक्षा टिप्पणी – इस खंड में विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्र के व्यापक हित में विश्लेषण किया गया है और केवल संक्षिप्त, सार, निष्कर्ष पर सूचना विभिन्न राज्यों पर मुहैया करवाये गये।*
- *राज्य विशेष निष्कर्ष – इस खंड में विस्तृत निष्कर्ष राज्यवार कुल लेखापरीक्षा निष्कर्ष को बढ़ाते हुये दिया गया है।*

4 - उर्वरक की आवश्यकता का निर्धारण

आकृति 4.1 आवश्यकताओं के मूल्यांकन से सब्सिडी के भुगतान की प्रक्रिया

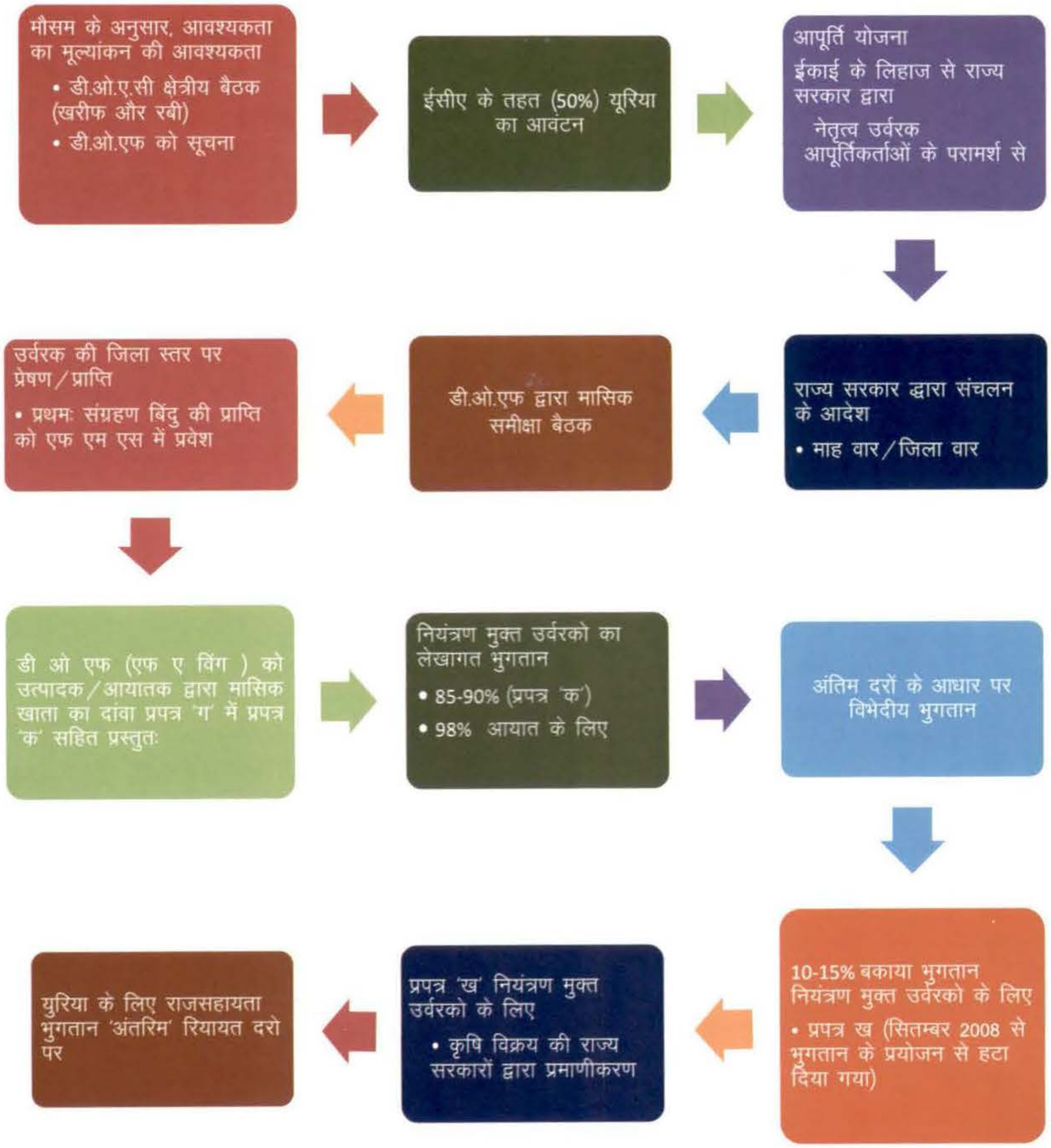

4.1 उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए प्रक्रिया

किसानों को उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डी.ए.पी, एम.ओ.पी एंव जटिल उर्वरकों की उपलब्धता का आंकलन 3–4 महीने पहले प्रत्येक फसल के मौसम अर्थात रवरीफ (1 अपैल से 30 सितम्बर) और रबी (1 अक्टूबर से 31 मार्च) की जाती है।

इस उद्देश्य से कृषि और सहकारिता विभाग राज्यों से कुछ निश्चित जानकारी आग्रह करता है, जिसमे शामिल है

- उर्वरको की खपत;
- विभिन्न श्रेणियो के राज्य स्तरीय उर्वरक आपूर्तिकर्ताओ द्वारा उठाव;
- कवेरज और सिंचाई के तहत क्षेत्र;
- उत्पाद वार शुरूआती स्टाक;
- आवश्यकता;
- बिक्री बिन्दु और जिला उर्वरक की खपत वार, फुटकर/रिटेल बिन्दु;
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की खपत;
- गुणवत्ता नियंत्रण और उर्वरक के नमूने;
- मृदा परीक्षण;
- मृदा परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट आदि

कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित 'कृषि आदानों क्षेत्रीय सम्मेलन' में उर्वरक विभाग, राज्य सरकार के कृषि निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद[11], भारतीय उर्वरक संघ, प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं, और अन्य उर्वरक उद्योग प्रतिनिधि की भागीदारी के साथ आवश्यकता का आंकलन किया जाता है। इन सम्मेलनों में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके प्रमुख उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता प्रस्तुत करते हैं।

गहन विचार–विमर्श के पश्चात् एवं पिछले वर्ष की खपत को ध्यान में रखते हुए राज्यवार एवं मासवार प्रमुख उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन को डी.ओ.ए.सी द्वारा अंतिम रूप दिया गया एवं डी.ओ.एफ. को सूचित किया गया। उर्वरक विभाग, स्वदेशी और आयातित यूरिया के लिए, उर्वरक संचालन नियंत्रण आदेश के अधीन आवश्यक वस्तु अधिनियम की आपूर्ति योजना और संचानल आदेश जारी किये जाते है। इसी तरह विनियंत्रित उर्वरक पर सहमति प्राप्त संचालन योजना[12] बनाई और जारी की जाती है।

[11] भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

[12] उर्वरक राज्य सरकारों के साथ निर्माताओं/आयातकों द्वारा सहमत हुए।

4.2 उर्वरक की आवश्यकता के आंकलन में कमियां

हमने पाया कि मौसमी क्षेत्रीय सम्मेलन के विचार विर्मश की कार्यवृत टिप्पणियाँ नहीं बनाए गये। ऐसे कार्यवृत टिप्पणियाँ के अभाव के कारण प्रमुख उर्वरको की राज्यवार और माह वार आवश्यकता का आधार और विस्तृत औचित्य का पता लगाये नहीं जा सका। इस तथ्य कि और अधिक पुष्टि राज्य विशिष्ट लेखापरीक्षा खोजन से पता चला है कि उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान आमतौर पर पिछले सीजन/साल की खपत पर 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि कर के पेश किया गया और कोई वैज्ञानिक विधि–उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन करने में इस्तेमाल नही किया गया ।

राज्यवार निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है: विवरण राज्य विशिष्ट अध्याय में दिए गए है.

तालिका 4.1 –उर्वरक की आवश्यकता के आंकलन में राज्यवार कमी

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निष्कर्षों का सारांश
1.	आंध्र प्रदेश	• मृदा परीक्षण आवश्यक है ताकि मिट्टी में प्राथमिक और माध्यमिक पोषक तत्वों की उपलब्धता पता लगाई जा सके, ताकि विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता के लिए सिफारिशें दी जा सके। कृषि विभाग ने 120.44 लाख भूमि धारिता में से लगभग 4.60 लाख (सिर्फ 4 प्रतिशत) का मृदा परीक्षण किया है। इस दर से सभी भूमिधारिता के परीक्षण में 26 साल लग जाएँगें। • उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन पंचायत समिति की सिफारिशों पर आधारित नहीं किया जाता, बल्कि पिछले पॉच वर्षों के दौरान उच्चतम खपत मे 10 से 15 प्रतिशत जोड़कर किया जाता है। आयुक्त और कृषि निदेशक द्वारा जिला/मंडल स्तर कृषि अधिकारियों को उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं किया गया। • वर्ष 2008–2009 के दौरान गुंतूर जिले (खरीफ तथा रबी मौसमों) के लिए मक्का, कपास और मिर्च जैसी प्रमुख फसलो की फसल–पद्धति में बदलाव के कारण, उर्वरक की मांग मे अचानक वृद्धि हुई, इस तथ्य का ध्यान, कृषि विभाग द्वारा नहीं लिया गया।
2.	आसाम	• अनुमानित आवश्यकता पिछले वर्ष के उपभोग पर आधारित थी। • कोई भी मानदंड/मानको जैसे फसल के प्रकार सिंचित/गैर सिंचित क्षेत्र, मृदा स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय कारकों का इस्तेमाल उर्वरकों की आवश्यकता की गणना के लिए नही किया गया
3.	बिहार	• कोई भी मानदंड जैसे फसल के प्रकार सिंचित/गैर–सिंचित क्षेत्र, मृदा स्वास्थ्य, और अन्य स्थानीय कारकों उर्वरक की आवश्यकता की गणना के लिए निर्धारित नही किये गए थे।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निष्कर्षों का सारांश
		• निदेशालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान केवल पूर्व वर्ष के उपभोग के ऑकडो पर आधरित था (जिला और निचले स्तरों के आगत के बिना) जो सिंचित/गैर सिंचित, मृदा स्वास्थ्य, और अन्य स्थानीय कारकों पर आधारित नहीं था। यह आवश्यकता आमतौर पर 3 वर्षो की औसतन खपत मे सबसे अधिक खपत वर्ष में 10 से 20 प्रतिशत जोडकर पर आधारित थी। • यहां तक कि पिछले वर्ष के खपत ऑकडे यथार्थवादी नहीं थे, क्योंकि जिला स्तर पर खपत के ऑकड़े अलग–अलग उपलब्ध नहीं थे। • उर्वरक की आंकलित आवश्यकता का ठीक तरह से ब्लॉक वार ब्यौरा नहीं किया गया। जिला स्तर पर आपूर्ति के ब्लॉक वार ब्यौरें का आधार कृषि योग्य भूमि नहीं, किन्तु ब्लॉक में पंचायतों की संख्या के आधार पर किया गया, बिना किसी प्रलेखन के। • खपत का आधार उर्वरक कम्पनी द्वाराकी गई आपूर्ति पर आधारित था।
4.	छत्तीसगढ़	• उर्वरकों की आवश्यकता की गणना के लिए कोई मानदंड/मानकों या दिशानिर्देश जारी नहीं किये गए। आवश्यकता का आंकलन पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों का वास्तविक खपत मे निश्चित प्रतिशत् की वृद्धि के आधार पर किया गया था।
5.	गुजरात	• कोई भी मानदंड/मांनको जैसे फसल के प्रकार सिंचित/गैर–सिंचित क्षेत्र, मृदा स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय कारकों, उर्वरक की आवश्यकता की गणना के लिए निर्धारित नही किये गए थे। • क्षेत्रीय कृषि इनपुट सम्मेलन के लिए सम्बन्धित जिले के कृषि निदेशक द्वारा जिले के लिए उर्वरक की आवश्यकता नहीं भेजे गये। इन्हें राज्य स्तर पर तैयार किया गया निचले स्तर के निवेशों के बिना। • आगे, जिला स्तर पर उर्वरक के आंकलन के लिए, किसानों/सहकारी और अन्य हितधारकों के साथ कोई बैठक आयोजित नहीं की गई इसी प्रकार, पंचायत समितियॉ/ब्लॉक समितियॉ उर्वरक आवश्यकता के आंकलन मे शामिल नहीं थें।
6.	हरियाणा	• मौसम वार (खरीफ/रबी) की आवश्यकता की गणना पिछले वर्ष की खपत के आधार पर की गई थी। पंचायत समितियां/ब्लॉक समितियां, आदि उर्वरक के आकंलन में शामिल नहीं थें। आंकलन पूरे जिले के लिए था और भौगोलिक कारकों एवं मिट्टी की संरचना, जो ब्लॉक भर में अलग–अलग होता है, पर आधारित नहीं था।
7.	हिमाचल प्रदेश	• राज्य के लिए उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन पिछले वर्ष हिमफेड और इफको द्धारा बिक्री की रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा था। उर्वरकों पर जोनल इनपुट सम्मेलन में ऐसे आवश्यकताओं का आंकलन प्रस्तुत किया जा रहे थे। • निकास सम्मेलन में राज्य कृषि विभाग ने कहा (मार्च 2010) कि राज्य की जलवायु परिस्थितियों को घ्यान में रखते हुए, वास्तविक

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निष्कर्षों का सारांश
		आवश्यकताओं का आंकलन मुश्किल था।
8.	झारखंड़	• उर्वरक बनाने वाले आपूर्तिकर्त्ता यानि इफकों एवं अन्य निर्माताओं के परामर्श से, 2006–09 के दौरान उर्वरक की मांग का निर्धारण किया गया। इस का विरसा कृषि विश्वविद्यालय (बी ए यू)/कृषि निदेशालय (डी ओ ए) की क्षेत्रीय कृषि आन्तरिक बैठक में डी ओ ए द्वारा प्रस्तावित मात्रा का परस्पर कोई सम्बन्ध नही था; 2006–09 के दौरान इसमें 31 से 92 प्रतिशत् का अन्तर था।
9.	जम्मू एवं कश्मीर	• क्षेत्रीय आधार पर, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शेरे–ए–कश्मीर विश्वविद्यालय (एस के यू ए एस टी) द्वारा की गई सिफारिश पर, कृषि/बागवानी फसल की जुताई के लिये उर्वरक की मात्रा के आधार पर कश्मीर मण्डल में उर्वरक की मांग का निर्धारण हो रहा था। यह निर्धारण कृषि क्षेत्र एंव गत वर्ष की स्थिति के आधार पर जम्मू मण्डल में हो रहा था। • उर्वरक मांगों के निर्धारण के लिये जिला/ब्लॉक स्तर के कृषि कार्यालयों को कोई आदेश/निर्देश नहीं जारी किये गये। दस्तावेजों में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया जिसमें कृषिकों के साथ बैठकों में पंचायत समिति/ब्लॉक समिति की जिला/ब्लॉक स्तर के निर्धारण का जिकर किया गया हो। • एस के यू ए एस टी द्वारा की गई सिफारिश पर उर्वरक की मात्राओं पर आधारित धान एवं मक्का हेतू क्षेत्रीय आधार पर केवल इन दो फसलों के लिये 41360 मी. टन यूरिया, 29920 मि. टन डी ए पी और 8840 मी.टन एम ओ पी की मांग का हिसाब लगाया गया, इसके विपरीत कश्मीर मण्डल की मांगों का योग जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 40200 से 40650 मी.टन यूरिया, 15675 से 17500 मी. टन डी ए पी एवं 4000 से 5565 मी.टन एम ओ पी, तीन खरीद सीजनों के दौरान दर्शाया गया।
10.	कर्नाटक	• मासिक वैठकों के दौरान, मॉग की गणना का गत वर्ष की जिलेवार खपत,सीजन में अच्छी खपत, सीजन की स्थिति, फसल का दायरा एवं परिवर्तन और उर्वरक बनाने वाली इकाई के साथ–साथ अन्य निर्माताओं से विचार–विमर्श के सिद्धान्त थे। तथापि नमूना जॉचित जिलों में, आवश्यकता को गत वर्ष की खपत के ऑकड़ों के साथ 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग थी।
11.	केरल	• मांग का निर्धारण, फसल के प्रकार, फसल क्षेत्र में बढोतरी/कमी, फसल का तरीका, सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र आदि के आधार पर नहीं था, बल्कि यह 2007–08 तक गत पाँच वर्षों के दौरान अधिकतम पाँच प्रतिशत को मिला कर गणना की गई थी। 2008–09 के दौरान, डी ए पी के सिवाय जिस की 25 प्रतिशत बढोतरी की मांग की गणना की गयी, गत वर्षों के सीजन के दौरान हुई खपत का 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की गणना की गयी; गत वर्षों में सीजन के दौरान हुई खपत का 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की मॉंग की गणना की गयी। • ऋतु के दौरान थोक/खुदरा व्यापारियों द्वारा उर्वरक की प्राप्ति के आधार पर खपत की गणना की गयी। निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये राज सहायता

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निष्कर्षों का सारांश
		दावों/बिक्री प्रतिवेदनों के अनुसार ऋतु की खपत को लिया गया।
12.	मध्य प्रदेश	• कृषि निदेशक द्वारा उर्वरकों की मांग के निर्धारण के लिये जिला कार्यालयों को परिपत्र/मार्ग निर्देशिकाएँ जारी नहीं की गयी। फसल के प्रकार, सिंचाई युक्त/गैर–सिंचाई युक्त क्षेत्र, मिट्टी, स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय खण्ड, पंचायत समिति के साथ विचार–विमर्श/बैठकें, ब्लाक समिति, किसानों के सुझाव, प्रमुख, मध्यम, लघु और सीमांत किसानों की संख्या आदि के आधार पर उर्वरकों की मांग की गणना के लिये कोई नियम/मानक निर्धारित नहीं किये। कई मामलों में, माँगों को जिला स्तर से नहीं भेजा गया और जहां जिलों ने मांग को भेजा, निदेशालय स्तर पर आंकड़ें बदल रहे थे। • नमूना जांचित जिलों के कृषि उप–निदेशकों ने लेखापरीक्षा की जांच के जबाव में कहा कि मांगों का निर्णय गत वर्षों की खपत के आधार पर लिया गया।
13.	महाराष्ट्र	• कृषि कमीश्नरी (सी ओ ए) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलों में कृषि पद्धति और सिंचाई सुविधाओं के अनुसार उर्वरकों की अधिकतम खपत के आधार पर खरीफ और रबी के सीजन में उर्वरकों की मांग जिलेवार निर्धारित होनी थी। • तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि कृषि अधिकारियों ने सम्बन्धित व्यापारियों से गत वर्षो के बिक्री आकड़ें एकत्रित किये और उन्हें कृषि कमीश्नरी (सी ओ ए) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार मांग के निर्धारण के बजाय, ए डी ओ को भेज दिया, जिसमें उर्वरक उप–निदेशक (डी डी एफ), पूना को सूचनार्थ भेज दिया।
14.	मणिपुर	• उर्वरकों की मांग गत वर्षों की खपत के आधार पर प्रस्तुत की गयी थी।
15.	मेघालय	• फसल के प्रकार, सिंचाई युक्त/गैर–सिंचाई युक्त क्षेत्र, स्वस्थ मिट्टी और अन्य स्थानीय खण्डों के आधार पर उर्वरकों की मांग निर्धारण के लिये कोई विशिष्ट पद्धति/मानक नहीं रखे गये। राज्य में एम ई सी ओ एफ ई डी और अन्य थोक व्यापारियों से प्राप्त गत वर्ष की खपत के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मांग को प्रस्तुत किया था।
16.	नागालैण्ड	• राज्य में व्यापारियों से एकत्रित बिक्री आंकड़ों के आधार पर मांग का निर्धारण किया गया।
17.	उड़ीसा	• यद्यपि उर्वरक मांगों का अन्तिम निर्धारण विभिन्न उर्वरक निर्माताओं और जिला कृषि अधिकारियों, (किन्तु कृषिकों की सहभागिता के बिना), कृषि निदेशालय जिसने गत वर्षो की खपत मात्रा का 5 से 10 प्रतिशत सम्मिलित करके राज्य की मांग प्रस्तुत कर, जिला स्तर पर उर्वरक मांगों का समेकित निर्धारण किया। • उर्वरक मांगों का निर्धारण करते समय स्वस्थ मिट्टी की शर्त के अनुसार उर्वरक की समतुल्य खुराकों का मिट्टी के परीक्षण के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा गया।
18.	पंजाब	• कृषि निदेशक के कार्यालय में उर्वरकों की मांग का निर्धारण सभी मुख्य कृषि अधिकारियों (सी ए ओ) से प्राप्त नहीं हो रहा था बदले में, आगामी वर्ष के लिये उर्वरकों की मांगों की गणना के लिये कुछ समायोजनों के साथ कृषि

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निष्कर्षों का सारांश
		निदेशक ने गत वर्ष की खपत के आंकड़ों का उपयोग किया। • मिट्टी का नियमित परीक्षण किया जा रहा था किन्तु उर्वरक मांग का निर्धारण करते समय इन परीक्षणों के विश्लेषण सम्बन्धी प्रतिवेदनों को ध्यान में नही रखा गया। • पंचायत समिति/ब्लॉक समिति, कृषिक सहकारी एवं जिले स्तर के अन्य स्टेकहोल्डर्स की उर्वरक मांग निर्धारण में कोई भागीदारी नहीं थी।
19.	राजस्थान	• गत पॉच वर्षों में उर्वरकों की खपत को ध्यान में रखते हुये निदेशालय स्तर पर मांग का निर्धारण हो रहा था और राज्य को सभी क्षेत्र में बीज डालने में सामान्य वर्षों की कल्पना की जा रही थी। तथापि, निर्धारित मांग का जिले/ब्लाक स्तर पर पुष्टि होने में सन्देह था।
20.	तमिलनाडू	• कृषि संयुक्त निदेशकों (जे डी ए) ने कृषि क्षेत्र के आधार पर एवं सम्बन्धित ब्लॉक के कृषि सह निदेशक (ए डी ए) की सहमति से तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय कोयमबटूर की सिफारिश पर प्रत्येक जिले में उर्वरकों की मांग को अन्तिम रूप दिया। तथापि, जे डी ए कार्यालय या ब्लाक के ए डी ए कार्यालय में दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे। एक जिले में रबी/खरीफ के सीजन में अधिकतम खपत (पहले स्टाक बिन्दु को आपूर्ति बनाया) के कुछ प्रतिशत को मिला कर मांग की गणना की, जिसे तब क्षेत्रीय बैठक में प्रस्तुत किया गया। • जिले स्तर की मांग को अन्तिम रूप देने के लिये ब्लाक समिति या कृषिकों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया।
21.	त्रिपुरा	• मानक खुराक सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक कृषि उप-मण्डल स्तर पर प्रत्यक्ष प्लान बनाते समय, और वर्ष 1996-97 को समाप्त हुई अवधि के लिये तीन वर्षों की औसत खपत के उर्वरक की मांग का निर्धारण किया गया था। तथापि 2004-05 में प्लान संशोधित किया जिसका लक्ष्य बहुत ऊँचा स्थिर किया। उदाहरण के लिये वर्ष 2004-05 के लिये उर्वरक की मांग संशोधित प्रत्यक्ष प्लान में 111156 मी.टन (575 किलो प्रति हैक्टर) से 46000 मी.टन (130 किलो प्रति हैक्टर)की कमी हुई। • सिंचाई युक्त/गैर-सिंचाई मुक्त क्षेत्र के प्रकार स्वस्थ मिट्टी और अन्य स्थानीय सेक्टरों के आधार पर उर्वरकों की मांग की गणना के लिये कोई नियम/मानक नहीं रखे गये। • इस प्रकार, पहली दृष्टि में मांग का निर्धारण काल्पनिक अभ्यास को दर्शाता है ना कि वास्तविक क्षेत्रीय निर्धारण के आधार पर।
22.	उत्तर प्रदेश	• 2008-09 के लिये गोरखपुर के अलावा नमूना जांचित जिलों में जिला स्तर पर उर्वरक मांग का निर्धारण, बिना कृषिकों की बैठकों के, सहकारिताओं आदि और विना सेक्टरों जैसे फसल नमूना आदि को ध्यान में रखकर किया गया। • बदले में, राज्य के लिये उर्वरक मांग का निर्धारण गत वर्ष उर्वरक खपत

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निष्कर्षों का सारांश
		की बढ़ोतरी के आधार पर कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित था।
23.	उत्तराखण्ड	• राज्य में सभी स्तरों पर उर्वरकों की मांग का निर्धारण, फसल के प्रकार, सिंचाई युक्त/गैर–सिंचाई युक्त क्षेत्र और अन्य स्थानीय सेक्टरों के आधार के बजाय गत वर्ष/सीजन की खपत के आधार पर था। अतः निर्धारण वैज्ञानिक रूप से स्थिर नहीं हो सका। • पंचायत समिति एवं ब्लाक समिति, उर्वरक मांग के निर्धारण में सम्मिलित नहीं थी। • क्षेत्रीय बैठक बुकलेट में अलग से समेकित रिपोर्ट में, उर्वरक की प्रति हेक्टेयर खपत के विषय में कोई आंकड़े उपलब्ध नही थे।
24.	पश्चिमी बंगाल	• राज्य सरकार ने फसलों के प्रकारों के आधार पर जुताई हेतु उर्वरकों की, प्रति हेक्टेयर खपत के नियमों को स्थिर किया। तथापि वही नियम जिले के सभी ब्लाकों, स्वस्थ मिट्टी के अनपेक्षित और सिंचाई सुविधा के लिये स्थिर किये। तथापि, प्रत्येक सीजन के लिये उपजाऊ फसलों के प्रकार के आधार पर उर्वरकों की ब्लाक वार मांग निर्धारित थी, यह राज्य स्तर पर प्रस्तावित नहीं थी। • प्रत्येक सीजन के लिये उर्वरकों की मांग का निर्धारण उर्वरक बनाने वाले आपूर्तिकर्त्ता एवं भारत की उर्वरक एसोशियेशन के परामर्श से गत बर्षों की खपत के आधार पर किया था, किन्तु जुताई होने वाली फसलों के प्रकार एवं मिट्टी के उपजाऊ स्तर के आधार पर नहीं था। • मिट्टी के परीक्षण के अभाव में कृषक अपनी भूमि पर डाली जाने वाली उर्वरकों की खुराक से अनभिज्ञ थे। परिणामतः, कृषिक निश्चित खुराक से बहुत अधिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे थे जिसके कारण प्रति हेक्टेयर खपत का स्तर ऊँचा था।

सुझाव–1

कृषि एवं सहकारिता विभाग (डी ओ ए सी) को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सीजन पर उर्वरक मांगों का वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण किया जाता है, न कि गत वर्ष की खपत के आधार पर विशिष्ट प्रतिशतता को शामिल कर के। इस उद्देश्य के लिये डी ओ ए सी को उर्वरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करने को कहे (विशेषतः ब्लाक स्तर तक), विशेष रूप से इलेक्ट्रोनिक तरीके को अपनाना चाहिए जिससे विश्लेषण में सुविधा हो और अनियमितताओं को उजागर किया जा सके। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मांग को भी ध्यान में लेना चाहिये जिनके स्टाक राज्यों में उपलब्ध हो। चयनित राज्यों/जिलों की मांगो की नमूना/वारी के आधार पर विस्तृत जॉच/परीक्षण भी होना चाहिए।

आगे, लेखा परीक्षा के विश्लेषण में पाया कि यूरिया की खपत, डी ए पी/एम ए पी एवं एन पी के मिश्रण (यानि एम ओ पी को छोड़कर) उर्वरकों की बड़ी उपलब्धता (यानि उत्पादन+आयात) होने पर उर्वरकों की मांग का निर्धारण जारी था, दूसरे शब्दों में, उपलब्ध उर्वरकों की समपूर्ण मात्रा (एम ओ पी

के अलावा) उपयोग में मान ली गयी थी, जिससे मांगों के निर्धारण के तरीके की पुनः पुष्टि पर सन्देह होता है। अध्याय 5 में इसे विस्तृत रूप में दर्शाया गया है।

4.3 बफर स्टाक

फीड स्टाक की आपूर्ति में रूकावट के कारण उत्पादन में हुई कमी के मामले में यूरिया के स्टाक के रखरखाव में या आयात में विलम्ब/रूकावट एवं देश के किसी हिस्से में शीध्र मांग/कमी की स्थिति के लिये, डी ओ एफ द्धारा उनकी सीजन माँगका 5 प्रतिशत की सीमा तक बड़े कृषि राज्यों में राजकीय इन्सटीट्यूसनल एजेंसियों/उर्वरक कम्पनियों के माध्यम से बफर स्टाक का प्रयोग वांछित था। आगे, डी ए पी एवं एम ओ पी के मामले में डी ओ एफ द्धारा 2006–09 की अवधि के दौरान आई पी एल के माध्यम से बफर स्टाक का रखरखाव वांछित था जो निम्न प्रकार है:

तलिक 4.2 –डी ए पी एवं एम ओ पी के बफर स्टाक का विवरण

वर्ष	उत्पाद	
	डी ए पी (मी.टन)	एम ओ पी (मी.टन)
2006-07	2,00,000	1,00,000
2007-08	3,50,000	1,00,000
2008-09	3,50,000	1,00,000

* डी ओ एफ के दिनांक 28.07.2008 का स्रोत

बफर स्टाक की आबंटित मात्रा का राज्यवार विवरण अनुलग्नक–4.1 में दिया गया है।

राज्यों में पाया कि दस राज्यों (आँध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू एवं पश्चिमी बंगाल) में बफर स्टाक के रखरखाव में कमी थी, जैसे नीचे दिखाया गया है :

तालिका 4.3 – बफर स्टाक के रखरखाव में राज्यवार कमियाँ

क्र.स.	राज्य का नाम	बफर स्टाक के रखरखाव में कमियाँ
1.	ऑन्ध्र प्रदेश	डी ओ एफ के दिनांक 28.07.2008 के अनुदेशों के अनुसार क्रमशः 2006–07 एवं 2007–09 के दौरान 10,000 मी.टन एवं 17,000 मी.टन डी ए पी का रखरखाव होना था। तथापि डी ए पी के बफर स्टाक का सितम्बर 2008 तक, यानि खरीफ 2008, रखरखाव नहीं था।
2.	आसाम	2006–09 के दौरान 5000 मी. टन एम ओ पी के बफर स्टाक का रखरखाव होना था, जिसका 5000 मी. टन एम ओ पी का रखरखाव केवल मार्च 2009 में हुआ था।
3.	छत्तीसगढ़	2008–09 के दौरान 5000 मी. टन डी ए पी का रखरखाव होना था, किन्तु नहीं हुआ।

4.	गुजरात	2008–09 के दौरान 5000 मी.टन एम ओ पी एवं 5000 मी.टन डी ए पी का रखरखाव होना था, किन्तु रखरखाव नहीं हुआ था।
5.	हरियाणा	2006–09 के दौरान एम ओ पी के बफर स्टाक (7000 मी.टन प्रति) का रखरखाव नहीं था। 2006–07 एवं 2007–08 वर्षों के दौरान क्रमशः 35000 मी. टन एवं 40000 मी. टन की निर्धारित सीमा के विरूद्ध, डी ए पी के मामले में, केवल 31,666 मी.टन एवं 11,330 मी.टन के बफर स्टाक का रखरखाव था।
6.	मध्य प्रदेश	नमूना जांचित जिलों में संस्थागत एजेंसियों द्वारा यूरिया के बफर स्टाक का रखरखाव नहीं हो रहा था।
7.	पंजाब	55000 मी.टन डी ए पी के विरूद्ध केवल 37000 मी.टन डी ए पी का रखरखाव था। अतः 18000 मी.टन के बफर स्टाक की कमी थी
8.	राजस्थान	सितम्बर 2007 से मार्च 2009 तक, 14 महीनों में से 8 महीनों के दौरान यूरिया के निर्धारित बफर स्टाक का रखरखाव नहीं था और कमी की सीमा 38 से 95 प्रतिशत थी।
9.	तमिलनाडू	2006–07 एवं 2007–09 के दौरान 10000 मी.टन एवं 15000 मी.टन डी ए पी तथा 2006–09 के दौरान 7500 मी.टन एम ओ पी के बफर स्टाकों का रखरखाव होना था। तथापि, कृषि कमीशनरी स्तर पर वास्तविकता को जॉचने के लिये लेखापरीक्षा को दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये ।
10.	पश्चिमी बंगाल	2007 एवं 2008 वर्षों के दौरान पीक अवधि (मई से दिसम्बर) के प्रत्येक माह में क्रमशः 61 से 99 प्रतिशत एवं 40 से 77 प्रतिशत की सीमा तक बफर स्टाक के रखरखाव में कमी थी।

5 - उर्वरक उत्पादन, आयात एवं खपत

5.1 विहंगावलोकन

वर्ष 1998–99 से 2008–09 से बड़ी उर्वरकों (यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी और एन पी के के मिश्रणों) की मांग निर्धारण का सारांश, उत्पादन, आयात एवं खपत नीचे दिया जा रहा है।

तालिका 5.1 उर्वरकों की मांग, उत्पादन, आयात एवं खपत

(लाख मीट्रिक टन में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मांग निर्धारण	297	306	314	312	310	370	371	416	447	484	506
उत्पादन	269	288	296	291	288	284	307	314	323	299	298
आयात	53	68	36	41	31	34	47	91	111	142	178
टोटल (उत्पादन+आयात)	322	356	332	332	319	318	354	405	434	441	476
खपत	317	338	317	331	307	321	350	374	411	429	468

नोट– वर्ष 1998–99 से 2002–03 तक के आंकड़ें जिसमें एन पी के उर्वरकों की मांग शामिल नहीं है।

चार्ट 5.1 मांग, खपत एवं कुल उर्वरकों की उपलब्धता

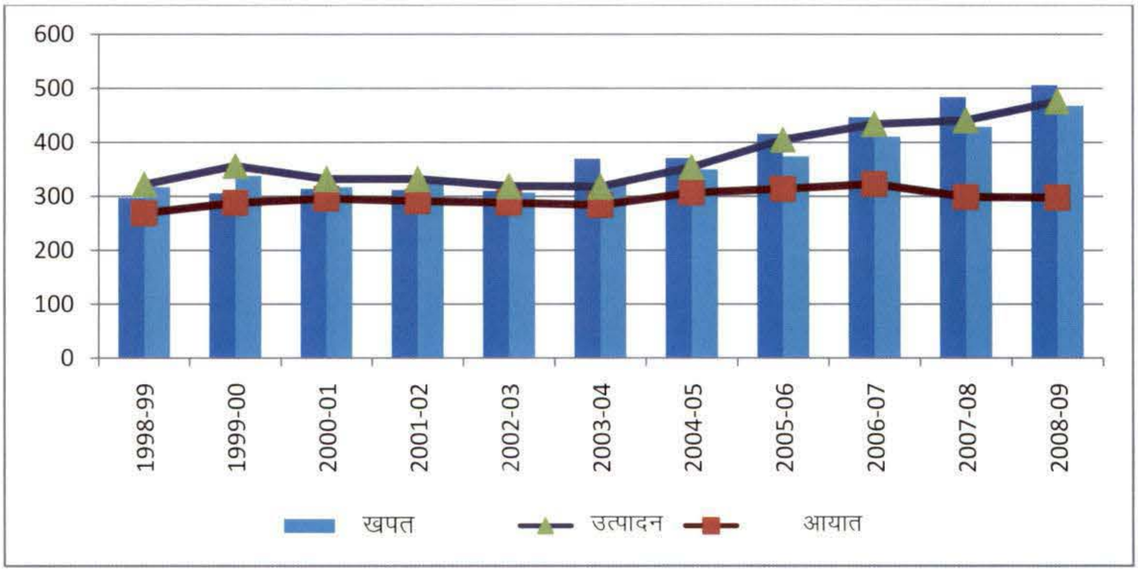

जैसा ऊपर दिया गया है देखा जा सकता है जबकि उर्वरकों की मांग निर्धारण से वर्ष 1998–99 से 2008–09 से 11 वर्षों के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी, उत्पादन 11 प्रतिशत कम हो गया। इसी दौरान आयात करीब 236 प्रतिशत बढ़ गया। इन दोनो के बीच उपलब्धता (उत्पादन + आयात) और खपत फिर भी बहुत अधिक था जो यह दर्शाता है कि जो भी उर्वरक उपलब्ध हो वह साधारणतः

खपत हो जाती थी क्योंकि उर्वरकों को बहुत ही अधिक राजसहायता मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा था।

तालिक 5.2 वर्ष 2003–04 से 2008–09 के दौरान उर्वरक खपत और बढ़ी कृषि फसल उपज

(मिलियन टन में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	प्रतिशत उपज
उर्वरक खपत	32.1	35	37.4	41.1	42.9	46.8	46%
अनाज	213.19	198.36	208.6	217.28	230.78	234.47	10%
तिलहन	25.19	24.35	27.98	24.29	29.76	27.72	10%
गन्ना	233.86	237.09	281.17	355.52	348.19	285.03	22%
अनाज+तिलहन +गन्ना	472.24	459.8	517.75	597.09	608.73	547.22	16%

स्त्रोत–कृषि एक नजर में –2010

चॉर्ट 5.2 – उर्वरक खपत की बढ़त और अधिक कृषि फसलों का उत्पादन

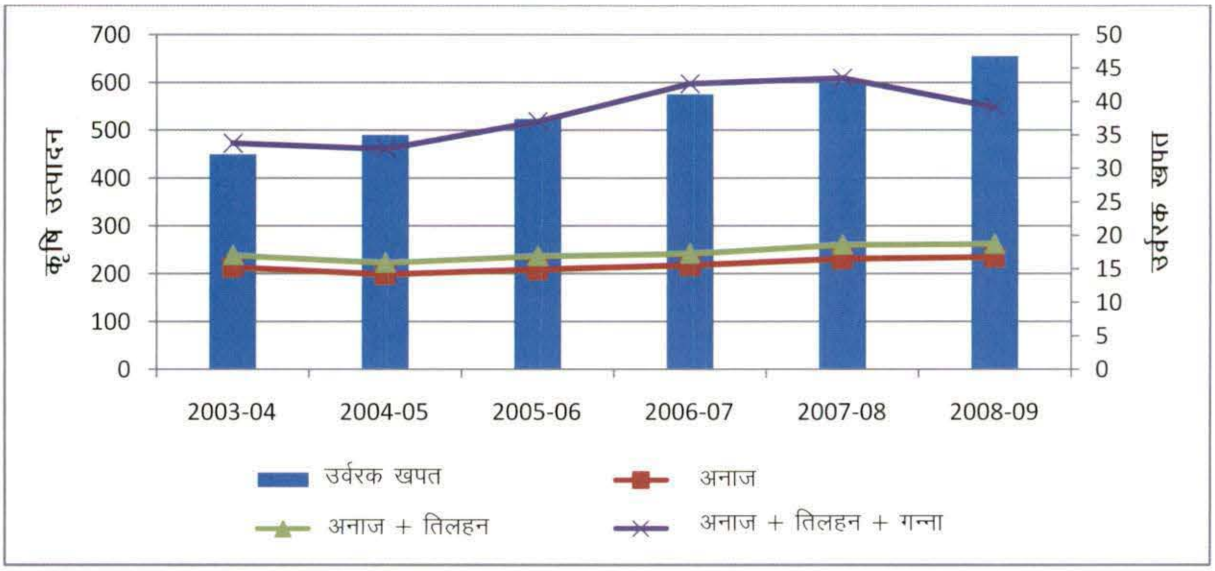

जब कि उर्वरक खपत वर्ष 2003–04 से 2008–09 के दौरान 46 प्रतिशत बढ़ी, कृषि उत्पादन की बहुत मदों में (अनाज, तिलहन और गन्ना) उसी दौरान केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो यह सम्बद्धता दर्शाता है कि उर्वरक खपत की खपत से कृषि उत्पादन की बढ़त कम रही।

5.2 उर्वरकों का आयात

वर्ष 2003–04 से 2008–09 के दौरान उर्वरकों का आयात निम्न प्रकार हुआ।

तालिका 5.3 उर्वरकों के आयात की मात्रा

(लाख मीट्रिक टन मे)

वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमएपी	एमओपी	कुल आयात
2003-04	0	7.34	0.65	25.79	33.78
2004-05	6.41	6.44	0.22	34.09	47.16
2005-06	20.57	24.38	0.45	45.78	91.18
2006-07	47.19	28.75	0.97	34.48	111.39
2007-08	69.28	27.24	1.50	44.21	142.23
2008-09	56.67	61.92	2.67	56.72	177.91
जोड़	200.12	156.57	6.46	241.07	603.65

*1.04.2007 से अनुदान योजना में एम ए पी शामिल थी।

तालिका 5.4– उर्वरक आयात का वित्तीय मूल्य

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

वर्ष	यूरिया आयात का मूल्य	डीएपी आयात का मूल्य	एमएपी का मूल्य	एमओपी आयात का मूल्य
2003-04	0	एन ए	एन ए	एन ए
2004-05	152.48	एन ए	एन ए	एन ए
2005-06	394.76	एन ए	एन ए	एन ए
2006-07	1027.01	846.40	एन ए	753.32
2007-08	1213.29	1317.57	72.03	1130.52
2008-09	2416	6805.34	297.32	3153.03
जोड़	**5203.54**	**8969.32**	**369.35**	**5036.87**

*डीएपी, एमओपी और एमएपी से सम्बन्धित मूल्य के अस्थाई आंकड़ें उर्वरक विभाग द्वारा प्रदान किये गये।

वर्ष 2003–04 से छः वर्ष के दौरान उर्वरक आयात करीब छः टाइम से ज्यादा मात्रा में बढ़ा, मुख्य बढ़त डीएपी/एमएपी में हुई जो कि आठ टाइम अधिक हुई वर्ष 2003–04 में यूरिया का आयात नही किया गया लेकिन वर्ष 2008–09 मे यूरिया का आयात कुल यूरिया की उपलब्धता से 22 प्रतिशत स्थापित हुआ। इस प्रकार सभी प्रकार की उर्वरकों के आयात में वृद्धि हुई। जो यह दिखाता है।

- अनुदान योजना की असमर्थता, उत्पादन में बढ़ोत्तरी को प्रोत्साहित करती है और
- अन्तर्राष्ट्रीय और आयातित उर्वरकों के अनुदानिक मूल्य के बीच बहुत बडे अन्तर को सोचते हुए विचलन/रिसाव का उद्देश्य भी

बहुत बड़ी राशि राजसहायता के बावजूद (वर्ष 1998–99 में रू. 11387 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1998–99 से 2008–09 के दौरान 96603 करोड़ हो गई) उर्वरकों का उत्पादन में उसी समय में केवल थोड़ी ही वृद्धि 269 लाख मीट्रिक टन से 298 लाख मीट्रिक टन हुई। अनुदान की बदलाव व्यवस्था, एन पी एस।से III सहित उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में प्रोत्साहित नही कर पायी। उर्वरकों की खपत में बढोत्तरी को उर्वरक आयात में बढोत्तरी कर पूरा किया गया। इससे देश को आयात पर आश्रित रहना पड़ा, जिसकी वजह से कीमतों में काफी उतार चड़ाव रहा। टोटल अनुदान की तुलना में आयातित उर्वरकों पर /छूट में वर्ष 1998–99 से 2008–09 में 3 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई।

5.3 यूरिया

5.3.1 समग्र स्थिति

वर्ष 2003–09 के दौरान यूरिया की मांग, उत्पादन आयात और खपत की निर्धारण को स्थिति निम्न प्रकार है।

तालिका 5.5 यूरिया की मांग, उत्पादन, आयात और खपत

(लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	निर्धारित मांग	उत्पादन	आयात	कुल उपलब्धता	खपत[13]	मांग और खपत के बीच की दूरी	कुल उपलब्धता और खपत के बीच की दूरी
2003-04	211.60	192.02	0.00	192.02	197.67	013.9	-5.65
2004-05	214.08	203.13	6.41	209.54	206.65	7.4	2.89
2005-06	234.26	200.91	20.57	221.48	222.98	11.3	-1.50
2006-07	249.46	203.21	47.19	250.40	243.38	6.1	7.02
2007-08	271.71	198.88	69.28	268.16	259.63	12.1	8.53
2008-09	281.34	199.67	56.67	256.34	266.49	14.9	-10.15
जोड़	1462.45	1197.82	200.12	1397.94	1396.8	65.7	1.14

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है जब कि खपत और निर्धारित मांग के बीच अनुकूल दूरी थी, यूरिया के खपत आकड़ें मोटे तौर पर कुल उपलब्धता को (उत्पादन +आयात)गलत रास्ते पर ले जा रहे

[13]पहली बिक्री के बिंदू पर बिक्री के आंकड़ो के आधार पर

थे। जो कि हमारे तथ्य को मजबूत करता है कि मांग का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा था।

5.3.2 यूरिया उत्पादन और क्षमता

वर्ष 1998–99 से 2008–09 के दौरान यूरिया की क्षमता और सही उत्पादन नीचे दिया गया है।

तालिका 5.6 यूरिया की क्षमता और उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	क्षमता	उत्पादन
1998-99	209.73	192.93
1999-2000	209.73	199.52
2000-01	209.73	199.53
2001-02	209.73	191.33
2002-03	205.84	187.37
2003-04	205.84	192.02
2004-05	205.84	203.13
2005-06	205.84	200.91
2006-07	205.84	203.21
2007-08	205.84	198.88
2008-09	211.37	199.67

चार्ट 5.5 यूरिया की क्षमता और उत्पादन

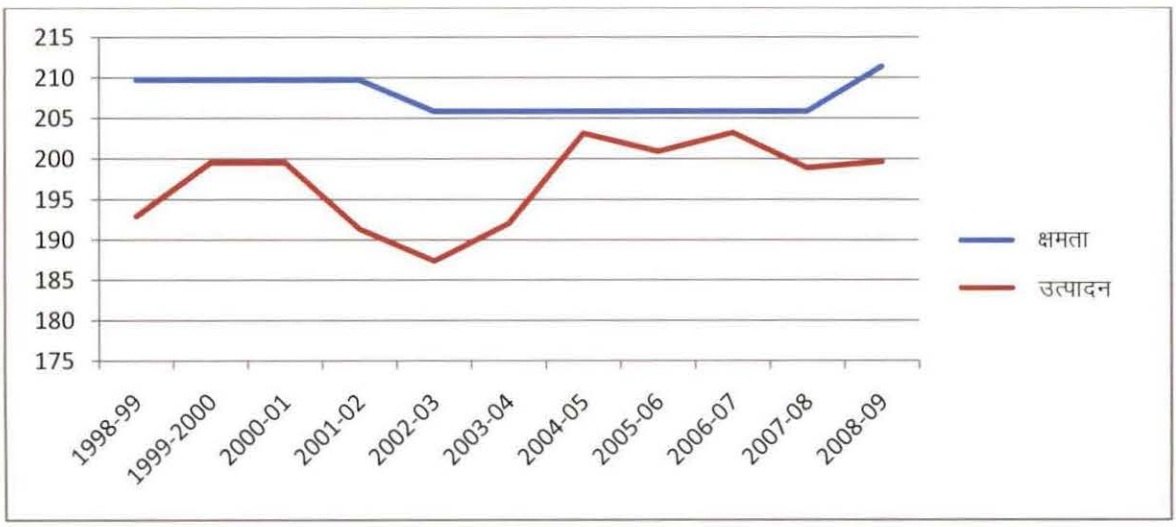

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता हैं यूरिया का उत्पादन वर्ष 1998–99 से 2008–09 के दौरान 11 वर्षों में मामूली बढ़ोत्तरी 3.5 प्रतिशत पंजीकृत की गई, इसके साथ ही वर्ष 1998–99 से 2002–03 के दौरान (इस दौरान पिछले आर पी एस को लेते हुए) मामूली कमी 3 प्रतिशत हुई और इसके बाद 2008–09 तक 7 प्रतिशत (एन पी एस बदलाव के दौरान) बढ़ोत्तरी हुई। इसके बाद, क्षमता में बढ़ोत्तरी बहुत ही कम थी। इससे साफ होता है कि यूरिया में राजसहायता देने को प्रणाली से एकल यूनिट मूल्य (आरपीएस) से कोटि आधारित मूल्य (एनपीएस) यूरिया क्षमता में और न उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी कर सकी।

5.3.3 उत्पादन मूल्य पर प्रभाव

नई मूल्य योजना (एनपीएस) की मुख्य प्रस्तावना का उद्देश्य, और कोटि आधारित छूट धीरे धीरे नेफ्था/एफओ/एलएसएचएस से प्रवास करनी थी। जिससे ज्यादा मूल्य को गैस आधारित स्टॉक से उत्पादन के मूल्य को कम से कम किया जा सके। उत्पादन के पहले एनपीएस और बाद के एनपीएस आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यूरिया के कुल उत्पादन में अलग–अलग समूहों का हिस्सा दिखाते हुए, निम्न पाया गया।

तालिका 5.7– यूरिया उत्पादन समूह अनुसार पहले एनपीएस और बाद के एनपीएस

(लाख मीट्रिक टन में)

समूह का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
समूह–Iपहले 1992 गैस आधारित	46.41	47.85	47.87	47.50	46.48	47.94
समूह–IIबाद में 1992 गैस आधारित	55.54	59.94	60.08	78.58	91.20	90.36
समूह–IIIपहले 1992 नेफ्था	26.47	28.81	27.22	18.56	12.16	11.98
समूह–IV बाद में 1992 नेफ्था	17.06	17.59	18.16	9.52	0	0
समूह–Vएफओ/ एलएसएचएस	21.36	21.99	21.44	21.28	21.72	21.33
समूह–VIमिश्रित फीड स्टाक	25.16	26.95	26.14	27.77	27.32	28.06
कुल योग	192	203.13	200.91	203.21	198.88	199.67

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है गैस आधारित यूरिया उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी हुई थी जोकि मूल्य को प्रभावित करेगा नेफ्था आधारित यूरिया उत्पादन से मिलाकर साथ साथ कम किया जा सकता है। फिर भी, यह कुल उत्पादन मे बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी नही दिखा पायी प्रारम्भ में यूरिया की खपत में बढ़ोत्तरी को आयात से पूरा कर लिया गया। वर्ष 2003–04 से 2008–09 के दौरान अलग–अलग समूहों में उत्पादन में भारित औसत मूल्य का विश्लेषण करने में निम्न पाया:

तालिका 5.8 समूह अनुसार पहले और बाद के एनपीएस यूरिया उत्पादन के भारित औसत मूल्य

(रूपये / मीट्रिक टन में)

मद का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	छः साल मे उत्पादन के मूल्य में बढ़ोत्तरी प्रतिशत में
समूह–Iपहले 1992 गैस	4777	5052	5096	6025	7175	8646	81
समूह–IIबाद में 1992 गैस	5860	6584	6521	8799	9234	10699	83
समूह–IIIपहले 1992 नेफ्था	12251	15077	17895	21775	23792	27004	120
समूह–IV बाद में 1992 नेफ्था	10168	12750	12153	10686	--	--	--
समूह–V एफओ / एलएसएचएस	10276	10550	12725	13924	15628	20871	103
समूह–VIमिश्रित फीड स्टाक	7462	8129	8752	10593	12700	14917	100

अन्तर्राष्ट्रीय मानको, स्टेट आफ आर्ट तकनीकी और फीड स्टाक का अच्छी तरह प्रयोग करते हुए एनपीएस की प्रस्तावना का एक उद्देश्य, मूल्यों को कम करने का एक उपाय था फिर भी उपर्युक्त विश्लेषण यह दिखाता है कि यूरिया के उत्पादन का भारित औसत मूल्य 81 प्रतिशत से 120 प्रतिशत अधिक बढ़ा, जबकि गैस आधारित यूनिट से नेफ्था यूनिट में परिवर्तित करने से (बाद में वर्णित) कोई उत्पादन के मूल्य में कटौती करने का कोई प्रतिफल नहीं निकला।

5.3.4 गैस से नेफ्था / एफओ / एलएसएचएस मे परिवर्तन

यूरिया के उत्पादन के लिए गैस फीड स्टाक प्रयोग के रूप में सबसे सस्ता उपाय है। विशेष रूप से राज सहायता पर इसका प्रभाव, (गैस / नेफ्था) फीड स्टाक द्वारा यह दिखाता है कि 70 से 80 प्रतिशत उर्वरक उत्पादन मूल्य को कम दिखाता है। उर्वरक विभाग की मार्गदर्शिका मार्च 2007 के अनुसार सभी कार्यरत नेफ्था और एफओएलएसएचएस आधारित यूनिट, 3 साल के अन्दर प्राकृतिक गैस (एनजी) तरल प्राकृतिक गैस (एल एन जी) में परिवर्तित किये जाने थे जिसका कि मुख्य उद्देश्य राज सहायता की रू. 3300 करोड़ सालाना बचत करना था।

इन सभी 12 नेफ्था/एफओ/एलएसएचएस यूनिटों को गैस आधारित यूनिटों में परिवर्तित किया जाना था। बावजूद मई 2010 तक केवल 4 यूनिट गैस आधारित यूनिटों में परिवर्तित हो गये। फिर भी इन चार यूनिटों को परिवर्तित होने के बाद भी उत्पादन का मूल्य के साथ साथ राज सहायता का भार बढ़ता गया (उत्पादन के मूल्य में मामूली कमी को छोड़कर – कुल राज सहायता नही – इफको फूलपुर–II के मामले में) निम्नानुसार है।

तालिका 5.9 चार यूनिट गैस आधारित उत्पादन में परिवर्तिन के लिए यूरिया के उत्पादन का मूल्य

क्रम संख्या	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	परिवर्तन का दिनांक
1	**एस एफ सी, कोटा–क्षमता (मीट्रिक टन में) 379500**							
	उत्पादन मीट्रिक टन में	363948	379000	381300	361156	379000	394533	सितम्बर2006
	उत्पादन का मूल्य(रू.मीट्रिक टन)	10719	14268	15786	18199	18916	20500	
	राज सहायता (करोड़ रू. में)	299.37	310.48	436.36	402.4	684.1	649.46	
2	**इफको, फूलपुर– I– क्षमता (मीट्रिक टन में) 551100**							
	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	540765	565056.1	551100	573603	629757	662536	जूलाई2006
	उत्पादन का मूल्य(रू. मीट्रिक टन)	10733.25	13031.23	15985.63	11085.11	10148.2	11354.54	
	राज सहायता (करोड़ रू.में)	460.95	526.58	536.03	754.97	551.22	604.96	
3	**इफको, फूलपुर– II– क्षमता (मीट्रिक टन में) 864600**							
	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	850882	864022	884600	882600	924223	840584	मई2006
	उत्पादन का मूल्य(रू. मीट्रिक टन)	10615.44	13243.7	15693.99	12625.22	11192.04	12469.22	
	राज सहायता (करोड़ रू.में)	577.55	865.6	913.65	1078.78	1253.73	702.84	
4	**इफको, फूलपुर– II– क्षमता (मीट्रिक टन में) 864600**							
	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	854646	894627	931443	951956	995596	1008255	अप्रैल 2007
	उत्पादन का मूल्य(रू.मीट्रिक टन)	9723.46	12273.1	8790.91	10685.77	8400.33	10814.34	
	राज सहायता (करोड़ रू.में)	617.47	821.19	828.45	527.02	994.67	842.34	

चार नेफ्था यूनिटों को गैस यूनिट में परिवर्तित करने के बावजूद भी सभी प्रकार के उत्पादन मूल्य एवं राजसहायता का भार परिवर्तन के बाद भी बढ़ गया। जबकि एक ने यह कहा कि यह इसलिए बढ़ा कि नेफ्था इन यूनिटों में फीड स्टॉक के रूप में अभी भी इस्तेमाल हो रहा था, इसका अन्तिम लक्ष्य, एन पी एस का उद्देश्य–उत्पादन मूल्य एवं राज सहायता को कम करना था, को पूरा नहीं कर पाये।

5.3.5 यूरिया उत्पादन के लिए प्रायः ऊर्जा नियम

यूरिया के उत्पादन मूल्य में ऊर्जा खपत सबसे बड़ा अकेला मद है। एन पी एस में सामान्य एक ही उद्देश्य है और समूह ऊर्जा नियम बनाकर विशेष एन पी एस II और III में कम ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करना था। यह व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) ने भी कहा था। जो इस तरह का उत्पादन न कर सके वह दंडित होंगे और एक सीमा से अधिक ऊर्जा खपत करने पर वह राज सहायता के पात्र भी नही होगें। इसके विपरीत जो अधिक उत्पादन करेंगे और कम ऊर्जा प्रयुक्त करेंगे वह इस अन्तर के फायदे को प्रायः ऊर्जा नियमानुसार लेंगे जोकि इन बचतों को यूनिट के अतिरिक्त निवेश के रूप मे लिया गया हो जो कि आशाजनक क्षमता और उत्पादन को मध्यम से अधिक दूरी तक बढ़ाने वाली साबित होगी।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा जॉच में पाया कि एनपीएस के समूह पहुॅच के बावजूद उर्वरक विभाग द्वारा बनाये गये प्रायः ऊर्जा खपत नियम एक यूनिट से दूसरे यूनिट के लिए भिन्न थे जब कि वह एक ही समूह के थे। जिसका संक्षिप्त विवरण अनुलग्न 5.1 में दिया गया है।

इसके बाद भी, बी वी एफ सी एल–नामरूप –II जिसने कि वर्ष 2005–06 (नवम्बर–2005) में उत्पादन शुरू किया, ऊर्जा खपत के मामले में यह यूनिट सही नहीं था क्योंकि वर्ष 2005–06 में उत्पादन 21695 मी.ट. से वर्ष 2008–09 में 61858 मी.ट. बढ़ गया और ऊर्जा खपत 22.624 जी कैल/मी.ट. जो कि एक गैस आधारित यूरिया यूनिट के लिए अधिकतम है, और यह अभी तक इनके छः समूहों में से कहीं भी स्थापित नहीं हुआ।

यह प्रत्यक्ष दर्शाता है कि उत्पादन कभी भी क्षमता के आसपास तक नही पहुॅचा/इसके बाद कुल क्षमता से उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट वर्ष 2008–09 में 39 प्रतिशत हुई। लेकिन उत्पादन की लागत वर्ष 2008–09 से 41.37 प्रतिशत बढ़ी/ऊर्जा खपत स्तर भी 12.102 से 17.679 जौ कैल/पर मी.ट. बढ़ गयी।

यह साफ है कि व्यवहार्य में समूह आधारित एनपीएस के ऊर्जा नियम को नही पूरा किया जा रहा था। जबकि बी वी एफ सी एल नामरूप III के मामले को छोड़कर (तकनीकी प्रयोग के लिए यह एक अनोखा मामला था, जिसमें कि उर्वरक विभाग ने यह मत रखा था कि इसे जारी रखना ठीक है क्योंकि उत्पादन का मूल्य और राज सहायता पर मीट्रिक टन अधिक आ रहा थी) बहुत सारे अन्तर एक ही समूह के अलग–अलग यूनिटों मे आ रहे थे। इसके बाद भी ऊर्जा बचत के विनिवेश के उद्देश्य (साथ साथ प्रायः बनाये गये नियम) क्षमता/उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरा नही हो रहे थे।

अनुशंसा –2

एनपीएस के प्रवृति के साथ, उर्वरक विभाग को एक ही समूह के सभी यूनिटों के लिए समान ऊर्जा नियम बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित करना चाहिए।

5.4 डी ए पी/एम ए पी और एन पी के मिश्रण

5.4.1 समग्र स्थिति

डी ए पी/ एम ए पी और एन पी के मिश्रणों की निर्धारित मांग, उत्पादन, आयात और खपत के बारे में समग्र स्थिति निम्नलिखित है।

तालिका 5.10 डी ए पी/एम ए पी की मांग, उत्पादन, आयात और खपत

(लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	मांग	उत्पादन	डीएपी और एमएपी का आयात	मुल उपलब्धता कॉलम 3 (–) कॉलम 4	खपत	अन्तर कालम 2 (–) कॉलम 6	कॉलम 5 (–) कॉलम 6 के बीच अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
2003-04	71.89	47.19	7.99	55.18	56.24	15.65	-1.06
2004-05	70.60	51.59	6.66	58.25	62.56	8.04	-4.31
2005-06	78.03	45.05	24.83	69.88	67.64	10.39	2.24
2006-07	81.30	46.78	29.72	76.50	73.81	7.49	2.69
2007-08	89.22	42.04	29.90	71.94	74.97	14.25	-3.03
2008-09	94.83	29.70	64.59	94.29	92.31	2.52	1.98
	485.87	262.35	163.69	426.04	427.53	58.34	-1.49

तालिका 5.11 एन पी के मिश्रणों की मांग, उत्पादन और खपत

(लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	मांग	उत्पादन	खपत	मांग और खपत के बीच अन्तर
2003-04	63.14	45.03	47.57	15.57
2004-05	63.42	52.65	56.80	6.62
2005-06	74.40	67.68	66.94	7.46
2006-07	82.90	72.98	67.99	14.91
2007-08	87.40	58.30	65.71	21.69
2008-09	92.32	68.64	68.05	24.27
	463.58	365.28	373.06	90.52

तालिका 5.12 डी ए पी/एम ए पी का देशीय उत्पादन और आयात

(लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	डी ए पी उत्पादन	डी ए पी आयात	एम ए पी आयात	कुल आयात
2003-04	47.19	7.34	0.65	7.99
2004-05	51.59	6.44	0.22	6.66
2005-06	45.05	24.38	0.45	24.83
2006-07	46.78	28.75	0.97	29.72
2007-08	42.04	27.24	1.50	28.74
2008-09	29.70	61.92	2.67	64.59
जोड़	262.35	156.07	6.46	162.53

यूरिया के मामले मे खपत और मांग निर्धारण के बीच बहुत बडा अन्तर था खपत के आंकड़ें मोटे तौर पर कुल उर्वरकों की उपलब्धता को दर्शाते है (उत्पादन+आयात)/जो कि फिर से यही तथ्यों को प्रमाणित करता है कि मांग का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से नही किया गया था।

5.4.2 फॉस्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन

कुल 19 डी ए पी और एन पी के मिश्रण उत्पादन यूनिट है । फॉस्फेटिक उर्वरकों (डी ए पी + एन पी के) की वर्षवार क्षमता और उत्पादन निम्नलिखित है।

तालिका 5.13 डी ए पी और एन पी के मिश्रणों की क्षमता और उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	डी ए पी + एन पी के की क्षमता	डी ए पी का उत्पादन	एन पी के का उत्पादन	डी ए पी+एन पी के का कुल उत्पादन
1998-99	67.14	38.68	37.07	75.75
1999-2000	74.14	38.63	50.01	88.64
2000-01	84.08	48.89	47.44	96.33
2001-02	117.47	50.94	49.09	100.03
2002-03	120.90	52.36	48.59	100.95
2003-04	122.68	47.19	45.03	92.22
2004-05	127.94	51.59	52.65	104.25
2005-06	130.24	45.05	67.68	112.73

वर्ष	डी ए पी + एन पी के की क्षमता	डी ए पी का उत्पादन	एन पी के का उत्पादन	डी ए पी+एन पी के का कुल उत्पादन
2006-07	130.59	46.78	72.98	119.76
2007-08	130.61	42.04	58.30	100.33
2008-09	134.04	29.70	68.64	98.34

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 1998–99 से 2008–09 में फॉस्फेटिक उर्वरकों की क्षमता लगभग दुगनी हो गई फिर भी वास्तविक उत्पादन केवल 30 प्रतिशत बढ़ा। डी ए पी के उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी आयी यह ध्यान देने योग्य बात है कि फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए अधिक तर आयातित कच्चा माल/मध्यवर्तीय पर आधारित होता है। इस दौरान के डी ए पी/एम ए पी/एन पी के मिश्रणों की खपत में बढ़ोत्तरी को शुरू मे बहुत अधिक मूल्य पर आयात कर पूरा किया गया जिससे राजसहायता का प्रभार बहुत अधिक बढ़ गया।

5.5 एम ओ पी

देश की पुटेशिक उर्वरकों की मांग को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में एम ओ पी की मांग, आयात और खपत को विस्तृत में दिखाया गया है।

तालिका 5.14 एम ओ पी की मांग, आयात और खपत

(लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	मांग	आयात	खपत	अन्तर +/– कॉलम 2– कॉलम 4	एम ओ पी का आयात मूल्य
1	2	3	4	5	6
2003-04	23.73	25.79	19.12	4.61	एन ए
2004-05	23.21	34.09	24.06	-0.85	एन ए
2005-06	28.89	45.78	16.57	12.32	एन ए
2006-07	33.24	34.48	25.86	7.38	7533.2
2007-08	36.13	44.21	28.81	7.32	11305.15
जोड़		**184.35**	**114.42**	**69.94**	
2008-09	37.86	56.72	40.77	15.95	31530.3
कुल जोड़	183.06	241.07	155.19	85.88	

वर्ष 2003–08 के दौरान एम ओ पी का आयात 184.35 लाख मीट्रिक टन था, जबकि वास्तविक खपत 114.42 लाख मीट्रिक टन थी परिणामतः मार्च 2008 को 70 लाख मीट्रिक टन अधिक स्टाक बचा रहा। वर्ष 2008–09 के लिए एम ओ पी की मांग 38.86 लाख मीट्रिक टन थी जिसमें आई पी एल द्वारा 1 लाख मीट्रिक टन बफर स्टाक रखने के लिए शामिल है। इसे सरलता से एम ओ पी के 70 लाख मिट्रिक टन के सरप्लस स्टाक से पूरा किया जा सकता था जो मार्च 2008 के स्टाक में पड़ा हुआ था। एम ओ पी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (जो कि पूरी तरह आयात किया गया था) बहुत अधिक बढ़ गया और यह वास्तविक मूल्य से चार गुना हो गया था (7595 रूपये/मीट्रिक टन अप्रैल 2008 में से 28410 रूपये/मीट्रिक टन दिसम्बर 2008) फिर भी उर्वरक विभाग ने एम ओ पी के दुबारा आयात को नियंत्रण मे न रखकर और वर्तमान स्टाक से न लेकर अतिरिक्त 56.72 लाख मीट्रिकटन का आयात किया (43.29 लाख मीट्रिक टन खर्च के आंकड़ों के अनुसार)। परिणामस्वरूप 10,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजसहायता का अपरिहार्य भार पड़ा वास्तव में पहले किये गये आयात में वर्तमान स्टाक की गणना किये बिना, वर्ष 2008–09 मे बहुत अधिक मांग निर्धारण और खपत थी।

5.6 उर्वरक खपत

1998–99 से 2008–09, 11 सालों के दौरान उर्वरकों की खपत 317 लाख मीट्रिक टन से 468 लाख मीट्रिक टन बहुत अधिक बढ़ गयी । इस प्रकार उर्वरकों की खपत का चलन (कुल फसल के पर हेक्टेयर एरिया के) अलग–अलग राज्यों मे विषम था। राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार मे बहुत अधिक खपत दर क्रमशः 240,221,202 और 179 किलो पर हेक्टेयर थी। जबकि राज्य जैसे मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आसाम और झारखंड में बहुत कम खपत दर क्रमशः 71,62,62 और 56 किलो पर हेक्टेयर थी। इस तरह खपत दर और औसतन सिंचाई स्थल के बीच काफी उच्च स्तर के सह संबंध थे, उर्वरकों[14] में उच्च दर खपत सिंचाई का उच्च औसतन एरिया था। जैसे कि पंजाब में वर्ष 2008–09 मे 98 प्रतिशत सिंचाई एरिया के साथ 221 किलो पर हेक्टेयर उर्वरक खपत थी जबकि झारखंड में 10 प्रतिशत सिंचाई एरिये के साथ 56 किलो पर हेक्टेयर उर्वरक खपत थी/राज्यवार खपत ब्यौरा निम्नानुसार है।

तालिका 5.15 वर्ष 2003–04 से 2008–09 के दौरान राज्य वार कुल फसल एरिया का पर हेक्टेयर उर्वरक खपत (एन पी के)

(किलो/हेक्टेयर में)

क्र.स	राज्य/यूटी	2008–09 किलो/हेक्टेयर खपत	कुल सिंचाई से कुल फसल एरिया का प्रतिशत
1.	आन्ध्रपदेश	240	46
2.	पंजाब	221	98
3.	तमिलनाडू	217	56
4.	हरियाणा	202	86
5.	बिहार	179	61
6.	पश्चिम बंगाल	158	57
7.	उत्तर प्रदेश	156	75

[14] सहसंबंध गुणांक, उर्वरक (2008–09) में खपत और सिंचाई के क्षेत्र का अनुपात के बीच (एक सांख्यिकीय उपाय) 0.76 था, जो काफी अधिक है

क्र.स	राज्य/यूटी	2008–09 किलो/हेक्टेयर खपत	कुल सिंचाई से कुल फसल एरिया का प्रतिशत
8.	कर्नाटक	147	29
9.	गुजरात	141	42
10.	उत्तराखंड	123	46
11.	महाराष्ट्र	114	20
12.	जम्मू एवं कश्मीर	93	41
13.	केरला	89	16
14.	छत्तीसगढ़	81	26
15.	मध्यप्रदेश	71	32
16.	उड़ीसा	62	37
17.	आसाम	62	2
18.	हिमाचल प्रदेश	61	19
19.	मणिपुर	57	22
20.	झारखंड	56	10
21.	राजस्थान	49	36
22.	त्रिपुरा	47	35
23.	मिजोरम	47	10
24.	मेघालय	14	26
25.	अरूणाचल प्रदेश	3	20
26.	नागालैण्ड	2	29
27.	सिक्किम	0	8
		129	44.56

वर्ष 2006–07 पर आधारित खपत किलो/हेक्टेयर–अस्थाई कुल फसल एरिया का

*स्त्रोत: **एफएस–55 पेज II-25 कुल फसल एरिया और कुल सिंचाई एरिया के लिए*

5.7 *उर्वरकों की अनउपलब्धता/कमी*

नियंत्रित और गैर नियंत्रित उर्वरकों पर अधिक राशि की राजसहायता/छूट देने के बावजूद उर्वरकों की अनउपलब्धता/कमी के मामले सामने आयें जो नीचे दिये जा रहे है।

तालिक 5.16 उर्वरकों की अनउपलब्धता/कमी के राज्य वार ब्यौरें

क्र.स	राज्य का नाम	जॉच ब्यौरा
1.	आन्ध्र प्रदेश	• वर्ष 2008–09 के दौरान गुन्टूर जिले में पर्याप्त (खरीफ एवं रबी के मौसम में) मात्रा मे किसानो को उर्वरकों का वितरण सही समय पर नहीं हुआ जिसके कारण किसानों द्वारा आन्दोलन किया गया। • बचे हुए तीन जॉच किये गये जिलों में (कड़प्पा, करीमनगर और वारग्गल) भी उर्वरकों के वितरण में देरी सामने आयी। • पिछड़े एरिया मे रहने वाले किसानों की उर्वरकों की मात्रा का शीघ्र निर्धारण कर सभी डीलरों के लिए उर्वरकों का समान वितरण हेतु जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी कोरीमन्डल फर्टीलाइजर लिमिटेड (सी एफ एल) का मैना ग्रोमोर सेन्टर के लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक उर्वरक आंबटित किया गया।
2.	आसाम	• मंगाई गई मात्रा से वर्ष 2006–09 के दौरान अलग अलग उर्वरकों की 5,35,927 मी.टन अधिक उपलब्धता थी जो कि 1 से 87 प्रतिशत के बीच थी।
3.	बिहार	• किसान/डीलर्स ने फसल के दौरान में उर्वरक न मिलने व उर्वरक मिलने में आ रही परेशानियों की शिकायतें की थी। इस प्रकार उर्वरकों की बिक्री को नियंत्रण करने के लिए कोई नियम नही बनाये गये थे। • डीलर्स ने फसल के दौरान उर्वरक प्राप्त करने में कमियों की शिकायत की थी। किसानों ने भी उर्वरक खरीद मूल्य से अधिक मूल्य देने व सही मात्रा न मिलने की शिकायतें की जिससें फसलों पर बुरा असर हुआ।
4.	छत्तीसगढ़	• चार चयनित जिलों मे से तीन जिलो में लक्ष्य के विरूद्ध उर्वरकों की आपूर्ति मे अधिकता/कमी पायी गयी। • उर्वरकों की बिक्री के लिए कोई राशनिंग प्रणाली लागू नही की थी।
5.	गुजरात	• मांग और वास्तविक आपूर्ति के बीच एक प्रतिशत (यूरिया खरीफ 2008–09) से 23 प्रतिशत के बीच का (डी ए पी खरीफ 2008–09) अन्तर था। डीलर्स, किसानो, और कोआपरेटिव सोसाइटीज ने विश्लेषण के दौरान कहा था कि हम उर्वरक दूसरे ब्लाकों से भी खरीद रहे थे।
6.	हरियाणा	यूरिया और डी ए पी की उपलब्धता राज्य मे निर्धारित मांग से अधिक थी और खपत वर्ष 2006–09 के दौरान कम और ज्यादा मांग के समान ही था। एन पी के और एम ओ पी, वर्ष 2007–08 को छोड़कर निर्धारित मांग से उपलब्धता कम थी, और खपत मांग से कम थी।

क्र.स	राज्य का नाम	जॉच ब्यौरा
7.	हिमाचल प्रदेश	• वर्ष 2006–09 के दौरान अलग–अलग तरह की उर्वरकों की मांग 3,53,400 मी.ट. के विरूद्ध वास्तविक आपूर्ति 3,21,133 मी.ट. थी। परिणामतयः समग्र कमी 32,267 मी.ट. की रही। • बिना किसी मांग के रबी में 2007–08 व 19430 मी.ट. एन पी के 10:26:26 (7221 मी.ट) खरीफ रबी में 2008–09 (12209 मी.ट.)की आपूर्ति की गईं रबी के दौरान 2008–09 7500 मी.ट. एन पी के 15:15:15 की मांग के विरूद्ध वास्तविक आपूर्ति 12863 मी.ट प्राप्त हुई थी। जो यह दर्शाता है कि किसानों को एन पी के 12:32:16 की कम आपूर्ति के विरूद्ध इन उर्वरकों को खरीदने के लिए बाध्य किया गया था।
8.	कर्नाटक	• उर्वरकों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नही बनाये गये थे। कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा केवल आपूर्ति में देरी/कमी को नियंत्रित किया जाता था। • वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान उर्वरकों की निर्धारित मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अन्तर था। यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी और मिश्रणों की आपूर्ति मे कमी 5 प्रतिशत से 59 प्रतिशत और मांग से अधिक आपूर्ति (–) 2.34 प्रतिशत से (–) 26.37 प्रतिशत के बीच थी। • कुछ जिलों मे उर्वरकों की कमी भी रिपोर्ट की गयी।
9.	केरला	• वर्ष 2006–09 के दौरान मांग से डी ए पी और एम ओ पी की कमी औसतन 5 से 25 प्रतिशत के बीच और अधिकता औसतन 12 से 33 प्रतिशत के बीच थी।मिश्रित उर्वरकों की कमी 44 से 76 प्रतिशत के बीच ज्यादा घोषित थी।
10.	महाराष्ट्र	• वर्ष 2006–07 से 2008–09 के बीच कम्पनियों ने उर्वरकों की आपूर्ति, आपूर्ति योजना के अनुसार नही की थी। परिणामतः अनेकों प्रकार की उर्वरकों की आपूर्ति असमान हो गयी।
11.	मध्यप्रदेश	• डीलर्स/किसानों के सर्वेक्षण में कोआपरेटिव सोसाइटीज और किसानों ने पीक सीजन के दौरान उर्वरकों की कमी की शिकायत की थी और कहा कि किसान एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में घूमते रहे व अधिक मूल्य पर एक बैग यूरिया पर रू. 350 से 500 देने पडे।
12.	मणिपुर	• वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान यूरिया की उपलब्धता में कमी 31 से 45 प्रतिशत की बीच थी।
13.	मेघालय	• वर्ष 2006–09 के दौरान उर्वरकों की निर्धारित मांग और वास्तविक आपूर्ति में काफी अन्तर था। • वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी की मांग और वास्तविक आपूर्ति में अन्तर/कमी यूरिया में 5.73 से 25.41 प्रतिशत, डी ए पी मे 7.23 से 58.72 प्रतिशत और एम ओ पी मे 34.50 से 41.18 प्रतिशत के बीच थी।

क्र.स	राज्य का नाम	जॉच ब्यौरा
14.	राजस्थान	• उर्वरकों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नही बनाये गये थे। • किसानों को उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड में की गई अनुशंसाओं के अनुसार करने की सलाह दी गयी थी। जबकि वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य में कुल भूमिहारों (58,19,203) के विरूद्ध 5 प्रतिशत किसानों को ही मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिये गये थे।
15.	तमिलनाडु	• वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य में डी ए पी की बहुत अधिक कमी उत्पादन के रूकने और आयात में कमी के कारण से हुई थी। इस लिए भारत सरकार के आदेशानुसार तमिलनाडु मार्केटिग फेडरेशन (टेन फेट) को आयातकों से डी ए पी उढ़ाने और किसानों की पूर्ति करने के लिए प्रायमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव बैंक (पी ए सी बी एस) के द्वारा एक नोडल एजेन्सी नियुक्त की गयी थी। पी ए सी वी एस राजस्व अधिकारी से हर मौसम में किसानों से डी ए पी खरीद का भूमि अधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दबाव डालते थे। किसानों ने पाया कि यह प्रमाण पत्र लेना तो बहुत कठिन कार्य है क्योंकि किसानों ने जमीन तो लीज पर ली हुई थी और प्रमाण पत्र केवल जमीन मालिक के नाम से ही जारी होता है। इस कारण डी ए पी उपलब्ध होने के बावजूद किसान नही ले सकते थे और उन्हें डी ए पी की जगह मिश्रण प्रयोग करने पडे। कुछ पी ए सी बी एस में से केवल पी ए पी बी सदस्य को ही उर्वरक दी गई थी।
16.	त्रिपुरा	• सर्वेक्षण के दौरान खुदरा डीलर्स एवं किसानों ने शिकायत की थी कि उर्वरकों की आपूर्ति में देरी की वजह से किसानों को बाजार से अधिकतम मूल्य से भी अधिक पर उर्वरक खरीदनी पड़ी थी।
17.	उत्तर प्रदेश	• बारांवकी और लखीमपुर में डी ए पी का की आपूर्ति 7 से 78 प्रतिशत के बीच थी और अलीगढ़, बुलन्दशहर गोरखपुर मुरादाबाद और वाराणसी में अधिक आपूर्ति 6 से 139 प्रतिशत के बीच थी। • बारांवकी, बुलन्दशहर, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी में आपूर्ति योजना के विरूद्ध यूरिया की कम आपूर्ति 8 से 71 प्रतिशत और अलीगढ़, मुरादाबाद और वाराणसी मे यूरिया की अधिक आपूर्ति 6 से 75 प्रतिशत थी • बारांवकी, लखीमपुरखीरी और मुरादाबाद में एम ओ पी की कम आपूर्ति 41 से 100 प्रतिशत के बीच और अलीगढ़, बुलन्दशहर, गोरखपुर और वाराणसी में अधिक आपूर्ति 159 से 722 प्रतिशत की बीच थी। • अलीगढ़, बारांवकी, बुलंदशहर, लखीमपुरखीरी और मुरादाबाद मे एन पी के की कम आपूर्ति 18 से 100 प्रतिशत के बीच और गोरखपुर और वाराणसी मे एन पी के की अधिक आपूर्ति 126 से 148 प्रतिशत के बीच थी। • सात जिलों के नमूना जॉच में पाया कि डी ए पी की वास्तविक आपूर्ति, आपूर्ति योजना से 6 से 139 प्रतिशत अधिक थी। अप्रैल 2008 से

क्र.स	राज्य का नाम	जॉच ब्यौरा
		दिसम्बर 2008 के दौरान यूरिया के मामलें में इन जिलों में वास्तविक आपूर्ति योजना से 6 से 75 प्रतिशत अधिक इसी अनुसार एम ओ पी की वास्तविक आपूर्ति 41 से 722 प्रतिशत अधिक थी। एन पी के की वास्तविक आपूर्ति 18 से 148 प्रतिशत अधिक थी।
18.	पश्चिम बंगाल	• मांग की अपेक्षा उर्वरकों के प्रत्येक मद में वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान (वर्ष 2008–09 मे एम ओ पी को छोड़कर) कम आपूर्ति हुई। • मिश्रित उर्वरकों (एन पी के) के मामले में वर्ष 2006–07 के दौरान आपूर्ति में कमी से कम महत्व रहा। जबकि दूसरे मामलों मे वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान प्रत्येक साल में मांग से कमी 3 से 33 प्रतिशत के अन्तर में थी। • वितरण असमान था जैसे जिलों के आसपास और कुछ दूरी पर, मांग के विरूद्ध जहॉ कोई रेक पाइंट नही था। कम आपूर्ति हुई। और इसके विरूद्ध जो जिले अच्छी पहुॅच मे थे वहॉ अधिक आपूर्ति की गयी। • सभी जिलो मे केवल एक को छोड़कर (उत्तर दिनाजपुरबार्डर जिला) मांग से कम उर्वरक प्राप्त हुई थी जहॉ पर रेक पाइंट की उपलब्धता थी।

6 - राज सहायता दावों का भुगतान

6.1 राज सहायता/छूट दावों के लिए प्रक्रिया

यूरिया और विनियंत्रित उर्वरकों के लिए राज सहायता/छूट के भुगतान की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं।

चित्र–6.1 यूरिया के लिए राज सहायता भुगतान

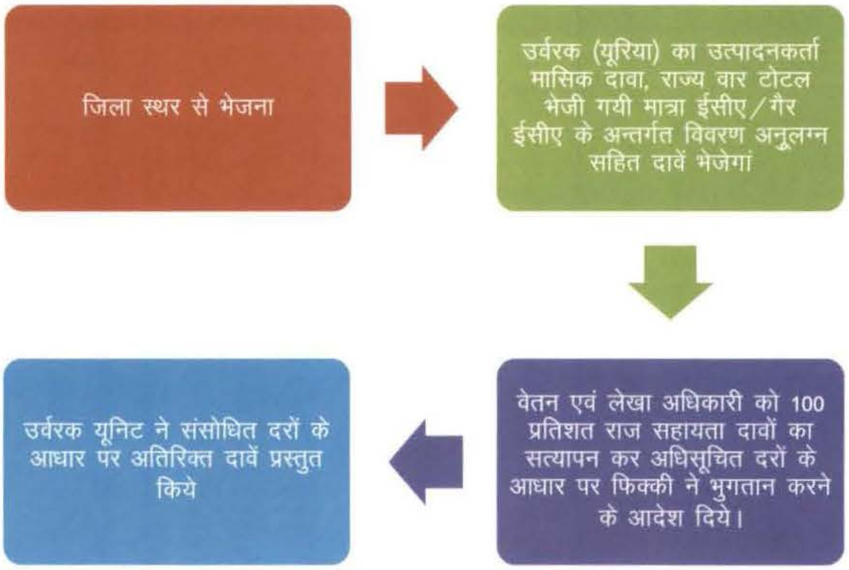

*चित्र 6.2 विनियंत्रित उर्वरको में छूट के भुगतान **

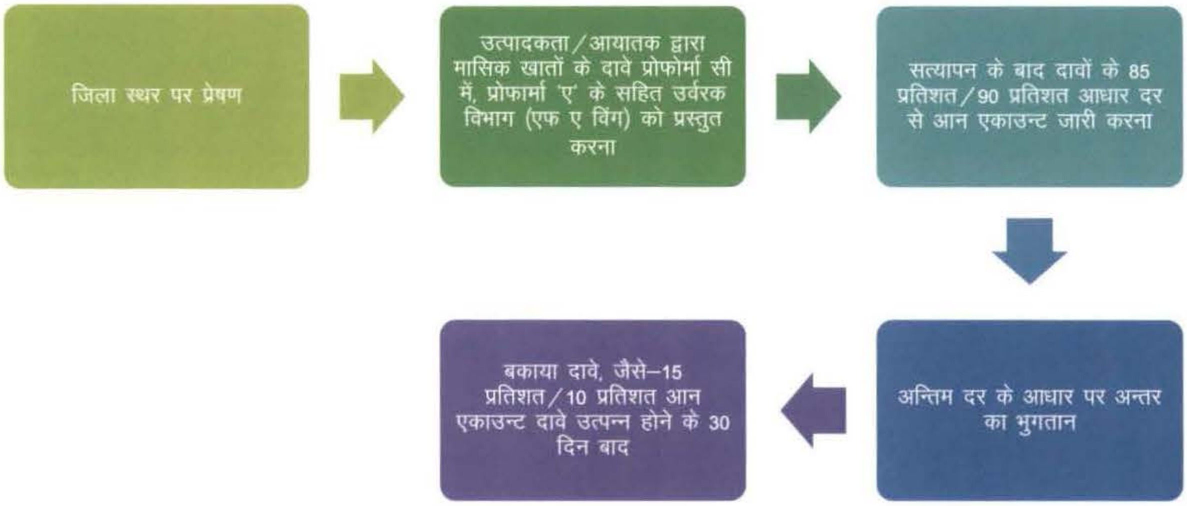

*प्रोफार्मा 'ए' बिक्री के विवरण को दर्शाते हुए, इनवाइस और दूसरे सहायक दस्तावेजों सहित जो कि राज्य कृषि निदेशालय को भेजते है। प्रोफार्मा 'बी' उत्पादकता द्वारा उर्वरकों की बिक्री दावे राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रोफार्मा 'सी' राज सहायता के दावें।

हमने वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान के राज सहायता/छूट के 979 दावे रू. 54358 करोड़ के जॉच किये जिसका विस्तृत विवरण अनुलग्न 6.1 में दर्शाया गया है। राज सहायता/छूट के दावों की हमारी जॉच में मुख्य निष्कर्षो का विवरण निम्न प्रकार से है।

6.2 रू. 50698 करोड़ राशि का बकाया प्रोफार्मा 'बी' 'बिक्री सत्यापान प्रमाणपत्र'

उर्वरक विभाग द्वारा जारी नियमावली अगस्त 2002 में कहा गया है कि बकाया राशि के भुगतान को जारी करने के लिए (10/15 प्रतिशत) विनियंत्रित उर्वरकों की छूट के लिए उत्पादकता/आयातक यूनिट से प्रोफार्मा 'ए' आन अकाउन्ट दावों, प्राप्त की होनी की तारीख से 90 दिन के अन्दर प्रोफार्मा 'बी' में बिक्री सत्यापन प्रमाणपत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करना था। सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी से प्रोफार्मा 'बी' 5 महीने में प्राप्त न होने के मामले में, उर्वरक विभाग द्वारा मामले को राज्य सरकार/यूटी की नजर में लाया जायेगा। यदि बकाया प्रोफार्मा 'बी' उत्पादक/आयातक से 'आन एकाउन्ट दावें के' प्राप्त होने की तारीख के 180 दिनों तक प्राप्त नही होता है तो वह छूट के बकाया खाते के भुगतान जो उसी महीने में प्राप्त किये थे की 100 प्रतिशत के बराबर की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जून 2007 में इस प्रक्रिया को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया गया था इस प्रकार छूट के दावों के बकाया 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत 'आन एकाउन्ट दावें उत्पन्न होने के 30 दिनों की समाप्ति के बाद भुगतान के लिए विचार किये जा सकेगें। जहॉ पर यदि बिक्री प्रोफार्मा 'बी' में सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सत्यापित कर दी गयी हो। फिर भी, इस छूट के बावजूद भी राज्य सरकार को सामंजस्य के लिए प्रोफार्मा 'बी' में बिक्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। उर्वरक विभाग ने जुलाई, सितम्बर और नवम्बर 2008 में आदेश जारी किये थे कि प्रोफार्मा 'बी' की आवश्यता को अभी खत्म नही किया गया और इसकी आवश्यकता छूट के भुगतान जो पहले हो चुके है, उनके मिलान, वास्तविक बिक्री जोकि राज्य/यूटी सरकार द्वारा सत्यापित है, उनमें होगी।

हमारे विचार से राज्य सरकार द्वारा प्रमाणपत्र प्रोफार्मा 'बी' की आवश्यकता कृषि प्रयोगों हेतु विनियंत्रित उर्वरको की बिक्री (प्रमाणन प्रक्रिया की कमियों के बावजूद) ही केवल बड़ा नियंत्रण उर्वरकों के अन्तः प्रयोग के ऊपर है। सम्बन्ध प्रमाणपत्र बकाया भुगतान देने के साथ 10/15 प्रतिशत (असमायोजित छूट के लिए 100 प्रतिशत बैंक गारन्टी की दंड धारा) प्रोफार्मा बी को समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणादायक/गैर प्रेरणादायक सही है। इसके साथ ही जून 2007 से इस प्रकार के अनुबंध को हटाये जाने के साथ कृषि प्रयोजनों के लिए विनियंत्रित उर्वरकों के अन्तः प्रयोग, समर्थ अधिकारी(अर्थात् राज्य सरकार) द्वारा सत्यापन को सुनिश्चित किये जाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं रहा।

वर्ष 2003–10 के दौरान वार्षिक बकाया प्रोफार्मा 'बी' का विस्तृत विवरण जोकि उर्वरक विभाग द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित है।

तालिका6.1 – वर्षवार बकाया प्रोफार्मा 'बी' का विस्तृत विवरण

वर्ष	राशि (करोड़ रूपये में)
2003-04	22.64
2004-05	63.08
2005-06	3.64
2006-07	21.52
2007-08	8400.44
2008-09	29654.64
2009-10	12532.14
टोटल	50698.10

इससे यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल राशि 111 करोड़ के, जबकि वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक 50,587 करोड़ रूपये की राशि के प्रोफार्मा 'बी' बकाया थे।

6.3 उर्वरकों की बिक्री/स्टॉक का सत्यापन न होना

बहुत से राज्यों में कृषि के प्रयोग हेतु बिक्री का सत्यापन (जोकि राज्य सहायता के अन्तः प्रयोग हेतु सही प्रयोग का विश्वास दिलाती है) प्रणाली प्रयुक्त नही थीं या अपूर्ण थी, जबकि स्टाक व पहले पांइट की बिक्री के बाद और बहुत सारे मामलो में प्राप्ति व इनवाइसों के भौतिक सत्यापन भी नही किये गये थे।

राज्य विशेष निष्कर्षों का विस्त्रृत विवरण निम्न प्रकार हैं।

तालिका6.2 - राज्यवार उर्वरकों की बिक्री/स्टाक का सत्यापन न होना

क्र. सं.	राज्य का नाम	निष्कर्ष का विवरण
1.	बिहार	• चार चयनित जिलों में बिक्री का सत्यापन कभी नही किया गया • बफर का स्टॉक रजिस्टरों में जो मात्रा दिखाई गई थी उसके अनुसार बिल सत्यापित कर प्रमाणित कर दिया गया। इस तरह स्टाक का कोई भौतिक सत्यापन नही हुआ था। • प्रथम बिन्दु के बाद की बिक्री के सत्यापन हेतु दी गई प्रक्रिया किसानों के स्तर तक पालन नही की गयी। • दूसरे जिलो में उर्वरक जोरेक पाइंट से कुल बिक्री से प्राप्त हुई उनका भी सत्यापन नही हुआ था।
2.	छत्तीसगढ़	• बिक्रेता की बिलवुक और स्टाक रजिस्टर की प्रविष्टियों के अनुसार सत्यापन कर दिया गया जो कि डीडीएएस द्वारा डीए को सूचित किया गया इस प्रकार स्टाक का भौतिक सत्यापन नही किया गया था, न तो प्रथम पांइट से किसान स्तर तक बिक्री के सत्यापन हेतु कोई प्रक्रिया थी और न वर्तमान में जिस पार्टी को बिक्री की गई उसकी सत्यता के लिए कोई जॉच प्रणाली थी। • राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित मार्कफेड को बेची गई मात्रा जिला मार्केटिंग

क्र. सं.	राज्य का नाम	निष्कर्ष का विवरण
		आफीसर (डीएमओ) द्वारा प्रमाणपत्र की प्राप्ति के आधार पर
3.	गुजरात	• राज्य में फर्स्टपाइंट बिक्री–यूनिट से प्रोफार्मा 'ए' की कापी प्राप्त होने पर कृषि निदेशक 20 प्रतिशत वेतरतीव बिक्री चयनित जिले के कृषि उप निदेशक को डीलर द्वारा दी गई प्राप्ति को सत्यापन हेतु भेजता हैं। फिर भी ब्लाक कृषि अधिकारी उत्पादक से प्राप्त विवरण पर केवल हस्ताक्षर करता है। बिक्री इन्वाइस, डिलीवरी चालान, स्टाक का भौतिक सत्यापन आदि ब्लाक के कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापित नही किये गये थे। जैसा कि राज्य सरकार ने वितरण चालान जीएसएफसी, जीएनएफसी, इफ्को और कृभको को प्रस्तुत करने की छूट दे दी जो कि राज्य में मुख्य उत्पादक थे। • इसके बाद, की बिक्री का सत्यापन (फर्स्ट पाइन्ट बिक्री के बाद) किसान स्तर तक नही किया गया था। • राज्य कृषि अधिकारी, उत्पादक से प्राप्त विवरण पर केवल हस्ताक्षर करता था। बिक्री इन्वाइस, वितरण चालान, स्टाक का भौतिक सत्यापन आदि सत्यापित नहीं हुये थे। ऐफीडेविट/सामान प्राप्त करने का प्रमाणपत्र फर्स्ट पाइन्ट डीलर से प्राप्त किया गया था।
4.	हिमाचल प्रदेश	• उर्वरको के उत्पादक और वितरकों के राज सहायता के बिल उर्वरकों के प्राप्त होने के आधार पर; हिमफेड के फर्स्ट पांइट द्वारा और इफको के कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य द्वारा सत्यापित होने पर सत्यापित किये गये थे और उर्वरकों की प्राप्ति/स्टॉक दर्ज के भौतिक सत्यापन के आधार पर नही किये गये थे। • कांगडा ब्लाक में, रिकार्ड की परख जांच में पाया कि इफको की सोसाइटी के छः में चार सदस्यों न पाया कि उर्वरक की मात्रा जो इफको द्वारा बिक्री की गई/दिखाई गयी वह सोसाइटी के स्थान/स्टोर नही पहुँची थी, वैसे भी उनके स्ंटाक और दी गई/बिक्री इन्द्राज को उनके रिकार्ड जैसे रजिस्टर्स/लेजर्स से सत्यापित नही कर सके।
5.	जम्मू एवं काश्मीर	• केवल फर्स्ट पाइंट बिक्री की ही ऐजेन्सी द्वारा जारी किया गया उठान प्रमाणपत्र के अनुसार सत्यापन किया जा रहा था जम्मू एवं काश्मीर कोआपरेटिव एवं मार्केटिंग फेडरेशन (जेकफेड़), एग्रो इन्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. (एआइडीसीएल) एवं कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज (सीएमएस)
6.	झारखंड	• फर्स्ट स्टाकिंग पाइंट बिक्री के बाद से अन्तः प्रयोक्त तक जैसे–किसान, सत्यापन की कोई प्रक्रिया नही थी। • प्रोफार्म 'ए' के विवरण और डीलर्स के स्टाक रजिस्टर्स के आधार पर सत्यापन किया गया था।
7.	कर्नाटका	• कुछ चयनित जिलों में कुछ समय की परख जॉच में पाया कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन नही किया जा रहा था।
8.	मध्य प्रदेश	• यह ध्यान में लाया गया कि सही किसानों को की गयी बिक्री की प्रमाणिकता सत्यापन हेतु कोई प्रक्रिया नही थीं इन्दोर को छोड़कर परख जॉच जिलों में

क्र. सं.	राज्य का नाम	निष्कर्ष का विवरण
		स्टॉक का भौतिक सत्यापन नही किया जा रहा था।
9.	महाराष्ट्र	• कुछ लोट्स का अमरावती, लाटूर, उस्मानावाद और पूणे में एडीओएस के द्वारा स्टॉक का सत्यापन नही किया जा रहा था जिससे अन्ततः डीडीएफ को रिपोर्ट प्रस्तुत नही करना था। यह पाया गया कि सीओए द्वारा जारी परिपत्र का उल्लंघन कर डीडीएफ ने प्रोफर्मा 'बी' में बकाया राज सहायता के, बिना पूर्ति किये सत्यापित किये, जिसे डीओएफ को देने को प्रस्तावित था। • एडीओएस ने उत्तर में कहा कि उत्पादकता द्वारा समय पर इनवायस न देने के कारण और अधिक काम की वजह से स्टाक का 20 प्रतिशत भौतिक सत्यापन नही हो सका।
10.	मणिपुर	• विनियंत्रित उर्वरकों के लिए, डीलर से ऐफीटेविट के आधार पर प्रोफार्मा 'बी' फर्स्टपाइन्ट सेल के लिए सत्यापित किया गया था। यूरिया के लिए डीलरों से डिलीवरी चालान प्राप्त कर सत्यापन किया गया था। फिर भी राज्य सरकार ने किसानों के स्तर की फर्स्ट पाइन्ट सेल की बाद की बिक्री के सत्यापन हेतु कोई प्रक्रिया नही अपनाई थी। और न स्टाक का भौतिक सत्यापन कराया था।
11.	मेघालयं	• विनियंत्रित उर्वरकों का मासिक बिक्री का सत्यापन मेकोफेड द्वारा दिये गये बिक्री के प्रमाणपत्र और सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी द्वारा दिये गये थोकविक्रेता की खरीद प्रमाणपत्र के आधार पर किया गया था। • बिक्री के सत्यापन हेतु कोई प्रक्रिया, फर्स्ट सेल पाइन्ट के बाद किसानों के स्तर तक (सही किसानों को बिक्री की प्रामणिकता को सही प्रामाणित करने के लिए) अस्तित्व में नही थी।
12.	नागालैण्ड	• प्रक्रिया जैसे राज सहायता के दावों को भेजने में पहले बिक्री का स्वतंत्र सत्यापन जैसे बिक्री इन्वाइस की प्रतिलपि प्राप्त करके, डिलीवरी चालान, सेल्स टैक्स अदायगी रिसीट, स्टाक रजिस्टर, स्टाक का भौतिक सत्यापन आदि, को प्राप्त कर, विभाग द्वारा नही किया गया था।
13.	उड़ीसा	• जूनियर क्वालिटी कन्ट्रोल इन्सपेक्टर/उप कृषि अधिकारी द्वारा क्षेत्र जॉच के दौरान बिक्री एवं प्राप्ति का सत्यापन एवं डीलर्स द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दिये गये प्रमाण पत्र द्वारा किया गया था लेकिन न कोई अलग से सत्यापन रिपोर्ट रखी गयी थी और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गयी थी।
14.	पंजाब	• चार में से तीन चयनित जिलो में स्टॉक की सावधिक जॉच कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा नही की गयी थी (भटिन्डा, फरीदकोट और लुधियाना) जोकि तकनीकी फील्ड स्टाफ की कमी को दर्शाता था। • बिक्री का सत्यापन ऐफीडेविट और बिक्री इन्वाइस, डिलीवरी चालान आदि के आधार पर किया गया था।
15.	राजस्थान	• फर्स्टपाइन्ट बिक्री का सत्यापन, स्टॉक रजिस्टर, कम्पनी के बिल्स और दूसरे रिकार्डस के आधार पर किया जा रहा था। इस प्रकार फर्स्टपाइन्ट बिक्री के बाद किसानों के स्तर तक की बिक्री हेतु सत्यापन की कोई प्रक्रिया नही बनायी गयी थी।

क्र. सं.	राज्य का नाम	निष्कर्ष का विवरण
16.	तमिलनाडू	• ब्लाक अधिकारियों द्वारा स्टाक का भौतिक सत्यापन नही किया गया था कुछ मामलों में फर्स्ट स्टाक पाइन्ट से रिटेलर को स्टाक भेजा गया और वह उतारा भी नही गया और उसकी इन्वाइस बाद में भेजी गयी। इस प्रकार, यदि आपूर्ति का विवरण उसी दिन प्राप्त हो गये थे फिर भी भौतिक सत्यापन नही किये गये, जबकि फर्स्ट पाइन्ट स्टाक के बाद का सत्यापन भी ब्लाक अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा था।
17.	त्रिपुरा	• प्रोफार्म 'बी' स्टॉक इन्द्राज प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित कर भारत सरकार को भेजा जा रहा था। इस कारण भंडारण के निरीक्षण अधिकारिओं द्वारा वास्तविक सत्यापन करने का प्रमाण जानकारी में नही आया।
18.	उत्तर प्रदेश	• वर्ष 2008–09 में चार परख जॉच जिलों नामतः अलीगढ़, बुलन्दशहर, लखीमपुर खीरी और वाराणसी में भौतिक सत्यापन नही किया गया था। जबकि बचे तीन जिलों में नामतः बारावंकी, गोरखपुर और मुरादाबाद में स्टाक के भौतिक सत्यापन केवल छापा एवं उर्वरक के नमूने लेते समय किये गये थे।
19.	उत्तराखंड	• फर्स्ट पाइंट सेल के बाद की बिक्री के सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया नही थी।
20.	पश्चिम बंगाल	• किसी भी स्तर पर भौतिक सत्यापन की कोई प्रक्रिया नही थी।

ऊपर दिये गये राज्य वार निष्कर्षों से यह पाया गया कि जिला स्तर पर उर्वरकों की प्राप्ति के आधार पर राजसहायता और मालभाड़ा सहायता ब्लाक स्तर पर दी गई। जबकि जिला, ब्लाक एवं ग्राहक स्तर की प्राप्ति की प्रमाणिकता की भौतिक सत्यापन हेतु राज्य स्तर पर कोई प्रक्रिया नही थी।

अनुशंसा–3

उर्वरक निर्माताओं के लिए संभव असुविधा होते हुए भी, प्रमाणीकरण का प्रोफार्मा 'बी' में रसीद राज्य सरकार द्वारा विनियंत्रित उर्वरक के कृषि विक्रय की राज सहायता के 10–15 प्रतिशत बनाये रखने की पुरानी प्रणाली के लिए विचार किया जाना चाहिए। फिर भी, उर्वरक विभाग की विस्तृत प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु बिक्री का सत्यापन करने के लिए (ब्लाक एवं उपभोक्ता स्तर पर रसीद का सत्यापन सहित) फर्स्ट पाइन्ट बिक्री के बाद की बिक्री और भंडारन के भौतिक सत्यापन हेतु बनानी चाहिए। उर्वरक विभाग, यूरिया के लिए भी इसी के समान विनयामक तंत्र बनाये बावजूद नियंत्रित उर्वरक होते हुए भी।

6.4 उर्वरको की बिक्री के लिए लाइसेन्स और अन्य व्यवस्थाओं में कमियॉ

उर्वरकों की बिक्री के लिए लाइसेन्स और अन्य व्यवस्थाओं के लिए राज्य विशिष्ट कमियॉ नीचे दी गई है।

तालिका 6.3 -–लाइसेन्स और अन्य व्यवस्थाओं में राज्य विशिष्ट कमियॉ

क्र.सं.	राज्य	कमियॉ
1.	आसाम	• राज्य कृषि विभाग से बिना लाइसेन्स के खुदरा डीलर्स उर्वरक का कारोबार कर रहे थे। जबकि चार लाइसेन्स की कापी लेखापरीक्षा को नही दे सके।
2.	छत्तीसगढ़	• चार चयनित जिलो में सभी 588 को आपरेटिव सासाइटीज (दुर्ग–182, रायपुर–206, सरगुजा 64 और विलासपुर 136) बिना उपयुक्त अधिकारी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के उर्वरक खुदरा कारोबार कर रहे थे जो कि एफ सी ओ के कानून के विरूद्ध था।
3.	जम्मू एवं काश्मीर	• जम्मू काश्मीर कोआपरेटिव आपूर्ति एवं मार्केटिंग फेडरेशन राज्य में मुख्य उठाने वाली संस्था थी उस पर भी प्राधिकृत लाइसेन्स नही था। लेखापरीक्षा द्वारा (अक्टूबर–2009) में इस गलती का बताने के बाद नवम्बर–2009 में इस तरह के कारोवार करने के लिए फेडरेशन को लाइसेन्स दिया गया था। • एफ सी ओ 1985 के अन्तर्गत प्रस्तावित उपयुक्त लाइसेन्स अधिकतर को–आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज और कुछ प्राइवेट डीलर्स जोकि उर्वरक बिक्री का कार्य कर रहे थे, के पास नही था। कुछ मामलों में यह पाया गया कि सोसाइटीज/डीलर्स जिनके पास खुदरा उर्वरक बेचने का लाइसेन्स था परन्तु वह थोकबिक्री का काम कर रहे थे। • उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत 35(1)(ए) उपधारा के फार्म 'एन' में स्टाक रजिस्टर रखा जाना था परन्तु यह डीलर्स नही बना रहे थे। • डीलर्स के पास उर्वरक खरीदने के समर्थन में खरीद बिल्स मौजूद नहीं थे (जो डीलर्स उठान का कार्य कर रहे थे उनको छोड़कर) कुछ मामलों में डीलर्स के पास केवल सामान की मात्रा को दर्शाने वाले चालान थे।
4.	उड़ीसा	• चार कोआपरेटिव सोसाइटीज (झारसुगुडा–3 और अगलपुर–1) और अगलपुर ब्लाक के बोलनगीर में एक डीलर उर्वरक बिक्री का कार्य बिना एफ सी ओ के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के, कीटनाशक कोआपरेटिव लाइसेन्स के आधार पर कर रहा था।
5.	केरला	• मीडिया व अखबारों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि दूसरे राज्यो में अवैध रूप से वार्डर के वाहर उर्वरक भेजा जा रहा है। फिर भी अक्टूबर–2009 तक इस प्रकार की कोई रिपोर्ट निदेशालय में जिलों की कार्यवाही हेतु नही आयी थी।

क्र.सं.	राज्य	कमियाँ
6.	मणिपुर	• सबडिवीजन पुलिस आफीसर–चन्देल ने चन्देल जिले के मोलनोम गॉव में एफ आई आर नः 20(10)2008 के अन्तर्गत (अक्टूबर–2008) में 93.50 मे. ट. उर्वरक (यूरिया 61.50 मे.ट., पुटास 2 मे.ट.) रू. 4.40 लाख कीमत की पकड़ी थी जो कि मायमार से तस्करी करके लायी गयी थी।
7.	पश्चिम बंगाल	• जनवरी से सितम्बर 2008 के दौरान बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बी एस एफ) ने 548.331 मे.ट., रू. 177.89 लाख कीमत की उर्वरक पकड़ी थी। • बार्डर एरियाओ में डीलर्स के लिए लाइसेन्स जारी करने के लिए कोई प्रतिबंध नही था (उर्वरक और अनाज प्राप्त करने और बेचने के लिए बार्डर एरिया में कुछ डीलरों के लिए 740 लाइसेन्स जारी किये गये थे) कुछ मामलों में, एक ही परिवार के 4 से 5 सदस्यों (पत्नी, पुत्र पुत्री आदि के नाम) को डीलर लाइसेन्स जारी किये हुए थे। इस प्रकार, बहुत सारे लाइसेन्स और बार्डर एरिया में माल की असन्तुलित आवक से तस्करी को (उर्वरक सहित) बार्डर के आसपास, बढ़ावा मिल रहा था बार्डर एरिया में डीलर्स की कार्यप्रणाली के लिए विभाग द्वारा कोई अनुवीक्षण प्रणाली उर्वरक की तस्करी रोकने हेतु नही बनाई गयी थी।

6.5 वर्ष 2008–09 के दौरान, आई पी एल द्वारा की गयी आपूर्ति में कमियां

आई पी एलद्वारा आयात की गई डी ए पी के लिए छूट के भुगतान सम्बन्धी दस्तावेजों की जॉच में वर्ष 2008–09 में पाया गया कि बहुत से राज्यों में दावों के अनुसार मात्रा 0.42 मी.ट. (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) थी। इस प्रकार एफ एम एस के आंकड़ों से प्राप्त हुई मात्रा केवल 28.78 लाख मी.ट. थी, 1.64.लाख मी.ट. की अस्पष्ट कमी को छोड़कर, जिसमें कि आई पी एल को छूट का भुगतान के 762 करोड़ रूपये शामिल थे। वर्ष 2008–09 के दौरान डी ए पी बहुत ही अधिक मूल्य पर आयात की गयी थी, वास्तविक प्राप्ति एवं दावा की गयी मात्रा में अन्तर बहुत ही गम्भीर था जिसमें कि बहुत ही करीब से जॉच करने की आवश्यकता थी।

6.6 आयात पर राज सहायता

6.6.1 वर्ष 2007–08 आई पी एल द्वारा आयात की गयी डी ए पी में अनियमिततायें

डी ए पी का भारत में कमउत्पादन तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा कम आयात करने की वजह से, सचिव स्तर की कमेटी ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 2007–08 में 17.5 लाख मी.ट. डी ए पी आयात की जाये। यूरिया का आयात सरकार के खाते से केनेलाइजिंग ऐजेन्सी के द्वारा/राज्य व्यापार उपक्रम (जैसे इन्डियन पोटास लिमिटेड (आई पी एल), मिनरल और मेटल्स ट्रेडिग कारपोरेशन लिमिटेड (एम एम टी सी) और राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया था।

उर्वरक विभाग ने जून 2007 में आई पी एल को डी ए पी की कुल आवश्यकता अनुसार आयात करने के लिए निम्नलिखित आदेशों के अनुसार प्राधिकृत किया था।

- आई पी एल इस डी ए पी की बिक्री पर छूट का दावा करने के लिए, जब भी उस समय छूट दर होगी का पात्र होगा। एस टी ई एस से और जैसा भी मामलों हों छूट देय और बेची गयी मात्रा के भुगतान पर मेट्रिक टन से दिया जायेगा/वसूल होगा।

- आई पी एल द्वारा आयात की गयी मात्रा से डी ए पी की जल्दी बिक्री प्राथमिकता के आधार पर करेगा। जिससे अस्थायी रियायतों की बकाया राशि को कम किया जा सके।

- आई पी एल बिक्री एवं अन्तः शेष का अलग से खाते रखेगा और उन्हें विवरण के साथ उर्वरक विभाग में निदेशक (मूवमेन्ट) और निदेशक (लेखा) को माहावार प्रस्तुत करने होगें।

आई पी एल ने जून 2007 से फरवरी 2008 के दौरान 17.58 मी.ट. डी ए पी 43 शिप द्वारा आयात की थी जिसके लिए 1652 करोड़ रूपये, कारगों की कीमत का 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया गया था। जिसकी लेखापरीक्षा जॉच में निम्न पाया गया

- मार्च 2010 को आई पी एल आयातित डी ए पी का माहवार बिक्री खाता प्रस्तुत करने में असफल रही, माहावार बिक्री खाता प्रस्तुत न करने की बजह से लेखापरीक्षा यह नहीं जान सका कि आई पी एल ने उर्वरक आयातित स्टाक जो कि सरकार के विशेष आदेशों द्वारा मंगाई गयी थी और अपनी आयातित स्टाक से बेची थी। इसके बाद, बिक्री/प्राप्ति के माहावार खाते भी नही भेजे बावजूद आई पी एल ने वर्ष 2007–08 में रू. 4233.43 करोड़ छूट का और अग्रिम भुगतान रू. 1652 करोड़ का भुगतान माहावार दावों द्वारा प्राप्त कर लिया जो अभी तक असमायोजित रहे।

- आईपी एल माहावार बिक्री खाता प्रस्तुत करने में असफल रहा, फिर भी अग्रिम भुगतान का 1652 करोड़ रूपया अक्टूबर 2008 में एक मुस्त बसूल कर लिया था। उर्वरक विभाग ने अग्रिम भुगतान रू. 1652 करोड़ रूपये पर ब्याज/दंडब्याज नही लगाया जोकि रू. 187.87 करोड बनता है।

- आयातित डी ए पी के लिए छूट की माहावार दर निर्धारण करने वाली कार्यप्रणाली ने 105 दिन का जमा लागत एवं भाड़ा कीमत (सी एन्ड एफ) का भत्ता उपलब्ध कराया। लेकिन अग्रिम भुगतान उर्वरक विभाग द्वारा आई पी एल को डी ए पी आयात करने के लिए सरकार के आदेशानुसार किया था। छूट की दर निर्धारित करने के लिए क्रेडिट एलाउन्स को शामिल करना अनुचित था और परिणामतः रू. 42.82 करोड़ अधिक राज सहायता का भुगतान हुआ।

- उर्वरक विभाग ने सरकारी खाते से प्रत्येक शिपमेन्ट के लिए आयातित डी ए पी के लिए कोई दिशानिर्देश/आवाजाही योजना नही बनाई थी। इस तरह की आवाजाही योजना न होने की वजह से लेखापरीक्षा यह निश्चित नही कर सका कि डी ए पी की कमी वाले जिला/राज्यों को आयातित डी ए पी वास्तव में भेजी गई/बेची गयी और यह भी सुनिश्चित नही किया जा सका कि डी ए पी समय पर उपलब्ध करायी गयी थी।

- आवश्यक दस्तावेजों जोकि कारगो के भुगतान के दावों के साथ प्रस्तुत करने थे जैसे मूल अनुबंध की कापी, बिल आफ लेडिंग की कापी, शिपिंग दस्तावेज, जहाजरानी मंत्रालय के चार्टड विंग से माफी प्रमाण पत्र, जहाजरानी मंत्रालय के मूल लेटर आफ क्रेडिट की कापी, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिए गये नमूने और उनकी विश्लेषण रिपोर्ट, वाणिज्यिक इनवाइस की दो कापियॉ और लोड पोर्ट पर जारी की गयी मसौदा सर्वे रिपोर्ट, 43 शिपमेन्ट में से 29 मामलों में उपलब्ध नही थी। इस प्रकार यह सही दस्तावेजों की अपर्याप्ता को उजागर करता है।

- 43 शिपमेन्ट में से एक शिपमेन्ट में जो मात्रा दिखाई गयी, (वेला–बिल आफ लेन्डिग नम्बर एम आई आई सी 2007029), बिल आफ लेन्डिग में 62039.021 मी.ट. थी जबकि बिक्रेता के वाणिज्यिक इनवाइस में 52039.021 मी.ट. कम मात्रा दिखाई गयी थी जबकि भुगतान 52039.021मी.ट. का किया गया था, यह 10,000मी.ट. के अन्तर का कारण सुनिश्चित नही कर सके।

6.6.2 वर्ष 2008–09 और 2009–10 के दौरान आई पी एल द्वारा आयातित यूरिया में अधिक भुगतान

2008–09 और 2009–10 (दिसम्बर–2009 तक) के दौरान, उर्वरक विभाग ने आई पी एल को 18.08 लाख मी.ट. और 13.17 लाख मी.ट. क्रमशः यूरिया की मूल्यांकित मांग और अनुमानित उपलब्धता के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए आयात करने के लिए प्राधिकृत किया था। आई पी एल ने दिसम्बर 2008 में एक अनुबंध एक भारतीय कम्पनी इन्डो–फ्रेन्चेइस डी–कामर्स प्रा.लि. (सी आई एफ सी) नई दिल्ली के साथ किया।

एक विशेष शर्त के साथ भारतीय रूपयों में ऋण पत्र खोलने के लिए खरीददारी दायित्व केवल क्रेडिट पत्र के भारतीय रूपये मूल्य के लिए प्रतिबंधित था। आई पी एल ने (जनवरी–2008) 98 प्रतिशत के मूल्य के कारगो क्रेडिट पत्र खोलने की तारीख से प्रभारी विनियम दर के आधार पर दावा किया और आई पी एल द्वारा बकाया दो प्रतिशत का दावा अन्तिम भुगतान की तारीख से प्रभारी विनयम दर से लगा कर प्रस्तुत किया था।

दस्तावेजों के अनुसार आई पी एल ने कारगो के मूल्य का भुगतान सी आई एफ सी को भारतीय मुद्रा में किया (एक भारतीय कम्पनी) इस प्रकार लेखापरीक्षा ने पाया कि उर्वरक विभाग ने आई पी एल को रू. 190.50 करोड़ (100 प्रतिशत कारगों का मूल्य+अन्य खर्चे) का भुगतान 140261.288 मे.ट. आयातित यूरिया की आपूर्ति के लिये किया। इसमें रू. 3.00 करोड़ विनियम दर के अन्तर का शामिल था। यह रू. 3.00 करोड़ का भुगतान स्वीकार नही था, क्योंकि आई पी एल ने सभी भुगतान सी आई एफ सी को भारतीय मुद्रा में भारत में ही किये थे और सभी भुगतानों को एल सी के भुगतान रू. 187.50 करोड़ से सीमित करना था।

उर्वरक विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि सभी भुगतान प्राधिकृत अधिकारिओं के अनुमोदन के पश्चात ही किये गये थे। इस तरह से उत्तर उक्त मामले पर विनियमय दर का दिया जाना ठीक नही था क्योंकि अन्तर का भुगतान भारतीय मुद्रा में ही किया गया था।

6.6.3 आयातित डी ए पी और एम ओ पी पर छूट की दर को तय करना

लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया था कि जब एम ओ पी की मूल दर तय और अप्रैल से सितम्बर 2007 के दौरान आयातित डी ए पी और एम ओ पी छूट की माहावार अन्तिम दर तय करते समय, सीमा शुल्क का मूल्य एवं भाडे मूल्य पर (सी एन्ड एफ) नगद आधार के बजाय आधार पर गलत गणना की गयी थी। इसके परिणामतयः अधिक छूट दर (पर मी.ट.) डी ए पी अन्तिम दर रू. 12 से 15, एम ओ पी पर रू. 9 से 11 (अन्तिम दर) और एम ओ पी (मूलदर)रू. 4 थी। इस प्रकार सीमा शुल्क की गलत गणना से परिणामतः अधिक छूट का भुगतान रू. 4.18 करोड़ (डी ए पी रू. 2.05 करोड़ और एम ओ पी रू. 2. 13 करोड़) का हुआ।

6.6.4 आई पी एल द्वारा आयात किये गये यूरिया के लिए आपूर्ति योजना का न होना

लेखापरीक्षा को दिये गये आयातित यूरिया के आंकड़ो की जॉच में पाया कि जुलाई 2008 से जनवरी 2009 के दौरान आई पी एल ने 18 लाख में टन यूरिया सरकारी खाते से यू एस डालर 247 मे.ट. (रू. 11704 मी.ट.) और यू एस डालर 850 मी.ट.(रू. 41663 मे.ट.) की दर के बीच खरीद की थी जिसका भुगतान उर्वरक विभाग ने रू. 4487 करोड़ आई पी एल को किया था। इस प्रकार एफ एम एस के आंकड़े यह बतलाते है कि आई पी एल द्वारा आयातित की गई मात्रा के लिए कोई आपूर्ति योजना नही थी।

6.6.5 उर्वरक विभाग और आई पी एल द्वारा आयातित यूरिया के दस्तावेज प्रस्तुत न करना

- वर्ष 2005–06 से 2008–09 के दौरान सरकारी खाते से आयात की गयी 193.71 लाख मी.ट. यूरिया से सम्बन्धित दस्तावेज उर्वरक विभाग से मागे गये थे लेकिन उन्होने लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किये। इसी प्रकार वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान सरकारी खाते से आई पी एल द्वारा आयात की गयी 40.70 लाख मी.ट. यूरिया के भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किये गये।
- वर्ष 2007–08 के दौरान सरकारी आदेश पर 17.58 लाख मी.ट. डी ए पी के आयात से सम्बन्धित विस्तृत विवरणी आई पी एल द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीकी गयी थी।

6.7 राज सहायता प्राप्त उर्वरकों का मिश्रण इकाइयों द्वारा उपभोग

6.7.1 राज सहायता प्राप्त उर्वरकों को मिश्रण इकाओं द्वारा उपभोग किया जाना

बहुत से राज्यों में उर्वरकों के उपभोग की बढ़ती हुई प्रवृति देखी गयी, क्योंकि मिश्रण उर्वरकों को बनाने के लिए मिश्रण इकाइयों द्वारा राज सहायता प्राप्त उर्वरकों का प्रयोग (यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी आदि) द्वारा किया जा रहा था, जिससे बहुत तरह की कठिनाइयॉं सामने आयी।

- राज सहायता कड़ी– टूट गई– भारत सरकार द्वारा राज सहायता प्राप्त उर्वरक और उन्हें निर्धारित अधिकतम मूल्य पर बेचा और मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग किया जिसका मूल्य साधारणतः अधिक था और यह लाइसेन्स और विनियमन/आत्म नियमन के स्तर पर थे। यदि कोई राज्य से राज्य में अन्तर हो।
- साधारण किसानों के खर्चे पर इन मानक उर्वरकों को मिश्रण इकाइयों द्वारा प्रयोग किया गया जिन मानक उर्वरकों की कम उपलब्धि अधिक मूल्य पर थी। यहबिल्कूल सत्य था कि डी ए पी/एम ओ पी जिनका बाजार मूल्य आकाश को छू रहा था और उनकी कमी अलग–2 राज्यों में आ रही थी।
- गुणवत्ता पर नियंत्रण (नमूना की सार्वधिक जॉच सहित) बहुत की कम था और भोले भाले किसानों को खराब गुणवत्ता वाले उर्वरक मिश्रणों के जोखिम से सामना करना पडा जिससे फसल की पैदावार पर सोची गयी प्रगति नही मिली।
- राज सहायता प्राप्त उर्वरकों का मिश्रण इकाइयों द्वारा उपभोग राज्य विशेष निष्कर्ष का सार निम्न प्रकार है, जबकि उनकी विस्तृत जानकारी राज्य विशेष अध्याय में दी गयी है।

6.7.2 केरला

केरला में 74 मिश्रण इकाइयाँ है। दूसरे जिलों की अपेक्षा दो परख जॉच किये जिलों जैसे कोट्टायम और पलक्कड़ में यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी का उपभोग अधिक था क्योंकि यह उर्वरक मिश्रण इकाइयों द्वारा प्रयोग किये जा रहे है थे। पलक्कड में अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 के दौरान कुल बिक्री की गयी यूरिया 4964.65 मे.ट., 181.15 मी.ट. डी ए पी और 1874.35 मी.ट. एम ओ पी में से 2200 मी.ट. यूरिया (44 प्रतिशत) 181.15 मी.ट. (100 प्रतिशत) डी ए पी और 650 मी.ट. (35 प्रतिशत) एम ओ पी क्रमशः मिश्रण इकाइयों द्वारा खरीदी गयी थी।

राज्य में मिश्रण इकाइयों के संगठन द्वारा तय किया गया अधिकतम खुदरा मूल्य भारत सरकार के तय मूल्य से बहुत ज्यादा था जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

तालिका 6.4 - केरला में उर्वरक मिश्रणों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य

भारत सरकार द्वारा तय उर्वरक मिश्रणों का अधिकतम खुदरा मूल्य		मिश्रण इकाइयों द्वारा तय उर्वरक मिश्रणों का अधिकतम खुदरा मूल्य		
उत्पाद	मूल्य रूपये में	उत्पाद	अगस्त–2008 से प्रभावी मूल्य रूपये में	अक्टूबर–2008 से प्रभावी मूल्य रूपये में
20:20:0:13	6295	18:18:(18):18	9800	**9800**
15:15:15:0	5121	20:0:10	6060	**5785**
17:17:17:0	5804	12:12:6	8300	**6910**
19:19:19:0	6487	10:10:4	7480	**6300**
		12:12:12	8700	**7588**
		10:10:10	7860	**6690**
		15:10:6	**8040**	**6925**

स्त्रोतः– कृषि निदेशालय

फिर से गुणवत्ता जॉच में यह पाया गया कि अनुचित मानको के अकार्वनिक उर्वरक में से 92 प्रतिशत मिश्रण थे। इस प्रकार मिश्रण इकाईयॉ राज सहायता प्राप्त उर्वरकों का उपभोग कर रही थी और खराब गुणवत्ता वाले मिश्रण, अधिक मूल्य पर किसानों को बेच रही थीं।

6.7.3 मध्य प्रदेश

परख जॉच किये गये भोपाल जिले में मिश्रण इकाई मालिक, कम्पनियों और डीलरों से जो एन पी के मिश्रण बनाते है बड़ी मात्रा में मानक उर्वरक (यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी, एस एस पी) खरीद रहे थे। किसानों के सर्वेक्षण में पाया गया कि मानक उर्वरकों जैसे यूरिया, डी ए पी एम ओ पी आदि की मांग थी और न कि स्थानीय स्तर पर बनाये गये मिश्रणों की। इस प्रकार मानक उर्वरकों का उपभोग मिश्रण बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किये जाने से उर्वरकों की कमी और काला बाजारी को प्रोत्साहित कर रही थी।

पिछले तीन साल में एक मिश्रण इकाई द्वारा खरीदी गई उर्वरक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

तालिका 6.5 – मध्य प्रदेश मे एक मिश्रण इकाई द्वारा खरीदी गयी उर्वरक

मिश्रण इकाई का नाम	वर्ष	खरीदी गई मात्रा मी.ट.में
ए पी इन्डिया वायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, दीवान गंज, रायसेन	2007-08	5138.84
	2008-09	5658.76
	31.10.09तक	948.65

यह भी पाया गया कि भोपाल में एक प्राइवेट डीलर राज सहायता प्राप्त उर्वरक को शराव निर्माता को बेच रहा था जोकि किसान नही था बल्कि वह वीयर और शीतल पेय निर्माता था। जब यह मामला कृषि निदेशालय भोपाल के सामने लाया गया तो उसने कहा कि यूरिया के बिलों का सत्यापन नही किया गया था।

6.8 तमिलनाडू

तमिलनाडू में 156 भौतिक और 7 दानेदार उर्वरक मिश्रण इकाईयॉ है।

वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान बहुत से मानकों एवं दानेदार मिश्रणों का उत्पादन निम्न प्रकार था:–

तालिका 6.6 तमिलनाडू में मिश्रणों का उत्पादन

(मी.ट.में)

इकाई का प्रकार	वर्ष	इकाई द्वारा प्रयोग की गई उर्वरकों की श्रेणी								
		यूरिया	एसएसपी	टीएसपी	एमओपी	डीएपी	एमएपी	रॉक फास्फेट	एनपीके मिश्रण	टोटल
भौतिक	*2007-08*	*55852*	*20742*	*83*	*47962*	*33359*	*503*	*804*	*3738*	*163043*
	2008-09	*62854*	*16830*	*1568*	*45007*	*18646*	-	*1840*	*7159*	*153904*
दानेदार	*2007-08*	*43410*	*293*	-	*35439*	*36475*	*5311*	*720*	*8319*	*129967*
	2008-09	*50551*	*46*	*2992*	*28133*	*13890*	-	*3314*	*656*	*99582*
टोटल		*212667*	*37911*	*4643*	*156541*	*102370*	*5814*	*6678*	*19872*	*546496*

कृषिसयुंक्त निदेशक द्वारा रियायती उर्वरकों की फर्स्ट पाइन्ट बिक्री के सत्यापन के समय पाया कि सम्बन्धित जिलों को मिश्रण इकाइयों द्वारा प्रयुक्त की गई राज सहायता प्राप्त उर्वरक की मात्रा को (सलेम को छोडकर) कही भी नही दिखाया गया था।

6.8.1 गुजरात

वर्ष 2007–10 के दौरान (सितम्बर–2009 तक) तीन डीलरों ने 36250 मी.ट. उर्वरक (यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी और मिश्रण) अपनी सम्बन्धित अलग–2 तरह की एन पी के बनाने वाली कम्पनियों को बेची जोकि एफ सी ओ के अन्तर्गत रियायती नही थी और न उनका सरकार द्वारा कोई अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया गया था।

डीलर और किसानों के सर्वेक्षण के दौरान–मिश्रण उर्वरकों की खरीद में पाया गया/दर्शाया गया

6.8.2 अनियमितरू. 7.21 करोड़ छूट का एस एस पी इकाईयों को भुगतान

अगस्त 2002 की योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, उत्पादक/आयातक को विनियत्रिंत उर्वरक उपयुक्त अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचने थे। उत्पादक/आयातक प्रोफार्मा 'सी' में दावा इस प्रमाण पत्र के साथ कि यह बिक्री केवल उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ सी ओ) के अन्तर्गत एन पी के उर्वरक के पंजीकृत उत्पादक को ही की गयी थी और यह बिक्री इसमें दिखाई गयी है वह वास्तविक बिक्री प्रेषण के आधार पर ही थी, प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा जॉच में पाया कि वर्ष 2008–10 के दौरान उर्वरक विभाग राज सहायता के रू. 7.21 करोड़ सात एस एस पी उत्पादकों को स्टाक अपने मिश्रण इकाइओं को स्थान्तरण करने के लिए जारी किये गये थे। इस तरह यह स्टाक का आन्तरिक स्थान्तरण था (प्रथम पाइंट बिक्री नही, जिसमें कि न तो माल की स्थामित्व हस्तान्तरित हुई ओर न निर्धारित अधिकतक खुदरा मूल्य पर उर्वरक की बिक्री हुई), रू. 7.21 करोड़ का राज सहायता का भुगतान अनियमित था।

सिफारिस–4

राज सहायता प्राप्त सभी प्रकार की उर्वरक (यूरिया, डी ए पी एम ए पी, एम ओ पी आदि) मिश्रण इकाइयों को बेचने के लिए अनुमति नही देनी चाहिए। इस प्रकार की मिश्रण इकायों को अपने प्रयोग हेतु राज सहायता प्राप्त नही, उर्वरक ही खरीदनी चाहिए। जहॉ पर उर्वरक विभाग यह सोचता है कि कि कुछ मिश्रण कृषि उपयोग के लिए जरूरी/आवश्यक है तो उनके मूल्य राज सहायता प्राप्त निवेश के आधार पर घोषित होने चाहिए (उनकी पोषक उपयोगिता के आधार पर) तथा वह पूरी गुणवत्ता की जॉच के आधार पर भी होनी चाहिए।

6.9 अपरिहार्य ब्याज रू. 1.41 करोड़ का ओमिफको को भुगतान

मई 2002 के यूरिया के उठान अनुबंध (यू ओ टी ए) भारत सरकार एवं ओमान इन्डिया फर्टीलाइजर कम्पनी (ओमिफको) के बीच हुआ, के अनुसार यूरिया की आपूर्ति के लिए भारत सरकार को ओमिफको बिल आफ लेन्डिग के चार दिन के अन्दर आपूर्ति करेगा, भारत सरकार द्वारा खरीदी गई यूरिया से सम्बन्धित विवरण के दस्तावेज, भारत सरकार द्वारा ओमिफको को भुगतान यूरिया के शिपमेन्ट के बिल आफ लेन्डिग के दिनांक से 20 दिन के बाद देय होगा। इसके बाद भारत सरकार द्वारा भुगतान में देरी के लिए ब्याज, दी गई देरी भुगतान दर के हिसाब से देय होगा। लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि वर्ष 2005–09 के दौरान ओमिफको द्वारा दिये गये इनवाइसों के निवटारे में 1 से 139 दिनों तक की देरी उर्वरक विभाग द्वारा की गयी। परिणामतः अपरिहार्य ब्याज का भुगतान रू. 1.41 करोड़ करना पड़ा।

उर्वरक विभाग ने उत्तर में कहा कि हम शिपिंग दस्तावेज सही समय पर ले रहे है जैसे कि बिल आफ लेन्डिग के चार दिन के अन्दर।

6.10 प्रेषण आंकड़ों में कमियॉ

उर्वरक इकाई/आयातक राज सहायता भुगतान का तभी हकदार होगा जब जिले में प्रथम भंडारन स्थल पर उर्वरक प्रेषित हो जायेगी और प्रेषण का विवरण एफ एम एस आधारित वेव पर डाल दिया जायेगा। इस तरह लेखापरीक्षा जॉच में वर्तमान प्रक्रिया में गम्भीर कमियॉ पायी, जैसे कि इकाई वार और जिला वार प्रेषण आंकड़ों के जिले के प्रथम भंडारा स्थल पर प्राप्ति के आंकड़ों के साथ मिलान के लिए कोई

प्रक्रिया नही थी। लेखापरीक्षा ने कुछ सीमित मिलान के लिए नमूना के आधार पर वर्ष 2008–09 के लिए (अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008) प्रयास किये जिसमें पाया कि 48624 मी.ट. उर्वरक रू. 83 करोड़ मूल्य की उत्पादक इकाई द्वारा प्रेषित दिखाई गयी, कुछ राज्यों के प्रथम भंडारन स्थल पर प्राप्ति नही दिखाई गयी नीचे विस्तृत में दी जा रही है, और कमियों का विवरण अनुलग्न 6.2 में दर्शाया गया है।

तालिका6.7 –प्रेषण आंकड़ों की कमियॉं का विस्तृत विवरण

क्र. स.	राज्य	उत्पादक / उत्पाद	प्राप्त नही हुई मात्रा (मे.ट)	घनराशि (करोड़ रूपये में)
1.	पश्चिम बंगाल	टाटा केमीकल लि. (टी सी एल) (एम ओ पी), आर सी एफ (एम ओ पी), इफको (एन पी के), पी पी एल (डी ए पी, एम ओ पी, एन पी के), आई पी एल (डी ए पी, एम ओ पी)	24174.90	64.93
2.	बिहार	क्रिभको, हजीरा (यूरिया), इन्डोगल्फ, जगदीशपुर (यूरिया), आर सी एफ (यूरिया, एम ओ पी) के एस एफ उल (यूरिया, एन एफ सी एल (यूरिया), टी सी एल बवराला (यूरिया), आई पी एल (डी ए पी, यूरिया), पी पी एल, (एम ओ पी)	21193.45	14.60
3.	मध्य प्रदेश	आई पी एल (एम ओ पी, डी ए पी)	177.30	0.71
4.	हरियाणा	आई पी एल (डी ए पी)	91.40	0.28
5.	गुजरात	क्रिभको (यूरिया), हिन्डालको (डी ए पी) इफको (यूरिया), जी एन वी एफ सी (एन पी के)	2837.00	2.13
6.	झारखंड	पी पी एल (एम ओ पी, एन पी के)	150.00	0.49
	कुल		**48624.05**	**83.14**

UREA
46%NITROGEN
USE NO HOOKS
MADE IN CHINA

7 - गुणवत्ता नियंत्रण

7.1 भूमिका

एफसीओ 1985 के द्वारा उर्वरक की गुणवत्ता के नियम का विधान किया गया। भारत में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के ढॉचे को निम्न रूप में दृढ़ करती है।

- केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद तथा इसकी मुम्बई, चैन्नई एवं कल्याणी (कलकत्ता), स्थित क्षेत्रीयप्रयोगशालाएँ, और
- 22 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 67 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ।

नमूनों की प्राप्ति एवं विश्लेषण पद्धति और उनपर कार्यवाही निम्न प्रकार से है:

चार्ट–7.1उर्वरक नमूनों गुणवत्ता की प्राप्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की कार्यवाही का तरीका

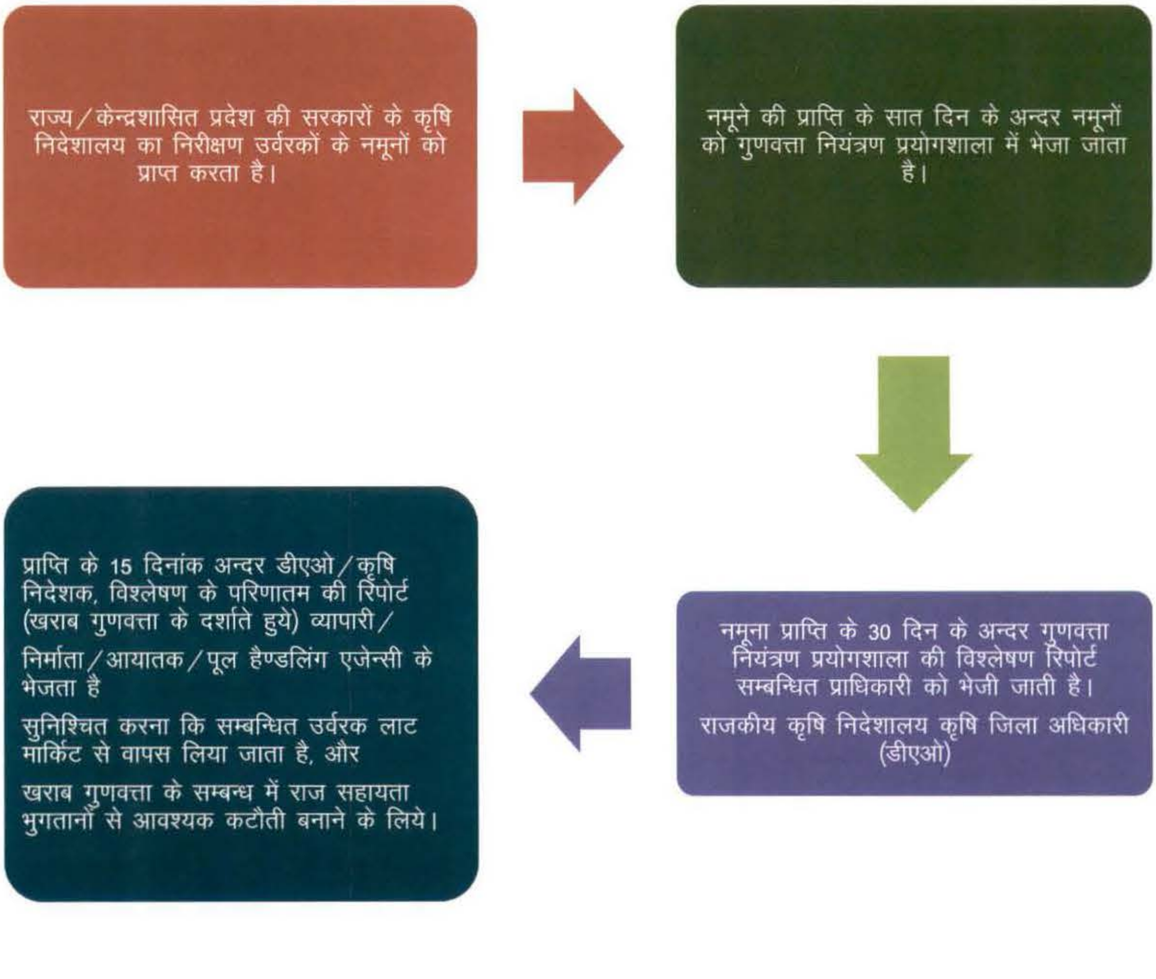

7.2 उर्वरक नमुनों के परीक्षण की अपर्याप्त क्षमता

मार्च 2009 में, 2,68,120 बिक्री केन्द्र थे। खरीफ और रबी के दौरान उर्वरक नमूनों के परीक्षण हेतु गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये, प्रत्येक बिक्री केन्द्र की पूर्ति हेतु न्यूनतम मॉग 5,36,240 थी। तथापि, वर्तमान में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की वार्षिक क्षमता केवल 1,32,965 नमूनों की थी जिसके विपरीत 2008–09 के दौरान 1,04,498 नमूनों का वास्तविक परीक्षण किया गया।

तालिका 7.1 कुल बिक्री केन्द्रों, कुल प्रयोशालाओं विश्लेषित नमूनों का अखिल भारतीय विवरण

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
बिक्री केन्द्रीं की संख्या	2,82,468	2,88,756	2,92,692	2,71,215	2,58,718	2,68,120
न्यूनतम नमूनों की संख्या जिनका परीक्षण होना अपेक्षित था	5,64,936	5,77,512	5,85,384	5,42,430	5,17,436	5,36,240
प्रयागेशालाओं की संख्या	67	67	67	68	68	71
प्रयोगशालाओं की क्षमता (नमूनों में)	1,24,778	1,24,730	1,22,488	1,29,250	1,29,331	1,32,965
विश्लेषित नमूनों की संख्या	1,04,647	1,08,859	1,11,745	1,16,142	1,06,378	1,04,498
प्राप्त एवं विश्लेषित नमूनों की न्यूनतम मांग की प्रतिशतता	18.52	18.84	19.08	21.41	20.55	19.48
पाये गये खराब स्तर के नमूनों की संख्या	5,785	6,535	6,728	6,956	5,933	5,729
विश्लेषित एवं पाये गये खराब स्तर के नमूनों की प्रतिशतता	5.5	6.0	6.0	6.0	5.6	5.5

7.3 उर्वरक की गुणवत्ता के परीक्षण में अन्य कमियॉ

उर्वरक गुणवत्ता के परीक्षण की क्षेत्रीय जॉच में निम्न कमियॉ पाया गयी:

- बहुत सी उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में भौतिक और मानव संरचना की शर्त के मुताबिक, कमी थी। परीक्षण उपकरण की बहुत सी जरूरी वस्तुएं या तो उपलब्ध नहीं थी, या संचालित नहीं थीं। जहॉ तक स्टाफ का सम्बन्ध है, स्वीकृत पदों की संख्या के विरूद्ध स्टाफ की उपलब्धता में कमी थी, और स्टाफ के बहुत से सदस्यों ने सीएफक्यूसीटी एवं आई, फरीदाबाद से आवश्यक परीक्षण प्राप्त नहीं किया था, जिस के अभाव में वे एफसीओ के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने में संवैधानिक रूप से शिक्षित नहीं हो पाये।

- प्रयोगशालाओं की क्षमता के साथ साथ लक्ष्य व वास्तविक रूप से परीक्षित नमूनों की संख्या में समूचित कमी थी।

- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को नमूनों को भेजने की निर्धारित समय सीमा, प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण रिपोर्टो को सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजने, और उन पर सुधारात्मक कार्यवाही बहुत से राज्यों में, बहुत विलम्ब के साथ, नहीं देखी गयी।परिणामतः, विश्लेषण रिपोर्टों को सम्बन्धित प्राधिकारियों तक पहूँचाते समय, जब उर्वरक की खराब गुणवत्ता पायी गयी, तब कार्यवाही आपेक्षित थी, तब तक उर्वरक लॉट का शेष स्टाक (खराब नमूनों से सम्बन्धित) को शंकारहित कृषिकों को पहले ही बेच दिया गया, जिन्होंने अभिज्ञता वश खराब उर्वरकों का उसी तरह उपयोग कर लिया।

- बहुत से मामलों में खराब उर्वरक की, उर्वरक राजसहायता के खाते में वसूली नहीं की।

गुणवत्ता नियंत्रण पर राज्यवार अन्वेषण की संक्षिप्ती नीचे दी गयी है: राज्य के विशिष्ठ अध्यायों में विस्तृत रूप से दिया गया है।

सुझाव–5

देश में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संरचना को, नई प्रयोगशालाओं, वर्तमान प्रयोगशालाओं को अद्यतन कर, और उचित शिक्षित स्टाफ की भर्ती के द्वारा योजनबद्ध रूप से, उच्चस्तरीय होना चाहिए। सभी बिक्री केन्द्रों का सीजनल परीक्षण के लिये पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट समय क्रम होना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारो को, यदि जरूरी हो, पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा सकती हैं राज्य सरकार के विभागों एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाओं की, नमूनों के प्राप्त करने में, नमूना का विश्लेषण करने में, और नमूनों के परिणामों को सूचित करने में, समय क्रम के लिये, जिम्मेदारी होनी चाहिए। नमूना परिणामों का बड़े स्तर पर विस्तारः एवं संशोधन के लिये सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग होना चाहिये, इसके अतिरिक्त, ब्लाक पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर नमूना परिणामों को उजागर करने पर विचार किया जाये।

तालिका 7.2 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण पर राज्यवार अन्वेषण

क्र.स.	राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में अनियमितताएँ/कमियों
1.	आन्ध्र प्रदेश	• 2006–09 के दौरान पुनः विश्लेषण में 41 से 57 प्रतिशत खराब नमूनों को मानक धोषित कर दिया था, इन का क्रियान्वयन और सभी नमूनों की प्रमाणिकता एवं विश्वश्नीयता पर सन्देह होता है। • फार्म–जे के साथ खराब नमूनों (उर्वरक नमूनों का विशेष रूप से) से सम्बन्धित, 2006–07 एवं 2007–08 वर्षों के दौरान वसूलियों के लिये की गई सिफारिश को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया था। • वर्ष 2008–09 के दोरान 329 खराब मामलों में से, केवल 74 मामलों के विवरण वसूली के लिये उर्वरक विभाग जी ओ आई को, भेजा गया था।

क्र.स.	राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में अनियमितताएँ / कमियों
		• नवम्बर 2009 तक खराब उर्वरकों के 232 मामलों में अभी कानूनी कार्रवाई होनी थी। • 1 से 5 वर्षों की अवधि के मामले थे जैसा कि दस्तावेजों में देखा गया। तथापि, नमूनों को मामलेवार लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
2.	असम	• 2006–07 से 2008–09 के दौरान उर्वरकों के परीक्षण का लक्ष्य उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ने पूरा नहीं किया। 59 से 93 प्रतिशत की कमी पायी गयी। • एक लॉट से जो नमूने एकत्रित किये मे उनमें उर्वरक की बहुत कम मात्रा थी जो 0.03 मी.टन से 0.20 मी.टन की थी। • दो मामलों में, फार्म–जे में लाट से एकत्रित की गई मात्रा का स्रोत नहीं दर्शाया गया था।
3.	बिहार	• पटना में 38 जिलों के लिये केवल एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला थी। प्रयोगशालाओं की कमी का कारण, परीक्षण सूविधाओं की अपर्याप्तता है। • राज्य में 18640 नमूने प्राप्त होने थे, उनमें से के 1688 (9.05 प्रतिशत) नमूनें प्राप्त हुये, 1578 नमूनों का परीक्षण हुआ और 110 नमूनें (6.5 प्रतिशत) बिना विश्लेषण के बचें। • नमूना जॉचित जिलों में, नमूनों की वास्तविक प्राप्ति में, 2006–07 में 36 और 99 प्रतिशत, 2007–08 में 58 से 99 प्रतिशत और 2008–09 में 33 से 99 प्रतिशत के अन्तर की कमी थी। • 2007–08 के दौरान, नमूना जांचित जिलों में प्राप्त हुये 6.22 लाख मी.टन उर्वरकों के विभिन्न प्रकारों में से परीक्षण के लिये वांछित 6217 नमूनों के विरूद्ध केवल 416 नमूनों को लिया गया और 17 नमूने खराब घोषित किये गये। • आगे 2008–09 में सभी उर्वरकों की प्राप्त 7:46 लाख मी.टन मात्रा में से, परीक्षण के लिये वांछित 7464 नमूनों के विरूद्ध केवल 464 नमूने लिये गये एवं 10 नमूनें खराब घोषित किये थे। • नमूना जॉचित जिलों में, खुदरा व्यापारियों / सहकारी सोसायटियों, या उर्वरक कम्पनी केन्द्रीय स्टोरेज योजना (सीएसएस) कार्यरत उर्वरक कम्पनी के बफर मालगोदाम, से नमूने नहीं किये गये। • नमूना जांचित जिलों मे, उर्वरक निरीक्षक नियुक्त नहीं थे, और जिला कृषि अधिकारी / ब्लाक कृषि अधिकारी नमूनों को एकत्रित कर रहे थे। • खराब घोषित किये गये उर्वरकों के परीक्षण परिणामों के व्यापारियों को सूचित नहीं किया। आगे, उस समय, जब स्टाफ की पहले ही बिक्री कर दी गयी, नमूनों को खराब घोषित कर दिया था।

क्र.स.	राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में अनियमितताएँ / कमियों
4.	छत्तीसगढ़	• छत्तीसगढ़ राज्य में एफक्यूसीएल रामपुर में केवल नोटी फाइड उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला है। स्वीकृत 17 पदों के विरूद्ध केवल 10 पद ही भरे थे। • नियमावली के अनुसार रसायनिक उर्वरकों के विश्लेषण के लिये उपकरण की 25 आइटमों के विरूद्ध उपकरण की 17 आइटमें उपलब्ध थी। • 2006–09 के दौरान, नमूनों के विश्लेषण में 8 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत कमी का अन्तर था। • 3363 मी.टन (डीएपी,एलपीके एवं एमएसपी 2.00 करोड़ रूपये की कीमत का) खराब घोषित उर्वरकों को कृषिकों को बेच दिया गया।
5.	गुजरात	• बारडोली (4), जूनागढ़ (10) एवं गांधी नगर (7) की तीन उर्वरक प्रयोगाशालाओं में (कृषि सहायक निदेशक–2, कृषि अधिकारी–17, केमिस्ट–2) 21 रिक्तियाँ थीं। • यह जानकारी मिली कि एफसीओ, 1985 की मांग के विरूद्ध केवल उर्वरक के मुख्य घटकों (यूरिया–कुल नाइट्रोजन; डीएपी–कुल नाइट्रोजन, अमोनीकल नाइट्रोजन, अमोनियम सिट्रेर, फॉस्फेट; एमओपी–पोटास) की प्रयोगशालाओं में जॉच की गयी, कि निर्धारित मानक के आधार पर उर्वरक को प्रमाणित करने के लिये उसके सभी घटकों का परीक्षण होना चाहिए। • खराब घोषित उर्वरकों के परीक्षण परिणामों को व्यापारियों को विलम्ब से सूचना दी, उस समय स्टाक की बिक्री हो चुकी थी। अतः गुणवत्ता से अनभिज्ञ कृषिकों द्वारा खराब उर्वरक का उपयोग कर लिया गया। • 2006–07 से 2008–09 की अवधि के दौरान 124 कोई मामले कोर्टों में लम्बित थे। खराब उर्वरक के लाट का न तो कोई उदाहरण देखा, न ही उर्वरक के खराब नमूनों से सम्बन्धित प्रस्तावित राजसहायता की वसूली हुई। परिणामतः 9.86 करोड़ रूपये की राजसहायता का अनियमिता भुगतान हुआ।
6.	हरियाणा	• 27 पदों को स्टाफ के विरूद्ध हिसार एवं करनाल की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में, केवल तकनीकीएवं अन्य स्टाफ को मिलाकर कुल 22 की स्थिति थी। • 2006–08 के दौरान 3400 की वार्षिक क्षमता एवं 2008–09 में 5100 की वार्षिक क्षमता के विरूद्ध 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 वर्षों के दौरान विश्लेषित नमूना में 33 प्रतिशत की कमी थी।

क्र.स.	राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में अनियमितताएँ / कमियों
		• अप्रैल 2006 से नवम्बर 2008 के दौरान एकत्रित 34 नमूनों को खराब घोषित किया किन्तु न तो बिक्री को रोकने / खराब उर्वरकों का उपयोग, न ही उर्वरक विभाग को वसूलियों के लिए प्रस्तावित किया। आगे, 23 अन्य मामलों में जहाँ खराब नमूने पाये गये, कार्यवाही से सम्बन्ध जानकारी जैसे राजसहयता से वाछित करना, बिक्री को रोकना आदि की जानकारी लेखापरीक्षा को नहीं दी गयी।
7.	हिमाचल प्रदेश	• सुन्दर नगरस्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में कार्यरत दो कृषि विकास अधिकारियों में से नवम्बर 2006 से एक नियुक्त अधिकारी फरीदाबाद की केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, की वांछित तकनीकी प्रशिक्षण नहीं था। 2006–09 के दौरान हमीरपुर की प्रयोगशाला / में प्रयोगशाला सहायकों को उपलब्ध नहीं कराया था। • प्रत्येक प्रयोगशाला में 1000 नमूनों की वार्षिक विश्लेषण क्षमता के विरूद्ध 2006–07 से 2008–09 वर्षो के दौरान क्रमशः 74,65 एवं 60 प्रतिशतता की उपलब्धि थी। • तथापि, पहले बिक्री केन्द्र के व्यापारियों से एकत्रित उर्वरकों के नमूनों के परिणाम उन्हें कभी नहीं बताये गये थे।
8.	जम्मू एवं कश्मीर	• माइक्रो–न्यूट्रियन्अस विश्लेषण के लिये निर्धारित एक आटोमिक एवजोप्सन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर (एएएस) प्रयोगशाला (जम्मू) के लिये फरवरी 2002 में खरीदा गया जो बेकार था। जम्मू की प्रयोगशाला में, प्रशिक्षण के लिए वैक्यू में डेसीकेटर, भारतीय मानक सीवस, सेम्पिल ग्राइन्डर, टाप पेन बेलैन्स और डियोनाइजर, उपलब्ध नहीं थे।श्रीनगर की प्रयोगशाला में, वांछित प्रशिक्षण के लिये, वाटर बाथ–कम–शेकर, मेगनेटिक स्ट्राचर, सेम्पिल ग्राइन्डट, ग्लासवाटर डिस्टीलेसन एपेरेअस एवं डियोनाइजर या तो उपलब्ध नहीं थे या बेकार थे। • उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 (शिडयूल–1) के अनुसार, विभिन्न उर्वरकों की विशिष्टता को दर्शाया गया था इन विशिष्टाओं की जॉच के लिये, इन उर्वरकों की जॉच प्रयोगशाला में वांछित थी। तथापि, जम्मू के दो जिलों की प्रयोगशाला में, जो लेखापरीक्षा में दस्तावेज देखे, जांच की गयी (रेक वोइन्ट में उठाये गये नमूनों को छोड़कर) और 2008–09 के दौरान कथूआ में दर्शाया कि सभी जॉच प्रयोगशालाएं में नहीं हुई। • वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को

क्र.स.	राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में अनियमितताएँ / कमियों
		भेजे गये 368 नमूनों के परिणाम प्राप्त नहीं हुये। इन नमूनों को जांच न करने का कारण और परिणामों को सूचित न करने के कारण, यदि कोई हो, प्रयोगशाला से प्राप्त नही हुये, किन्तु सूचित नहीं किये।
9.	झारखण्ड	• झारखण्ड में एक गुणवत्तानियंत्रण प्रयोगशाला थी उपकरण की 26 मदों में से 13 मदे कार्यरत थी और अक्टूबर 2009 तक दो मदे स्थापित नही थीउपकरणो की बाकी मदें वर्ष 2007–08 से कार्यरत नही थी • वर्ष 2006–09 में 6045 नूमनो का (2015 नमूने पर वर्ष) आंकलित क्षमता के विपरीत 2043 नमूने (34 प्रतिशत) का आंकलन किया गया • 2586.75 मीट्रिकटन खराब डी ए पी जिसमें 10.81 करोड़ की राजकीय सहायता थी, किसानों की बिना गुणवत्ता जांच के बेची गई।
10.	कर्नाटक	• अपेक्षित संख्या में तकनीकी तथा सहयोगी कर्मचारी नियुक्त नहीं थे।41 स्वीकृत पदों के विपरीत, राज्य में 15 पद चार प्रयोगशालाएं में खाली थे।
11.	केरल	• आठ विश्लेषक के स्वीकृत पदों के विपरीत (तिरूवनंतपुरम और पाटामवी की प्रयोगशालाओं में चार प्रत्येक) सिर्फ सात विश्लेषक नियुक्त थे जिसमें से तीन विश्लेषक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला और ट्रेनिंग इन्स्टीटूयट फरीदाबाद से परिशिक्षित नहीं थे। इस तरह एफ सी ओ 1985 की धारा 29 ए के तहत उर्वरक विश्लेषक के नियुक्ति हेतु योग्य नही थे। • वर्ष2006–09 के दौरान नमूनों की जांच में 10 से 36 प्रतिशत की गिरावट थी • वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक 66 से 89 प्रतिशत अवमानक उर्वरक के बिना मानक के मामले पाये गये जिनमें प्राथमिक रिपोर्ट भी लम्बित थीं गुणवत्ता जांच के मुख्य उद्देश्य ही निष्फल रहा। • प्रति चयन ज्यादातर रिटेल डीलर को सम्मिलित करता है, प्रतिष्ठित निर्माताओं उर्वरकों के सीधे नमूने लिये गये। मिक्सिंग युनिट / मिक्सर / होलसेल डीलरों के नमूने कभी कवार लिये गये। जैसे वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक अलक्तुर ब्लाक के सभी 60 नमूने और कांजीरअपली ब्लाक के 53 नमूनों में से 47 नमूने रिटेल डीलरों से लिये गये थे। • कृषि विभाग के द्वारा अवमानक उर्वरक के नमूनों के विवरण को दर्ज करने के लिए बनाये गये रजिस्ट्ररों की जांच से पता चला है कि वर्ष 2007–08 और 2008–09 में कुल अवमानक इन आरगेनिक उर्वरक के 92 प्रतिशत नमूने मिक्सचर थे
12.	मध्य प्रदेश	• भोपाल और इन्दौर की दो प्रयोगशालाओं के तकनीकी कर्मचारियों के पांच पद खाली थे क्षमता के मुकाबले नमूनो की जांच से 24 से 66 प्रतिशत की कमी थी।

क्र.स.	राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में अनियमितताएँ / कमियों
		• आई पी एल के 2637 मीट्रिकटनएम ए पी (21.11.07 को प्राप्त) को अवमानक घोषित किया गया बल्कि 947 मीट्रिकटन पहले ही किसानों को बेचा जा चुका था और बाकी 1690 मीट्रिकटन एम ए पी गोदामों में पड़ी हुई थी। • पिछले एक से पांच वर्षो से 1097.82 मीट्रिकटन अवमानक उर्वरक गोदामों में पड़ा था
13.	महाराष्ट्र	• प्रोफार्मा वी भेजते समय यह पाया कि डी डी एफ ने 7168.48 मीट्रिक टन पी एंड के अवमानक उर्वरक के बजाये 1671.80 मीट्रिक टन की कटौती प्रस्तावित की । • वर्ष 2006– 2008 में चुनी गई प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच मे 26 से 38 प्रतिशत की कमी पाई गई।
14.	मणिपुर	• राज्य में कोई परीक्षण प्रयोगशाला नही थी ना ही सी उफ क्यू सी टी आई,फरीदाबाद या क्षेत्रिय प्रयोगशाला द्वारा कोई नमूना लिया गया।
15.	मेघालय	• वर्ष 2007–08 और 2008–09 में जातियां पश्चिम खासी हिलस, और पूर्वी खासी हिल जिलो के कृषि जिला अधिकारी / बागवानी जिला अधिकारी ने 14 नमूने लिये जिसमें से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2007–08 के चार और वर्ष 2008–09 के तीन नमूने अवमानक घोषित किये।
16.	नागालैण्ड	• पिछले तीन साल के गुणवत्ता निरीक्षण में अन्तिम उपभोक्ताओं से डीलरों की वितरण श्रृंखला के कोई उर्वरक का नमूना एकत्र नही हुआ ना ही राज्य में कोई गुणवत्ता नियंत्रक जांच प्रयोगशाला थी।
17.	उड़ीसा	• वर्ष 2006–09में भुवनेश्वर और सामावलपुर में दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में लक्ष्य के मुकाबले नमूनों की प्राप्ति में 9 से 22 प्रतिशत की कमी थी। • किसानों को बेचेगये अवमानक उर्वरक की 26.87 लाख की राजसहायता की वसूली नही की गई ।
18.	पंजाब	• अवमानक 1250 मीट्रिकटन डी ए पी तथा 234.20 मीट्रिकटन एम ए पी उर्वरक किसानों को बेचा गया।
19.	राजस्थान	• स्वीकृत संख्या के अनुसार तीन गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशालाओं में 18 विश्लेषक थे परन्तु चार विश्लेषक ने सैंट्रल उर्वरक गुणवत्ता कथैल और ट्रैनिक इन्स्टीच्यूट फरीदाबाद से निर्धारित प्रशिक्षण नही लिया थी। • वर्ष 2006–09 में प्रयोगशालाओं की क्षमता के मुकाबले नमूनो की जांच में 11 से 38 प्रतिशत की कमी थी।

क्र.स.	राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में अनियमितताएँ/कमियों
		• अवमानक नमूनो के 420 मामलों में से 253 मामलों में वसूली के लिए की गई कार्यवाही की विलम्ब लेखापरीक्षा नहीं दिया गया।
20.	तमिलनाडू	• 14 एफ सी एल में 44 विश्लेषक कर्मचारियों में से केवल 26 पदों का भरा गया था। • वर्ष 2008–09 में तीन कंचीपुरम धर्मापुरी, तानजावर जिलों के विभिन्न ब्लाकों के टेस्ट चैक में परीक्षण के नमूनों को लेने मे 34 से 75 प्रतिशत की कमी थी। • एफ सी एल में नमूनों की प्राप्ति में तीन प्रतिशत (तिरूचिलापल्ली 2007–08) से 52 प्रतिशत की गिरावट थी। • अवमानक घोषित किया गया 2006–09 में 2269.58 मैट्रिकटन की सीधा/कम्प्लैक्स उर्वरक प्राप्त नही किया।
21.	त्रिपुरा	• निजी होलसेल डीलर तथा रिटेल डीलरों द्वारा सड़क से यायायात किया गये उर्वरक का कोई नमूना एकत्र नही किया गया।
22.	उत्तर प्रदेश	• वर्ष 2006–07 से 2008–09 में उर्वरक के नमूने के परीक्षण के लक्ष्य को प्राप्त नही किया गया और 24 से 37 प्रतिशत की कमी थी।
23.	उत्तरखण्ड	• वर्ष 2006–09 में नमनों को लेने में 31 से 85 प्रतिशत की कमी हुई। • वर्ष 2006–09 में प्रोफार्मा 'बी' को जारी करते समय 13 मामलों में 16.3 लाख की अवमानक घोषित यात्रा में वसूली प्रस्तावित नही थी।
24.	पश्चिम बंगाल	• तीन प्रयोगशालाओं में, 43 स्वीकृत पदो के विपरीत केवल 34 पद ही भरे थे। • सभी प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी थी।

इसके विपरीत हमने पाया कि आन्ध्रप्रदेश में उर्वरक परीक्षण की प्रक्रिया के गोपनीयता और पारदर्शाता बनाने के लिए वर्ष 2004 में एक फटलीजर कोडिंग सैन्टर (एफ सी सी) स्थापित किया। एफ सी सी वर्तमान उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला के रैंडम नमूनो के संदर्भ में केन्द्रीय कोडिंग सैन्टर का काम करता है इस सैन्टर के उर्वरक इन्सपैक्टर द्वारा लिए गये नमूनो को गोपनीय कोड नम्बर दिया जाता है और किसी भी पांच प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। विश्लेषण के उपरान्त परिणाम पत्रिका 34 निदेशक कृषि (ए डी ए) एफ सी ओ प्रयोगशाला द्वारा ए डी ए एफ सीसी को भेजा जाता है जो इसकी डीकोडीग करता है और विश्लेषण रिपोर्ट में अन्य जानकारी को सम्मिलित करता है, और अन्तिम रिपोर्ट उस फर्टिलाइजर इन्सेपैक्टर को भेजता है जहाँ से वो नमूना प्राप्त हुआ था।

Sure
Start

8 - विक्रेता और किसान सर्वेक्षण के परिणामों का सारांश

8.1 विक्रेता के सर्वेक्षण के परिणाम

फील्ड लेखापरीक्षा दलों द्वारा 1092 विक्रेताओं का एक सर्वेक्षण किया गया। इन विक्रेताओं के जवाबों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। राज्य विशिष्ट विश्लेषण सम्बन्धित राज्य के अध्याय में दिया गया है।

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है	449 (41%)	625 (57%)	18 (2%)
सर्वेक्षण किए लगभग 57 प्रतिशत विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें समय पर उर्वरक की अपेक्षित मात्रा और प्रकार नहीं मिल रहा था।				
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	816 (75%)	236 (22%)	40 (3%)
सर्वेक्षण किए गए 75 प्रतिशत विक्रेताओं ने बताया किवे बिना किसी सीमा के किसानों को उर्वरक दे रहे थे।				
		हां	नहीं	अन्य
3.	क्या आपको आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई में परिवहन आदि की समस्या आ रही है?	401 (37%)	676 (62%)	15 (1%)
सर्वेखण किए गए 37 प्रतिशत विक्रेताओं ने इंगित किया कि उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार उर्वरकों को उठाने में परिवहन की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अलग से किए गए फील्ड लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इंगित किया कि कई मामलों में फुटकर विक्रेता परिवहन पर किए गए अतिरिक्त खर्चों की भी वसूली कर रहे थे, अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा मूल्य लेकर।				
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त साख सुविधा है?	595 (54%)	439 (40%)	58 (6%)
सर्वेक्षण किए गए 54 प्रतिशत विक्रेताओं ने बताया कि अपनी जरूरत के उर्वरकों को उठाने के लिए उनके पास पर्याप्त साख सुविधाएं थी।				
		हां	नहीं	अन्य

5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	555 (51%)	512 (47%)	25 (2%)

सर्वेक्षण किए गए 51 प्रतिशत विक्रेताओं ने बताया कि वह मांग के अनुसार किसानों को समय पर उर्वरकों की पूर्ति कर पा रहे थे जबकि 47 प्रतिशत ने बताया किवे ऐसा नहीं कर पा रहे थे।

		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	442 (40%)	626 (57%)	24 (3%)

सर्वेक्षण किए गए केवल 40 प्रतिशत विक्रेताओं ने इंगित किया कि किसान उर्वरकों की कम मात्रा की बोरियों की मांग कर रहे थे। यह सर्वेक्षण किए गए किसानों के जवाबों के बिल्कुल विपरीत था, जहां एक बड़ी संख्या (55 प्रतिशत) ने कम मात्रा वाली उर्वरकों की बोरियों की आवश्यकता जाहिर की।

		हां	नहीं	अन्य
7.	क्या पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	570 (52%)	442 (40%)	80 (8%)

सर्वेक्षण किए गए 40 प्रतिशत विक्रेताओं ने बताया कि उर्वरकों की गुणवता परीक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों में उनमे स्टाक मे से किसी नमूने का चयन नहीं किया गया, स्पष्ट रूप से यह उर्वरकों की गुणवता के परीक्षण की व्यवस्था की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

8.2 किसानों के सर्वेक्षण के परिणाम

फील्ड लेखापरीक्षा दलों द्वारा 5498 किसानों का सर्वेक्षण किया गया। उनके जवाबों का सारांश निम्न है। राज्य विशिष्ट विश्लेषण सम्बन्धित राज्यों के अध्यायों में दिया गया है:–

क.सं.	प्रशनावली	प्रतिक्रिया			
		सहकारी	डीलर	दोनों	अन्य
1.	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो	2484 (45%)	1550 (28%)	1121 (20%)	343 (7%)

सर्वेक्षण किए गए 45 प्रतिशत किसानों ने बताया कि वे सरकारी समितियों से उर्वरक खरीद रहे थे, 28 प्रतिशत निजी विक्रेताओं से और 20 प्रतिशत दोनो साधनों से।

		हां	नहीं	अन्य
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा राशन के हिसाब से थी? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/प्रति राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी। कृप्या बताए	706 (13%)	4559 (83%)	233 (4%)

सर्वेक्षण किए गए किसानों में से केवल 13 प्रतिशत ने बताया कि उनको बेचे गए उर्वरकों की मात्रा राशन के हिसाब से थी।

		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	कोई टिप्पणी नहीं
3.	आपने पिछले 1 या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर खरीदे	2268 (41%)	2496 (45%)	734 (14%)
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी	2794 (51%)	2559 (46%)	145 (3%)
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप सरकार द्वारा उर्वरकों के लिए तय किए गए अधिकतम मूल्य जानते है?	2362 (43%)	3107 (56%)	29 (1%)

लगभग 45 प्रतिशत किसानो ने बताया कि उन्होंने एम आर पी से अधिक मूल्य पर उर्वरक खरीदे, जबकि 56 प्रतिशत ने बताया कि उन्हे सरकार द्वारा उर्वरकों के लिए तय किए गए एम आर पी की जानकारी नहीं थी (लेखापरीक्षा दल ने किसानों को एम आर पी की सूची दिखाई)। इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए 46 प्रतिशत किसानों ने बताया कि विक्रेताओं ने बिक्री की रसीद नही दी थी।

		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आपको उर्वरकों की कम मात्रा की बोरियों की आवश्यकता है?	3039 (55%)	2408 (44%)	51 (1%)

59 प्रतिशत किसानों को समय पर अपनी जरूरतों के हिसाब से उर्वरकों की पूरी मात्रा लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा थ जबकि 55 प्रतिशत किसानों ने उर्वरकों की कम मात्रा वाली बोरियों की आवश्यकता जाहिर की। इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए 16 प्रतिशत किसानों ने बताया कि विक्रेताओ ने उन्हे उर्वरकों के साथ अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए बाध्य किया।

		हां	नहीं	अन्य
7.	क्या आपकी मिट्टी की जांच की गई ताकि अपनी भूमि के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता का पता लगाया जा सके जिससे अधिकतम फसलों का उत्पादन किया जा सके।	1179 (21%)	4151 (76%)	168 (3%)

सर्वेक्षण किए गए 76 प्रतिशत किसानों ने अपनी जमीन की मिट्टी की जांच नहीं करवाई थी जिससे उर्वरकों की आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर पता लगाया जा सके।

		हां	नहीं	अन्य
8.	क्या आपको पूरे मौसम के लिए समय पर उर्वरकों की पूरी मात्रा प्राप्त करने में कोई परेशानी होती है?	3240 (59%)	2175 (39%)	83 (2%)
		हां	नहीं	अन्य
9.	क्या विक्रेता ने आपको उर्वरकों के साथ अन्य वस्तुए खरीदने के लिए भी बाध्य किया?	872 (16%)	4515 (82%)	111 (2%)
		हां	नहीं	अन्य
10.	क्या आपके पास अपनी आवश्यकता के उर्वरकों को खरीदने के लिए पूरा पैसा हैआपकी क्या समस्याएं हैं?	2631 (48%)	2833 (51%)	34 (1%)

सर्वेक्षण किए गए 51 प्रतिशत किसानों ने बताया कि अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की पूरी मात्रा को खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नही था। यह निधि की गंभीर कमी की ओर इशारा करता है जिसकी व्याख्या कम मात्रा की बोरियों की मांग से भी होती है।

		हां	नहीं	अन्य
11.	व्यापक रूप से क्या आप उर्वरकों की पूर्ति से संतुष्ट हैं?	2964 (54%)	2383 (43%)	151 (3%)
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या उर्वरकों की पूर्ति में आपको कोई अन्य समस्या आ रही ह?	2702 (49%)	2632 (48%)	164 (3%)

54 प्रतिशत किसानों ने बताया किवे उर्वरकों की पूर्ति से संतुष्ट थे। तथापि, 49 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें उर्वरको की पूर्ति में समस्या आ रही थी।

9 राज्य विशेष निष्कर्ष

9.1 आन्ध्र प्रदेश
9.2 असम
9.3 बिहार
9.4 छत्तीसगढ़
9.5 गुजरात
9.6 हरियाणा
9.7 हिमाचल प्रदेश
9.8 जम्मू और कश्मीर
9.9 झारखण्ड
9.10 कर्नाटक
9.11 केरल
9.12 मध्य प्रदेश
9.13 महाराष्ट्र
9.14 मणिपुर
9.15 मेघालय
9.16 नागालैण्ड
9.17 उड़ीसा
9.18 पंजाब
9.19 राजस्थान
9.20 तमिलनाडु
9.21 त्रिपुरा
9.22 उत्तर प्रदेश
9.23 उत्तराखण्ड
9.24 पश्चिम बंगाल

9.1 आंध्र प्रदेश

9.1.1 पृष्ठभूमि

आंध्र प्रदेश में 23 जिले हैं जिसमें तीन भैगोलिक क्षेत्र है– तटीय आंध्र रायलासीमा और तेंलंगाना। आंध्र प्रदेश में 144.89 लाख हेक्टेयर के कुल फसल क्षेत्र में से जिसमें कृषि, बागवानी और बागान शामिल है, कृषि के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र 120.44 लाख हेक्टेयर है। राज्य में उगाई जाने वाली फसले चावल, दाले,तिलहन, कपास और मिर्ची आदि है।

चार जिले (गुंटूर, कड़ापा, करीमनगर और वारंगल) और आठ मंडल (अमरावती, नरसराओपेत, दुत्वूर, प्रोदूतूर, सिरसिला, जगित्याल, जंगोआ और महबूबाबाद) अर्थात प्रत्येक जिले में से दो मंडल विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुने गए।

9.1.2 लेखापरीक्षा जांच–परिणाम

9.1.2.1 उर्वरक का अवास्तविक अनुमान

- मिट्टी में प्राथमिक और सहायक पोषक तत्वों की उपलब्धतता का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है ताकि विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता के लिए विशिष्ट सिफारिश की जा सके। तथापि 120.44 लाख हेक्टेयर भूमि में से, कृषि विभाग हर साल केवल लगभग 4.60 लाख (केवल 4 प्रतिशत) भूमि की मिट्टी की जांच कर रहा था। इस दर से पूरी भूमि की जांच में करीब 26 साल लग जाएंगे। मिट्टी की गुणवत्ता के अनुमान की कमी का उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
- उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन पंचायत समिति की सिफारिशों पर आधारित नहीं था। लेकिन पिछले पाँच सालों के दौरान सबसे अधिक उपभोग में 10 से 15 प्रतिशत को जोड़ कर किया गया। कृषि आयुक्त और निदेशक के द्वारा उर्वरकों की आवश्यकता के आंकलन की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी जिसका जिला/मंडल स्तर के कृषि अधिकारियों द्वारा पालन किया जा सके।
- गुंटूर जिले में, 2008–09 के दौरान (खरीफ और रबी के मौसम में) मुख्य फसलों मक्का, कपास, मिर्ची को उगाने के तरीके[15] में बदलाव के कारण उर्वरको की मांग में अचानक बढ़ोतरी हो गई जिसकी ओर कृषि विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।
- वास्तव में, किसान अनुशंसित मात्रा से 4 से 6 गुना अधिक मात्रा का इस्तेमाल कर रहे थे, विशेषकर, व्यापारिक फसलों के लिए। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि आवश्यकता का अनुमान ना तो वैज्ञानिक था और न ही वास्तविक।

9.1.2.2 उर्वरकों की उपलब्धतता जिसमें बफर स्टाक भी शामिल है

- उर्वरक विभाग के दिनांक 28.7.2008 के निर्देश के अनुसार 2006–09 के दौरान, डी ए पी की 27000 एम टी मात्रा को बनाए रखता था। लेकिन सितम्बर 2008 अर्थात खरीफ 2008 तक डी ए पी का कोई बफर स्टाक नहीं रखा गया था।
- 2008–09 के दौरान गुंटूर जिले में (खरीफ और रबी के मौसम में), किसानों को समय पर उर्वरकों की पूर्ति नहीं की गई थी जिससे किसानो ने आंदोलन कर दिया।

[15] 2008–09 के दौरान, 56233 हेक्टेयर धान, 5808 हेक्टेयर मिर्ची, 60201 हेक्टेयर मक्का और 15902 हेक्टेयर कपास सामान्य से अधिक क्षेत्र में उगा रखा था।

- शेष तीन लेखापरीक्षित जिलों (कडापा, करीमनगर और वारंगल) में उर्वरकों की पूर्ति में देरी देखी गई।
- हालांकि विभाग ने बताया कि उर्वरकों की पूर्ति में देरी का कृषि फसलों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन सर्वेक्षण के दौरान किसानों ने राय दी कि उर्वरकों के देर से आवेदन के कारण कम उत्पाद हुआ।

9.1.2.3 *उर्वरकों की प्राप्ति और उसका आबंटन*

सभी उर्वरकों के मामलों में वास्तविक उपभोग, आवश्यकता के हिसाब से कम था जिसका विवरण निम्न है:

तालिका 9.1– आंध्र प्रदेश में उर्वरकों के उपभोग और आवश्यकता में अन्तर

(लाख एम टी में)

वर्ष	उत्पाद	आवश्यकता	भारत सरकार की आपूर्ति योजना	वास्तविक उपभोग	क्षेत्र (लाख हेक्टे में)
2006-07	डी ए पी	6.69	6.69	6.04	112.85
	यूरिया	28.29	28.29	22.29	
	काम्प्लैक्स	19.64	19.64	15.45	
	एम ओ पी	5.21	5.21	4.03	
2007-08	डी ए पी	8.24	8.24	6.94	119.68
	यूरिया	28.31	27.50	25.12	
	काम्प्लैक्स	20.64	20.64	14.09	
	एम ओ पी	5.55	5.55	4.49	
2008-09	डी ए पी	9.00	8.50	8.87	123.20
	यूरिया	29.50	27.50	27.33	
	काम्प्लैक्स	23.00	18.50	15.81	
	एम ओ पी	6.00	5.85	6.03	

करीमनगर जिले में, अक्तूबर 2008 के दौरान सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी) को स्थानापन्न करने हेतु कृषि के संयुक्त निदेशक ने 2498.95 एम टी ट्रिपल सुपर फास्फेट (टी एस पी) खरीदा। तथापि, केवल 763.60 एम टी (31 प्रतिशत) का उपयोग किया जा सका और जून 2009 को शेष 1635.35 एम टी (69 प्रतिशत) आंध्र प्रदेश मार्कफेड के गोदाम में बिना किसी इस्तेमाल के पड़ा रहा। विभाग के अनुसार, टी एस पी के इस्तेमाल के लिए किसान इच्छुक नहीं थे।

9.1.2.4 *आवश्यकता आपूर्ति योजना और वास्तविक प्राप्तियों में अत्याधिक विचलन*

चार में से दो लेखापरीक्षित जिलों में (करीमनगर और गुंटूर) आपूर्ति योजना में बताई गई मात्रा जिला अधिकारियों द्वारा बताई गई आवश्यकता से कम थी जिसका विवरण निम्न है:

तालिका 9.2 – आंध्र प्रदेश में अनुमानित आवश्यकताओं और आपूर्ति योजना में अन्तर

जिला	उत्पाद	आवश्यकता (एम टी)	भारत सरकार की आपूर्ति योजना (एम टी)	वास्तविक उपभोग (एम टी)	क्षेत्र (हेक्अैयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुंटूर	डी ए पी	89852	71580	84130	831838
	यूरिया	265088	145746	217874	
	काम्प्लैक्स	212143	133840	174791	
	एम ओ पी	59715	42753	26480	
करीम नगर	डी ए पी	61632	63101	67362	728700
	यूरिया	193095	254701	230082	
	काम्प्लैक्स	86253	81503	81559	
	एम ओ पी	62256	45899	42077	
वारंगल	डी ए पी	40677	44232	45875	587988
	यूरिया	203250	177733	185042	
	काम्प्लैक्स	93305	65545	62009	
	एम ओ पी	35405	46491	40026	
काड़पा	डी ए पी	50661	31811	37158	429450
	यूरिया	50344	41104	63981	
	काम्प्लैक्स	69892	57380	50489	
	एम ओ पी	26496	19066	17708	

तथापि, उर्वरकों का वास्तविक उपभोग आपूर्ति योजना से ज्यादा था। उर्वरकों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण किसानों में अशान्ति फैल गई।

9.1.2.5 *मंडल स्तर तक उर्वरको का परिवहन*

निर्माता उर्वरकों की आपूर्ति केवल प्रथम संग्रहण केंद्र/रेक केंद्र तक करते थे (जो अधिकतर जिला मुख्यालयों में स्थापित था)। विक्रेता इन केंद्रों से अपनी मात्रा, परिवहन और देख रेख प्रभार के रूप में अतिरिक्त राशि खर्च कर उठा रहे थे जिसका वहन अंत में किसानों को करना पड़ता था।

9.1.2.6 *दूरस्थ स्थानों पर उर्वरकों की उपलब्धतता*

गुंटूर जिलाधीश द्वारा सभी विक्रेताओं को उर्वरकों के समान वितरण के सम्बंध में (डी ए पी, एम ओ पी और अन्य जटिल उर्वरकों) निर्देश जारी किए जाने के बाद भी, ताकि दूरस्थ स्थानों में भी किसानों की पहुंच की जा सके, कोरोमंडल उर्वरक लिमिटेड (सी एफ एल) के माना ग्रोमोर केंद्रो को निर्धारित प्रतिशतता से अधिक उर्वरक आबंटित किये गए। परिणामस्वरूप, किसानों को यात्रा और उर्वरकों के परिवहन पर अतिरिक्त खर्चा कर मंडल मुख्याल्यों की ओर भागने पर मजबूर होना पड़ा जहां माना ग्रोमोर केंद्र मौजूद थे।

9.1.2.7 उर्वरको का उपभोग

प्रत्येक फसल के लिए उर्वरकों की मात्रा की आपूर्ति को सीमित करने के सम्बंध में कोई विनियम न होने के कारण रसायनिक उर्वरकों या अनुशंसित मात्रा से अधिक इस्तेमाल हो रहा था जिसकी वजह से भारत सरकार पर आर्थिक सहायता का बोझ बढ़ गया और मिट्टी की उपजाउपन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा।

9.1.2.8 गुणवत्ता नियंत्रण और प्रयोगशाला की जांच

- 2006–07 के दौरान अमानक नमूनो के 41 से 57 प्रतिशत को पुर्नविश्लेषण के दौरान मानक घोषित कर दिया गया जिसने सभी नमूनों और पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को शक के घेरे में ले लिया।
- कृषि निदेशक और कमीशनर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा 2006–07 और 2007–08 से सम्बन्धित फार्म जो (उर्वरक नमूनो के विवरण) सहित अमानक नमूनों के संदर्भ में अनुशंसित वसूलियां उपलब्ध नहीं कराई गई।
- 2008–09 से सम्बन्धित 329 अमानक मामलों में से केवल 74 मामले उर्वरक विभाग को वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए।
- नवम्बर 2009 को अमानक उर्वरको के 232 मामलों में कानूनी कार्रवाई अभी आरंभ की जानी थी। मामलों की अवधि 1 से 5 वर्ष थी जैसाकि सांख्यिकीय रिपोर्ट से देखा गया। तथापि, मामलों के ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

9.1.2.9 अच्छा आचरण – उर्वरक कोडिंग केंद्र

- उर्वरकों के विश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता के बनाए रखने के लिए 2004 के दौरान हैदराबाद में उर्वरक कोडिंग केंद्र (एफ सी सी) की स्थापना की गई। एफ सी सी एक केद्रीय कोडिंग केंद्र के रूप में काम करता है जो अक्स्मात किसी भी मौजूदा उर्वरक विश्लेषण प्रयोगशाला को नमूने भेज देता है। उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूने जो इस केंद्र में प्राप्त होते थे, उन्हें एक गुप्त कोड नम्बर दिया जाता था और उन्हें मौजूदा किसी भी पांच प्रयोगशाला को भेज दिया जाता था। विश्लेषण के बाद सहायक निदेशक कृषि (ए जी ए) एफ सी ओ प्रयोगशाला द्वारा ए जी ए, एफ सी सी को परिणाम भेज दिये जाते थे जो उसका कूट खोलकर और नमूने के अन्य विवरण

विश्लेषण रिपोर्ट में समाविष्ट कर अंतिम रिपोर्ट भी उसी उर्वरक निरीक्षक को भेज देता था जिससे वह नमूना प्राप्त हुआ था।

9.1.3 विक्रेता और किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.1.3.1 विक्रेता सर्वेक्षण

49 विक्रेताओं के जवाबों का सारांश निम्न है:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	12	37	
49 विक्रेताओं में से, 37 विक्रेताओं ने बताया कि उन्हे अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की मात्रा नहीं मिल रही थी और आपूर्ति में भी देरी हो रही थी।				
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	9	38	2
		हां	नहीं	
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	31	18	
49 में से 31 विक्रेताओं ने कहा कि कार्य को उर्वरकों की आपूर्ति विक्रेता केंद्र पर करने की बजाय रेक केंद्र पर करनी चाहिए ताकि परिवहन और अन्य प्रभारों के अतिरिक्त वितीय बोझ को हटाया जा सके।				
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	11	37	1
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	15	34	
34 विक्रेताओं ने कहा कि फर्मो से उर्वरकों की प्राप्ति में देरी के कारण उन्हें किसानों को समय पर उर्वरको के आपूर्ति करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था।				
		हां	अन्य	
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	1	48	
		हां	नहीं	
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षो में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	39	10	

सिफारिशें : विक्रेता

- कम्पनियां उर्वरकों की आपूर्ति फ्रेट–ऑन–लारी (एफ ओ एल) के आधार पर नहीं कर रही थी और सभी कम्पनियां सम्बद्ध परियोजना की आपूर्ति कर रही थी जिससे बचा जाना चाहिए।
- सभी निर्माणकर्ताओं को अपने उर्वरकों की आपूर्ति विक्रेताओं को आंध्र प्रदेश मार्कफेड के माध्यम से करनी चाहिए।
- उर्वरकों के उचित उपायोग और बायो/जैब उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में किसानों को शिक्षित किया जाना चाहिए।

9.1.3.2 किसानों का सर्वेक्षण

242 किसानों के जवाबों का सारांश निम्न है:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर				
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों	कोई नहीं	टिप्पणी
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	89	86	65	2	
		हां	नहीं			
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	167	75			
		एम.आर.पी.	एम.आर.पी. से अधिक	कोई टिप्पणी नहीं		
3.	किन कीमनों पर आपने (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक पिछले एक या दो मौसम में खरीदे?	121	110	11		
		हां	नहीं			
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	214	28			
		हां	नहीं			
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	194	48			
		हां	नहीं			
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	179	63			
229 किसानों ने कहा कि उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है।						
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये		
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	91	130	21		
130 किसानों ने कहा कि उनकी भुमि की मिट्टी की जांच नहीं की गई थी।						

		हां	नहीं
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	99	143
242 किसानो में से, 99 किसानों ने कहा कि समय पर उर्वरकों की अनुपलब्धता के कारण उन्हे समस्या का सामना करना पड़ता है।			
		हां	नहीं
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	41	201
		हां	नहीं
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	25	217
		हां	नहीं
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	178	64
		हां	नहीं
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	72	170

9.1.3.3 उर्वरकों के विक्रेताओं के फील्ड दौरे के परिणाम

नमूना जांच किए गए उर्वरकों के विक्रेताओं के फील्ड दौरे से उर्वरकों की अपर्याप्त आपूर्ति/स्टॉक, उर्वरकों के साथ अन्य वस्तुओं की बिक्री (जिसमें बाध्य बिक्री की भी संभावना है) और उर्वरकों के मूल्यों को न दिखाया जाने के दृष्टांत पता लगे जिन्हे निम्न फोटो में दर्शाया गया है:

उर्वरकों की अपर्याप्त आपूर्ति – कडापा जिला

उर्वरकों की अपर्याप्त आपूर्ति – करीमनगर जिला

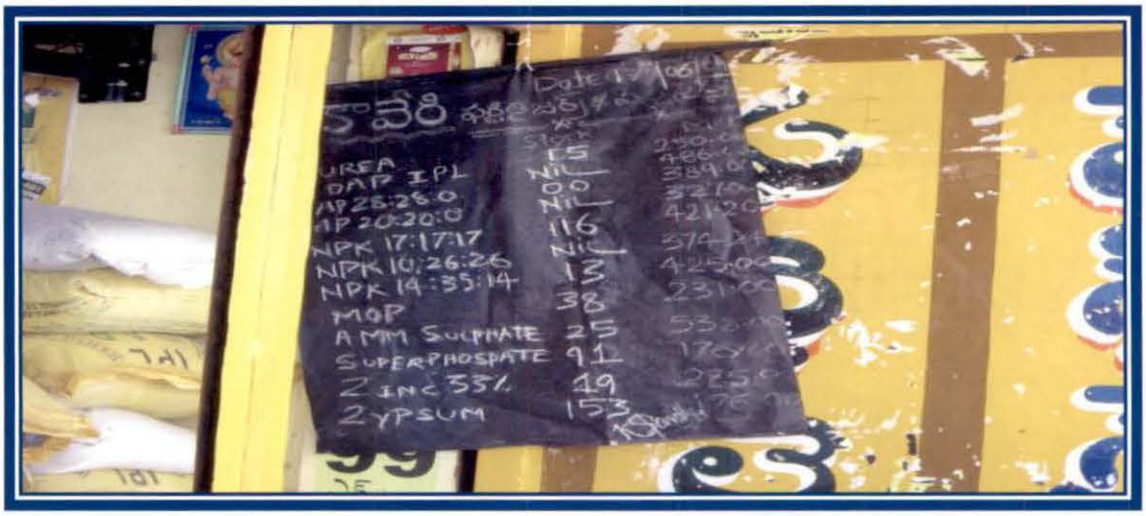

उर्वरकों की अपर्याप्त आपूर्ति, जनगांव ब्लाक, वारंगल जिला (क्रम संख्या 5, विक्रेता सर्वेक्षण)

उर्वरकों के साथ अन्य वस्तुओं की बिक्री – अमरावती जिला

उर्वरकों के साथ अन्य वस्तुओं की बिक्री – जगतियाल ब्लाक – करीमनगर जिला (किसान सर्वेक्षण की मद संख्या 9)

उर्वरकों के साथ अन्य वस्तुओं की बिक्री – जगतियाल ब्लाक – करीमनगर जिला (किसान सर्वेक्षण की मद संख्या 9)

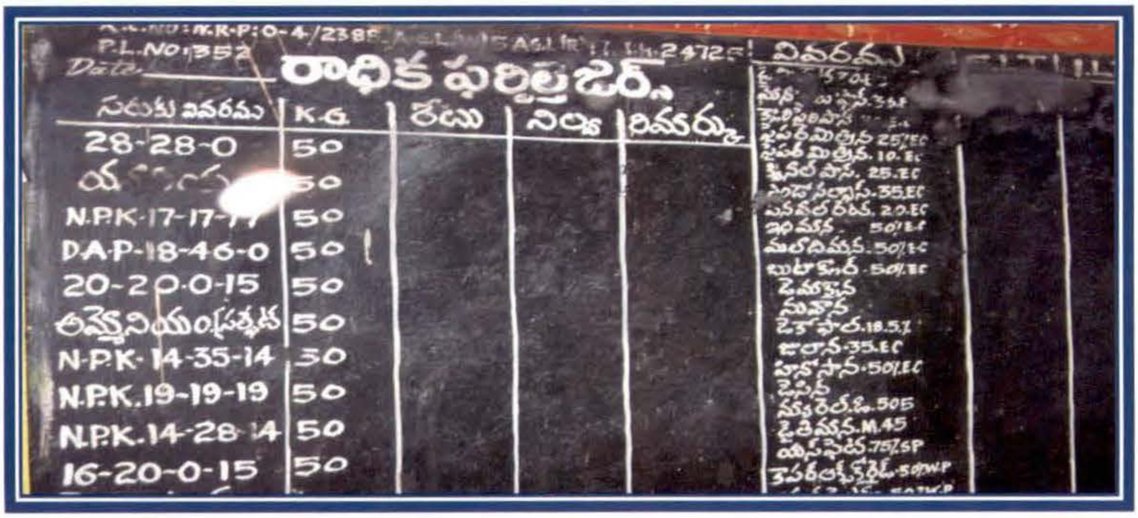

बोर्ड पर दरे नहीं दर्शाई गई थी – नरासराओपेत ब्लाक, गुंटूर जिला

9.2 असम

9.2.1 पृष्ठभूमि

असम में 27 जिले हैं, जिनका कुल खेती योग्य क्षेत्र 31.14 लाख हेक्टयर है। राज्य का खेती योग्य क्षेत्र जिसे सींचा जाता था, 1.26 लाख हेक्टयर, वर्ष 2006–07 से केवल 0.89 लाख हेक्टयर, वर्ष 2007–08 तक घट गया। राज्य में केवल 3.23 प्रतिशत खेती योग्य क्षेत्र की सिंचाई की जा रही थी।

विस्तृत लेखा परीक्षा जांच के लिये, निदेशक (कृषि), चार जिला कृषि अधिकारियों (डी.ए.ओ.), पांच उर्वरक उत्पादकों, 12 व्यापारियों और 60 किसानों के दस्तावेज, चार सैम्पल जिलों (कामरूप, जोरहाट, धुबरी और हिलाकांडी) में प्रत्येक जिले में चयनित किये गये।

9.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.2.2.1 उर्वरक की आवश्यकताओं का आंकलन

- लक्षित आवश्यकता पिछले वर्ष के उपयोग पर आधारित थी।
- उर्वरकों की आवश्यकता को आंकने के लिये कोई मानक/स्तर जोकि खेती की किस्म, सिंचित/असिंचित क्षेत्र, भूमि के उपजाऊपन और अन्य स्थानीय कारकों पर आधारित नहीं थे।
- वर्ष 2006–09 के दौरान, जिला–इनपुट–कांफ्रेंस में लक्षित आवश्यकता और वास्तविक बिक्री के बीच का अंतर 6 और 90 प्रतिशत की श्रेणी में था जोकि डी.ए.पी., एम.ओ.पी0, एस.एस.पी. और यूरिया से संबंधित था और इसका वितरण निम्न तालिका में दिया गया है:

सारणी9.3–आवश्यकता और वास्तविक बिक्री के बीच अंतर, आसाम में,

उत्पादक	उत्पाद का नाम	आवश्यकता (मीट्रिक टन)	उपलब्धता/उपभोग (एम.टी.)	प्राप्त की गई/बेची गई मात्रा (एम.टी.)	एम.टी. में अंतर (%) (कॉलम 3–5)	आधिक्य(+) कमी (-)एम.टी. में (%) (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6	7
2006-07						
आई.पी.एल., बी.वी. एफ.सी.एल., टी.सी. एल., इफ्को, टिस्ता, पी.पी.एल	डीएपी	35000	70544	20611	14389 (41)	**(+)49933 (71)**
	एमओपी	70000	82865	41306	28694 (41)	**(+)41559 (50)**
	एसएसपी	38000	109675	15570	22430 (59)	**(+)94105 (86)**
	यूरिया	205000	194405	191474	13526 (7)	**(+)2931 (2)**
2007-08						
आई.पी.एल., बी.वी. एफ.सी.एल., टी.सी. एल., इफ्को, टिस्ता	डीएपी	65000	74829	9530	55470 (85)	**(+)65299(87)**
	एमओपी	80000	92434	40408	39592 (49)	**(+)52026(56)**
	एसएसपी	75000	113234	14887	60113 (80)	**(+)98347(87)**
	यूरिया	230000	195414	193343	36657 (16)	**(+)2071(01)**
2008-09						
आई.पी.एल., बी.वी. एफ.सी.एल., टी.सी. एल., इफ्को, टिस्ता	डीएपी	103000	68929	10446	92554 (90)	**(+)58483(85)**
	एमओपी	106000	95270	94301	11699 (11)	**(+)969 (01)**
	एसएसपी	110000	94780	23464	86536(79)	**(+)71316 (75)**
	यूरिया	240000	223477	224589	15411 (6)	**(-) 1112(01)**
कुल		**1357000**	**14,15,856**	**8,79,929**	**477071**	**(+)535927**

- वर्ष 2006–09 की तुलना में 5,35,927 एम.टी., विभिन्न श्रेणियों के उर्वरकों की उपलब्धता, का आधिक्य था जोकि 1 और 87 प्रतिशत की श्रेणी में था।
- तालिका के अनुसार तीन वर्षों की आवश्यकता 13,57,000 एम.टी. थी जबकि उपलब्धता (प्रथम स्टॉकिंग बिंदु पर) 14,15,856 एम.टी. थी। जिसकी तुलना में बेची गई मात्रा 8,79,929 एम.टी. थी। अतः वर्ष 2008–09 के अंत तक विभिन्न श्रेणियों के उर्वरकों में 5,35,927 एम.टी. का आधिक्य था।
- आवश्यकता और आपूर्ति के बीच का फर्क बहुत अधिक था। इस फर्क के कारण उर्वरकों के अधिक भंडारण का क्षेत्रीय दौरों के दौरान पता चला जैसा कि निम्न चित्र में दिया गया है:

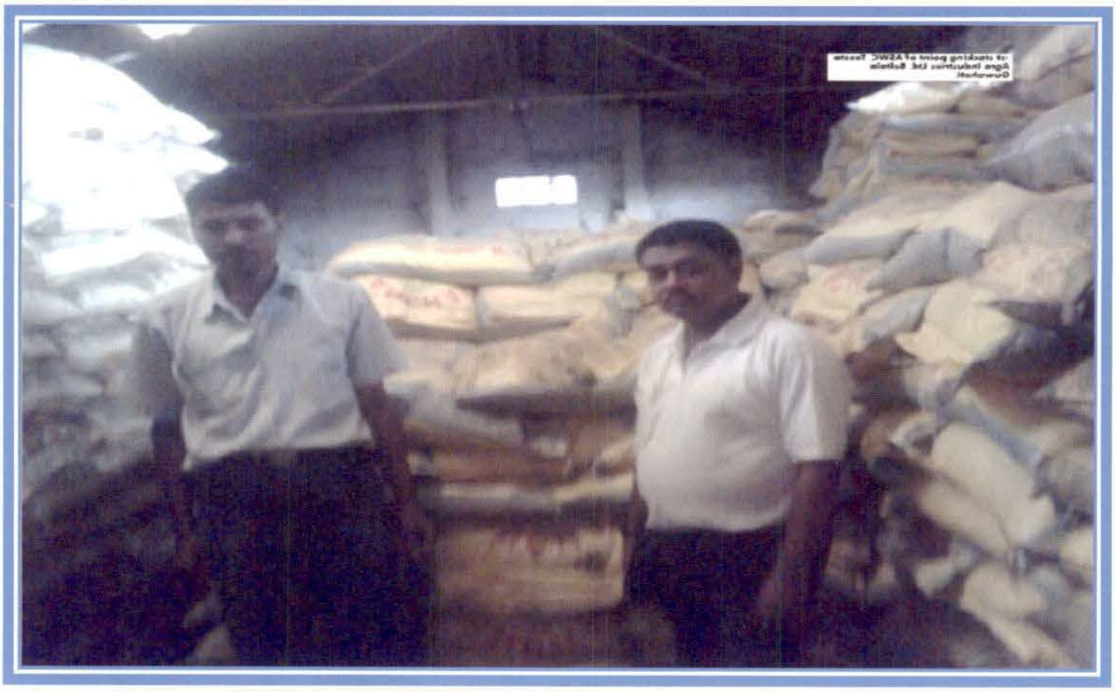

प्रथम स्टॉकिंग बिंदु ए.एस.डब्ल्यू सी, टिस्टा, बेलटोला, एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुवाहटी में उर्वरक के अधिक भंडारण

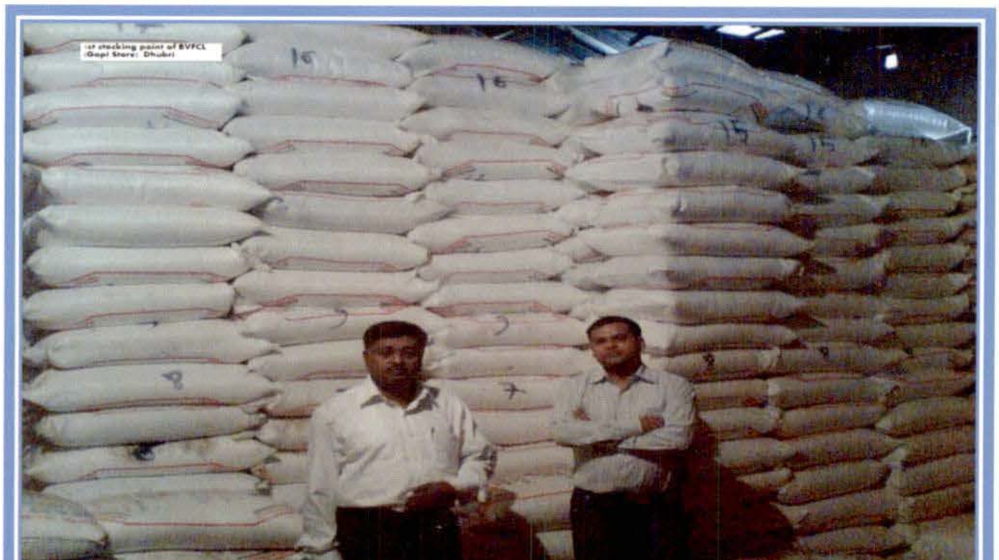

बी.वी.एफ.सी.एल (गोपी स्टोर) धुबरी जिला में उर्वरकों के अधिक भंडारण

9.2.2.2 वितरण और बिक्री

- चार चयनित जिलों में (कामरूप, धुबरी, जोरहाट और हिलाकांडी) आबंटित की गई मात्रा से कम डी.ए.पी. की बिक्री क्रमशः 59 प्रतिशत, 99 प्रतिशत, 98 प्रतिशत, और 95 प्रतिशत हुई। कामरूप और जोरहाट में यूरिया की बिक्री, आबंटन से क्रमशः 53 प्रतिशत और 26 प्रतिशत अधिक थी और धुबरी और हिलाकांडी में वास्तविक बिक्री आबंटन से क्रमशः 54 प्रतिशत और 59 प्रतिशत कम थी।
- कामरूप में एम.ओ.पी. की वास्तविक बिक्री आबंटन से 73 प्रतिशत अधिक थी और धुबरी, जोरहाट और हिलाकांडी में वास्तविक बिक्री आंबटन से क्रमशः 73 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 100 प्रतिशत कम थी।
- उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उर्वरकों का साम्ययुक्त वितरण जिलों के बीच नहीं किया गया जोकि आवश्यकताओं का उपयुक्त आंकलन तथा उत्पादकों/आयातकों द्वारा उर्वरक की बिक्री के निरीक्षण में कमी के कारण हुआ।

9.2.2.3 उर्वरकों का लेखा जोखा रखने में कमी

चार सैंपल्ड जिलों में चयनित 48 व्यापारियों (22 थोक बिक्री और फुटकर बिक्री) के दस्तावेजों की जांच, उत्पादकों के दस्तावेजों के साथ की गई तथा यह पता चला कि 5776.70 एम.टी. उर्वरक (5116.70 एम.टी. यूरिया, 200 एम.टी. एस.एस.पी. ओर 460 एम.टी.डी.ए.पी.) जिनका मूल्य 281.70 लाख रूपये था की सात थोक बिक्री व्यापारियों को उत्पादकों द्वारा बेचा गया था जबकि मई 2008 से दिसंबर 2008 तक व्यापारियों ने ये नहीं प्राप्त किया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 9.4–वर्ष 2008–09 के लिये उर्वरकों के वितरण व्यापारियों की प्रथम स्टॉकिस्ट बिंदु के आधार पर

(मात्रा एम.टी. में)

जिले का नाम	व्यापारी का नाम	उत्पादक का नमा	उत्पाद का नाम	उत्पादक द्वारा बेची गई मात्रा	व्यापारी द्वारा प्राप्त मात्रा	अंतर अधिकता (+) कमी (-)	मूल्य (लाख रू. में)
हिलाकांडी	मानिकुद्दीन सोडियल	बीवीएफसीएल	यूरिया	515	415	100	**5**
		इफ्को (नेफेड)	यूरिया	185	100	85	**4**
	एजीजुर रहमान बारबुयान	बीवीएफसीएल	यूरिया	57.9	0	58	**3**
		इफ्को (नेफेड)	यूरिया	20	0	20	**1**
	अब्दुल मातिन बारबुयान	बीवीएफसीएल	यूरिया	240	203	37	**2**
		इफ्को (नेफेड)	यूरिया	60	0	60	**3**
धुबरी	महामाया एग्रो सर्विस	नेफेड (इफ्को)	यूरिया	80	0	80	**4**
		नरामेक (इफ्को)	यूरिया	705	0	705	**32**
जोरहाट	कृषि सरोथी (नितुल बरूआ)	बीवीएफसीएल/नेफेड	यूरिया	5984	4349	1635	**76**
	नेफेड जोरहाट	इफ्को	यूरिया	1536	916	619	**21**

जिले का नाम	व्यापारी का नाम	उत्पादक का नमा	उत्पाद का नाम	उत्पादक द्वारा बेची गई मात्रा	व्यापारी द्वारा प्राप्त मात्रा	अंतर अधिकता (+) कमी (-)	मूल्य (लाख रू. में)
कामरूप	नेफेड, कामरूप	इफ्को	यूरिया	3272	2195	1077	**52**
		आईपीएल	यूरिया	454	182	272	**13**
	नारमैक	इफ्को	यूरिया	2601	2233	368.55	**18**
		कुल (यूरिया)		**15710**	**10593**	5116.7	231
हिलाकांडी	मानिकुद्दीन सोडियल	नेफेड (Ghy)	डीएपी	10	0	10	**1**
कामरूप	नारमैक	इफ्को	डीएपी	555	105	450	**43**
		कुल (डीएपी)		**565**	**105**	460	44
धुबरी	महामाया एग्रो सर्विस	टिस्टा एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	एसएसपी	200	0	200	**7**
		कुल (एसएसपी)		**200**	**0**	200	**7**
		कुल जोड़		**16475**	**10698**	**5776.70**	**282**

अतः उत्पादकों ने व्यापारियों को 5776.70 एम.टी. उर्वरक की आपूर्ति के बिना सहायिका प्राप्त की। इसके अतिरिक्त कालाबाजारी के मौकों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

9.2.2.4 प्रोफार्मा ए और बी को देरी से/न प्रस्तुत करना

- उत्पादकों/आयातकों द्वारा राज्य सरकार को 60 दिवसों के कलेंडर माह में प्रोफार्मा 'ए' प्रस्तुत करना चाहिये जोकि बिक्री इन्वाइस और अन्य सहायक दस्तावेजों के विवरण दर्शाता हो। मैसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007–08 में प्रोफार्मा 'ए' को प्रस्तुत करने में 13 से 105 दिनों की देरी, 60 दिवसों की निर्धारित अवधि के बाद हुई।
- कृषि निदेशालय द्वारा उर्वरक विभाग के वर्ष 2007–08 में, मैसर्स आर.पी.एल. के संबंध में प्रोफार्मा 'बी' प्रस्तुत करने में निर्धारित 90 दिवसों की अवधि के बाद 27 और 174 दिनों की श्रेणी में देरी की गई।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2008–09 में विभाग द्वारा मैसर्स बी.वी.एफ.सी.एल., मैसर्स आई.पी.एल. और टिस्टा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मे प्रोफार्मा 'बी' को प्रस्तुत करने में 15–252 दिनों की श्रेणी में देरी हुई।

प्रोफार्मा 'ए' राज्य सरकार द्वारा बिक्री के प्रमाणीकरण का एक आधारभूत दस्तावेज है जोकि विनियंत्रित उर्वरकों के भुगतान के संबंध में है। अतः प्रोफार्मा 'ए' में देर के कारण बिक्री के प्रमाणीकरण प्रोफार्मा 'बी' द्वारा करने में देरी हुई। यह तथ्य राज्य कृषि विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

9.2.2.5 सहायिका दावों का कंपनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों/प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणीकरण/सत्यापन न होना

- वर्ष 2008–09 में 57274.30 एम.टी. के रू. 118.67 करोड़ के सहायिका दावे जोकि मैसर्स आई.पी. एल. द्वारा प्रोफार्मा 'ए' में जुलाई 2008 से मार्च 2009 तक के प्रस्तुत किये गये जिसमें कंपनी के मुख्य कार्यकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे और ये कंपनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित नहीं थे।

- प्रोफार्मा 'बी' में इफ्कों के 385 एम.टी. के डी.ए.पी. की बिक्री के दावों में 21.61 लाख रूपये की सहायिका शामिल थी, ये जून 2006 में स्टेटेफेड को उर्वरक विभाग के निदेशक (कृषि) द्वारा प्रस्तुत किये गये जोकि उपभोक्ता के लिफ्टिंग प्रमाणपत्र के बिना था, क्योंकि संस्थान (स्टेटफेड) बंद हो चुका था।

9.2.2.6 बफर स्टॉक

- जबकि आई.पी.एल. को निर्धारित बफर स्टॉक 5000 एम.टी. एफ.ओ.पी. वर्ष 2006–07 में, 5000 एम. टी.डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. प्रत्येक के 2007–08 और 2008–09 के दौरान रखने थे, तब भी एम.ओ. पी. का 5000 एम.टी. का बफर स्टॉक केवल मार्च 2009 में ही 2006–09 की अवधि के लिये तैयार हो पाया।

9.2.2.7 व्यापारी जोकि मान्य लाइसेंस के बिना थे

- 6 खुदरा व्यापारी जोकि उर्वरक–व्यापार बिना किसी मान्य लाइसेंस, राज्य कृषि विभाग से प्राप्त किये, कर रहे थे, जबकि अन्य 4 व्यापारी भी लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके।

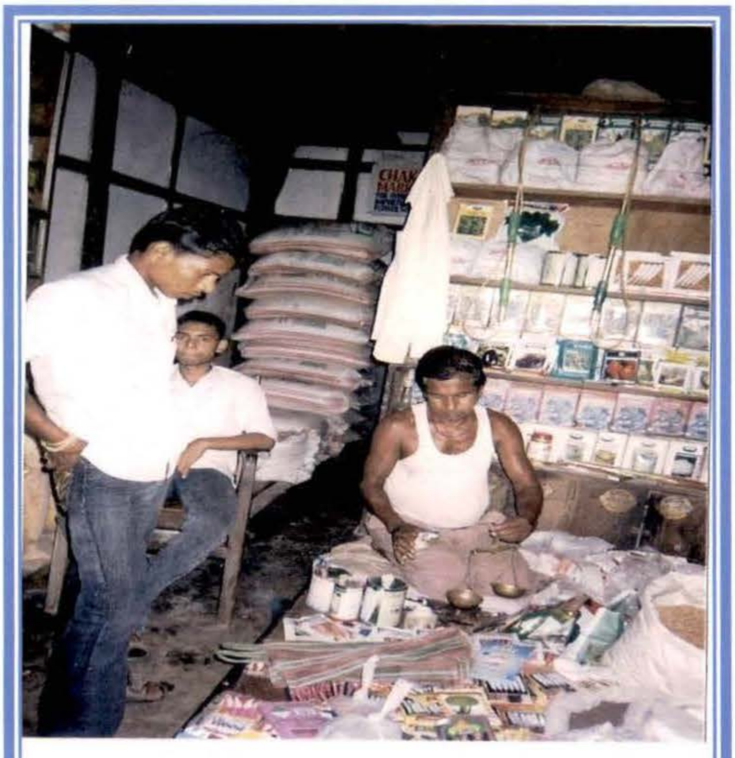

लेखापरीक्षा दल ने थोक व्यापारी (गोपेंद्र मोहन राय), लाला ब्लॉक, हिलाकांडी जिले के परिसर का दौरा किया जिसका लाइसेंस रद्द हो चुका था।

9.2.2.8 गुणवत्ता नियंत्रण

9.2.2.8.1 गुणवत्ता नियंत्रण लैबोरेट्रीओं द्वारा उर्वरकों की जांच में कमी।

- गुवाहटी के उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण लैबोरेट्री द्वारा उर्वरक ने जांच के लक्ष्यों को वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक प्राप्त नहीं किया जा सका, जैसे निम्न विवरण में दिया गया है। यह कमी 59 से 93 प्रतिशत की श्रेणी में थी।

सारणी 9.5–असम में उर्वरक सैंपलों की जांच में कमी

वर्ष	लक्ष्य	जांच के लिये प्राप्त सैंपलों की संख्या		कुल	कमी (प्रतिशत)	खराब सैंपलों की संख्या
		असम में	अन्य राज्यों से			
2006-07	500	10	24	34	466(93)	6
2007-08	500	137	27	164	336(67)	-
2008-09	500	162	44	206	294(59)	2

9.2.2.8.2 सैंपलों के आंकड़ों की अनुपयुक्त रूप से प्रस्तुत करना

- 5 सैंपल डी.ए.ओ. जोरहाट द्वारा ज्ञापन फार्म 'जे' (उर्वरक सैंपल के ब्यौरे) में भेजे गये थे जोकि फार्म 'के' (जांच के लिये भेजे गये उर्वरक सैंपल के साथ भेजे जाने वाला ज्ञापन) में होने चाहिए थे। सैंपल 6 से 20 दिनों की देरी से प्राप्त किये गये।
- ये सैंपल बहुत कम मात्रा की उर्वरक के भंडार, जोकि 0.03 एम.टी. से 0.20 एम.टी. की श्रेणी के थे, से लिये गये थे।
- दो मामलों में, नमून की मात्रा के भंडार के स्त्रोत की जानकारी फार्म 'जे' में नहीं दी गई थी।

9.2.2.9 व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण का न होना

- उत्पादकों और थोक बिक्री व्यापारियों के चार चयनित जिलों में दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि मई 2008 से दिसंबर 2008 तक व्यापारियों ने 32158.866 एम.टी. विभिन्न नियंत्रित और विनियंत्रित उर्वरकों की खरीद की और 30361.486 एम.टी. उर्वरक खुदरा व्यापारियों को बेचा। परंतु कोई भी थोक बिक्री व्यापारी सिवायें नेफेड, नारमैक और एग्रो फर्टिलाइजर मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कामरूप जिला में उवर्रक की बिक्री खुदरा व्यापारियों को, का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर सका। एक खुदरा व्यापारी (कृषिमहल धुबरी) ने केवल उर्वरक की प्राप्ति का ब्यौरा रखा था जोकि बिक्री के ब्यौरे के बिना था।
- उर्वरकों के प्रथम स्टॉकिस्ट बिंदु से खुदरा व्यापारियों तक वितरण को सही ढंग से नहीं जांचा जा सका क्योंकि दस्तावेजों को जोकि प्राप्ति और किसानों को उर्वरक बेचने के संबंध में थे, सही प्रणाली में सभी खुदरा व्यापारियों द्वारा नहीं रखा गया था। अतः खुदरा व्यापारियों द्वारा किसानों को उर्वरक की बिक्री की प्रमाणिकता को नहीं जांचा जा सका। यहां कालाबाजारी के अवसरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

9.2.2.10 अनुवीक्षण

- निदेशक (कृषि) और जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारी उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच के लिये जिम्मेदार थे तथा प्रथम स्टॉकिंग बिंदुओं पर भंडार का एवं इसके साथ में ही व्यापारियों के दस्तावेजों की जांच तथा आपूर्ति किये गये उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच के लिये सैंपल इकट्ठा करने के लिये भी जिम्मेदार थे।
- जांच के दौरान इस प्रकार की कोई भी अनुवीक्षण रिपोर्ट सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं थी।
- गुवाहाटी की लैबोरेट्री के रिकार्ड की जांच में पता चला कि सैंपलों की जांच के जो लक्ष्य तय थे, वे पूरे नहीं किये जा सके, क्योंकि क्षेत्र स्तर के अधिकारियों ने सैंपल इकट्ठे नहीं किये थे।

9.2.3 व्यापारियों और किसानों के सर्वेक्षण के नतीजे

9.2.3.1 व्यापारियों के सर्वेक्षण

48 व्यापारियों की अनुक्रिया का सार निम्न है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	16	31	1
31 व्यापारियों ने कहा कि वे आवश्यक मात्रा में उर्वरक समय पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं।				
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	35	6	7
		हां	नहीं	
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	18	30	
		हां	नहीं	
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	10	38	
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	8	37	3
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	26	18	4

		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	11	36	1

9.2.3.2 किसान सर्वे

240 किसानों के जवाबों का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर			
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों	अन्य
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	2	194	2	42
		हां	नहीं	अन्य	
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	4	232	4	
		एम.आर.पी.	अन्य		
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	0	240		
		हां	नहीं		
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	12	228		
		हां	नहीं	कोई नहीं टिप्पणी	
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	6	233	1	
		हां	नहीं	अन्य	
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	27	211	2	
		हां	नहीं	अन्य	
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	23	216	1	

		हां	नहीं	
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	174	66	
		हां	नहीं	कोई नहीं टिप्पणी
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	36	196	8
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	220	20	
		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	61	165	14
		हां	नहीं	कोई नहीं टिप्पणी
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	168	64	8

उपरोक्त सर्वेक्षण अनुक्रिया से यह जाहिर होता है कि 240 किसानों में से 194 किसान उर्वरक निजी व्यापारियों से खरीद रहे थे। वे सब एम.आर.पी. से ऊँची कीमतों का भुगतान कर रहे थे। 228 किसानों को रसीद प्राप्त नहीं हुई। 216 ने बताया की मिट्टी की जांच नहीं की गई। 174 ने कहा कि उनको आवश्यक मात्रा नहीं प्राप्त हो रही है और 220 किसान, इस मत के थे कि उर्वरकों के कम मात्रा के बैग मिलने चाहिये।

फॉस्फेट लिमिटेड

9.3 बिहार

9.3.1 पृष्ठभूमि

बिहार में 38 जिले है; कुल भौगोलिक क्षेत्र 93.6 लाख हेक्टेयर है। फसलों का समग्र क्षेत्र 75.82 लाख हेक्टेयर है। उगाई जाने वाली मुख्य फसलें धान, गेहूं, मसूर, गन्ना और जूट है। छह जिले और भागलपुर के 12 ब्लॉक (गोरादहि, सुल्तानगंज), छपरा (छपरा और नागरा), दरभंगा (बहेरीयांद मनिगची), गया (गयासदर, खिजर सराय), मोतीहारी (रक्सौल, ढाका) और पुर्निया (बैसी और श्रीनगर) को विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए चुना गया।

9.3.2 लेखापरीक्षा जांच–परिणाम

9.3.2.1 उर्वरको का अनुमान

- फसलों के प्रकार, सिंचित/असिंचित क्षेत्र, मिट्टी की स्थिति और अन्य स्थानीय घटकों के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता की गणना करने के लिए कोई नियम नहीं निर्धारित किए गए थे।
- विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता के अनुमान केवल निदेशालय स्तर पर ही लगाए जाते थे वो भी पिछले वर्षो में उपभोग के आंकड़ों पर आधारित थे और सिंचित/असिंचित क्षेत्र, मिट्टी की अवस्था और अन्य स्थानीय घटकों पर आधारित नहीं थे। सामान्यतः पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक उपभोग में 10 से 20 प्रतिशत को जोड़कर आवश्यकता का आंकलन किया जाता था।
- यहां तक कि पिछले वर्षों में उपभोग के आंकड़े भी वास्तविक नहीं थे क्योंकि जिला स्तर पर उपभोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
- उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता को ब्लॉक के अनुसार नहीं बांटा गया था। जिला स्तर पर आपूर्ति को ब्लाक के अनुसार, उपजाऊभूमि के आधार पर नहीं बांटा गया था बल्कि ब्लाक में पंचायतों की संख्या के आधार पर बांटा गया था जिसका कोई दस्तावेज नहीं था।
- उर्वरक कम्पनी द्वारा आपूर्ति के आधार पर उपभोग आधारित था।

9.3.2.2 उर्वरकों की उपलब्धतता

- किसानों/विक्रेताओं की शिकायत थी कि उर्वरकों की कमी थी और फसल की अवधि के दौरान उन्हें उर्वरकों के प्रापण में समस्या थी। तथापि, उर्वरकों का बिक्री को नियत करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे।
- किसानों ने यह भी शिकायत की कि उर्वरकों की खरीदके लिए उन्हें काफी अधिक दरें देनी पड़ रही थी और उन्हें अपेक्षित मात्रा नहीं मिल रही थी जिसने फसलों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया।
- हमारी फील्ड लेखापरीक्षा से पता चला कि कई क्षेत्रों में फसलों की अवधि के दौरान उर्वरकों की कमी थी जिसका विवरण निम्न है:

मोतीहारी जिला, मधुबन आदर्श मधुबन के एस एस एस एस में उर्वरकों की अनुपलब्धतता

छपरा जिला, भेल्दी पारसा, शेखर फर्ट में उर्वरकों की अनुपलब्धतता

मोतीहारी जिला, कुमारी देवी चौक, बजरंग ट्रेडर्स में उर्वरकों की अनुपलब्धतता

भागलपुर जिला, गोरादिह ब्लाक, अमन कृषि केंद्र में उर्वरकों की अनुपलब्धतता

9.3.2.3 स्टाक की जांच

- चार चयनित जिलों में बिक्री की जांच कभी भी नहीं की गई थी।
- प्रमाणीकरण किया गया और बफर स्टाक में दर्ज की गई मात्राओं के आधार पर बिलों की जांच की गई। तथापि स्टाक की कोई भौतिक जाँच नहीं की गई।
- प्रथम संग्रहण केन्द्र से लेकर किसान स्तर तक बिक्री की जांच की निर्धारित प्रतिक्रिया का अनुकरण नहीं किया जा रहा था।

- अन्य जिलों में रखे केन्द्रों से थोक में प्राप्त हुए उर्वरकों का प्रमाणित कारण नहीं किया जा रहा था।
- अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 के दौरान नमूना जांच किये गए जिलों में जिला स्तर पर कम्पनियों के प्रेषण आंकड़ों की मात्रा (101126.10 एम टी) और प्रथम संग्रहण केंद्र विक्रेताओं द्वारा प्राप्त मात्रा (79932.60 एम टी) में विसंगति थी। अंतर 21193.45 एम टी उर्वरक का था जिसमें 14.60 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता शामिल है जिसका विवरण निम्न है–

सारणी 9.6 – बिहार में डिस्पैच डेटा में विसंगतियां

क्रम संख्या	निर्माणकर्ता का नाम	उत्पाद	प्रेषित मात्रा (एमटी)	प्राप्त मात्रा (एमटी)	अंतर (एमटी)	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	कृभको, हजीरा	यूरिया	1373.60	1151.40	222.20	0.12
2.	इंडोगल्फ, जगदीशपुर (आई जी एफ एल)	यूरिया	36543	24521.20	12021.80	6.24
3.	आर सी एफ, थाल	यूरिया	15284.8	13408.35	1876.45	1.87
		एम ओ पी	1321.80	767.20	554.60	1.13
6.	के एस एफ एल	यूरिया	18319.5	14611.85	3707.65	3.10
7.	नागार्जुन फर्टिलाइजर कैमिकल्स लिमिटेड	यूरिया	5144.4	3825.6	1318.8	0.32
8.	टी सी एल	यूरिया	5185.7	4356.6	829.1	0.54
9.	आई पी एल	डी ए पी	6557.7	6526.1	31.6	0.10
		यूरिया	10461.80	10332.35	129.45	0.15
10.	पी पी एल	एम ओ पी	933.75	431.95	501.80	1.03
	कुल		**101126.05**	**79932.6**	**21193.45**	**14.60**

9.3.2.4 बफर स्टाक

- 15000 एमटी डी ए पी (2006, 07), 2007–09 के लिए 30000 एमटी डी ए पी, 2006–09 के लिए 9000 एमटी एम ओ पी और 50,000 एमटी यूरिया को भी बफर स्टाक के रूप में रखा जाना था, लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं था जो फसल के प्रमुख मौसम में उर्वरकों की कमी का परिणाम बनी।

9.3.2.5 गुणवता नियंत्रण

- 38 जिलों के लिए, पटना में केवल एक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशाला थी। प्रयोगशालाओं की कमी अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं का परिणाम बनी।

- राज्य में से कुल 18640 लिए जाने वाले नमूनों में से केवल 1688 (9.05 प्रतिशत) नमूने ही लिए गए, 1578 का परीक्षण किया गया और 110 (6.5 प्रतिशत) को बिना विश्लेषण को छोड़ दिया गया।
- नमूना चयनित जिले में, वास्तव में लिए गए नमूनों की कमी 2006–07 में 36 और 99 प्रतिशत के बीच थी, 2007–08 में 58 से 99 प्रतिशत और 2008–09 में 33 से 99 प्रतिशत थी।
- 2007–08 के दौरान, नमूना परीक्षित जिलों में प्राप्त विभिन्न प्रकार के 6.22 लाख एमटी उर्वरकों में से, परीक्षण हेतु 6217 की बजाय केवल 416 नमूने लिए गए और 17 को अमानक घोषित कर दिया गया।
- इसके अलावा 2008–09 में कुल प्राप्त 7.46 लाख एमटी उर्वरकों में से, अपेक्षित 7464 में से केवल 464 नमूने परीक्षण के लिए गए और 10 को अमानक घोषित कर दिया गया।
- नमूना परीक्षित जिलों में, फुटकर विक्रेता/सहकारी समिति या केन्द्रीय भंडारण योजना (सी एस एस) के मालगोदाम जो उर्वरक कम्पनी के बफर के रूप में कार्य कर रहे थे, में से कोई नमूना नहीं लिया गया।
- नमूना परीक्षित जिलों में, उर्वरक निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी और जिला कृषि अधिकारी/ब्लॉक कृषि अधिकारी नमूने एकत्रित कर रहे थे।
- अमानक घोषित उर्वरकों के जांच परिणाम विक्रेताओं को सूचित नहीं किए गए थे। इसके अलावा, जब तक नमूनों को अमानक घोषित किया जाता था, स्टाक पहले ही बिक चुका होता था।
- नवम्बर 2008 से पुर्णिया में गोदामों में घटिया स्तर का 23.25 एमटी उर्वरक पड़ा हुआ था।

9.3.2.6 मिट्टी की जांच

- 2006–07 से 2008–09 के दौरान मिट्टी की जांच बनाम लक्ष्यों में 28 और 36 प्रतिशत के बीच कमी थी।

9.3.3 विक्रेता और किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.3.3.1 विक्रेता सर्वेक्षण

70 विक्रेताओं के जवाबों का सारांश निम्न है:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है?	24	46	
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	64	3	3
		हां	नहीं	
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	45	25	

		हां	नहीं
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	14	56
		हां	नहीं
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	20	50
		हां	नहीं
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	54	16
		हां	नहीं
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	8	62

9.3.3.2 किसान सर्वेक्षण

360 किसानों के जवाबों का सारांश निम्न है:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर			
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों	अन्य
1.	क्या आप अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	5	70	31	254
		हां	नहीं		
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	0	360		
		एम.आर.पी.	अन्य	कोई टिप्पणी नहीं	
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	0	93	267	
		हां	नहीं		
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	3	357		
		हां	नहीं		
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी है?	10	350		
		हां	नहीं		
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	72	288		

		हां	नहीं
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	2	358
		हां	नहीं
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	325	35
		हां	नहीं
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	103	257
		हां	नहीं
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	349	11
		हां	नहीं
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	35	325
		हां	नहीं
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में कोई अन्य समस्या का सामना करना पड़ा?	242	118

उपरोक्त सर्वेक्षण के जवाबों से यह स्पष्ट है कि 360 में से 254 किसान, अपंजीकृत विक्रेताओं से उर्वरक खरीद रहे थे। 357 किसानों को रसीद नही मिली थी, 358 किसानों ने बताया कि मिट्टी की जांच नहीं की गई थी, और 349 किसान उर्वरकों की कम मात्रा वाली बोरी के पक्ष में थे। 93 किसानों ने बताया कि उन्हें अधिकतम खुदरा मुल्य से अधिक का भुगतान करना पड़ रहा था और 35 किसानों ने बताया कि उन्हें समय पर उर्वरक नही मिल रहे थे। इसके अलावा, 57 किसानों ने बताया कि नजदीक में दुकान न होने के कारण, उन्हे उर्वरकों की प्राप्ति के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती थी।

9.4 छतीसगढ़

9.4.1 पृष्ठभूमि

छतीसगढ़ में 57.32 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र है। धान प्रमुख फसल है और छतीसगढ़ के केंद्रीय पठार को केंद्रीय भारत के चावल को कटोरे के रूप में जाना जाता है। अन्य प्रमुख फसले हैं मोटा अनाज, गेहूं, मक्का, मूंगफली, दाले और तिलहन।

लेखापरीक्षा जांच के लिए चार जिलो (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगूजा) और आठ ब्लॉक और रायपुर में स्थित उर्वरक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशाला (एफ क्यू सी एल) को शामिल किया गया।

9.4.2 लेखापरीक्षा जांच – परिणाम

9.4.2.1 उर्वरकों का आंकलन

- उर्वरकों की आवश्यकता के आंकलन के लिए कोई नियम/मानक या निर्धारित नहीं किए गए थे। पिछले कुछ वर्षों में उर्वरको की वास्तविक खपत के आधार पर आवश्यकता का आंकलन किया जाता था जिसे कुछ प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार, वैज्ञानिक आधार पर आंकलन नहीं किया जाता था।

9.4.2.2 उर्वरकों की उपलब्धतता

- चार चयनित जिलों में से तीन जिलों में लक्ष्य की तुलना में उर्वरकों की अति/कम आपूर्ति थी जिसका विवरण निम्न है:–

तालिका 9.7 – छतीसगढ़ में उर्वरकों की मांग और उपलब्धतता में अंतर

(मात्रा एमटी में)

अवधि	जिला	लक्ष्य (मांग) (एमटी) A	भंडारण (उपलब्धतता) (एमटी) B	वितरण (एमटी) C	मांग और उपलब्धतता में अंतर (A-B)
खरीफ 2006	दुर्ग	97,300	99756	97,952	2,456
	रायपुर	1,20,035	1,71,173	1,37,386	51,138
	बिलासपुर	97,175	99,360	95,912	2,185
रबी 2006–07	दुर्ग	25,995	45,943	23,527	19,948
	रायपुर	60,075	47,442	26,516	**-12,633**
	बिलासपुर	30,370	43,930	30,271	13,560
खरीफ 2007	दुर्ग	1,40,330	1,20,616	1,11,672	**-19,714**
	रायपुर	1,80,595	1,82,229	1,62,492	1,634
	बिलासपुर	1,13,835	99,740	1,14,823	**-14,095**

अवधि	जिला	लक्ष्य (मांग) (एमटी) A	भंडारण (उपलब्धतता) (एमटी) B	वितरण (एमटी) C	मांग और उपलब्धतता में अंतर (A-B)
रबी 2007–08	दुर्ग	30,201	49,797	28,701	19,596
	रायपुर	34,200	61,761	34,794	27,561
	बिलासपुर	32,800	39,690	31,831	6,890
खरीफ 2008	दुर्ग	1,26,150	1,17,869	1,15,847	**-8,281**
	रायपुर	1,73,050	1,88,545	1,69,199	15,495
	बिलासपुर	1,10,550	1,20,168	1,11,533	9,618
रबी 2008–09	दुर्ग	34,586	60,122	28,367	25,536
	रायपुर	44,370	84,252	42,162	39,882
	बिलासपुर	29,901	44,273	33,192	14,372

(स्त्रोत : जिला अधिकारियों द्वारा दिए डाटा और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

- उर्वरकों की बिक्री हेतु किसी भी राशन पद्धति का अनुकरण नहीं किया जा रहा था।
- दुर्ग जिले के धामधा ब्लॉक में लेखापरीक्षा ने उर्वरकों के अधिक भंडारण (उपभोग पर अनुमानित मात्रा की अधिकता) को दर्शाया जैसाकि नीचे दिए गए फोटो से स्पष्ट है:–

दुर्ग जिला धामधा ब्लॉक – दानी कृषि केन्द्र से उर्वरकों का अधिक भंडारण?

9.4.2.3 *बिक्री की जांच*

- निर्माणकर्ताओं/आयातकों से प्रोफार्मा ए की प्राप्ति और उसके बाद प्रमाणीकरण और प्रोफार्मा बी को जारी करने में देरी थी। प्रोफार्मा बी को जारी करने में देरी 30 से 200 दिनों के बीच थी।
- विक्रेताओं के स्टाक रजिस्टर और बिल बुकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर जांच की जाती थी जिसकी रिपोर्ट डी जी ए द्वारा डी ए को दी जाती थी। स्टाक की कोई भौतिक जांच नहीं की गई थी। न तो प्रथम बिक्री क्रेंद्र अर्थात किसान स्तर तक, के बाहर बिक्री की जांच की कोई प्रक्रिया थी और न ही जिस पक्ष को बिक्री की गई है, उसकी सत्यता की जांच हेतु कोई परीक्षण था।

9.4.2.3.1 बफर स्टॉक का अनुरक्षण नही किया गया

- हालांकि खरीफ 2009 के लिए भारत सरकार ने 5000 एम टी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण के लिए निर्देश दिए थे लेकिन आपूर्ति की कमी के कारण इसका अनुरक्षण भी नहीं किया गया।

9.4.2.4 *गुणवता नियंत्रण*

छतीसगढ़ राज्य में, रायपुर में स्थित एफ क्यू सी एल ही केवल उर्वरकों के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला अधिसूचित थी।

9.4.2.4.1 व्यक्तियों और उपकरणों की कमी

- 17 पद संस्वीकृत थे लेकिन केवल 10 ही भरे थे।
- नियमावली के अनुसार, रसायनिक उर्वरकों के विश्लेषण हेतु 25 उपकरणों की बजाय 17 उपकरण ही उपलब्ध थे।
- 2006–09 के दौरान नमूनो के विश्लेषण में कमी 8 प्रतिशत और 32 प्रतिशत के बीच थी जिसका सारांश निमन है:

तालिका 9.8 – छतीसगढ़ में नमूनों के परीक्षण में कमी

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त नमूने	निष्पत्ति	कमी	कमी प्रतिशतता में
2006-07	3675	3386	3367	308	8.38
2007-08	5626	3404	3371	2255	13.02
2008-09	3670	2516	2503	1167	31.68

(स्त्रोत : डी डी ए, एफ क्यू सी एल द्वारा दिए गए आंकड़े और लेखापरीक्षा द्वारा संचालित)

9.4.2.4.2 अमानक उर्वरकों की बिक्री

- यह देखा गया कि जब तक विक्रेता/फुटकर व्यापारी को नमूनो को अमानक उर्वरक घोषित किए जाने की सूचना दी गई और उन अमानक उर्वरकों की शेष मात्रा की बिक्री को रोकने के लिए आदेश जारी किए जाते, स्टॉक बिक चुका होता था। ऐसे स्टॉक का मूल्य 2.00 करोड़ रुपये था। (दुर्ग में 0.36 करोड़, रायपुर में 1.11 करोड़ रुपये, बिलासपुर में 0.25 करोड़ और सरगूजा में 0.28 करोड़)

9.4.2.5 अन्य जांच परिणाम

9.4.2.5.1 सहकारी समितियों द्वारा एफ सी ओ के अन्तर्गत मान्य पंजीकृत के बिना उर्वरकों की बिक्री।

- चार चयनित जिलों में, सभी 588 सहकारी समितियां (दुर्ग – 182, रायपुर – 206, सरगूजा – 64 और बिलासपुर – 136) उचित अधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना ही, उर्वरकों की फुटकर बिक्री के व्यवसाय में व्यस्त थी जो एफ सी सी के प्रावधानों के विरुद्ध था। राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।
- जवाब में, दुर्ग और सरगूजा जिलों के कृषि उप निदेशकों ने कहा कि कार्रवाई प्रारंभ की जा रही थी।

9.4.2.5.2 निजी विक्रेताओं द्वारा उर्वरकों की अनाधिकृत बिक्री

- एफ सी ओ की धारा 8 और 19 के अनुसार, अगर विक्रेता अमानक उर्वरकों की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जाना है। दुर्ग जिले में, निम्नलिखित पांच निजी विक्रेता जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र अमानक उर्वरकों की बिक्री करने के कारण रद्द कर दिया गया था, तब भी वे उर्वरकों की बिक्री करते रहे।

तालिका 9.9 – छतीसगढ़, दुर्ग जिले में निजी विक्रेता जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए थे।

क्रम संख्या	विक्रेता/फुटकर विक्रेता के नाम	पंजीकरण रद्द किए जाने की तिथि
1	मैसर्ज़ अग्रवाल कमर्शियल कम्पनी, दुर्ग	7919 दिनांक3-11-08
2	मैसर्ज़ बाघमार कृषि केन्द्र, डोन्डी	9957 दिनांक25-12-07
3	मैसर्ज़ सुशील कृषि केंद्र, धमधा	175 दिनांक4-1-08
4	मैसर्ज़ कृषि विकास केन्द्र, दुर्ग	9953दिनांक29-12-07
5	मैसर्ज़ ग्रीनफील्ड, दुर्ग	298 दिनांक9-1-09

9.4.2.6 ना बिकने वाले उर्वरकों और अन्य नुकसानों पर आर्थिक सहायता की बर्बादी

- यह देखा गया कि ना बिकने वाले उर्वरक (डी ए पी, एस एस पी, मिश्रित) 268.875 एमटी मात्रा विभिन्न कृषि उपज मंडियों, संग्रहण केंद्रो में मार्च 1994 सेपड़ी हुई थी।

9.4.3 विक्रेता और किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.4.3.1 विक्रेता सर्वेक्षण

48 विक्रेताओं के जवाबों का सारांश नीचे दिया गया है:–

संख्या	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है?	8	40	
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	21	24	3
		हां	नहीं	
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	3	45	
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	33	9	6
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	34	12	2
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	10	36	2
		हां	नहीं	अन्य
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	42	5	1

यह देखा जा सकता है, अधिकतर विक्रेताओं ने बताया कि उन्हे उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा नहीं मिल रही थी। तथापि, अधिकाश ने बताया किवे उर्वरकों की मात्रा को सीमित कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि अधिकांश विक्रेता ने पिछले तीन वर्षों में अपने स्टॉक में से नमूनो की जांच करवाई थी।

9.4.3.2 किसानों का सर्वेक्षण

240 किसानों के जवाबों का सारांश निम्न है:–

संख्या	प्रश्न	उत्तर		
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों
1.	क्या आप अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	156	56	28
		हां	नहीं	अन्य

2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	77	146	17
		एम.आर.पी.	अन्य	कोई टिप्पणी नहीं
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	210	13	17
		हां	नहीं	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	194	46	
		हां	नहीं	कोई जवाब नहीं
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी है?	147	84	9
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	72	162	6
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	38	201	1
		हां	नहीं	अन्य
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	57	178	5
		हां	नहीं	कोई जवाब नहीं
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	26	205	9
		हां	नहीं	अन्य
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	120	113	7
		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	206	27	7
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	49	177	14

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश किसानों को उर्वरकों के एम आर पी की जानकारी थी और उन्होंने एम आर पी पर ही उर्वरकों को खरीदा था। अधिकतर को अपनी आवश्यकतानुसार उर्वरकों को खरीदने में कोई समस्या नहीं आई। तथापि, अधिकांश किसानों के पास अपनी आवश्यकता की पूरी मात्रा को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था और उन्होंने अपनी मिट्टी की जांच भी नहीं करवाई थी।

9.5 गुजरात

9.5.1 पृष्ठभूमि

गुजरात में 26 जिले हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र 196024 वर्ग कि.मी. है। फसल क्षेत्र 122.02 लाख हेक्टेयर है। मुख्य फसले गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, मूंगफली, सरसों, मूंग, हरे चने, चना, कपास और गन्ना है। गुजरात अरंडी, तम्बाकू, इस्बगोल का सबसे बड़ उत्पादक है और तिल के बीजों, कपास और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

चार जिले[16] (अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत और कच्छ), आठ ब्लाक[17], 48 विक्रेता और 124 किसानों और तीन उर्वरक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को भी विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु चुना गया।

9.5.2 लेखापरीक्षा जांच परिणाम

9.5.2.1 उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन

- फसलों के प्रकार, सिचिंत/असिंचित क्षेत्र, मिट्टी की हालत और अन्य स्थानीय घटकों के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता के आंकलन हेतु कोई नियम/मानक निर्धारित नहीं किए गए थे।
- 2006–08 की अवधि के दौरान वर्ष–वार आंकलन, उपभोग और आंकलन में कमी/अधिकता (फसल के अनुसार) को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 9.10 – गुजरात में आंकलन और उपभोग के बीच अंतर (मि.टन में)

वर्ष	आंकलन		उपभोग		आंकलन में कमी (+)/ अधिकता (–)	
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
2006-07						
यूरिया	700000	730000	774639	800124	74639	70124
डी ए पी	275000	275000	275296	281015	296	6015
एम ओ पी	65000	95000	58755	90802	(-)6245	(-)4198
2007-08						
यूरिया	850000	900000	878644	927057	28644	27057
डी ए पी	275000	300000	306896	363027	31896	63027
एम ओ पी	70000	100000	83360	95769	13360	(-)4231

- पिछले वर्ष के वास्तविक उपभोग में कुछ प्रतिशत बढ़ाकर आंकलन तैयार किए जाते थे, हालांकि इसके लिए कोई लिखित निर्देश/कार्यालय आदेश नहीं थे।

---

[16] अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, कच्छ

[17] अहमदाबादः सनाद, बावला, जूनागढ़ः जूनागढ़, केशोड; सूरतः कामरेज, बारदोली, कच्छ, भुज, भचाओ

- जोनल कृषि इनपुट सम्मेलन के लिए सम्बन्धित जिले के कृषि उप–निदेशक द्वारा जिले के लिए उर्वरकों की आवश्यकता नहीं भेजी गई थी। यह राज्य स्तर पर बनाई गई थी जिसमें निम्न स्तरों की कोई भूमिका नहीं थी।

- इसके अलावा, उर्वरकों के आंकलन हेतु जिला स्तर पर किसानों/सहकारी समितियों और अन्य पक्षों की कोई बैठक नहीं हुई थी। उर्वरकों की आवश्यकता के आंकलन में पंचायत समितियों/ब्लॉक समितियों को शामिल नहीं किया गया था।

- आवश्यकता और वास्तविक आपूर्ति के बीच 1 प्रतिशत (यूरिया खरीफ 2008–09) से 23 प्रतिशत (डी ए पी खरीफ 2008–09) तक का विचलन था। विक्रेताओं, किसानों और सहकारी समितियों के सर्वेक्षण के दौरान किसानों ने कम आपूर्ति की शिकायत की और कहा कि उन्हे अन्य ब्लाकों से उर्वरक खरीदने पड़ रहे थे।

9.5.2.2 उर्वरकों की उपलब्धतता

9.5.2.2.1 उर्वरकों की अप्राप्ति

- नमूना परीक्षण किए गए जिलों में अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि के दौरान जिला स्तर पर कम्पनियों के प्रेषण आंकड़ों की मात्रा और प्रथम संग्रहण केंद्र विक्रेताओं द्वारा प्राप्त उर्वरकों की मात्रा में विसंगतियां थीं जो 2837 एम टी के उर्वरकेां की थी जिसमें 2.13 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता शामिल थी जिसे नीचे दर्शाया गया है:–

तालिका 9.11 – गुजरात में प्रेषण आंकड़ों में विसंगतियां

क्रम संख्या	यूनिट का नाम	उत्पाद	प्रेषित मात्रा (एम टी)	प्राप्त मात्रा (एम टी)	मात्रा में अंतर (एम टी)	आर्थिक सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)
1	कृभको, हजीरा	यूरिया	4216	1636	2580	1.37
2	हिन्डलको	डी ए पी	214	0	214	0.66
3	इफको, कालोल	यूरिया	33	0	33	0.07
4	जी एन वी एफ सी	एन पी के	10	0	10	0.03
	कुल		**4473**	**1636**	**2837**	**2.13**

9.5.2.2.2 प्रामाणिक किसानों को बिक्री सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली की अनुपस्थिति

- उर्वरकों की बिक्री को नियत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए थे जिससे प्रामाणिक किसानों को बिक्री सुनिश्चित की जा सके विशेषकर कम आपूर्ति की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए।

- नौ विक्रेताओं के 126 मामलों में, भूमि की आवश्यकता और खरीदार की पहचान पर विचार किए बिना ही बिक्री की जा रही थी इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि कृषि उद्देश्यों के लिए बिक्री प्रामाणिक किसानों को की जा रही थी। **अनुलग्नक 9.1**

9.5.2.2.3 एन पी के उर्वरकों के निर्माताओं को अनियमित बिक्री जो 82.95 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का परिणाम बनी

- 2007–10 के दौरान (सितम्बर 2009 तक) तीन विक्रेताओं ने अपनी सहायक कम्पनियों को 36250 एम टी उर्वरक (यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी और मिश्रित) बेच दिए वो भी विभिन्न एन पी के उर्वरक जो एफ सी ओ के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं थे को बनाने हेतु जारी थोक/फुटकर लाइसेंसो के द्वारा और जिसके लिए सरकार द्वारा कोई एम आर पी निर्धारित नहीं किया गया था। एन पी के उर्वरक के निर्माताओं को आर्थिक सहायता प्राप्त उर्वरकों की बिक्री से 82.95 करोड़ रुपये की अनियमित आर्थिक सहायता का भुगतान हुआ।

9.5.2.2.4 बफर स्टाक का अनुरक्षण नहीं किया गया

- भारत सरकार, उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 28.7.2008 के आदेश के अनुसार, 2008–09 के दौरान मैसर्ज इंडियन पोटाश लिमिटेड को डी ए पी और एम ओ पी प्रत्येक का 5000 एम टी का बफर स्टॉक बनाए रखना था। तथापि इस बफर स्टाक का अनुरक्षण नहीं किया गया।

9.5.2.3 राज्य सरकार द्वारा बिक्री की जांच

9.5.2.3.1 बिक्री की जांच की प्रक्रिया

- राज्य में प्रथम बिक्री केन्द्र के सम्बन्ध में, यूनिट से प्रोफार्मा 'ए' की प्रति की प्राप्ति पर, कृषि निदेशक अकस्मात् रूप से चयनित 20 प्रतिशत बिक्री को जिला के कृषि उपनिदेशक को विक्रेताओं द्वारा रसीद की जांच हेतु भेजता है। तथापि, ब्लॉक का कृषि अधिकारी निर्माताओं से प्राप्त विवरणों पर केवल हस्ताक्षर कर रहा था। ब्लॉक के कृषि अधिकारी द्वारा बिक्री की रसीद, सुपुर्दगी चालान, स्टाक आदि की भौतिक जांच आदि का कोई सत्यापन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि राज्य सरकार ने जी एस एफ सी, जी एन एफ सी, इफको और के आर आई बी एच सी ओ जोकि राज्य की प्रमुख निर्माण कम्पनियां थी को सुपुर्दगी चालान जमा कराने से छूट दे रखी थी।
- इसके अलावा किसान स्तर तक अनुवर्ती बिक्री (प्रथम बिक्री केन्द्र के बाहर) की कोई जांच नहीं की जा रही थी।

9.5.2.3.2 प्रोफार्मा 'बी' को जमा करने में देरी

राज्य सरकार को तीस दिनों के अन्दर प्रोफार्मा 'बी' को प्रमाणित और जमा करना था। तथापि, कृषि निदेशक द्वाारा निम्नलिखित चार युनिटों के संदर्भ में प्रोफार्मा 'बी' (मई 2009) को जमा करने में देरी हुई।

- राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर (आर सी एफ)
- निरमा लिमिटेड (अप्रैल 2008 से आगे)
- तुगंभद्र फर्टिलाइजर लिमिटेड (जून 2008 से आग)
- श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (अक्टूबर 2008 से आगे)

9.5.2.4 गुणवत्ता नियंत्रण

9.5.2.4.1 अपर्याप्त स्टाफ

- तीन उर्वरक प्रयोगशालाओं बारदौली(4) जूनागढ़ (10) और गांधी नगर (7) में 21 रिक्त स्थान थे (कृषि सहायक निदेशक – 2, कृषि अधिकारी – 17, केमिस्ट – 2)।

9.5.2.4.2 विक्रेताओं की जांच परिणामों की सूचना देने में देरी

- विक्रेताओं के सर्वेक्षण से पता लगा कि अमानक घोषित किये गये उरर्वकों के जांच परिणामों को विक्रेताओं को सूचित करने में देरी हुई, तब तक स्टाक बिक चुका होता था। इस प्रकार गुणवता की जानकारी के बिना किसानों द्वारा घटिया उर्वरकों का इस्तेमाल होता रहा।

9.5.2.4.3 सभी तत्वों के परीक्षण का ना किया जाना

- यह देखा गया कि प्रयोगशालाओं द्वारा केवल उर्वरकों के मुख्य तत्वों की जांच की गई (यूरिया–कुल नाइट्रोजन, डी ए पी कुल नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन, अमोनियम सीटरेट, फास्फेट, एम ओ पी पोटाश) जबकि एफ सी ओ 1985 में निर्धारित था कि उर्वरकों को प्रमाणित करने के लिए सभी तत्वों की जांच की जानी थी।

9.5.2.4.4 अमानक घोषित किये गए उर्वरकों पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई

- 2006–07 से 2008–09 की अवधि के 124 अदालती मामले अदालतों में लंबित थे। अमानक उर्वरकों को जप्त करने का कोई दृष्टांत नहीं था और ना ही अमानक उर्वरक के नमूनों के संदर्भ में आर्थिक सहायता की वसूली की गई थी। यह 9.86 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के अनियमित भुगतान का परिणाम बनी।

9.5.3 विक्रेता और किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.5.3.1 विक्रेता सर्वेक्षण

48 विक्रेताओं के जवाबों का सारांश निम्न है:

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	39	9	
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	37	6	5
		हां	नहीं	अन्य
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	2	45	1
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	21	18	9

		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	31	14	**3**
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	5	40	3
		हां	नहीं	
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	29	19	

अधिकांश विक्रेताओं ने बताया कि उन्हे उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा मिल रही थी और वह बिना किसी सीमा के किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति कर पा रहे थे। अधिकतर मामलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक के नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए चुना गया था।

9.5.3.2 किसानों का सर्वेक्षण

240 किसानों के जवाबों का सारांश निम्न है:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		सहकारी समिति	विक्रेता	
1.	क्या आप अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	228	12	
		हां	नहीं	अन्य
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	3	234	3
		एम.आर.पी.	एम.आर.पी. से अधिक	कोई टिप्पणी नहीं
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	229	0	11
		हां	नहीं	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	240	0	
		हां	नहीं	
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी है?	199	41	
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	212	27	1

		हां	नहीं	
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	110	130	
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	97	142	1
		हां	नहीं	
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	13	227	
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	10	230	
		हां	नहीं	
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	222	18	
		हां	नहीं	
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	58	182	

अधिकांश किसानों ने बताया कि उन्हे एम आर पी की जानकारी थी और एम आर पी पर उर्वरक खरीदे। तथापि, अधिकतर ने अपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई जिससे विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की सही आवश्यकता का पता लगाया जा सके।

हमारी फील्ड लेखापरीक्षा से अहमदाबाद जिला के सनाद ब्लॉक में एक क्षतिग्रस्त गोदाम का पता चला जेसा कि नीचे दर्शाया गया है:–

अहमदाबाद जिला, सनाद ब्लाक में जी एस एस सी के खराब उपकरणें के गोदाम

हमारी फील्ड लेखापरीक्षा से पता चला कि स्टॉक की उपलब्धता जैसा कि नीचे दर्शाया गया है के बावजूद भी अहमदाबाद जिले (जैसा कि किसान सर्वेक्षण में बताया गया है) की सनाद ब्लॉक में किसानों को उर्वरकों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ा।

अहमदाबाद जिला, सनाद ब्लॉक के बालाजी एंटरप्राईसीस में उर्वरक स्टाक की उपलब्धतता

9.6 हरियाणा

9.6.1 पृष्ठभूमि

हरियाणा में 21 जिले है जो कि चार भागों अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव व हिसार में बंटे हैं। राज्य का कुल भोगोलिक क्षेत्र 44.20 लाख हैक्टेयर है। राज्य का कुल बुवाई क्षेत्र 36.20 लाख हैक्टेयर है। मुख्य फसले जो बोई गई है चावल, गेहूं, सब्जियां, शीतोष्ण फल, उष्णकटिबंधीय फल, विदेशी सब्जियां व हर्बल तथा ओषधीय पौधे हैं।

चार जिले नामतः फरीदाबाद, हिसार, करनाल व सोनीपत व आठ खंड (प्रत्येक जिले से दो) नामतः बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बरवाला, हांसी–1, इन्द्री, निसिंग, गन्नौर व मुंडलाना को विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए चुना गया।

9.6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.6.2.1 उर्वरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन

- पिछले साल की खपत के आधार पर आवश्यकता की मोसमवार (खरीफ/रबी) गणना की गई। पंचायत समिति व ब्लाक समितियों को उर्वरक की आवश्यकता का मूल्यांकन करने में शामिल नहीं किया। मूल्यांकन पूरे जिले का किया गया न कि भोगोलिक कारणों व मृदा रचना के आधार पर जोकि ब्लाक भर में भिन्न होगा।
- राज्य में यूरिया व डी ए पी की उपलब्ध्ता अनुमानिक आवश्यकता से अधिक थी व खपत कम या ज्यादा 2006–09 की आवश्यकता के अनुरूप थी। एन पी के व एम ओ पी के संदर्भ में 2007–08 को छोड़कर उपलब्धता अनुमानित आवश्यकता से कम थी व खपत आवश्यकता से बहुत कम थी।

2006–07 से 2008–09 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता व खपत निम्नानुसार थी:

तालिका 9.12 – हरियाणा में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता व लागत

(एम टी में)

	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी	एन पी के
		2006-07		
आवश्यकता	17,50,000	5,60,000	40,000	55,000
उपलब्धता	18,47,610	7,00,919	27,085	38,208
खपत	16,71,016	4,90,985	22,610	29,071
उपलब्धता की आवश्यकता के खिलाफ प्रतिशत	105.58	125.16	67.71	69.47
उपभोग की उपलब्धता के खिलाफ प्रतिशत	90.44	70.05	83.48	76.09
उपभोग की आवश्यकता के खिलाफ प्रतिशत	95.49	87.68	56.53	52.86
		2007-08		
आवश्यकता	18,50,000	5,75,000	45,000	55,000
उपलब्धता	21,78,666	6,85,948	37,142	51,808

	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी	एन पी के
खपत	18,28,838	5,15,263	29,028	38,581
उपलब्धता की आवश्यकता के खिलाफ प्रतिशत	117.77	119.30	82.54	94.20
उपभोग की उपलब्धता के खिलाफ प्रतिशत	83.94	75.12	78.15	74.47
उपभोग की आवश्यकता के खिलाफ प्रतिशत	98.86	89.61	64.51	70.15
	2008-09			
आवश्यकता	20,25,000	6,00,000	46,000	64,500
उपलब्धता	20,02,057	8,50,062	51,757	34,410
खपत	17,89,204	6,60,121	38,396	29,102
उपलब्धता की आवश्यकता के खिलाफ प्रतिशत	98.87	141.68	112.52	53.35
उपभोग की उपलब्धता के खिलाफ प्रतिशत	89.37	77.66	74.19	84.57
उपभोग की आवश्यकता के खिलाफ प्रतिशत	88.36	110.02	83.47	45.12

9.6.2.2 अधिकतम खपत अवधि में डी ए पी की कम आपूर्ति

राज्य में 2006–09 के दौरान डी ए पी की उपलब्धता, आवश्यकता से अधिक थी। लेकिन यह देखा गया कि करनाल जिले में गेहूं की मुख्य बुवाई मोसम अर्थात अक्तूबर–नवंबर 2008 के दौरान डी ए पी की 34500 मी. टन की आवश्यकता के खिलाफ डी ए पी की उपलब्धता व विक्रय 29787 मी टन व 21416 मी. टन क्रमशः थी।

9.6.2.3 बफर स्टाक का गैर रखरखाव

यह पाया गया कि 2006–09 के दौरान एम ओ पी (7000 मी. टन) का बफर स्टाक का रखरखाव नहीं किया गया। वर्ष 2006–07 व 2007–08 के दौरान डी ए पी का बफर स्टाक निर्धारित सीमा 35000 मी. टन व 40000 मी.टन क्रमशः के खिलाफ 31666 मी. टन व 11330 मी. टन का रखरखाव किया गया।

9.6.2.4 गुणवता नियंत्रण

- हिसार व करनाल के गुणवता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में 27 कर्मचारियों की संख्या के खिलाफ केवल 22 तकनीकी व सहायक स्टाफ उपलब्ध था।
- वर्ष 2006–07, 2007–08 व 2008–09 के दौरान नमूनों का विश्लेषण 2006–08 में 3400 व 2008–09 में 5100 की वार्षिक क्षमता के खिलाफ 33 प्रतिशत कम हुआ।
- अप्रैल 2006 से नवंबर 2008 के दौरान इक्ट्ठे किये 34 नमूने गैर मानक घोषित किए गये लेकिन न तो गैर मानकीय उर्वरकों का विक्रय/खपत रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई न ही उर्वरक विभाग को वसूली के लिए प्रस्तावित किया गया। आगे 23 अन्य मामलों में जहां नमूने गैर मानक

पाऐ गये कार्यवाई की दीक्षा जैसे कि सब्सिडी की पाबंदी, विक्रय की रोक आदि की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

9.6.2.5 उर्वरक की प्राप्ति में विसंगतियां

- मैर्सस आई पी एल के उर्वरक प्रेषण की विवरणी के सत्यापन में पाया गया कि पलवल जिले में सितम्बर 2008 में डी ए पी की 5376.65 मी.टन प्रेषण के खिलाफ वास्तविक प्राप्ति 5285.25 मी. टन थी परिणामस्वरूप 91.40 मी. टन की कम आपूर्ति व 0.28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई।

9.6.3 विक्रेता व किसान सर्वेक्षण का परिणाम

9.6.3.1 विक्रेता सर्वेक्षण

51 विक्रेताओं की प्रतिक्रियाओं का संक्षेप निम्न है:

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्त्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है?	24	26	1
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	28	22	1
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी
3.	क्या आपको आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	6	44	1
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	28	21	2
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	34	17	
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	7	43	1
		हां	नहीं	अन्य
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	33	15	3

जैसा कि देखा जा सकता है अधिकांश विक्रेताओं को आवश्यक मात्रा व प्रकार के उर्वरक नहीं मिल रहे थे तथा बडे अनुपात में किसानों को उर्वरक बेचने के लिए सीमा अपना रहे थे।

9.6.3.2 किसान सर्वेक्षण

242 किसानों की प्रतिक्रियाओं का संक्षेप निम्न है:–

क.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		सहकारी	विक्रेता	दोनों
1.	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	192	28	22
		हां	नहीं	अन्य
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/ राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी? कृप्या दर्शायें।	65	173	4
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अन्य	
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?	2	240	
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	218	22	2
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं? (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)	215	25	2
		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	168	74	
		हां	नहीं	हां, परन्तु विवरण प्राप्त नहीं हुआ
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	99	142	1

		हां	नहीं	अन्य
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	53	183	6
		हां	नहीं	अन्य
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर किया?	29	204	9
		हां	नहीं	अन्य
10.	क्या आपको उर्वरकों की छोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	31	205	6
		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिलाकर, क्या आप खाद की आपूर्ति से संतुष्ट हैं?	208	24	10
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा?	62	172	8

विशाल बहुमत में किसानों ने उर्वरक अधिकतम खुदरा मूल्य पर नहीं खरीदा और उर्वरकों की सही आवश्यकता का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच भी नहीं करवाई।

जैसा कि नीचे चित्र द्वारा प्रकट किया गया है हमारे क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में फरीदाबाद में उर्वरकों की उपलब्धता उनकी आवश्यकता के भंडार से अधिक पाई व गन्नौर के एक गोदाम में उर्वरक की जगह गेहूं रखा पायाः

श्री बालाजी खाद भंडार फरीदाबाद में उर्वरकों की अतिरिक्त उपलब्धता

सोनीपत जिले के गन्नौर में उर्वरक की जगह गेहूं का भंडारण

9.7 हिमाचल प्रदेश

9.7.1 पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 5.83 लाख हैक्टेयर क्षेत्र शुद्ध बुवाई क्षेत्र है। कृषि मुख्य व्यवसाय है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, दालें, चना, तिलहन, सब्जियां, आलू व अदरक हैं।

विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए दो जिलों व प्रत्येक जिले के दो खंडो – कांगड़ा (बैजनाथ व कांगड़ा) तथा किन्नौर (कल्पा व निचर) तथा दो उर्वरक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (हमीरपुर व सुन्दरनगर) को चुना गया।

9.7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.7.2.1 उर्वरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन

- राज्य की उर्वरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन विभाग द्वारा पिछले वर्ष की बिक्री जोकि हिमफेड व इफको द्वारा बताई गई के आधार पर किया गया। मूल्यांकित आवश्यकता को उर्वरकों के आंचलिक इनपुट सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया।
- राज्य कृषि विभाग ने निकास सम्मेलन (मार्च 2010) में कहा कि राज्य की जलवायु स्थिति के कारण वास्तविक आवश्यकता का पता लगाना कठिन है। उतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उर्वरकों के अवास्तविक मूल्यांकन के कारण उर्वरकों की कमी हुई।

9.7.2.2 उर्वरक की बिक्री नियंत्रित करने के मानदंड

- राज्य सरकार ने उर्वरक जैसा कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी ए एन), मुरीट आफ पौटाश (एम ओ पी), सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी) व अमोनियम सलफेट (ए एस) की ब्रिक्री को नियंत्रित करने हेतू कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए जिनके लिए भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। तथापि यूरिया व एन पी के जैसे उर्वरकों के मामले में क्योकि राज्य सरकार क्रमशः 200 व 500 रुपये प्रति मी. टन अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रही है उसमें प्रति मौसम प्रति राशन कार्ड उपरोक्त प्रकार के 3 बैग उर्वरक का मानदंड अनुबद्ध किया है।

9.7.2.3 उर्वरकों की उपलब्धता व अभाव

- 2006–09 के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की 3,53,400 मी. टन आवश्यकता के विपरीत वास्तविक आपूर्ति 3,21,133 मी. टन थी जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 32,267 मी. टन का अभाव रहा।
- रबी 2007–08 (7221 मी.टन) व खरीफ–रबी 2008–09 (12209 मी. टन) के दौरान 19430 मी. टन एन पी के 10:26:26 की आपूर्ति बिना किसी आवश्यकता के की गई। रबी 2008–09 के दौरान एन पी के 15:15:15 की 7500 मी. टन आवश्यकता के विपरीत वास्तविक आपूर्ति 12863 मी. टन थी। यह दर्शाता है कि किसान एन पी के 12:32:16 की कम आपूर्ति के विपरीत यह खरीदने को मजबूर हुऐ।

  राज्य कृषि विभाग ने निकास सम्मेलन (मार्च 2010) में इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मान लिया।
- जैसा कि नीचे चित्र द्वारा प्रकट किया गया है क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में आवश्यकता के विपरीत अतिरिक्त उर्वरकों की आपूर्ति प्रकट हुई।

हिमफैड स्टोर, शांगटांग, किन्नौर – बिना आवश्यकता के अतिरिक्त आपूर्ति

हिमफैड, इन्दौरा–आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त आपूर्ति

9.7.2.4 उर्वरकों की बिक्री

9.7.2.4.1 राज्य सरकार द्वारा बिक्री का सत्यापन

- निर्माताओं व विक्रेताओं के सब्सिडी दावों के बिलों को हिमफैड व इफको की सदस्य सहकारी समितिओं द्वारा प्रथम बिक्री केन्द्रों की उर्वरकों की प्राप्ति के प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया गया न कि उर्वरकों की प्राप्ति/स्टाक प्रविष्टियों के भौतिक स्त्यापन के आधार पर।
- कांगड़ा ब्लाक में इफको की छह में से चार सदस्य समितियों के अभिलेखों की परीक्षण जांच में पाया गया कि इफको द्वारा दिखाई गई बिक्री/जारी की गई उर्वरकों की मात्रा इन समितिओं के परिसर/भंडार में पहुंची ही नहीं क्योंकि इसके स्टाक व जारी/बिक्री की प्रविष्टियों का सत्यापन उनके रजिस्टर/बही खातों से क्रमशः सत्यापित नहीं हुआ। इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा जिनमें 8.18 लाख रुपये (भारत सरकार 8.07 लाख रुपये व राज्य सरकार 0.11 लाख रुपये) की सब्सिडी शामिल है नीचे दिया गया है:–

तालिका 9.13 – हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ब्लाक में असत्यापित बिक्री

क्र. सं.	समितियों का नाम	उर्वरक	वर्ष	उर्वरकों की मात्रा (मी. टन में)				सब्सिडी की राशि (रुपये में)			
				इफको द्वारा बेची/जारी की गई मात्रा	समितियों को अभिलेख के आधार पर प्राप्त वास्तविक मात्रा	इफको द्वारा दर्शाई गई बिक्री की अतिरिक्त मात्रा	बैगों की संख्या	भारत सरकार		**राज्य सरकार**	
								प्रति बौरा मूल दर	राशि	दर प्रति बौरा	**राशि**
1.	इच्छी	यूरिया	2008-09	87	62	25	500	704	3,52,000	10	**5,000**
2.	सहौरा	यूरिया	2008-09	62	47	15	300	704	2,11,200	10	**3,000**
3.	दगवार मंडल	यूरिया	2008-09	32	29	3	60	704	42,240	10	**600**
4.	(i) गुरखटी कच्छयारी	यूरिया	2008-09	37	34.5	2.5	50	704	35,200	10	**500**
	(ii) गुरखटी कच्छयारी	एन पी के ग्रेड–2	2007-08	5	-	5	100	1660	1,66,000	25	**2,500**
					योग	50.5			8,06,640		**11,600**

स्त्रोतः विवरण लेखापरीक्षा के द्वारा इफको व सम्बंधित इफको सदस्य समितियों के अभिलेखो से संकलित किया गया।

9.7.2.4.2 उर्वरकों की गैर लेखांकित व अनियमित बिक्री

- कृषि विभाग ने स्टाक स्थिति व बिक्री खातों की या तो प्रथम बिक्री बिन्दु पर या उप विक्रेताओं, डिपो धारकों के स्तर पर सत्यापन के लिए कोई पद्धति निर्धारित नहीं की थी। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा नें प्रथम बिक्री केन्द्रों, उप विक्रेताओं व डिपो धारकों की उर्वरक बिक्री में निम्नलिखित अनियमिताये देखीं।

- फरवरी 2007 व मार्च 2009 के मध्य किन्नौर जिले के कल्पा खंड में अनुबंध 9.2 में दिये गये विवरण के अनुसार हिमफैड (प्रथम बिक्री बिन्दु) के शांगटांग गोदाम प्रभारी द्वारा विभिन्न प्रकार का 143.75 मी. टन उर्वरक चार विक्रेताओं को बेचा गया। इन विक्रेताओं के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि न तो स्टाक रजिस्टर में कोई प्रविष्टी की गई न ही उर्वरकों को आगे किसानों को बेचने के समर्थन में कोई बिक्री खाता बनाया गया।

- सर्वेक्षण के दौरान कल्पा जिले के किसानों ने (जून–जुलाई 2009) बताया कि विक्रेता इस बहाने की उनको किन्नौर जिले के बाहर से आघोषित स्त्रोतों से उर्वरक खरीदने पड़ रहे है उर्वरकों को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर अनाधिकृत रूप सें प्राइवेट बिक्री मे लिप्त है व इस कदाचार की जांच के लिए किसी प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई। प्राप्ति व बिक्री के किसी सबूत के अभाव में उप विक्रेताओं द्वारा प्रथम बिक्री बिंदु से खरीद उर्वरकों की खुले बाजार में कालाबाजारी करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।इस मामले में 30.14 लाख रुपये की (भारत सरकार 29.59 लाख रुपये, राज्य सरकार 0.55 लाख रुपये) सब्सिडी लिप्त है।

- मई 2009 में हिमफैड के शांगटांग (किन्नोर जिला) प्रथम बिक्री बिन्दु पर 30.250 मी.टन उर्वरक जिनका मूल्य 3.04 लाख रुपये थी, की कमी पाई गई। नवंबर 2009 तक इस कमी की कोई जांच नहीं की गई।

- यह भी पाया गया कि शांगटांग के प्रभारी द्वारा 6.04 लाख रुपये की बिक्री से प्राप्त आय को कम जमा करवाया गया।

9.7.2.4.3 किसानों की पहचान दर्ज किये बिना उर्वरकों की बिक्री

- हिमफैड के ज्योरी गौदाम में (निचर खंड का प्रथम बिक्री बिन्दु) 76.2 मी. टन उर्वरक जिनमें 7.22 लाख की सब्सिडी शामिल है को किसानो/व्यक्तियों को बिना विवरण/ पहचान (राशन कार्ड न. आदि) दर्ज कर के बेच कर दर्शाया गया। उर्वरकों की कालाबाजार में बिक्री की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

9.7.2.4.4 उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर बिक्री

- तेलंगी फ्रूट प्रोसेसिंग व मार्केटिंग सभा लिमिटेड, तेलंगी (किन्नौर जिले का उप विक्रेता) ने नवंबर 2008 से मार्च 2009 के दौरान विभिन्न उर्वरकों के 815 बैग अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर बेचे परिणामस्वरूप किसानों से 0.28 लाख रुपये ज्यादा वसूले गये।

9.7.2.4.5 प्रथम बिक्री बिन्दु द्वारा उच्च दर पर उर्वरकों की बिक्री

- नवंबर 2008 में शांगटांग (किन्नौर जिले) के प्रथम बिक्री बिन्दुके प्रभारी ने एन पी के 10:26:26 के 145 बैग (7.250 मी. टन) तेलगीं फ्रूटप्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग सभा लि. को 327.85 रुपये प्रति बैग (सब्सिडी व कमीशन रहित) के विपरीत 386.85 रुपये प्रति बैग की दर से बेचे। दुबारा मार्च 2009 में

70 बैग (3.500 मी. टन) एन पी के 15:15:15 को उपरोक्त उप विक्रेता को 226.50 रुपये प्रति बैग (सब्सिडी व कमीशन रहित) के विपरीत 256 रुपये प्रति बैग की दर से बेचे।

9.7.2.5 गुणवता नियंत्रण

- सुन्दरनगर की गुणवता नियंत्रण प्रयोगशाला में नवंबर 2006 से नियुक्त दो में से एक कृषि विकास अधिकारी को अपेक्षित तकनीकी प्रशिक्षण, केन्द्रीय उर्वरक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशाला फरीदाबाद में नहीं दिया गया। हमीरपुर की प्रयोगशाला में 2006–09 के दौरान कोई प्रयोगशाला सहायक प्रदान नहीं किया गया।
- वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान प्रत्येक प्रयोगशाला की 1000 नमूनों की वार्षिक विश्लेषण क्षमता के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि क्रमशः 74, 65 व 60 थी।
- यद्यपि प्रथम बिक्री बिंदु विक्रेताओं से उर्वरकों के नमूने एकत्र किए गये परन्तु उनके परिणाम उन्हे सूचित नहीं किये गये।

9.7.3 विक्रेता व किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.7.3.1 विक्रेता सर्वेक्षण

30 विक्रेताओं की प्रतिक्रियाओं का संक्षेप निम्न है:–

क्र.सं.	प्रशनवली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्त्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है?	0	25	5
		बिना सीमा	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	25	0	5
		हां	नहीं	अन्य
3.	क्या आपको आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	2	24	4
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	26	0	4
		हां	अन्य	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	26	4	

		हां	नहीं	
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	26	4	
		हां	नहीं	हां, परन्तु विवरण प्राप्त नहीं हुआ
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	0	23	7

अधिकांश विक्रेताओं ने सूचित किया कि उन्हें आवश्यक मात्रा व प्रकार के उर्वरक नहीं मिल रहे थे व उर्वरकों की गुणवता के लिए उनके नमूने चयनित नहीं किए गये।

9.7.3.2 किसान सर्वेक्षण

124 किसानों की प्रतिक्रियाओं को नीचे संक्षेप में दिया गया है:–

क.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		सहकारी	डीलर	दोनों
1.	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	99	19	6
		हां	नहीं	अन्य
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/ राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी। कृप्या दर्शायें	1	123	
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	कोई टिप्पणी नहीं (अधिकतम खुदरा मूल्य पता नहीं)
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?	25	32	67
		हां	नहीं	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	0	124	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं? (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)	1	123	

		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	59	65	
		हां	नहीं	हां, परन्तु विवरण प्राप्त नहीं हुआ
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	0	88	36
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	122	1	1
		हां	नहीं	
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर किया?	0	124	
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको उर्वरकों की छोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	124	0	
		हां	नहीं	
11.	कुल मिलाकर, क्या आप खाद की आपूर्ति से संतुष्ट हैं?	1	123	
		हां	नहीं	
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा?	123	1	

अधिकतर किसान उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मल्य नहीं जानते थे व उन्होंने उर्वरक अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर खरीदा। वह सभी उर्वरक छोटी मात्रा के बैग में चाहते थे व अधिकतर ने उर्वरकों की सही आवश्यकता के आकलन हेतू मिट्टी की जांच नहीं करवाई।

जैसा कि नीचे चित्रों में वर्णित किया गया है हमारे क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में विक्रेताओं द्वारा दर को वर्णित करने, स्टाक आदि, उर्वरकों की उपलब्धता के बावजूद कमी, व काफी मांग जैसी अनेक कमियां दर्शाईं।

हिमफैड स्टोर पपरोला, कांगड़ा जिले में दर, तिथि पर स्टाक, शिकायत आदि के लिए दूरभाष न को न दर्शाया जाना। अधिकतर किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य का पता नहीं था (क्रम सं. 2)

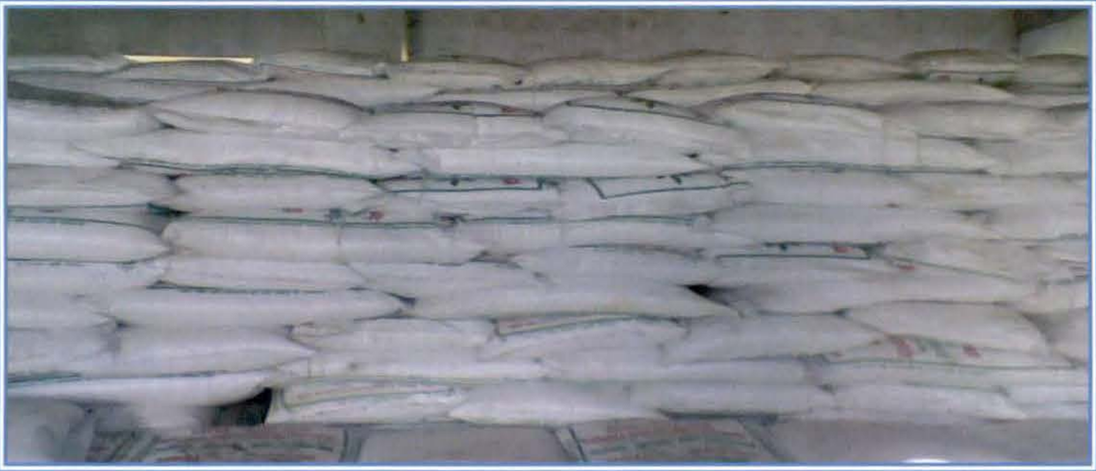

हिमफैड स्टोर पपरोला, कांगड़ा जिला – यद्यपि उर्वरकों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक थी परन्तु किसान सर्वेक्षण के अनुसार किसानों को आवश्यकतानुसार मात्रा नहीं मिल रही थी। (क्रम सं. 11 व 12)

इच्छी सी ए एस सोसाईटी गग्गल के बाहर इफको उर्वरकों के इंतजार में लोग

D.A.P

9.8 जम्मू व कश्मीर

9.8.1 पृष्ठभूमि

जम्मू व कश्मीर का भोगोलिक क्षेत्र 2.22 लाख कि.मी. है व इसमें तीन पृथक क्षेत्र कश्मीर वैली, जम्मू डिवीजन व लदाख शामिल है। राजस्व अभिलेखों (मार्च 2007) के अनुसार कुल कृषि योग्य भूमि 24.16 लाख हैक्टेयर थी जिसमें से 7.42 लाख हैक्टेयर (31 प्रतिशत) शुद्ध बुवाई क्षेत्र था। मुख्य फसले चावल, गेहूं, मक्का, तम्बाकू, दालें व ग्रेप सीड आदि है।

विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए चार जिले जम्मू, कठुआ, अनंतनाग व बारामूला व आठ खंड मड, आर एस पुरा, बनोटी, हीरानगर, शाहबाद, शंगस, पटटन व उरी का चयन किया गया।

9.8.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.8.2.1 उर्वरकों का मूल्यांकन

- कश्मीर डिवीजन में उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन क्षेत्रीय आधार पर कृषि/बागवानी की खेती के लिए शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई उर्वरकों की मात्रा के अनुसार किया जाता है। जम्मू डिवीजन में मूल्यांकन पिछले साल के उठाव व उपज क्षेत्र के आधार पर किया जा रहा था।

- तथापि जिला/खंड स्तर के कृषि कार्यालयों को उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए कोई आदेश/निर्दश जारी नहीं किये गये थे। जिला/खंड स्तर पर मूल्यांकन करने हेतू व यह इंगित करने हेतू कि किसानों के साथ बैठक की गई व पंचायत समिति/ब्लाक समिति को मूल्यांकन में शामिल किया, रिर्काड पर कुछ नहीं पाया गया।

- शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई उर्वरकों की मात्रा के आधार पर धान व मक्का इन दो फसलों के लिए अकेली आवश्यकता 41360 मी. टन यूरिया, 29920 मी. टन डी ए पी व 8840 मी.टन एम ओ पी आंकी गई। तथापि तीन खरीफ मोसमों में कश्मीर डिवीजन के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार को 40200 से 40650 मी. टन यूरिया, 15675 से 17500 मी. टन डी ए पी व 4000 से 5565 मी. टन एम ओ पी अनुमानित बनाई गई।

जम्मू डिवीजन के संदर्भ में उपज क्षेत्र, उर्वरकों का अनुमान व उठाव की स्थिति निम्न अनुसार है:

तालिका 9.15 जम्मू डिवीजन में उपज क्षेत्र उर्वरकों की आवश्यक्ता व उठाव

मोसम	उपज क्षेत्र (हैक्टेयर में)	अनुमान			पिछले मोसमों की उठाव		
		यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी
		←----मीटरिक टन----→					
खरीफ 2006	392702	33000	15200	4300	20711	7273	402
खरीफ 2007	392616	40420 (95%)	31700 (391%)	11961 (2875%)	15711	6943	336
खरीफ 2008	367290	25000 (59%)	15000 (116%)	5000 (1388%)	15890	5381	227
रबी 2006–07	303878	30000	17500	5000	15802	14087	440
रबी 2007–08	314909	25000 (58%)	15000 (6%)	4000 (1036%)	16546	12718	508
रबी 2008–09	331675	25000 (51%)	16250 (28%)	4000 (687%)	19927	13227	526

प्रतिशत पिछले मोसमों में अनुमान की तुलना में उठाव में वृद्धि व कमी दर्शाती है।

- खरीफ फसल में यद्यपि उपज क्षेत्र में 392702 हैक्टेयर (2006) से 392616 हैक्टेयर (2007) व 367290 हैक्टेयर (2008) में गिरावट हुई फिर भी यूरिया का अनुमान 33000 मी. टन (2006) से 40420 मी. टन (2007) बड़ा व 2008 में घटकर 25000 मी. टन रहा।
- डी ए पी के सर्न्दभ में अनुमान 15200 मी. टन (2006) से 35700 मी. टन (2007) बड़ा व 2008 में घटकर 15000 मी. टन रहा परिणामस्वरूप खरीफ 2007 व 2008 में डी ए पी का अनुमान पिछले वर्ष की उठाव की तुलना में 391 प्रतिशत से 116 प्रतिशत तक असमान हुआ।
- एम ओ पी का अनुमान 4300 मी. टन (2006) से 11961 मी. टन (2007) बढ़ा व घटकर 2008 में 5000 मी. टन हुआ। यह अनुमान रबी फसल के संदर्भ में 1036 से 687 प्रतिशत व खरीफ फसल के संदर्भ में 2007 में 2875 प्रतिशत व 2008 में 1388 प्रतिशत तक क्रमशः पिछले साल की तुलना में अधिक थे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आवश्यकता का मूल्यांकन किसी वैज्ञानिक पद्धति या पिछले साल की खपत पर आधारित नहीं था।

- कश्मीर व जम्मू डिवीजन के दो बागवानी निदेशालयों ने बागवानी के अन्तर्गत वर्षवार फसल क्षेत्र व भूमि उपयोग के आधार पर उर्वरक की आवश्यकताओं का अनुमान भिन्न मोसमों को लिए प्रशासनिक विभाग को निम्नानुसार प्रतिवेदित किया। तथापि इसे जोनल सम्मेलन में डाटा प्रस्तुत करने में सम्मिलित नहीं किया गया।

तालिका 9.16 – बागवानी फसलों के लिए उर्वरकों की आवश्यक्ता

क्रम सं.	विवरण	2006				2007				2008			
		जम्मू		कश्मीर		जम्मू		कश्मीर		जम्मू		कश्मीर	
1	वास्तविक क्षेत्र (है.)	88191		107925		93471		101038		99199		134791	
2	आवश्यकता (मी. टन)	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
	यूरिया	315	258	7825	7825	376	395	8524	8524	400	423	8801	8801
	डी ए पी	458	-	10253	-	596	-	11080	-	450	-	13200	-
	एम ओ पी	168	170	15829	-	228	230	25573	-	202	210	26401	-

संक्षेप में राज्य द्वारा जोनल इनपुट सम्मेलन में अनुमानित उर्वरकों की आवश्यकता का कुल मिलाकर मूल्यांकन दोषयुक्त व तदर्थ था और वैज्ञानिक आधार पर नहीं था।

9.8.2.2 91.09 लाख रुपये मूल्य के रियायती उर्वरक पशु चारा उत्पादक इकाईयों को बेचे गये।

- जम्मू व कश्मीर एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि. के रिकार्ड में दर्शाया गया कि 2006–09 के दौरान 162 मी. टन यूरिया (इफको, चम्बल व एन एफ एल) जिसमें 22.81 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल थी अनियमित तरीके से जम्मू में पशुचारा उत्पादक इकाईयों को बेचा गया। 2006–09 के दौरान 484.920 मी. टन यूरिया जिसमें 68.28 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल थी जम्मू में पांच प्राइवेट पशुचारा उत्पादक इकाईओं द्वारा विभिन्न खुदरा विक्रेताओं से खरीदी गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 9.17 – प्राईवेट पशुचारा उत्पादकों को उर्वरकों की अनियमित बिक्री

क्रम सं.	*पशुचारा उत्पादक का नाम*	*मात्रा मी. टन में*	*शामिल सब्सिडी (लाख रुपये)*
1	*मै. शालीमार कैटल फीडस प्राइवेट लिमिटेड, बारी ब्राहमना जम्मू*	***313.900***	***44.20***
2	*मै. शक्तिमान कैटल फीडस प्राईवेट लि. बारी ब्राहमना जम्मू*	***5.350***	***0.75***
3	*मै. कश्मीर फीड इन्डस्ट्रीज (रजि.) बारी ब्राहमना जम्मू*	***49.900***	***7.03***
4	*मै. हिमालय पोल्ट्री व कैटल फीड, बारी ब्राहमना जम्मू*	***15.400***	***2.17***
5	*मै. एस एस इन्डस्ट्रीज गैंगयाल, जम्मू*	***100.370***	***14.13***
	योग	***484.920***	***68.28***

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि किसी भी विक्रेता ने बिक्री के रिकार्ड का रखरखाव नहीं किया था अतः उत्पादकों का नाम व बिक्री की सत्यता की वास्तविक स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका।

- लिफटिंग एजेंसी व विक्रेताओं द्वारा 646.92 लाख मी. टन रियायती उर्वरको जिसमें 91.09 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है कि अनियमित बिक्री को राज्य सरकार को बताया गया (नवंबर 2009) जवाब की प्रतिक्षा है।

9.8.2.3 बिक्री का सत्यापन

- प्रथम बिंदू बिक्री का सत्यापन केवल लिफटिंग प्रमाण पत्र जो कि लिफटिंग एजेसियों जैसे मैसर्स जम्मू व कश्मीर कोपरेटिव तथा मार्केटिंग फेडरेशन (जे ऐ के फेड) एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि (ए आई डी सी एल) व कोपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज (सी एम एस) द्वारा जारी किए गऐ थे पर किया जा सका।

9.8.2.4 गुणवता नियंत्रण

लेखापरीक्षा जांच में जम्मू व कश्मीर में गुणवता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में परीक्षण ढांचे में कमिंया पाई गई।

- एक परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का विश्लेक्षण करने के लिए निर्धारित था जम्मू प्रयोगशाला के लिए फरवरी 2002 में खरीदा गया वह बेकार था। जम्मू प्रयोगशाला में वेक्यूम डेसीकेटर, भारतीय मानक सीव, सैम्पल ग्राइडर, टाप पैन संतुलन व डि–ओनाइजर जो कि परीक्षण के लिए चाहिए उपलब्ध नहीं थे। श्रीनगर की प्रयोगशाला में वाटर–बाथ कम शेकर, चुंबकीय उतेजक, सैम्पल ग्राईडर, ग्लास पानी आसवन उपकरण व डि–ओनाइजर जो कि परीक्षण के लिए चाहिए थे या तो उपलब्ध नहीं थे या खराब थे।
- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 (भाग – 1) के अनुसार विभिन्न उर्वरकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस जानकारी की जांच करने के लिए प्रयोगशाला को इन उर्वरकों का परीक्षण करना था। तथापि प्रयोगशाला के अभिलेख व परीक्षण की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2008–09 में जम्मू (रैक बिन्दु से उठाऐ गऐ नमूनों को छोड़कर) व कठुआ प्रयोगशाला में सभी परीक्षण नहीं किऐ गए जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

तालिका 9.18 – गुणवता जांच में अपेक्षाकृत कमी

जिलों का नाम	उर्वरक का प्रकार	नमूने जांचे गए	परीक्षण जो किया जाना था	परीक्षण वास्तव में किये	परीक्षण नहीं किए	परीक्षण नहीं किऐ गऐ की जानकारी
जम्मू	यूरिया46%एन	56	224	168	56	भार अपेक्षा बिवरेट प्रतिशत
–वही–	डी ए पी18-46-0	70	490	280	210	1. भार अपेक्षा नमी प्रतिशत 2. भार अपेक्षा यूरिया प्रकार में कुल नाइट्रोजन प्रतिशत 3. भार अपेक्षा जल घुलनशील फास्फेट प्रतिशत
–वही–	एम ओ पी	5	20	10	10	1. भार अपेक्षा नमी प्रतिशत 2. भार अपेक्षा Nacl प्रकार सोडियम प्रतिशत
कठुआ	यूरिया 46% एन	22	88	65	23	भार अपेक्षा बिवरेट प्रतिशत व एक

जिलों का नाम	उर्वरक का प्रकार	नमूने जांचे गए	परीक्षण जो किया जाना था	परीक्षण वास्तव में किये	परीक्षण नहीं किए	परीक्षण नहीं किऐ गऐ की जानकारी
						मामले में कुल नाइट्रोजन
–वही–	डी ए पी18-46-0	4	28	16	12	1. भार अपेक्षा नमी प्रतिशत 2. भार अपेक्षा यूरिया प्रकार में कुल नाइट्रोजन प्रतिशत 3. भार अपेक्षा जल घुलनशील फास्फेट प्रतिशत
–वही–	एम ओ पी	9	36	18	18	1. भार अपेक्षा नमी प्रतिशत 2. भार अपेक्षा Nacl प्रकार सोडियम प्रतिशत
–वही–	एन पी के12:32:16	40	320	160	160	1. भार अपेक्षा नमी प्रतिशत 2. भार अपेक्षा अमोनिकल नाइट्रोजन प्रतिशत 3. भार अपेक्षा यूरिया प्रकार में नाइट्रोजन प्रतिशत 4. भार अपेक्षा जल घुलनशील फास्फेट प्रतिशत

- 2006–07 से 2008–09 के 368 नमूने जो कि गुणवता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को भेजे गये के परिणाम प्राप्त नहीं हुऐ।इन नमूनों का अविश्लेषण व परिणामों को सूचित न करने के कारण प्रयोगशाला से मांगे गऐ परन्तु सूचित नहीं किया गया।

- इफको की डी ए पी का एक नमूना जो कि 22 अगस्त 2007 को उधमपुर जिले में पंथल से लिया व प्रयोगशाला में 27 अगस्त 2007 को प्राप्तहुआ कि जांच निर्धारित 30 दिन के बाद 24 सितंबर 2007 को की गई। परिणाम में कहा गया कि नमूना कण आकार विस्तृत जानकारी की तरह नहीं पाया गया।

9.8.2.5 उर्वरकों का अनाधिकृत व्यापार

- जम्मू व कश्मीर कोओपरेटिव सप्लाई व मार्केटिंग फेडरेशन जो कि राज्य की मुख्य लिफटिंग एंजेसी है के पास मान्य लाइसेंस नहीं है। फेडरेशन को लाइसेंस नंवबर 2009 में दिया गया जब यह चूक अक्टूबर 2009 में इंगित की गई।

- एफ सी ओ 1985 के अनुसार मान्य लाइसेंस अधिकतर कोपरेटिव माकेटिंग सोसाईटीज व कुछ प्राइवेट विक्रेता जो उर्वरक की बिक्री कर रहे थे के पास नहीं था। कुछ मामलों में यह पाया गया कि वे सोसाइटियां/विक्रेता जिसके पास खुदरा लाइसेंस थे वह उर्वरकों की थोक बिक्री कर रहे थे।

- विक्रेताओं द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 35 (1)(अ) के फार्म एन में स्टाक रजिस्टर नहीं बनाऐ गऐ थे।

- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 5 के अनुसार उर्वरक की बिक्री के सर्मथन में विक्रेता द्वारा फार्म एम में कैश मीमो का रखरखाव नहीं किया गया व कैश/क्रेडिट मीमो जारी ही नहीं किऐ।

- विक्रेताओं के पास उर्वरकों की खरीद के समर्थन में क्रय बिल उपलब्ध नहीं थे (लिफटिंग एजेसियों की तरह काम कर रहे विक्रेताओं को छोड़कर) कुछ मामलों में विक्रेताओं के पास माल प्राप्त करने के चालान उपलब्ध थे।

9.8.3 विक्रेता व किसान सर्वेक्षण का परिणाम

9.8.3.1 विक्रेता सर्वेक्षण

47 विक्रेताओं की प्रतिक्रिया का संक्षेप निम्न है:

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है ?	10	37	
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	44	0	3
		हां	नहीं	
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	14	33	
		हां	नहीं	
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	25	22	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	8	39	
		हां	अन्य	
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	26	21	
		हां	नहीं	
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	37	10	

जैसा कि उपर देखा जा सकता है अधिकतर विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें आवश्यक मात्रा व प्रकार में उर्वरक नहीं मिल रहे थे व वास्तव में मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने किसानो द्वारा छोटी मात्रा के बैग में उर्वरकों की मांग की भी पुष्टि की।

9.8.3.2 किसान सर्वेक्षण

240 किसानों की प्रतिक्रियाओं का संक्षेप निम्न है।

क.सं.	प्रश्नवली	प्रतिक्रिया		
		सहकारी	डीलर	दोनों
1.	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	0	0	240
		हां	नहीं	
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी। कृप्या दर्शायें	0	240	
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	अन्य
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?	0	238	2
		हां	नहीं	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	9	231	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)?	97	143	
		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	185	55	
		हां	नहीं	
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	12	228	
		हां	नहीं	
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	191	49	

		हां	नहीं
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर किया?	0	240
		हां	नहीं
10.	क्या आपको उर्वरकों की छोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	138	102
		हां	नहीं
11.	कुल मिलाकर, क्या आप खाद की आपूर्ति से संतुष्ट हैं?	54	186
		हां	नहीं
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा?	206	34

सर्वेक्षण परिणामों से पता चलता है कि लगभग सभी किसान उर्वरकों को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर खरीद रहे थे व अपनी खरीद की रसीद भी नहीं पा रहे थे। अधिकतर को अधिकतम खुदरा मूल्य पता नहीं था व उनकी मिट्टी जांच नहीं हुई थी। अधिकतर छोटी मात्रा के बैग के हक में थे।

9.9 झारखण्ड

9.9.1 पृष्ठभूमि

झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में कुल 18.04 लाख हैक्टेयर निबल खेती क्षेत्र है जोकुल भौगोलिक क्षेत्र का 25 प्रतिशत है। कुल खेती क्षेत्र का 92 प्रतिशत असिंचित क्षेत्र है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का चिंत्रण प्रकृति पर निर्भरता, कम निवेश, कम उत्पादकता प्रमुख फसल धान की एकल खेती, अप्रर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और छोटे एवं सीमांत जोत के द्वारा किया जाता है।

तीन जिलों और छःब्लाकों जिनके नाम है रांची (औरमांझी एवं बुन्दु) पूर्वो सिंहभूम (घाटसिला और जमशेदपुर सदर) और देवधर (सरथ और देवधर सदर) को विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिये चयनित किया गया।

9.9.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.9.2.1 उर्वरक आवश्यकताओं का गलत मूल्यांकन

- 2006–09 के दौरान, उर्वरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन मुख्य उर्वरक आपूर्तिकर्त्ता अर्थात् इफको और अन्य निर्माताओं के परामर्श से तैयार किया गया था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बी ए यू)/कृषि निदेशालय (डी ओ ए) द्वारा निर्धारित एवं डी ओ ए द्वारा क्षेत्रीय कृषि निवेश सम्मेलन में प्रायोजित मात्रा के बीच कोई सम्बंध नहीं था। जिला एवं ब्लाक कृषि अधिकारियों और किसानों को मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। 2006 से 2009 के दौरान इन दो के मध्य 31 से 92 प्रतिशत के अंतर को निचे दिया गया है (**तालिका 9.19 ए**):–

तालिका 9.19 – निर्धारित मात्रा की आवश्यकता और खपत के बीच अंतर

	उर्वरक की आवश्यकता	यूरिया (मी. टन)	डी ए पी (मी. टन)	एस एस पी (मी. टन)	एम औ पी (मी. टन)
		वर्ष 2006–07			
क	डी ओ ए/बी ए यू द्वारा निर्धारित	2,72,109	1,76,976	87,404	74,113
ख	विभाग द्वारा रखा गया	1,84,000	1,15,000	5,500	7,000
ग	मात्रा में कमी और प्रतिशतता (क–ख)	88,109 32%	61,976 35%	81,904 94%	67,113 91%
घ	उपलब्ध	1,69,678	78,151	4,775	704
च	खपत	1,62,437	67,733	4,310	704
छ	खपत में कमी (क–च)	1,09,672 (40%)	1,09,243 (62%)	83,094 (95%)	73,409 (99%)

	उर्वरक की आवश्यकता	यूरिया (मी. टन)	डी ए पी (मी. टन)	एस एस पी (मी. टन)	एम औ पी (मी. टन)
		वर्ष 2007–08			
क	डी ओ ए/बी ए यू द्वारा निर्धारित	2,81,035	1,76,988	98,644	77,318
ख	विभाग द्वारा रखा गया	2,00,000	77,700	7,050	6,950
ग	मात्रा में कमी और प्रतिशतता (क–ख)	81,035 (20%)	99,288 (56%)	91,594 (93%)	70,368 (91%)
घ	उपलब्ध	1,69,295	77,997	5,673	10,341
च	खपत	1,53,592	74,244	5,436	8,652
छ	खपत में कमी (क–च)	1,27,443 (45%)	1,02,744 (58%)	93,208 (94%)	68,667 (89%)
		वर्ष 2008–09			
क	डी ओ ए/बी ए यू द्वारा निर्धारित	2,89,265	2,00,979	1,09,665	81,215
ख	विभाग द्वारा रखा गया	2,00,000	1,05,000	1,00,000	13,000
ग	मात्रा में कमी और प्रतिशतता (क–ख)	89,265 (31%)	95,979 (48%)	99,665 (91%)	68,215 (84%)
घ	उपलब्ध	1,62,147	82,971	01	16,334
च	खपत	1,48,773	80,342	01	13,750
छ	खपत में कमी (क–च)	1,40,492 (49%)	1,20,637 (60%)	1,09,664 (100%)	67,465 (83%)

तालिका 9.19 क – वर्ष 2006–09 के दौरान कुल कमी

वर्ष		यूरिया (मी. टन)	डी ऐ पी (मी. टन)	एस एस पी (मी. टन)	एम ओ पी (मी. टन)
2006-09	मात्रा में कुल कमी अर्थात निर्धारित मात्रा के साथ–साथ मांगी गयी मात्रा में कमी	2,58,409 (31%)	2,57,243 (46%)	2,73,163 (92%)	2,05,696 (88%)
2006-09	खपत में कुल कमी अर्थात् निर्धारित मात्रा के साथ–साथ मांगी गई मात्रा में कमी	3,77,607 (45%)	3,32,624 (60%)	2,85,966 (97%)	2,09,541 (90%)

टिप्पणीः किसान डायरी 2008, बुकलेट एवं खरीफ 2009 में, डी ओ ए/बी ए यू के पुस्तावानुसार निर्धारित उर्वरकों की वर्ष वार गणना

- राज्यों में उर्वरकों की खपत उर्वरकों की उपलब्धता के बराबर रखी जाती है जो बताती है कि आवश्यकताओं क्ा अपर्याप्त अनुमान लगाये गये और फलस्वरूप राज्यों में उर्वरकों की नगण्य खपत का मूल कारण उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति की अनुपलब्धता थी जो फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों की अपर्याप्त उपलब्धता काला बाजारी की जोखिम सहित एक धोखा है।

- चूंकि एस एस पी, एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, अच्छी उपज के लिये विशेष फसलों के लिये सिफारिश की गयी थी। तथापि वर्ष 2008–09 के दौरान 1.09 लाख मी. ट. की आवश्यकता के विरूद्ध, खपत और आपूर्ति शून्य थी।

9.9.2.2 उर्वरकों के विक्रय के लिये मानदंडों का अनिर्धारण

- उर्वरकों के विक्रय को विनियमित करने के लिये सरकार द्वारा मानदण्डों का निर्धारण नहीं किया गया।

9.9.2.3 उर्वरकों का विपथन

- 25 मामलों की परख जांच में पाया गया कि वर्ष 2008–09 के दौरान 12689मी. ट. विनियंत्रित उर्वरक हटिया, डाल्टैगंज, कोडर्मा और जसीडिह रैक पाइंट/नेशनल वेअर हाऊसों से अन्य जिलों को जहां पर रैंक पाइंट जिलों के साथ सहटर्मिनस थे और संचालित किये जा रहे थे, प्रेषित किये गये थे। ब्लाक मुख्यालों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रेषण करने की बजाय, वे अन्य जिलों को प्रेषित किये गये थे। इस तरह की प्रथा की सम्भावना विशेष क्षेत्र में अस्थायी कमी को बनाये हुये है और काला बाजार को उकसाने और जमाखोरी की सम्भावना को खारिज नहीं कर सकती।

9.9.2.4 विक्रय का सत्यापन

- राज्य सरकारों द्वारा प्रोफार्मा–बी को जारी करने में 6 से 723 दिनों की काफी देरी थी।

- पहले स्टाक पाईट विक्रय से लेकर अन्तिम प्रयोगकर्ता अर्थात किसान की विक्रय के सत्यापन के लिये कोई प्रक्रिया नहीं थी।

- सत्यान प्रोफार्मा–ए में जानकारी और डीलरों के स्टाक रजिस्टर के आधार पर किया गया था।

- अगस्त 2008 के माह के लिये टाटा कैमिकल्स लिमिटिड (डी सी एल) का प्रोफार्मा–ए, 1457.35 मै. ट. उर्वरकों (अर्थात् 741.20 मी. ट. आयातित डी ए पी, 243.150 मै.ट. ग्रेड–II स्वदेशी डी ए पी 168 मी. ट. एम ओ पी और 10:26:26–305 मी.ट. एन पी के) जो 5.29 करोड़ रूपये की सब्सिडी से सम्बधित चूंकी आपूर्ति/विक्रय का सत्यापन अनियमित लगभग सात महीने पहले अर्थात् जनवरी 2008 में डी ओ ए द्वारा किया गया था। यह प्रोफार्मा–ए के सत्यापन की प्रक्रिया सत्यता पर शंका उत्पन्न करता है।

9.9.2.5 गुणवता नियंत्रण

- झारखण्ड में केवल एक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशाला है। 26 में से 13 चालू थे और दो अक्टूबर 2009 तक स्थापित नहीं किये गये थे और शेष बचे उपकरणों को वर्ष 2007–08 से चालू ही नहीं किया गया था।

- वर्ष 2006–09 के दौरान 6045 नमूने (2015 नमूने प्रति वर्ष) की क्षमता विशलेषण के विरूद्ध केवल 2043 (34 प्रतिशत) नमूनों का विशलेषण किया गया था।

9.9.2.6 अन्य रोचक बिन्दु

9.9.2.6.1 डीलरों के नेटवर्क का गैर–मजबूतीकरण

- राज्य में किसी भी उर्वरक कम्पनी, इफको को छोड़कर, ने उनके प्राधिकृत डीलरों द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया था।
- उर्वरकों कम्पनियों को सभी जिलों/ब्लाकों में डीलर नेटवर्क को बनाने हेतु डी ओ ए के निर्देशों के बावजूद उर्वरक कम्पनिया सभी जिलों/ब्लाकों में अपना डीलर नेटवर्क स्थापित करने में विफल रही। सम्पूर्ण राज्य में उर्वरक व्यापार मात्र 15 से 39 डीलरो द्वारा नियंत्रित किया गया। धनबाद, सिमदेग, जामतारा, दुमका और पाकुर जिलों में डीलर नहीं थे। इन जिलों में पड़े उर्वरक अन्य जिलों के डीलरों की मेहरवानी पर थे।

9.9.2.6.2 गैर–मानक उर्वरकों का विक्रय

- रांची में इफको के प्रथम विक्रय केन्द्र के दस्तावेजों की नमूना जांच में यह पाया गया कि 2586.76 मी.ट. डी ए पी, 10.81 करोड़ रुपये की सब्सिडी से सम्बंधित, 22 जुलाई 2008 को हटिया रेक पाइंट पर आया था जिसको खुले पलेटफार्म में रखा गया और चार दिनों 22–25 जुलाई 2008 तक वर्षा के हवाले रहा। डी ए पी की गुणवता खराब हुई और डी ए पी का विक्रय बिना गुणवता जांच के हुआ, परिणामस्वरूप किसानों को गैर–मानकी उर्वरकों की अनियमित आपूर्ति की गई।

9.9.2.6.3 एन जी ओ को उर्वरकों का अनियमित विक्रय

- रांची जिले में, 725.30 मी. ट. विभिन्न प्रकार के उर्वरक की वर्ष 2008–2009 में मै. कृषि विकास केन्द्र और मै. विद्या बीज भण्डार द्वारा एन जी ओ को बिक्री की गई। लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि एन जी ओ को उर्वरकों की बिक्री कृषि उद्देश्यों के लिये की गई या नहीं। इस प्रकार, उर्वरकों का दुरुप्रयोग कृषि के अलावा अन्य उद्देश्यों या विपथन की सम्भावनाओं से मना नहीं किया जा सकता।

9.9.2.6.4 उर्वरकों की संदिग्ध बिक्री

- दस्तावेजों की परख जांच में पाया गया कि 978.10 मी.ट. विभिन्न प्रकार के उर्वरक, जिसमें 2.25 करोड़ रुपये की सब्सिडी समाहित थी। एक डीलर मै. ग्रीन सेन्टर, रांची जो अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि के दौरान चार निर्माता/कम्पनियों को प्रतिनिधित्व कर रहा था, द्वारा खरीदी गयी थी। तथापि, इन्वाइस में वाहन जिसमें उर्वरकों को डीलर के भण्डार से लाया गया था की रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं थी। इस प्रकार, बिक्री का समायोजन केवल उर्वरक सब्सिडी के दावे के लिये होने की संभावना, से मना नहीं किया जा सकता।

9.9.2.6.5 उर्वरकों की कम प्राप्ति

- यह पाया गया कि उर्वरकों की एक पी पी एल रैक (आर आर सं. 212001374 दिनांक 22.8.2008) हटिया रैक पाइंट पर प्राप्त किया गया था (25 आगस्त 2008), जिसमें से कम्पनी द्वारा 76 मी. ट. (एम ओ पी), 37 मी. ट. (एन पी के 10) और 37 मी.ट. (एन पी के 20) जिला भण्डार, माधोपुर को

आबंटित किया गया था परन्तु यह बफर स्टाक में सम्मिलित नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप 48.90 लाख रुपये की सब्सिडी से सम्बधित उर्वरकों को खाते में कम दिखाया गया।

9.9.2.6.6 अकार्यरत रैक पाइंट

- राज्य सरकार ने राज्य में आठ रैक पाइंट अनुमोदित किये थे, जिनमें से, चार, नामतः टाटा जंक्सन, साहिबगंज, हज़ारी बाग और धनबाद, अकार्यारत थे। उन जिलों जहां पर रैक अकार्यारत थे में उर्वरकों की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और परिणामस्वरूप अन्तिम प्रयोगकर्ताओं पर मूल्य बोझ में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना थी।

9.9.3 डीलर एवं किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.9.3.1 डीलर सर्वेक्षण

22 डीलरों की प्रतिक्रियाओं को निचे संक्षेप में दिया गया है:-

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है ?	13	9	
		सीमा नहीं	सीमित	
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	21	1	
		हां	नहीं	
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	14	8	
		हां	नहीं	
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	6	16	
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप किसानों को उनकी भाग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	9	10	3
		हां	नहीं	
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	16	6	
		हां	नहीं	हां, रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	16	4	2

अधिकांश डीलरों ने दर्शाया कि अपर्याप्त क्रैडिट सुविधा के साथ–साथ उठाने के लिये ढुलाई में समस्या थी।

9.9.3.2 किसान सर्वेक्षण

190 किसानों से प्रतिक्रियाओं को निचे संक्षेप में दिया गया है:-

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया			
		सहकारी	डीलर	दोनों	अन्य
1.	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	11	155	22	2
		हां	नहीं	अन्य	
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ए पी/राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ए पी। कृप्या दर्शायें	5	183	2	
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	कोई टिप्पणी नहीं	
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?	0	0	190	
		हां	नहीं	केवल सहकारी से	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	10	167	13	
		हां	नहीं		
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं? (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)	4	186		
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं	
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	20	169	1	
		हां	नहीं	हां, परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	4	183	3	
		हां	नहीं	अन्य	
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	109	67	14	

		हां	नहीं	अन्य
9.	क्या डीलर ने आपकों उर्वरक जो चाहिये थे के साथ अन्य उर्वरकों को खरीदने के लिये मजबूर किया?	10	174	6
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको उर्वरकों की कम मात्रा की थैली की आवश्यकता है?	172	18	
		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिला कर, आप सन्तुष्ट हैं जो उर्वरक की आपूर्ति आपको हुई?	79	110	1
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा	134	54	2

जैसा ऊपर देखा गया है, अधिकांश किसान उर्वरकों की एम आर पी से अनभिन थे और उनके पास उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता को जानने के लिए मिट्टी के परीक्षण प्राप्त नहीं थे और उन्हें उर्वरकों की कम मात्रा की थैली की आवश्यकता थी।

9.10 कर्नाटक

9.10.1 पृष्ठभूमि

कर्नाटक के 29 जिलों में कुल भैगोलिक क्षेत्र 191791 वर्ग किलोमीटर और कुल 100.69 लाख हैक्टियर बुवाई क्षेत्र है। मुख्य फसलों में अनाज, दालें, कपास और वाणिज्यिक फसले जैसे तिलहन, गन्ना और तंबाकु है। चार जिलों (चिकमगलूर, हावेरी, मांडया और उदपि) और आठ खण्डों (प्रत्येक जिले में दो)को विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिये बेतरतीब ढंग से चुनी गयी थी।

9.10.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.10.2.1 उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन

- आवश्यकता की गणना का मापदण्ड पिछले वर्षों की जिलों की खपत, अच्छा मौसम खपत, मौसमी अवस्था, फसल आवरण और परिवर्तन और मुख्य उर्वरक यूनिटों के साथ ही साथ मासिक बैठकों के दौरान विचार विमर्श था। तथापि, जांच परीक्षण जिलों में आवश्यकता पिछले वर्षों के खपत तथ्य साथ ही साथ 10 प्रतिशत बढ़ाकर के आधार पर अनुमानित किये गये थे। खपत विवरण जिले स्तर पर निर्माताओं द्वारा आपूर्ति के आधार पर थी। इसलिए, उर्वरकों का अनुमान यर्थाथवादी/वैज्ञानिक नहीं था।

9.10.2.2 उर्वरकों की उपलब्धता

- उर्वरकों की बिक्री के लिये कोई मापदण्ड नहीं थे। केवल कमी के दौरान/देरी से आपूर्ति कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिक्री निगरानी की गई थी।
- 2006–07 से 2008–09 की अवधि के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति और आवश्यकता आकलन के बीच में ठोस भिन्नता थी। यूरिया, डी ऐ पी, एम ओ पी और कम्पलेक्सो की आपूर्ति की कमी 5 प्रतिशत से 59 प्रतिशत और आवश्यकता से अधिक आपूर्ति 2.34 प्रतिशत से 26.37 प्रतिशत के बीच में थी।

तालिका 9.20 – उर्वरकों का आकलन आवश्यकता और आपूर्ति के बीच भिन्नता

(मात्रा मै.ट. में)

वर्ष	यूरिया			डी ऐ पी			एन पी के		
	आवश्यकता	आपूर्ति	प्रतिशत में भिन्नता	आवश्यकता	आपूर्ति	प्रतिशत में भिन्नता	आवश्यकता	आपूर्ति	प्रतिशत में भिन्नता
2006-07	1225000	1253628	-2.34	580000	437584	24.55	1113000	786711	29.32
2007-08	1350000	1281988	5.04	605000	764511	-26.37	1117000	799204	28.45
2008-09	1375000	777616	43.45	820000	567696	30.77	1120000	459218	59

वर्ष	एम ओ पी			अन्य		
	आवश्यकता	आपूर्ति	प्रतिशत में भिन्नता	आवश्यकता	आपूर्ति	प्रतिशत में भिन्नता
2006-07	383000	358013	6.52	200411	121755	39.25
2007-08	455000	504622	-10.91	195100	165862	14.99
2008-09	515000	278800	45.86	218000	90802	58.35

- कुछ जिलों में, उर्वरकों की कमी की रिपोर्ट की गई थी।

9.10.2.3 स्टाक का सत्यापन

- प्रोफार्मा बी को जारी करने में 1 से 25 दिनों की देरी हुई, जो संक्षेप में निचे दी गयी है:

तालिका 9.21 – प्रोफार्मा 'बी' को जारी करने में देरी

महीना	कम्पनी का नाम	प्रोफार्मा 'ए' को जारी करने की दिनांक	प्रोफार्मा 'बी' को जारी करने की दिनांक	दिनों में देरी
अप्रैल 2008	मै. दीपक फर्टीलाइजर	9-5-2008	28.10.2008	82
अप्रैल 2008	मै. फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकलस त्रावणकौर लिमिटिड	12-7-2008	28.10.2008	17
अप्रैल 2008	मै. जी एस एफ सी लिमिटिड	29-7-2008	28.10.2008	1
अप्रैल 2008	मै. इफको लिमिटिड	3-7-2008	28.10.2008	26
अप्रैल 2008	मै. आई पी एल लि.	28-5-2008	28.10.2008	63
अप्रैल 2008	मै. एम सी एफ लि.	20-6-2008	28.10.2008	40
अप्रैल 2008	मै. आर सी एफ लि.	6-5-2008	28.10.2008	85
अप्रैल 2008	मै. जैड आई एल लि.	28-6-2008	28.10.2008	32
मई 2008	मै. कौरोमंडल फर्टीलाइजर लि.	4.7.2008	28.10.2008	25
जुलाई 2008	मै. कौरोमंडल फर्टीलाइजर लि.	23.9.2008	15-12-2008	शुन्य
जुलाई 2008	मै. दीपक फर्टीलाइजर लि.	6-9-2008	15-12-2008	10
जुलाई 2008	मै. फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकलस त्रावणकौर लि.	17-9-2008	15-12-2008	शून्य
जुलाई 2008	मै. इफको लि.	28-8-2008	15-12-2008	18
जुलाई 2008	मै. आई पी एल लि.	14-8-2008	15-12-2008	32
जुलाई 2008	मै. एम सी एफ लि.	22-8-2008	15-12-2008	24
जुलाई 2008	मै. आर सी एफ लि.	21-8-2008	15-12-2008	25
जुलाई 2008	मै. जैड आई एल लि.	5-8-2008	15-12-2008	51
आगस्त 2008	मै. जी एस एफ सी लि.	15.9.2008	15-12-2008	1

महीना	कम्पनी का नाम	प्रोफार्मा 'ए' को जारी करने की दिनांक	प्रोफार्मा 'बी' को जारी करने की दिनांक	दिनों में देरी
अक्तूबर 2008	मै. कौरोमण्डल फर्टीलाइजर लि.	4-12-2008	9.4.2009	36
अक्तूबर 2008	मै. दीपक फर्टीलाइजर लि.	21-11-2008	9.4.2009	49
अक्तूबर 2008	मै. फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकलस त्रावणकौर लि.	29-11-2008	9.4.2009	41
अक्तूबर 2008	मै. जी एस एफ सी लि.	29-11-2008	9.4.2009	41
अक्तूबर 2008	मै. इफको लि.	17-11-2008	9.4.2009	53
अक्तूबर 2008	मै. आई पी एल लि.	18-11-2008	9.4.2009	52
अक्तूबर 2008	मै. एम सी एफ लि.	15-12-2208	9.4.2009	25
अक्तूबर 2008	मै. आर सी एफ लि.	18-12-2008	9.4.2009	22
अक्तूबर 2008	मै. जैड आई एल लि.	1-12-2008	9.4.2009	39

- परीक्षा जांच जिलों में परीक्षा जांच अवधि में, यह पाया गया था की स्टाक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

9.10.2.4 गुणवता नियंत्रण

- तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की आवश्यक संख्या से तैनात नहीं थे। स्वीकृत 41 पदों की संख्या के विरूद्ध, 15 पद राज्य की 4 लैबोरेटरी में खाली पड़े हुऐ थे, जोकि निचे दिखाये गये है:

तालिका 9.22 – कर्नाटक में गुणवता नियंत्रण लैबोरेटरी के कर्मचारियों की संख्या में कमी

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	भरा गया	खाली
1	उप निदेशक	4	3	1
2	कृषि अधिकारी	21	12	9
3	लैबोरेटरी सहायक	8	5	3
4	लैबोरेटरी अटैन्डर	8	6	2

9.10.3 किसान सर्वेक्षण और डीलर का परिणाम

9.10.3.1 डीलर सर्वेक्षण

48 डीलरों की प्रतिक्रियाओं को नीचे सर्वेक्षण में दिया गया है:

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है?	5	43	
		सीमा नहीं	सीमित	
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	43	5	
		हां	नहीं	
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	26	22	
		हां	नहीं	
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	45	3	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	47	1	
		हां	नहीं	
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	37	11	
		हां	नहीं	हां, परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	30	6	12

अधिकांश डीलरों को समय पर आवश्यक उर्वरकों की मात्रा प्राप्त नहीं हुई थी, जबकि 26 डीलरों को उर्वरक उठाने में समस्या आ रही थी, इस प्रकार डीलरों के दरवाजे तक आपूर्ति नहीं किये गये थे।

डीलरों ने आने वाली लदान और उलराई आदि से बचाने के लिये उर्वरकों को एफ औ आर आधार पर आमूर्ति करने के लिये अनुरोध किया गया था।

9.10.3.2 किसान सर्वेक्षण

240 किसानों की प्रतिक्रियाओं को लिये संक्षेप में दिया गया है।

क्र. सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		सहकारी	डीलर	अन्य
1.	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	112	66	62
		हां	नहीं	
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/ राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी? कृप्या दर्शायें।	9	231	
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	अन्य
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?	110	129	1
		हां	नहीं	दोनों
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	155	83	2
		हां	नहीं	
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं? (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)	195	45	
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	76	163	1
		हां	नहीं	अन्य
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	62	177	1
		हां	नहीं	
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	168	72	
		हां	नहीं	

9.	क्या डीलर ने आपकों उर्वरक जो चाहिये थे के साथ अन्य उर्वरकों को खरीदने के लिये मजबूर किया?	20	220
		हां	नहीं
10.	क्या आपको उर्वरकों की छोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	174	66
		हां	नहीं
11.	कुल मिला कर, आप सन्तुष्ट हैं जो उर्वरक की आपूर्ति आपको हुई	105	135
		हां	नहीं
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा	145	95

किसान सर्वेक्षण परिणाम में पाया गया कि ज्यादातर किसानों ने बताया कि वे उर्वरक अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर प्राप्त कर रहे हैं और उर्वरकों की प्र्याप्त मात्रा समय पर प्राप्त करने में समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। बहुसंख्यक किसान छोटी मात्रा थैली के पक्ष में थे।

9.11 केरल

9.11.1 पृष्ठभूमि

केरल के 14 जिलों में कुल 21.05 लाख हैक्टेयर (2007–08) शुद्ध बुवाई क्षेत्र है जोकि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 54.16 प्रतिशत है। राज्य की मुख्य फसले मसाले, रबर, नारियल, केला और धान है।

दो जिलों (कोट्टयम और पलक्कड़) और प्रत्येक जिलों के दो खण्डों (काडुथूरती, काजीरापल्ली, अलाथूर और पलक्कड़) को विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिये चयनित किया गया था, इसके अलावा दो गुणवंता नियन्त्रण लैबोरेटरी जो पतामबीह और तिरूवनन्तपुरम।

9.11.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.11.2.1 उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन

- आवश्यकता का आकलन फसल की किस्म, बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी/कमी, बुवाई करने का ढंग, सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र आदि के आधार पर नहीं था। इसके बजाय, 2007–08 तक के दौरान अधिकतम खपत में पांच प्रतिशत जोड़कर की गयी थी। 2008–09 के दौरान, आवश्यकता की गणना पिछले मौसम के दौरान हुई खपत में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लिया गया था, केवल डी ए पी को छोड़कर जिसके लिये 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लिया गया था।
- खपत की गणना मौसम के दौरान थोक विक्रेताओं/खुदरा व्यापारी द्वारा उव्ररक की प्राप्ति के आधार पर की गयी थी। निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी कुल सब्सिडी दावे/बिक्री रिर्पोट मौसम के लिये खपत को लिया गया।

9.11.2.2 उपलब्धता और खपत

- वर्ष 2006–09 के दौरान आवश्यकता में डी ऐ पी और एम ओ पी में कमी 5 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच में थी और अधिकता 12 प्रतिशत और 33 प्रतिशत के बीच में थी। अन्य कम्पलैक्स उर्वरकों में कमी बिल्कुल स्पष्ट थी और यह 44 से 76 प्रतिशत के बीच थी जो कि निचे दिखाया गया है।

तालिका 9.23 उर्वरकों की उपलब्धता में कमी

(मात्रा मै. ट. में)

मदें	वर्ष	आवश्यकता	प्राप्ति	ज्यादा/कम प्राप्ति का प्रतिशत
यूरिया	2006-07	146032	136120	-6.79
	2007-08	138600	138597	-
	2008-09	147500	155511	+5.43
डी ऐ पी	2006-07	16877	22545	+33.58
	2007-08	22798	17061	-25.16
	2008-09	25500	24063	-5.64
एम ओ पी	2006-07	129631	123508	-4.72
	2007-08	130685	110149	-15.71
	2008-09	133000	150085	+12.85

फेक्टोमफोस एवं अन्य 20:20	2006-07	130736	140683	+7.61
	2007-08	150605	117767	-21.80
	2008-09	156000	166515	+6.74
अन्य कम्पलेक्स				
(10:26:26, 15:15:15, 17:17:17, 19:19:19, सिंगल सुपर फास्फोट और अमोनियम सलफेट)	2006-07	56238	13312	-76
	2007-08	36177	11430	-68
	2008-09	21300	11860	-44

2006–09 अवधि के लिये यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी और कम्पलैक्स की प्राप्ति और खपत का विवरण नीचे दिखाया गया है।

तालिका 9.24 – उर्वरकों की प्राप्ति और खपत

(मात्रा मै. ट. में)

मद	वर्ष	प्राप्ति	खपत	अन्तर
यूरिया	2006-07	136120	125422	10698
	2007-08	138597	133831	4766
	2008-09	155511	162702	(-)7191
डी ए पी	2006-07	22545	24015	(-)1470
	2007-08	17061	17760	(-)699
	2008-09	24063	26043	(-)1980
एम ओ पी	2006-07	123508	118416	5092
	2007-08	110149	116446	(-)6297
	2008-09	150085	150956	(-)871
फैक्टोमफोस एवं अन्य20:20	2006-07	140683	131996	8687
	2007-08	117767	131127	(-)13360
	2008-09	166515	149177	17338
अन्य कम्पलेक्स				
(10:26:26, 15:15:15, 17:17:17, 19:19:19)	2006-07	13312	13754	(-)442
	2007-08	11430	11050	380
	2008-09	11860	14405	(-)2545

- उपर की तालिका से यह सिद्ध होता है कि डी ऐ पी की खपत सभी तीन वर्षों के दौरान प्राप्ति से ज्यादा थी साथ ही साथ वर्ष 2007–09 के दौरान एम ओ पी, फेक्टोमफास, 20:20 वर्ष 2007–08 में और अन्य कम्पलैक्स वर्ष 2006–07 और 2008–09 में ज्यादा थी।
- चयनित जिलों के मामलों में, 2008–09 के दौरान लगभग सभी उर्वरकों की खपत और आवश्यकता के बीच भिन्नता थी जो दिखा रही है कि आपूर्ति आकलन के आधार पर नहीं थी जो इस प्रकार है:

तालिका 9.25 – उर्वरकों की आवश्यकता और खपत के बीच भिन्नता

(मात्रा मै. ट.)

जिला	यूरिया			एम ओ पी			डी ऐ पी			एन पी के कम्पलैक्स		
	आवश्यकता	खपत	अन्तर	आवश्यकता	खपत	अन्तर	आवश्यकता	खपत	अन्तर	आवश्यकता	खपत	अन्तर
कोटायाम	17649	20979	3330	19241	19281	40	5854	9845	3991	14257	23151	8894
पलक्कड़	21505	27919	6414	13560	19420	5860	3813	880	-2933	32136	40640	8504

*एन पी के कम्पलैक्स 17:17:17, 10:26:26, फैक्आमफोस, 20:20, राक फासफेट, अमोनियम सलफेट, एस एस पी और 15:15:15

स्रोतः कृषि निदेशालय

- आगे, ज्यादातर डी ऐ पी और सूरिया और एम ओ पी का बड़ा हिस्सा मिश्रण इकाइयों को बेचा गया था। पलक्कड़ में एक थोक विक्रेता यूरिया, एम ओ पी और डी ए पी को इरनाकुलम में स्थित मिश्रण इकाइयों को बेच रहा था। अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 अवधि के लिये कुछ विक्रेताओं की नमूना जांच के मामले में मिश्रण इकाइयों को बेची गयी यूरिया, डी ऐ पी और एम ओ पी की मात्रा का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 9.26 – मिश्रण इकाइयों को बेचे गये उर्वरक

(मात्रा मै. ट.)

जिला		यूरिया		डी ए पी		एम ओ पी	
	इकाई	कुल बिक्री	मिश्रण इकाईयों द्वारा खरीद	कुल बिक्री	मिश्रण इकाईयों द्वारा खरीद	कुल बिक्री	मिश्रण इकाईयों द्वारा खरीद
कोटायाम	एफ ऐ सी टी कुमारनालोर	4181.90	2362.00 (56.48%)	2741.00	2681.00 (97.81%)	1710.00	1009.00 (59%)
	कोटायाम में एक थोक विक्रेता*	1369.35	889.80 (65%)	417.35	415.80 (99.63%)	760.80	347.00 (45.61%)
पलक्कड	एफं ऐ सी टी डिपो	6475.75	154.00 (2.38%)	260.00	40.00 (15.38%)	3322.80	70.00 (2.11%)
	पलक्कड में एक थोक विक्रेता	4964.65	2200.00 (44.31%)	181.15	181.15 (100%)	1874.35	650.00 (35%)

*मिश्रण इकाईयों की प्रभावित बिक्री में से एक ही प्रबंधन के तहत मिश्रण इकाई को एक बड़ा हिस्सा था।

- मिश्रण इकाइयों के संघ द्वारा तय किये गये विभिन्न श्रेणी के मिश्रण का अधिकतम खुदरा मूल्य राज्यों में भारत सरकार द्वारा तय मूल्यों ज्यादा है जो निचे दिखाया गया है:

तालिका 9.27 – केरल में मिश्रणों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में अन्तर

भारत सरकार द्वारा तय अधिकतम खुदरा मूल्य		मिश्रण इकाइयों द्वारा तय अधिकतम खुदरा मूल्य		
उत्पाद	मूल्य (रुपये)	उत्पाद	मूल्य (रुपये) अगस्त 2008 से प्रभावी	मूल्य (रुपये) अक्टूबर 2008 से प्रभावी
20:20:0:13	6295	18:18:(18):18	9800	9800
15:15:15:0	5121	20:0:10	6060	5785
17:17:17:0	5804	12:12:6	8300	6910
19:19:19:0	6487	10:10:4	7480	6300
		12:12:12	8700	7588
		10:10:10	7860	6690
		15:10:6	8040	6925

राज्य सरकार का मिश्रण का मूल्य तय करने में कोई भूमिका नहीं है। यह साफ है, रियायती उर्वरक आपूर्ति का एक मुख्य हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा मूल्य पर बिक्री किये गये मिश्रण उर्वरक में जा रहा है, इस प्रकार ''सब्सिडी श्रृंखला''' को ताडकर मिश्रण इकाइयों को अनावश्यक रूप से लाभ दिया जा रहा है। इससे आगे, किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहा है जिससे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य विफल रहा है कि सब्सिडी से किसानों को फायदा होना चाहिये।

9.11.2.3 सब्सिडी दावों का सत्यापन

- उर्वरक विभाग को प्रोफार्मा 'बी' जमा कराने में निर्धारित 90 दिनों की समय सीमा से उपर 10 से 60 दिनों के बीच की देरी।

9.11.2.4 सीमा पार ढुलाई

- प्रिंट/दृश्य मीडिया में अन्य राज्यों में उर्वरकों की अवैध सीमा पार ढुलाई की रिर्पोट भी आयी थी। तथापि, निदेशालय में जिलों पर की गयी कार्रवाई की कोई भी रिपोर्ट, अक्टूबर 2009 तक, उपलब्ध नहीं थी।

9.11.2.5 गुणवता नियंत्रण

- उर्वरक ऐनालिस्ट के स्वीकृत आठ पदों के विरूद्ध (तिरूवनतपुरम और पटटामी की प्रत्येक लैबोरेटरी में चार), केवल सात व्यक्तियों को रखा हुआ था, जिसमें से तीन ऐनालिस्ट तकनीकी संस्थान फरीदाबाद और गुणवता नियंत्रण लैबोरेटरी से प्रशिक्षित नहीं थे और इस प्रकार, एस जी ओ, 1985 की धारा 29 ऐ के अनुसार उर्वरक ऐनालिस्ट की नियुक्ति के अयोग्य थे।
- 2006–09 अवधि के दौरान नमूनों की जांच में 10 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के बीच में कमी थी जो निचे दी गयी है:

तालिका 9.28 – गुण्सवता नमूनों की जांच में देरी

वर्ष	गुणवता नियंत्रण लैब, तिरूवनतपुरम				
	क्षमता/ तय किये	लक्ष्य प्राप्त गये	जांचे गये[18] (लक्ष्य का प्रतिशत)	अमानक	तामंजूर किये गये बिना जांच किये गये#[19]
2006-07	2790	2333	2266(81%)	136	166
2007-08	2790	2107	1907(68%)	21	109
2008-09	2790	2395	2415(87%)	65	78

वर्ष	गुणवता नियंत्रण लैब, पटटामी					
	क्षमता	लक्ष्य तय किये	प्राप्त	जांच किये गये* (लक्ष्यों के उपर प्रतिशत)	अमानक	नामंजूर किये गये बिना जांच किये गये#
2006-07	2500	2210	2255	2261(90%)	243	159
2007-08	2500	2230	1703	1594(64%)	114	57
2008-09	2500	2230	1864	1838(74%)	150	59

- वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान उप–मानक उर्वरकों के अमानक मामले 66 से 89 प्रतिशत में पाये गये, और भी समानरूप से संसदीय रिपोर्ट लम्बित थी, गुणवता जांच का उद्देश्य विफल रहा। नमूना प्रक्रिया में कोई विशिष्ट प्रणाली/ मापदण्ड भी नहीं था जिससे कि सभी थोक विक्रेताओं/ खुदरा व्यापरियों/ मिश्रण इकाईयों को समय समय पर पूरा किया जा सके।
- नमूने को ज्यादातर खुदरा व्यापारियों से चुनना था और नमूने प्रतिष्ठित उर्वरक निर्माताओं से सीधे लिये गये थे। मिश्रण इकाइयों/मिश्रण/थेक विक्रेताओं से नमूने कभी कभी लिये गये थे। उदाहरण के लिये, अलाथुर में 2006–07 से 2008–.09 अवधि के दौरान सभी 60 नमूनों को लिया गया और कांजीरपल्ली ब्लाक में 53 में से 47 नमूनों को केवल खुदरा डीलर से लिया गया।
- कृषि विभाग में अमानक उर्वरक के विवरण का अभिलेखन करने के लिये रखे गये रजिस्टर में पाया था कि वर्ष 2007–08 और 2008–09 के लिये कुल अमानक अकार्बनिक उर्वरक नमूने का 92 प्रतिशत मिश्रण था। इसलिए, मिश्रण इकाईयों द्वारा उत्पादित किया गया मिक्सर उर्वरकों की गुणवता का स्तर मानक से उपर नहीं थी।
- विभाग मिश्रण इकाईयों की निम्न गुण्सवता के उत्पादों को जानता था तथापि, उनके द्वारा उत्पादित मिश्रणों का स्तर को सुधारने के लिये कोई कदम नहीं लिये गये या दोषी इकाईयों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे कृषि निदेशक द्वारा प्रस्तुत की गयी आवश्यकता के आधार पर राज्य से

[18]पूर्व वर्षों से लिया गया सम्मिलित है।

[19]चूकिं निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं था।

प्राप्त एक बड़े हिस्से का यूरिया , एन ओ पी और डी ऐ पी का उपयोग मिश्रण इकाइयों द्वारा राज्य में निम्न गुणवता मिक्सरों को उच्च कीमतों पर उत्पादित किया गया।

- लेखापरीक्षा को काडुथूरपी ब्लाक (77 नमूने) और पलक्कड ब्लाक (66 नमूने) से लिये गये नमूनों का डीलर अनुसार विवरण प्राप्त नहीं हुआ था।
- इसलिये, राज्य में वितरण किये गये उर्वरकों की गुण्सवता को सुनिश्चित अपर्याप्त नमूनों का चुना जाना और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण नहीं किया जा सका।

9.11.3 किसान सर्वेक्षण और डीलर का परिणाम

9.11.3.1 डीलर सर्वेक्षण

24 डीलरों की प्रतिक्रिया को नीचे संक्षेप में दिया गया है:–

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है?	12	12	
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	3	20	1
		हां	नहीं	
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	9	15	
		हां	नहीं	
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	11	13	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	8	16	
		हां	नहीं	
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	12	12	
		हां	नहीं	परिणाम प्राप्त नहीं हुये
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	17	4	3

अधिकाश डीलरों ने दर्शाया था किवे किसानों की मांग के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करने योग्य नहीं थे, और कियानों को आपूर्ति भी सीमित कर रहे थे।

9.11.3.2 किसान सर्वेक्षण

120 किसानों की प्रतिक्रियाओं को नीचे संक्षेप में दिया गया है:–

क्र. सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		सहकारी	डीलर	
1	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	115	5	
		हां	नहीं	
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/ राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी। कृप्या दर्शायें	12	108	
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	कोई टिप्पणी नहीं
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?	49	16	55
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	92	25	3
		हां	नहीं	
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं? (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)	43	77	
		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	86	34	
		हां	नहीं	
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	73	47	

		हां	नहीं	
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	46	74	
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं
9.	क्या डीलर ने आपकों उर्वरक जो चाहिये थे के साथ अन्य उर्वरकों को खरीदने के लिये मजबूर किया?	28	80	12
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको उर्वरकों की छोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	89	31	
		हां	नहीं	
11.	कुल मिला कर, आप सन्तुष्ट हैं जो उर्वरक की आपूर्ति आपको हुई?	109	11	
		हां	नहीं	
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा?	11	109	

ज्यादातर किसानों ने बताया कि वे उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं जानते थे और उन्हें छोटी मात्रा थैली की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर के वे उर्वरक की आपूर्ति से सन्तुष्ट थे।

9.12 मध्य प्रदेश

9.12.1 पृष्ठभूमि

कुल मिलाकर भौगोलिक क्षेत्रफल 307.56 लाख हैक्टेयर व स्पष्टतया पैदावार क्षेत्रफल 204.19 लाख हैक्टेयर के साथ मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं। इसमें से स्पष्टतया कृषि का क्षेत्रफल 58.28 लाख हैक्टेयर है। राज्य 5 फसल कटिबन्धों[20] में वर्गीकृत है। यहां पर मध्य प्रदेश में चार तरह की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि उथली व मध्यम काली मिट्टी, गहरी मध्यम काली मिट्टी, नदियों द्वारा लाई हुई रेतीली मिट्टी व मिश्रित लाल व काली मिट्टी। मुख्य फसले चावल, गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, बी टी काटन व चना हैं।

भोपाल व इन्दौर में दो उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के अतिरिक्त सात जिले और प्रत्येक जिले के दो ब्लॉक जैसा कि बीटल (बीटल, मुल्तई), भोपाल (फन्दा, बरसिया), छत्तरपुर (छतरपुर, नौगांव), इन्दौर (इन्दौर, संवेर), खांडवा (खांडवा, पंधाना), रतलाम (जओरा, रतलाम) और सतना (सोहावल, रामपुर बघेलन) विस्तृत लेखा जांच के लिए चुने गये थे।

9.12.2 लेखापरीक्षा जांच–परिणाम

9.12.2.1 उर्वरकों का अनुमान

- कृषि निदेशक द्वारा जिला कार्यालय को उर्वरक की आवश्यकता के मूल्यांकन के विषय में कोई भी परिपत्र या दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए थे। फसल की किस्म, सिंचित/असिंचित क्षेत्र, मिट्टी की उर्वरकता और दूसरे स्थानीय कारक, पंचायत समिति के साथ विचार विमर्श/सभा, ब्लाक समिति, वृहत, मंझले, छोटे और मारजिनल किसानों आदि की संख्या पर आधारित उर्वरक की आवश्यकता के मूल्यांकन के लिये कोई भी मानदण्ड या मानक नहीं दिए गए थे। बहुत से हालात में, जिला स्तर पर मांगे नहीं भेजी गई थी और जब कि जिन जिलों ने मांगे भेजीं, निदेशालय स्तर पर मूल्यों के अंक ही बदल दिये गये थे।
- चुनिंदा जिलों द्वारा भेजी गई उर्वरक की मांग (2006–07 से 2008–09) और कृषि निदेशालय भोपाल द्वारा निर्णयात्मक रूप से भेजी गई अंतिम मांग नीचे इस प्रकार से दी गई है–

सारणी 9.29 – मध्य प्रदेश में परियोजित मांग में विभिन्नताएं

(मी. टन में)

वर्ष	जिले का नाम	डी डी एज द्वारा भेजी गई मांग एन.पी. के. के रूप में (मी. टन में)		निदेशालय द्वारा निर्धारित अन्तिम मांग (मी. टन में)	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
2006-07 से 2008-09	बीतल	शून्य	12385	10288	14225
		12324	15221	12067	15437
		12110	16446	15494	16536
2006-07 से 2008-09	भोपाल	1522	शून्य	5147	13469
		1773	14792	5122	14191
		4543	15254	6901	14528
2006-07 से 2008-09	छतरपुर	4502	28448	5424	24991
		5644	26312	8488	24860
		6100	शून्य	10034	26477
2006-07 से2008-09	इन्दौर	10670	शून्य	12410	37416
		23626	41908	24446	45026

[20]पांच फसलों के कटिबंध चावल कटिबंध, गेहूं चावल कटिबंध, गेहूं कटिबंध, गेहूं ज्वार कटिबंध और सूत ज्वार कटिबंध हैं।

वर्ष	जिले का नाम	डी डी एज द्वारा भेजी गई मांग एन.पी. के. के रूप में (मी. टन में)		निदेशालय द्वारा निर्धारित अन्तिम मांग (मी. टन में)	
2006-07 से2008-09	खंडवा	33845	40433	40883	38035
		शून्य	शून्य	25088	18350
		शून्य	शून्य	24363	22161
		25267	शून्य	25205	15497
2006-07 से 2008-09	रतलाम	19482	26226	19496	22145
		21905	22963	21905	26631
		23555	23702	30820	24649
2006-07 से2008-09	सतना	शून्य	शून्य	9674	25292
		14058	शून्य	13910	25111
		14211	30496	14762	25987

- लेखा जांच के जवाब में परीक्षण जाँच जिलों के कृषि के उप–निदेशक (डी डी एस ए) ने कहा कि मांगे गत वर्ष के उपभोग के आधार पर निर्धारित की गई थी।
- 2006–07 से 2008–09 के दौरान, कई मौसमों में उपभोग (सेवन) 2.43 प्रतिशत से लेकर 66.7 प्रतिशत तक ऊँचा था और कुछ दूसरे मौसमों में माँग उपभोग से 17 प्रतिशत से लेकर 47 प्रतिशत तक अधिक था।

सारणी 9.30 – मांग व उपभोग (सेवन) में भिन्नता

(मी. टन में)

जिले का नाम	वर्ष व मौसम	डी डी एज की मांग (एन पी के संदर्भ में अंक)	सेवन/खपत	मांग से अधिक खपत
छतरपुर	रबी2008-09	26477	30320	3843* (15%)
	रबी2006-07 और 2007-08	49851	26402	23449 (47%)
	खरीफ 2006,2007 और 2008	23946	13268	10678 (45%)
इंदौर	खरीफ 2006	12410	20680	8270* (66.7%)
	खरीफ 2007	24446	32980	8534* (34%)
	रबी 2006-07	37416	39890	3393* (9%)
रतलाम	खरीफ 2006	19496	19970	474* (2.43%)
	खरीफ 2007	21905	23956	2051* (9.3%)
	खरीफ 2008, रबी2006-07 से2008-09	104235	69874	34361 (32%)
बीतल	खरीफ 2006 सेरबी 2008-09	84047	68609	15438 (18%)
भोपाल	खरीफ 2006,2007 और 2008	17170	9746	7424 (43%)
	रबी2006-07 से2008-09	42188	34993	7195 (17%)
खंडवा	खरीफ 2006 से रबी 2008-09	130664	102575	28089 (21%)

*खपत से अधिक अधिक की मांग

(स्त्रोत – सूचना डी डी एस ए के क्रमशः जिलों से एकत्रित)

- डी डी एस ए द्वारा दिये गए गोदामों के सत्यापन और अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि मार्च 2009 को स्टॉक समापन की भारी मात्रा गोदामों में दबा दी गई। सात जिलों के परीक्षण जांच में पाया गया कि मार्च 2009 के अन्त तक 32463[21] मी. टन उर्वरक निजी थेक विक्रेताओं के पास थी। इसमें से, 728 मी. टन यूरिया रतलाम की कम्पनी लेखे में है।

9.12.2.2 उर्वरक की खपत

- किसी–किसी मौसम में कुछ चुनिंदा जिलों में प्रति हैक्टेयर उर्वरक की खपत सिफारिश की गई। 9 प्रतिशत से लेकर 62 प्रतिशत खपत से कहीं अधिक थी जबकि दूसरे मौसमों में प्रति हैक्टेयर खपत सिफारिश की गई 7 प्रतिशत से 97 प्रतिशत खपत से कहीं नीचे थी।

सारणी 9.31 – सिफारिश की गई व वास्तविक मात्रा में भिन्नता

(मात्रा मी. टन में)

जिले का नाम	वर्ष व मौसम	एन पी के (कि. ग्रा./हैक्टेयर) सिफारिश की गई मात्रा के रूप में	एन पी के रूप में वास्तविक मात्रा	सिफारिश की गई मात्रा से अधिक की मात्रा (कि. ग्रा./है.)
छतरपुर	खरीफ 2008	85.61	100.87	18%
	रबी 2007-08	79.70	97.72	18.02 (22.6%)
	रबी 2008-09	77.33	202.67	125.34(162.08%)
इंदौर	रबी 2006-07	145.15	227.09	81.95 (56%)
	रबी 07-08	144.7	199.77	55 (38%)
	रबी 08-09	105.75	192.2	86.47 (81%)
	खरीफ 2007	121.95	143.32	21.37 (17.53)
	खरीफ 2008	122.07	133.25	11.18 (9.15%)
खंडवा	रबी 06-07	167	226	59 (35.39%)
रतलाम	रबी 06-07	61.38	110.36	49 (79%)
	रबी 07-08	59.81	97.67	37.86 (63.3%)
बीतल	खरीफ2006	120.68	25.3	95.38 (79%)
	रबी 2007-07	151.85	87.4	64.45 (42.44%)
	खरीफ2007	124.8	27.22	97.58 (78.18%)
	रबी 07-08	153.4	88.6	64.8 (42%)
	रबी 2008	123.96	28.69	95.27 (76.85%)
	रबी 08-09	144.1	89.53	54.57 (37.86%)
भोपाल	रबी 06-07	131.05	120.56	10.49 (8%)
	रबी 07-08	126	118.61	7.39 (5.8%)
	खरीफ2006	119.4	28.56	90.84 (76%)
	खरीफ2007	119.03	33.83	85.2 (71%)
	खरीफ2008	119.7	36.71	82 (69%)
छतरपुर	खरीफ2007	81.08	34.20	46.88 (58%)
	रबी 2006-07	122.27	110.09	12.18 (10%)
इंदौर	खरीफ2006	121.76	90.58	31.18 (25%)

[21] भोपाल–10500 मी. टन, इंदौर–4465 मी. टन, सतना–4031 मी. टन, खाण्डवा–2863 मी.टन, बीतल–6573मी. टन, रतलाम–2418 मी. टन, छतरपुर–1613 मी. टन,

जिले का नाम	वर्ष व मौसम	एन पी के (कि. ग्रा./हैक्टेयर) सिफारिश की गई मात्रा के रूप में	एन पी के रूप में वास्तविक मात्रा	सिफारिश की गई मात्रा से अधिक की मात्रा (कि. ग्रा. /है.)
खंडवा	खरीफ2006	142	65	77 (54%)
	खरीफ2007	134.99	65.63	69.36 (51.5%)
	रबी 07-08	164	141	23 (14%)
	खरीफ2008	135	81.23	53 (39.82%)
	रबी 08-09	169.1	144.1	25 (14%)
रतलाम	खरीफ2006	151.31	67.2	84.11 (55.5%)
	खरीफ2007	150.53	78.2	72 (48%)
	खरीफ2008	147.5	62.1	85.4 (57%)
सतना	खरीफ2006	98	38	60
	रबी 06-07	109	74.36	34.64 (32%)
	खरीफ2007	104	43	61 (58%)
	रबी 07-08	111.8	98.35	13.45 (12%)
	खरीफ2008	102	68.8	33.2 (33%)
	रबी 08-09	112.56	64.30	48.26 (42%)

स्त्रोत : डी डी एस ए के क्रमशः जिलों से एकत्रित सूचना

- जैसा कि नीचे दिया गया है एन.पी. के वास्तविक इस्तेमाल का अनुपात संतुलित नहीं था और न ही सिफारिशों के अनुसार, नतीजतन मिट्टी पर पोषक तत्वों के असंतुलित प्रयोग और परिणामी प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ा।

सारणी 9.32 – पोषक तत्वों का असंतुलित प्रयोग

जिले का नाम	सिफारिश किया गया अनुपात (प्रतिशत के रूप में)			वास्तविक इस्तेमाल/उपयोग (प्रतिशत के रूप में)		
	एन	पी	के	एन	पी	के
बीतल	41.5%	41.5%	15%	65.5%	27.5%	5.6%
भोपाल	32.54%	52.3%	15%	54.53%	42.37%	3.09%
छतरपुर	42.2%	49%	9.6%	51%	48%	0.9%
इंदौर	32.54%	52.1%	15.34%	50.52%	38.8%	10.66%
खंडवा	44.97%	38.76%	16.24%	53.77%	32.2%	13.58%
रतलाम	40.34%	45.98%	13.61%	51.44%	38.66%	10.39%
सतना	41.44%	44.99%	13.56%	54.2%	42.33%	2.01%

स्त्रोत : डी डी एस ए के क्रमशः जिलों से एकत्रित सूचना

9.12.2.3 खपत डेटा का संकलन

- सहकारी क्षेत्रों में (जिला विपणन अधिकारी, एम पी एग्रो और तेल महासंघ) और निजी क्षेत्रों में थोक विक्रेताओं द्वारा बेचे गये उर्वरक को अंतिम खपत मान लिया गया जबकि ये एजेसियां थोक विक्रेता (प्रथम बिक्री बिन्दु) के रूप में थीं न कि फुटकर विक्रेतजाओं (अंतिम बिक्री बिन्दु) के रूप में।
- जिले के डी.डी.एस.ए. ने खपत का ब्यौरा/रिपोर्ट 5.766 लाख मी. टन दिया, जबकि जिला विपणन अधिकारी ने खपत का ब्यौरा 637 लाख मी टन दिया (कैश/नकदी बिक्री और सहकारी समिति के खुदरा व्यापारियों न कि किसानों का कुल समायोजन)। दूसरी तरफ सहकारी बैंको द्वारा खपत का ब्यौरा 5.82 लाख मी. टन था बजाय कि 5.76 लाख मी. टन किसानों द्वारा वास्तविक बिक्री।

सारणी 9.33 – बिक्री अंकों में भिन्नताएं

जिले का नाम	अवधि	डी डी एस ए का बिक्री अंक (ए)	जिला विपणन अधिकारी का बिक्री अंक			सरकारी समितियों की बिक्री (वास्तविक)			
			नकदी बिक्री बी 1	समाज की बिक्री बी 2	कुल बी 3	(सी)	(ए–बी 3)	(बी 2 – सी)	31.03.09 को समिति के गोदाम का बकाया स्टाक (एम टी)
बीतल	2006-07 से 2008-09	78680 एमटी	7986.55	68589.30	76575.85	70395.7 एमटी	2104.15	-1806.4	1483.8
भोपाल		39449.05	2880.515	37301.485	40182	42130.4	-732.95	-4828.92	1323.85
छतरपुर		52904	6939	50290	57229	43246	4325	7044	1443
इंदौर		201792	18861.2	182930.8	201792	169248	शून्य	13682.8	7556
खंडवा		80049	598	89442	90040	83667	-9991	5775	4621
रतलाम		109360	5627.7	101783.7	107411.4	127141	-1948.6	-25357.3	1998
सतना		63616	18171.6	45102.6	63274.26	43998.9	341.74	1103.7	483.3
कुल		575850.05	61060.625	575439.885	636504.51	579827	60654.46	-4387.12	18908.95

- 31.03.09 को 18909 मी. टन उर्वरक सहकारी समितियों के गोदामों में पड़ा हुआ था, जो कि पहले से ही डी.डी.एस. के द्वारा बेचे जाने के बारे में बताया जा चुका था। संक्षिप्त में उर्वरक की खपत का ब्यौरा अविश्वसनीय था।
- एक ही प्रकार के व्यापारी के पास बिक्री के लिए खुदरा एवं थोक विक्रेता का लाइसेन्स हो सकता था। इस प्रकार के साक्ष्य में थोक विक्रेता के लेखों को खुदरा लेखे में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार, जबकि अंक उर्वरक की बिक्री में वर्णित हो रहे थे, अक्सर स्टाक अभी भी खुदरा लेखे में पड़ा हुआ था। इससे उर्वरक की कमी में जालसाजी संकट पैदा करके थोक विक्रेताओं को एक मौका प्राप्त हो जाता था। जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता था। बहुत से जीवनयापन करने वाले किसान शिकायत दर्ज करते थे कि उनको कमी/संकट के दौरान र्धिारित दर से ऊंचा दर चुकाना पड़ता था।
- यहां पर जिलों के डी.डी.एस.ए. और भोपाल के कृषि निदेशक के खपत के तथ्यों के बीच बहुत अधिक भिन्नता थी।

सारणी 9.34 – खपत तथ्यों के बीच भिन्नता

(मी. टन में)

वर्ष	जिला	भोपाल के कृषि निदेशक का खपत डेटा (एन पी के के रूप में)	जिलों के डी डी एस के द्वारा दिया गया खपत डेटा का ब्यौरा (एन पी के के रूप में)	भिन्नता
2006-07 से 2008-09	बीतल	72402	68609	3793
	भोपाल	53120	44739	8381
	छतरपुर	65725	69990	29281
	इंदौर	519712	468374	51338
	खंडवा	110249	102575	7674
	रतलाम	137505	113800	23705
	सतना	82903	75081	7822

9.12.2.4 उर्वरक की सुलभता

- व्यापारी/किसान सर्वेक्षण के दौरान, सहकारी समितियों और किसानों ने शिकायत दर्ज की कि पीक सीजन्स में किसानों को उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ता है और उनको एक ब्लॉक से दूसरे में दौड़ना पड़ता है और उर्वरक की खरीद के लिए (350 रुपये से 500 रुपये प्रति बैग यूरिया) ऊंचे दाम चुकाने पड़ते हैं।

9.12.2.5 उर्वरक मिश्रण बनाने के लिए मानक रियायती उर्वरक का कच्चे माल के रूप में उपयोग

- भोपाल जिले में मिक्सर प्लांटों ने कम्पनियों से व्यापारी के रूप में मानक उर्वरक (यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी, एस एस पी) बहुतायत में खरीदे और दूसरे व्यापारियों से भी खरीदे और इसे एन पी के मिश्रण बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जो कि ऊँचे दामों पर बेचे गए, इस प्रकार रियायत की चेन को तोड़ डाला।
- गत् तीन वर्षों में एक मिश्रण प्लांट द्वारा उर्वरक खरीदे जाने का विस्तार इस प्रकार नीचे दिया गया है:

सारणी 9.35 – एक मिश्रण प्लांट द्वारा उर्वरक खरीदने का विवरण

मिश्रण प्लांट का नाम	वर्ष	खरीदी गई मात्रा (मी. टन)
ए पी इण्डिया बायोटैक प्राइवेट लिमिटेड दीवानगंज, रायसेन	2007-08	5138.84
	2008-09	5658.76
	31.10.09तक	948.65

- तुलनात्मक दृष्टि में किसान सर्वेक्षण ने यह रहस्य प्रकट किया कि वहां मानक उर्वरक जैसे कि यूरिया, डी.ए.पी., ए.ओ.पी. इत्यादि की मांग थी न कि मिश्रण की।

- निजी व्यापारियों के बिलों की जांच में यह पाया गया कि बिलों के ऊपर ''किसान'' शब्द लिखा था, बजाय कि किसानों के नाम व पते के। इसकी अनुपस्थिति में बिक्री की यथार्थता की जांच नहीं की जा सकती।
- सर्वेक्षण के दौरान व्यापारियों ने कहा कि कम्पनियां एफ.ओ.आर. (सड़क का भाड़ा) के आधार पर उर्वरक प्रदान नहीं करती थी और उनको भाड़ा सहना पड़ता था जिसकी वजह से उर्वरक का दाम एम.आर.पी. से ऊपर चला गया।

9.12.2.6 प्रेषण डेटा की जांच

- मई 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि के दौरान औद्योगिक कम्पनियों द्वारा जिलों की प्रथम बिक्री बिन्दु को उर्वरकों की आपूर्ति के दौरान, प्रेषण डेटा की तुलना में 177.3 मी. टन की भिन्नता देखी जिसमें 71 लाख रुपयों की रियायत शामिल थी।

सारणी 9.36 – प्रेषण डेटा में भिन्नता

निर्माता	उत्पाद	प्रेषण मात्रा (मी. टन)	प्राप्ति मात्रा (मी. टन)	अंतर (मी. टन)	कीमत (रुपये करोड़ में)
आई.पी. एल	एम.ओ.पी.	2957.3	2932.25	25.05	0.03
	डी.ए.पी.	91096.35	90944.10	152.25	0.68
कुल		**94053.65**	**93876.35**	**177.3**	**0.71**

9.12.2.7 बिक्रियों की जांच पड़ताल

- यह देखा गया कि वहां वास्तविक किसानों के लिये बिक्री की सत्यता/प्रमाणता की जांच के लिये उस स्थान पर कोई प्रणाली नहीं था। इंदौर जिले के अलावा किसी जिले का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।
- उर्वरक की बिक्री को सीमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे।उर्वरकों की नकदी बिक्री के लिए किसानों की पहचान और भूमि जोत से संबंधित कोई भी अभिलेख (रेकार्ड) की जांच नहीं की जा रही थी।
- वहां पर 115 मामले ऐसे थे जिनकी कम्पनियों द्वारा 60 दिन की समय सीमा में प्रोफार्मा 'ए' का पालन नहीं किया जा रहा था (मई 08 से दिसम्बर 08)
- 51 मामलों में निदेशालय द्वारा दी गई 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा में प्रोफार्मा 'बी' भारत सरकार को नहीं भेजे गए। (मई 08 से दिसम्बर 08)
- चुनिंदा जिलों के गोदामों के माल/संग्रहणना के प्रमाणता की जांच न होने के कारण यह देखा गया कि गत् 1 से 5 वर्षों से 1097.818 मी. टन क्षतिग्रस्त उर्वरक अभी भी गोदामों में पड़ा हुआ है। जिसके लिए निर्माता को पहले से ही आर्थिक सहायता मिल चुकी है।

सारणी 9.37 – गोदामों में पड़ा हुआ क्षतिग्रस्त उर्वरक

आपूर्तिकर्त्ता का नाम	उत्पाद का नाम	मात्रा (मी. टन में)	प्राप्ति की दिनांक
	रतलाम जिला		
जी एन वी एफ सी	नर्मदा यूरिया	8.7	03.09.2009
सी एफ सी एल	यूरिया	0.75	23.09.09
जी एन वी एफ सी	एन.यूरिया	12.7	05/08 से 12/08
के आर आई बी एच सी ओ	आयातित यूरिया	426.868	–वही–
एन एफ एल	यूरिया	0.550	पुराना माल
श्री राम उर्वरक	यूरिया	2.50	15.09.09
कुल		**452.068**	
	इंदौर जिला		
श्रीराम	यूरिया	12.75	पुराना माल
सी एफ सी एल	अमोनियम सल्फेट	198.75	पुराना माल
के आर आई बी एच सी ओ	यूरिया	4.5	पुराना माल
आई एफ एफ सी ओ	यूरिया	12	पुराना माल
कृभको एवं इफको	यूरिया	1	पुराना माल
स्पीक	डी ए पी	6.8	06.08.2000
कुल		**235.8**	
	जिला बीतल		
बिरला बलवान व आई पी एल	डी ए पी	2	पिछले 6 महीने
एन एल एफ	यूरिया	4.2	गत 3 महीने
मिक्सचर	मिक्सचर	2.6	-
निरमा	सुपर फास्फेट	55	9.11.09 (रसाव)
आर सी एफ	यूरिया	105	10.11.09 (रसाव)
क्रिभको	यूरिया	2.35	12.10.09
कुल		**171.15**	
	जिला भोपाल		
इफको	यूरिया	3.25	दि0 31.3.07 से 1.25 मी.ट. एवं दि0 21.07.09 से 2 मी.ट.
क्रिभको	यूरिया	.65	
कुल		**3.90**	
	जिला खण्डवा		
इफको (मार्क फैड गोदाम)	10:26:26	67	
	12:32:16	31.55	

आपूर्तिकर्त्ता का नाम	उत्पाद का नाम	मात्रा (मी. टन में)	प्राप्ति की दिनांक
आई पी एल (गोदाम)	सभी कम्पनियों का मिश्रण	.35	(रसाव)
	डी ए पी	2.1	रिसाव एवं क्षतिग्रस्त
	एम ओ पी	10.65	
	यूरिया	8	
	एस एस पी	99	
जोड़		**218.65**	
	जिला सतना		
सभी कम्पनियों का रिसाव	यूरिया	10.8.50	गत 5 साल
डी एम ओ गोदाम शेरगंज	यूरिया	2.3	गत 5 साल
आई पी एल गोदाम पटेरी	यूरिया	1	रसाव
अग्रवाल ब्रर्दस	यूरिया	1	रसाव
	डी.ए.पी.	1.1	रसाव
जोड़		**16.25**	
कुल जोड़		**1097.818**	

(स्त्रोतः क्रमशः जिलों के प्रथम स्टॉक बिन्दु के स्टॉक स्थिति से एकत्रित सूचना)

9.12.2.8 सुरक्षित (बफर) भंडार

- संस्थागत एजेसियों द्वारा सुरक्षित भंडार नहीं रखा जा रहा था।

9.12.2.9 गुणवता नियंत्रण

- दो प्रयोगशालाओं में जैसे कि भोपाल व इंदौर, पांच तकनीकी स्टाफ खाली पाये गए थे। जैसा कि नीचे दिया गया है वहां नमूना क्षमता रूबरू परीक्षण में 24 से 66 प्रतिशत की गिरावट पाई गई थी।

सारणी 9.38 – नमूना परीक्षण में गिरावट

जिला	वर्ष	क्षमता	नमूना परीक्षण	गिरावट
भोपाल	06-07	2000	1520	480 (24%)
	07-08	2000	1269	731 (36%)
	08-09	2000	887	1113(55%)
इंदौर	06-07	2500	1178	1322 (52%)
	07-08	2500	957	1543 (61.72%)
	08-09	2500	848	1652 (66%)

9.12.2.9.1 परीक्षण नतीजे की सूचना में देरी

- आई.पी.एल. की 2637 मी. टन एम ए पी (21.11.07 को प्राप्ति) अमानक घोषित कर दिया गया था, फिरभी 947 मी. टन पहले से ही किसानों को बेचा जा चुका था और बकाया 1690 मी. टन एम.ए. पी. अभी भी गोदामों में पड़ा हुआ था।

9.12.2.10 दूसरे निष्कर्ष

9.12.2.10.1 बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मिलावटी खादकी बिक्री

- सतना जिले में एक व्यापारी मानक कंपनियों के बैगों में नकली मिलावटी खाद बेच रहा था। कृषि विभाग द्वारा व्यापारी के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी और लेखापरीक्षा के समय मामला विचाराधीन था।

9.12.2.10.2 गैर कृषि प्रयोजन के लिए रियायती खाओं (यूरिया) का प्रयोग

- भोपाल में, सब्सिडी उर्वरक (यूरिया) अनियमित तौर से एक शराब बनाने के कारखाने को बेची जा रही थी जो कि कृषि व किसानों के उपयोग के लिए नहीं थी।

9.12.2.10.3 मान्यता प्राप्त लाइसेंस के बिना उर्वरकों का व्यापार

- छतरपुर जिले में 1998 से 113 सहकारी समितियाँ उर्वरक बेच रहीं थी, परन्तु किसी समिति के पास उर्वरक के व्यापार के लिए मान्यता प्राप्त लाइसेंस नहीं था। 2006–09 के दौरान इन समितियों ने 57763 मी. टन यूरिया / सुपर फॉस्फेट / डी.ए.पी. / 12:32:16 / पोटाश बेचा।

9.12.3 व्यापारियों और किसानों के सर्वेक्षण का नतीजा

9.12.3.1 व्यापारी सर्वेक्षण

78 व्यापारियों के जवाबों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट / थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	33	44	1
		सीमित	सीमा नहीं	अन्य
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	45	29	4
		हां	नहीं	
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	16	62	
		हां	नहीं	अन्य

4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	51	18	9
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	34	42	2
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	12	64	2
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	59	14	5

अधिकतर व्याारियों ने संकेत दिया कि उर्वरक की अपेक्षित मात्रा और किस्में नहीं मिल पा रही थीं और बदले में वे किसानों की माँग के अनुसार उन्हें उर्वरक की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं थे।

9.12.3.2 किसान सर्वेक्षण

295 किसानों के जवाबों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	234	51	10
		हां	नहीं	अन्य
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	28	266	1
		हां	अन्य	
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	138	157	
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	200	78	17
		हां	नहीं	

5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	32	263	
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	107	187	1
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	59	230	6
		हां	नहीं	
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	161	134	
		हां	नहीं	अन्य
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम् खरीदने के लिये मज़बूर किया?	69	210	16
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	135	160	
		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	156	137	2
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	153	138	4

बहुत से किसान एम आर पी (अधिकतम दर मूल्य) के विषय में नहीं जानते और एम.आर.पी. पर उर्वरक नहीं खरीद रहे थे और नही उर्वरक आवश्यकता जानने के लिए मिट्टी की जांच करवा रहे थे। एक खास अनुपात ने यह शिकायत दर्ज की कि व्यापारी उन्हें खाद के साथ दूसरी चीजे खरीदने के लिए मजबूर करते/दबाव डालते हैं।

9.12.3.3 क्षेत्र यात्रा

लेखापरीक्षा दल की क्षेत्र यात्रा में से आकृतियां पाई गई कि उर्वरकों के थैले खुले हुए थे और क्षतिग्रस्त थे, जैसा कि नीच प्रमाणित किया गया है:

उर्वरक जैसे कि नष्ट किए हुए पड़े है (बीतलगंज ब्लाक) (बीतल जिला)

उर्वरकों के थैले खुल रखे हुए (खाण्डवा ब्लपाक खाण्डवा जिला)

क्षतिग्रस्त उर्वरक (खाण्डवा ब्लाक, खाझडवा जिला)

क्षतिग्रस्त उर्वरक (रतलाम ब्लाक, रनलाम जिला)

9.13 महाराष्ट्र

9.13.1 पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र में कुल भोगौलिक क्षेत्र 308000 स्क्येयर किमी. के साथ 35 जिले हैं, सकल फसल क्षेत्र 226.55 लाख हैक्टेयर (2008–09) ओर कुल बुवाई क्षेत्र 174.47 लाख हैक्टेयर है। मुख्य फसले चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना और नारियल हैं।

पांच जिले और दस ब्लाक जैसे अमरावती (अंजान गांव, सुरजी, चिखलदारा), लतूर (चकूर, नीलांगा), उसमानाबाद (तुलजापुर, लोहारा), पुने (भोर, ज्यूनर) और सांगली (कड़ेगांव, पालुस) और तीन उर्वरक जांच प्रयोगशालाएं जो कि अमरावती, औरंगाबाद व पुणे में स्थित हैं, विस्तृत जांच पड़ताल के लिए चुनी गई हैं।

9.13.2 लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ

9.13.2.1 उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन

- कृषि के आयुक्तालय के जारी किए गए निर्देश के अनुसार खरीफ व रबी मौसम में उर्वरकों की जिला वार माँग के लिए मूल्यांकन किया गया जो कि गत् तीन वर्षों की जिले में उर्वरकों की खपत, फसल पद्धति और सिंचाई सुविधा पर आधारित थी।
- फिर भी लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कृषि अधिकारियों ने संबंधित व्यापारियों से गत तीन वर्षों का बिक्री डेटा एकत्रित किया हुआ था और इनको ए.डी.ओ. को जमा कराया हुआ था जिसने बदले में सूचना को उप–निदेशक, उर्वरक पूना को भेजा हुआ था, बजाय कि सी.ओ.ए. के निर्देशों के अनुसार आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन करने के।
- एक डेटा का विश्लेषण करने पर प्रकट हुआ कि वर्ष 2006–07 के लिए गत् तीन वर्षों की सभी उर्वरकों के संबंध में अधिकतम खपत की तुलना में अधिक आपूर्ति की हुई थी। वर्ष 2007–08 में यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी, एस एस पी और काम्पलैक्सों की वहां न्यूनतम आपूर्ति की गई थी। वर्ष 2007–08 के दौरान उर्वरकों की न्यूनतम आपूर्ति 8 से लेकर 54 प्रतिशत तक थी।
- उर्वरकों की अधिकतम आपूर्ति वर्ष 2006–07 के दौरान 11 से लेकर 28 प्रतिशत और वर्ष 2008–09 के दौरान 11 से 23 प्रतिशत थी। वर्ष 2007–08 के दौरान उर्वरकों की 8 से 54 प्रतिशत तक की न्यूनतम आपूर्ति थी।

सारणी 9.39 कम/ज्यादा उर्वरक की आपूर्ति

वर्ष	माँग/जरूरत (मी.टन में)					आपूर्ति (मी. टन में)				
	I					II				
	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी	एस एस पी	काम्पलैक्स	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी	एस एस पी	काम्पलैक्स
2006-07 (खरीफ)	194000	78500	21700	78000	163900	175082	75762	21185	57823	**116711**
2006-07 (रबी)	160000	56100	34650	57700	154220	131476	51634	33464	42672	**101804**
2006-07	**354000**	**134600**	**56350**	**135700**	**318120**	**306558**	**127396**	**54649**	**100495**	**218515**
2007-08 (खरीफ)	222000	97500	25300	85900	176640	169782	66364	27226	43388	**133795**

2007-08 (रबी)	174100	67800	38060	52800	159150	116379	34588	32843	22732	**67366**
2007-08	**396100**	**165300**	**63360**	**138700**	**335790**	**286161**	**100952**	**60069**	**66120**	**201161**
2008-09 (खरीफ)	230000	121000	30800	92000	210250	184337	76311	30627	29616	**107364**
2008-09 (रबी)	184500	86000	42500	52000	189200	184832	76262	49241	47707	**97515**
2008-09	**414500**	**207000**	**73300**	**144000**	**399450**	**369169**	**152573**	**79868**	**77323**	**204879**

वर्ष	मांग / जरूरत (मी.टन में)					आपूर्ति (मी. टन में)				
	III					IV				
	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी	एस एस पी	कॉम्पलैक्स	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी	एस एस पी	कॉम्पलैक्स
2006-07 (खरीफ)	140040	51721	15387	45797	100040	35042	24041	8052	12026	**16671**
2006-07 (रबी)	123753	40601	27309	43598	111039	7723	11033	6155	-926	**-9235**
2006-07	**263793**	**92322**	**42696**	**89395**	**211079**	**42765**	**35074**	**14207**	**11100**	**7436**
2007-08 (खरीफ)	174816	75673	21356	61811	130898	-5034	-9309	5870	-18423	**2897**
2007-08 (रबी)	135505	44374	33439	46442	111808	-19126	-9786	-6853	-17453	**-44442**
2007-08	**310321**	**120047**	**54795**	**108253**	**242706**	**-24160**	**-19095**	**-983**	**-35876**	**-41545**
2008-09 (खरीफ)	187441	79369	26347	64541	133677	-3104	-3058	4280	-34925	**-26313**
2008-09 (रबी)	140012	43860	35516	44540	113720	44820	32402	13725	3167	**-16205**
2008-09	**327453**	**123229**	**61863**	**109081**	**247397**	**41716**	**29344**	**18005**	**-31758**	**-42518**

- उर्वरक की बिक्री को नियमित करने का कोई भी नियम नहीं दिया था।

9.13.2.2 प्रोफार्मा 'ए' और प्रोफार्मा 'बी' के जमा करने में देरी

निर्माता द्वारा प्रोफार्मा 'ए' जमा करने में जो कि 3 से लकर 105 दिन का समय था और डी डी एफ द्वारा प्रोफार्मा 'बी' जमा करने में जो कि 3 से 88 दिन का समय था, वहां देरी हुई थी।

9.13.2.3 मासिकआपूर्ति योजना का उल्लंघन करने पर उर्वरकों की अधिकतम / न्यूनतम आपूर्ति

- क्षेत्रिय सम्मेलनों में आबंटन समापन होने के आधार पर, आयुक्तालय स्तर पर जिला वार आपूर्ति योजना को अंतिम रूप दिया गया था और ऑनलाइन उर्वरक निगरानी पद्धति पर अपलोड किया गया (एफ एम एस)। फिर भी कंपनियों ने वर्ष 2006–07, 2008–09 के दौरान आपूर्ति योजना के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की जिसके नतीजतन विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की असमान आपूर्ति हुई जो कि नीचे दी हुई है:

सारणी 9.40 – उर्वरकों की असमतल आपूर्ति

2006–07 (खरीफ व रबी)

(मात्रा मी. टन में)

क्रम सं.	उर्वरक ग्रेड	जरूरत	मासिक योजना	प्रेषण डेटा	अधिक/कम (ई–डी)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	**(f)**
1	डी.ए.पी.	625000	625000	654353	**29353**
2	एम.ओ.पी.	300000	300000	280704	**-19296**
3	एन.पी.के.	1359000	1359000	1171156	**-187844**
4	एस.एस.पी.	655000	655000	665155	**10155**
5	**यूरिया**	**1900000**	**1900000**	**1985361**	**85361**

2007-08 (खरीफ व रबी)

(मात्रा मी. टन में)

क्रम सं.	उर्वरक ग्रेड	जरूरत	मासिक योजना	प्रेषण डेटा	अधिक/कम (ई–डी)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	**(f)**
1	डी.ए.पी.	705000	613500	552642	**-60858**
2	एम.ओ.पी.	305000	305000	326352	**21352**
3	एन.पी.के.	1377000	1278760	1209083	**-69677**
4	एस.एस.पी.	725000	725000	436721	**-291279**
5	**यूरिया**	**2120000**	**2150000**	**2130697**	**-19303**

2008-09 (खरीफ व रबी)

(मात्रा मी. टन में)

क्रम सं.	उर्वरक ग्रेड	जरूरत	मासिक योजना	प्रेषण डेटा	अधिक/कम (ई–डी)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	**(f)**
1	डी.ए.पी.	860000	878524	941670	**63146**
2	एम.ओ.पी.	372700	494292	496018	**1726**
3	एन.पी.के.	6965000	1225618	1009404	**-216214**
4	एस.एस.पी.	6965000	12908	44895	**31987**
5	**यूरिया**	**2325000**	**2226912**	**2121100**	**-105812**

9.13.2.4 उर्वरक स्टॉक की गैर सत्यापन

- सी.ओ.ए. के जारी निर्देशों के अनुसार जिलों को उर्वरकों की आपूर्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर 20 प्रतिशत उर्वरक माल का सत्यापन होना जरूरी था। फिर भी, यह जिलों के जाँच परीक्षण में नहीं हुआ था, जैसे कि अमरावती, लतूर, उसमानाबाद और पुणे के कुछ ढेरों (लाट्स) में, अंततः परिणामस्वरूप 2006–09 की अवधि के दौरान डी.डी.एफ. को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जैसा कि **परिशिष्ट 9.3** में विस्तृत है। डी.डी.एफ. ने डी.एफ.ओ. को इनकी आपूर्ति के सत्यापन के बिना ही बकाया "प्रोफार्मा बी" को छुड़ाने का प्रस्ताव किया, जो कि सी.ओ.ए. के निर्देशों का उल्लंघन था।

9.13.2.5 व्यापारियों के स्टाक बुक में दिखाए गए माल के चालान प्रविष्टि में अन्तरः

- परीक्षण जिले की जांच में विभिन्न थोक विक्रेताओं व फुटकर व्यापारियों के रिकार्ड की जांच पड़ताल से पता चला कि 11 मामलों के चालान में दिखाए गए उर्वरकों की मात्रा से भिन्न हैं। यह देखा गया है कि या तो स्टाक बुक्स में उर्वरकों की मात्रा कम दिखाई गई है या उर्वरकों की मात्रा जो कि प्रति चालान के रूप में भेजा दिखाया गया है, सब स्टाक की किताबों में दर्ज नहीं थे। जब व्यापारियों को उस विशेष स्थल के उर्वरक की बिक्री की जांच के लिए बिल किताबें (बिक्री विस्तार) प्रस्तुत करने को कहा गया, उन्होंने उन्हे लेखापरीक्षा को नहीं दिया। बिलों की जांच पड़ताल की अनुपस्थित में कालाबाजार उर्वरकों की अनियमित बिक्री की संभावनाओं को इंकार नहीं किया जा सकता। **अनुलग्नक 9.4** में विस्तार दिखाया गया है।

9.13.2.6 स्टाक समापन व स्टाक उद्घाटन में भिन्नता

- नमूना जिला में व्यापारियों के रिकार्ड से पता चलता है कि 31 मार्च 2009 तक व्यापारियों के निश्चित मात्रा के उर्वरक बिना बिके पड़े थे। फिर भी जब कि आगे ले जाने में 1 अप्रैल 2009 को स्टाक रजिस्टर या तो ''नो बैलेंस'' या ''कम मात्रा'' दिखाए गए थे। इस प्रकार, काला बाजार की संभावनाओं को इंकार नहीं किया जा सकता जैसा कि **अनुलग्नक 9.5** में विस्तृत है।

9.13.2.7 डी ए पी की एम आर पी से उच्च दर पर बिक्री

- एक सहकारी समिति, मैसरज निलांगा तालुका शेटकारी सहकारी खरीदी बिक्री संघ लिमिटेड, निलांगा, जिला लतूरहड ने (जून 2008 और अगस्त 2008) 196 थैले (50 कि.गा. प्रत्येक) 486 रुपये प्रति बैग एम आर पी के बजाय 500 रुपये प्रति बैग की दर से इस बुनियाद पर बेचे कि उसने लतूर से निलांगा तक अपने प्रबन्ध से 1275 रुपये की ढुलाई दी और उस कीमत को उर्वरक के खर्चे में जोड़ दिया।

9.13.2.8 उर्वरक की बिक्री के लिए फार्म ''एम'' के रूप में बिलों की गैर मुद्रा

- अमरावती में, यह देखा गया कि 19 मी. टन डी.ए.पी. और यूरिया (जून 2008) बिना मुद्रित नकदी ज्ञापन जारी किए 1,58,600 रुपये में बेच दिया गया था।

9.13.2.9 मानक नियंत्रण

- यह देखा गया कि प्रोफार्मा ''बी'' भेजते हुए पी और के के 7168.48 मी. टन गैर मानक उर्वरक के विपरीत डी डी एफ ने केवल 1671.80 मी. टन की कटौती प्रस्तावित की थी।

- 2006–08 के दौरान चुनिंदा प्रयोगशालाओं के नमूनों के विश्लेषण में वहां 26 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक की गिरावट मिली जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

सारणी 9.41 जांच पड़ताल में कमियां

वर्ष	प्रयोगशाला का नाम	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	विश्लेषित नमूनों की संख्या	कमियां	कमियां प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
2006-07	अमरावती	3600	2244	1356	38
	औरंगाबाद	3100	2041	1057	34
	पुने	4200	3075	1125	27
2007-08	अमरावती	3600	2222	1378	38
	औरंगाबाद	3100	2252	848	27
	पुने	4200	3097	1103	26

9.13.3 व्यापारी व किसान के सर्वेक्षण का परिणाम

9.13.3.1 व्यापारी सर्वेक्षण

69 व्यापारियों के जवाबों का सारांश निम्न है:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और किस्म की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	26	43	
		सीमा नहीं	सीमित	
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	65	4	
		हां	नहीं	
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	40	29	
		हां	नहीं	
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	52	17	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	26	43	

		हां	नहीं
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	18	51
		हां	नहीं
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	56	13

अधिकतर व्यापारियों ने सूचित किया किवे आवश्यकतानुसाार उर्वरक नही पा रहे हैं और बदले में वे किसानों को उनकी मांग पर समय से उर्वरक की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।

9.13.3.2 किसान सर्वेक्षण

300 किसानों के जवाब नीचे संक्षिप्त रूप से दिए गए हैं:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	36	238	26
		हां	नहीं	
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	0	300	
		एम.आर.पी.	अन्य	
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	246	54 (एम.आर.पी. से अधिक)	
		हां	नहीं	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	293	7	
		हां	नहीं	
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	228	72	
		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	157	143*	
		हां	नहीं	
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	116	184	

		हां	नहीं
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	183	117
		हां	नहीं
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	70	230
		हां	नहीं
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	67	233
		हां	नहीं
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	147	153
		हां	नहीं
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	183	117

किसान सर्वेक्षण नतीजे से पता चलता है कि 240 में से 54 किसान एम आर पी से अधिक की कीमत पर उर्वरक खरीदते हैं। (यूरिया 252 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति बैग और डी ए पी 500 रुपये से 600 रुपये प्रति बैग)। 72 किसानों को एम आर पी के बारे में पता ही नहीं है। 184 किसानों ने कहा कि न ही उनके मिट्टी की जाँच हुई है और न ही उनको इस बात की जानकारी है कि मिट्टी की जाँच भी हो सकती है। 70 किसानों ने बताया कि उनके उर्वरक की तुलना में दूसरी चीजें खरीदने पर मजबूर किया गया। 67 किसानों बताया कि उन्हें छोटी मात्रा के बैग चाहिए। 183 किसानों ने कहा कि वे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वे समय से उर्वरक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 143 किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्जदारों और बैंको से लोन लेकर उर्वरक खरीदा था।

NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
किसान यूरिया
N-46%
उर्वरक
किसान की पहली पसन्द
WEIGHT: GROSS 50.13 Kg.

9.14 मणिपुर

9.14.1 पृष्ठभूमि

मणिपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल 22,327 वर्ग कि.मी. है जिसमें चार घाटी जिले (पूर्वी, इम्फाल, पश्चिमी इम्फाल, थौबल एवं विष्णुदुर) तथा पांच पहाड़ी जिले (उखरुल, सेनापति, तमेंगलोंग, चुराचन्दपुर एवं चन्देल हैं) फसल के लिए 2.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल हैं बागबानी फसल जैसे फल (केला, अनन्नास, नींबू वंश आदि) और सब्जी, मसाले, सुगंधित तथा चिकित्सीय पौधा एवं पुष्प यहां के मुख्य फसल हैं।

दो जिले एवं चार प्रखण्ड अर्थात् थौबल (थौबल, केकचिंग) एवं चन्देल चकपिंकारोंग, चंदेल) को विस्तृत जांच के लिए चुने गये।

9.14.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.14.2.1 उर्वरक की आवश्यकता का निर्धारण

- उर्वरक की आवश्यकता गत वर्ष की खपत के आधार पर दिखाया गया।
- राज्य में निर्धारित आवश्यकता एवं यूरिया की खपत में अंतर वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान 41 से 59 प्रतिशत के बीच था। इसके विपरीत, 2006–07 के दौरान डी.ए.पी. एवं एस.एस.पी. की खपत निर्धारित आवश्यकता से क्रमशः 13 से 9 प्रतिशत बढ़ गई। 410 एम.टी. (2006–07) एवं 400 एम.टी. (2008–09) की निर्धारित आवश्यकता के विरूद्ध एम.ए.पी. की कोई खपत नहीं हुई। निर्धारित आवश्यकता की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है।

9.14.2.2 उर्वरक की उपलब्धता

- राज्य में 2006–07 से 2008–09 के दौरान यूरिया का आबंटन एवं उपलब्धता निम्न प्रकार था:

सारणी 9.42 मणिपुर में यूरिया का आबंटन एवं उपलब्धता

(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष	ई.सी.ए. आबंटन			यूरिया की उपलब्धता			खपत	उपलब्धता में कमी	उपलब्धता में कमी का प्रतिशत
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल			
2006-07	37000	14200	51200	25249	3021	28270	28342	22930	45
2007-08	35000	10500	45500	24467	6754	31221	28762	14279	31
2008-09	20000	12500	32500	16812	2232	19044	19142	13456	41

(सूत्रः विभागीय रिकॉर्ड)

- 2006–07 से 2008–09 के दौरान यूरिया की उपलब्धता में 31 से 45 प्रतिशतता की कमी रही। जैसाकि ऊपर देखा जा सकता है, खपत सामान्यतः उपलब्धता के आधार पर रही, जो आवश्यकता के निर्धारण में कमी की पुष्टि करता है।

- चुने गये जिले थौबल एवं चंदेल में 2006–07 से 2008–09 के दौरान यूरिया के आबंटन और उपलब्धता निम्न प्रकार है:

सारणी 9.43–थौबल एवं चंदेल जिले में यूरिया का आबंटन एवं उपलब्धता

(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष		ई.सी.ए. आबंटन			यूरिया की उपलब्धता			आधिक्य / कमी
		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	
2006-07	थौबल	8630	3400	12030	10727	1835	12562	532
	चंडेल	-	300	300	-	-	-	(-) 300
2007-08	थौबल	5120	3900	9020	8383	2408	10791	1771
	चंडेल	100	72	172	-	-	-	(-) 172
2008-09	चंडेल	0	0	0	5940	1224	7164	

(सूत्र: विभागीय रिकॉर्ड)

* विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए जिलावार आबंटन नहीं किया गया।

- थौबल जिले में, 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान यूरिया की उपलब्धता आबंटन से अधिक थी। इसके विपरीत, 2006–07 एवं 2008–09 में चंदेल जिले में कोई यूरिया नहीं उठाया गया।

9.14.2.3 बिक्री का सत्यापन

- विनियंत्रित उर्वरक के संबंध में, प्रोफॉर्मा 'बी' के द्वारा रिपोर्ट किया गया प्रथम बिन्दु बिक्री को केवल विक्रेता से प्राप्त चालान के द्वारा ही सत्यापित किया था। यद्यपि, राज्य सरकार ने बिक्री के सत्यापन के लिए किसानों के स्तर तक प्रथम बिक्री बिन्दु से बाहर कोई तंत्र नहीं अपनाया, स्टॉक का कोई भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया।

9.14.2.4 गुणवत्ता नियंत्रण

- राज्य में कोई परीक्षण प्रयोगशाला नहीं था, और सी.एफ.क्यू.सी.टी.आई. फरीदाबाद या इसके क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा कोई नमूना भी तैयार नहीं किया गया।

9.14.2.5 पावती जारी नहीं करना

- विक्रेता ने क्रेता को नकद या साख मैमो जारी नहीं किया जो एफ.सी.ओ. 1985 क्लॉज 5 का उल्लंघन था।

9.14.2.6 स्टॉक की स्थिति तथा मूल्य की सूची को प्रदर्शित नहीं करना

- 12 विक्रेताओं (थोक या खुदरा) के नमूना जांच से पता चला कि उनमें से किसी ने भी बिज़नेस के उनके संबंधित स्थान में स्टॉक की स्थिति एवं उर्वरक के मूल्य की सूची प्रदर्शित नहीं किया था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश के क्लॉज 4 का उल्लंघन था।

9.14.2.7 जब्त किए गए उर्वरक का निपटान न करना

- सब–डिवीज़नल पुलिस अधिकारी, चंदेल ने चंदेल जिले के मोलनोम गाँव में, म्यानमार को तस्करी की जा रही 4.40 लाख रूपये[22] के मूल्य की 93.50 एम.टी. उर्वरक (यूरिया: 6150 एम.टी.; पोटाश: 32 एम.टी.) एफ.आई.आर. 21(10) 2008 के अंतर्गत जब्त किया (अक्टूबर 2008)। अतिरिक्त उपायुक्त, चंदेल ने आवश्यक कमोडिटी एकड़, 1955 के सेक्शन 6ए के अंतर्गत पकड़े गये 12 ट्रक उर्वरक को जब्त करने का आदेश दिया तथा केकचिंग (थौबल जिला) में उतारने और अंतिम निपटान या नीलामी के द्वारा बिक्री के लिए कृषि निदेशक को सौंपने के लिए कहा। उर्वरक अभी भी (नवम्बर 2009) केकचिंग थाने में पड़ा था।

जब्त किये गये 93.50 एम.टी. उर्वरक केकचिंग थाने में पड़ा (थौबल जिला)

9.14.3 विक्रेता एवं किसान सर्वे का परिणाम

9.14.3.1 विक्रेता सर्वे

15 विक्रेताओं के उत्तर नीचे सारंशीकृत हैं:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	
		हां	नहीं
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वाइंट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	0	15

[22] 1230x241.50रुपये+640x222.75रुपये

		असीमित	सीमित
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	4	11
		हां	नहीं
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	9	6
		हां	नहीं
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	1	14
		हां	नहीं
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	0	15
		हां	नहीं
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	13	2
		हां	नहीं
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	0	15

विक्रेताओं ने संकेत दिया कि वे उर्वरक की पर्याप्त मात्रा नहीं प्राप्त कर रहे थे और वे किसानों की मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसी नमूना का चयन नहीं किया गया।

9.14.3.2 किसान सर्वे

120 किसानों के उत्तर नीचे सारंशीकृत हैं:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	
		सहकारी समिति	निजी विक्रेता
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	0	120

		हां	नहीं
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	0	120
		एम.आर.पी.	अन्य
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	0	120
		हां	नहीं
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	4	116
		हां	नहीं
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	16	104
		हां	नहीं
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	17	103
		हां	नहीं
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	1	119
		हां	नहीं
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	103	17
		हां	नहीं
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	10	110
		हां	नहीं
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	104	16
		हां	नहीं
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	31	89
		हां	नहीं
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	103	17

सर्वे किए गए किसानों में से किसी ने भी एम.आर.पी. पर उर्वरक नहीं खरीदे/अधिकांश किसानों को उर्वरक की पूर्ण आवश्यकता को प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके पूर्ण आवश्यक उर्वरक खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और उर्वरक की छोटी मात्रा वाले बैग की मांग की।

9.15 मेघालय

9.15.1 पृष्ठभूमि

मेघालय के 7 जिलों का कुल क्षेत्र 22429 वर्ग कि.मी. है। फसल योग्य क्षेत्र 2.13 लाख हेक्टेयर है। राज्य की मुख्य फसलें चावल और मक्का, बागवानी फसलें जैसे संतरा, नींबू अनानास, अमरूद, लिची, केला, कटहल आदि और नकदी फसलें जैसे आलू, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, कपास, जूट, सरसों और अंगूर बीज आदि है।

विस्तुत लेखा परीक्षा जांच के लिए दो जिलों के दो ब्लॉक–ईस्ट खासी हिल्स (खादरशनांग–लाएटक्रोह और पीनुरसला) और वेस्ट गारो हिल्स (सेलसेला और डालू) को चुना गया।

9.15.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.15.2.1 उर्वरकों का आकंलन

- उर्वरकों की आवश्यकता के आकंलन के लिए फसलों के प्रकार पर आधारित सिंचित/गैर सिंचित क्षेत्र, मृदा स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय कारक के लिए कोई विशिष्ट मानदंड/मानक तैयार नहीं किये गये। राज्य में एम.ई.सी.ओ.एफ.ई.डी. और अन्य थोक डीलरों से प्राप्त पिछले वर्ष के खपत आंकड़ों के आधार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता का प्रक्षेपण किया गया।

9.15.2.2 आवश्यक उर्वरक की उपलब्धता

- 2006–09 के दौरान उर्वरकों की आकलित आवश्यकता और वास्तविक आपूर्ति के बीच भारी अन्तर था। उर्वरक की आपूर्ति में वर्षवार कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 9.44–उर्वरकों की आपूर्ति में कमी

वर्ष	आवश्यकता/एमटी			वास्तविक आपूर्ति/एमटी			कमी/एमटी (प्रतिशत)		
	यूरिया	डीएपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एमओपी
2006-07	6300	3120	625	5440	2482	397	860	638	228
							(-14)	(-20)	(-36)
2007-08	6550	3850	930	4885	1589	547	1665	2261	383
							(-25)	(-59)	(-41)
2008-09	7850	4150	1490	7400	3850	976	450	300	514
							(-6)	(-7)	(-35)

स्त्रोत: कृषि निदेशक द्वारा दी गई सूचना

- 2006–07 से 2008–09 के दौरान यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की आवश्यकता और वास्तविक आपूर्ति के बीच अन्तर/कमी थी जो यूरिया के संदर्भ में 6 प्रतिशत से 25 प्रतिशत, डी.ए.पी. के संदर्भ में 7 प्रतिशत से 59 प्रतिशत और एम.ओ.पी. के संदर्भ में 35 प्रतिशत से 41 प्रतिशत के बीच था।

9.15.2.3 बिक्री का सत्यापन

- विनियंत्रित उर्वरक की मासिक बिक्री का सत्यापन एम.ई.सी.ओ.एफ.ई.डी. द्वारा जमा बिक्री प्रमाण पत्र के आधार पर और निजी थोक डीलर के संदर्भ में संबंधित जिला कृषि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत खरीद प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना था।
- प्रथम बिंदु बिक्री से किसान स्तर तक बिक्री के सत्यापन की प्रक्रिया नहीं की गई जिससे वास्तविक किसानों को बिक्री की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके।

9.15.2.4 प्रोफार्मा 'ए' को प्रस्तुत करने में देरी

- मई, जून, अगस्त और सितम्बर 2006 और दिसम्बर 2006 से मार्च 2007 तक के महीनों के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) की बिक्री के लिए मैसर्स तीस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जलपाईगुडी ने प्राफार्मा 'ए' प्रस्तुत करने की 60 दिन की स्वीकार्य समय सीमा में देरी थी जोकि सितम्बर 2007 में कृषि निदेशक को दिये, देरी 15 और 4 महीनों के बीच रही।

9.15.2.5 गुणवत्ता नियंत्रण

- 2007–08 और 2008–09 के दौरान जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी ने ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और जैनतिया हिल्स जिला के 14 नमूने लिये जिसमें से 2007–08 के 4 नमूने और 2008–09 के 3 नमूनों को गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ने अवमानक घोषित किया था। लेकिन यह भी देखा गया कि जांच परिणाम का कोई प्रलेखन नहीं था। इसके अलावा, ना ही डी.ए.ओ. द्वारा प्रस्तावित जब्त किये गये उर्वरक की पूरी मात्रा थी न ही गैर मानक उर्वरक के संदर्भ में दी गई रियायत में से कोई वसूली की गई। इस प्रकार उर्वरक की गुणवत्ता को जाने बिना किसानों द्वारा अवमानक उर्वरकों का उपयोग किया गया।

9.15.3 डीलर एवं किसान सर्वे का परिणाम

9.15.3.1 डीलर सर्वे

18 डीलरों की प्रतिक्रियाएं नीचे संक्षेप हैं:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	
		हां	नहीं
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	15	3
		असीमित	सीमित
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	5	13
		हां	नहीं
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	16	2

		हां	नहीं
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	6	12
		हां	नहीं
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	3	15
		हां	नहीं
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	5	13
		हां	नहीं
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	1	17

अधिकाशं डीलरों ने संकेत दिया कि वे उर्वरकों की ढुलाई के साथ ऋण सुविधा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे और इसके फलस्वरूप किसानों को मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने में असमर्थ थे। नमूनों के संदर्भ में 18 में से सिर्फ एक डीलर को गुणवत्ता जांच के लिए चयन किया था।

9.15.3.2 किसान सर्वे

116 किसानों की प्रतिक्रियाएं नीचे संक्षेप में हैं:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर			
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों	अन्य
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	32	77	0	7
		हां	नहीं		
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	0	116		
		एम.आर.पी.	अन्य		
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	0	116		
		हां	नहीं		
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	54	62		
		हां	नहीं		
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	30	86		

		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	0	116	
		हां	नहीं	
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	49	67	
		हां	नहीं	
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	65	51	
		हां	नहीं	
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	0	116	
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	75	41	
		हां	नहीं	
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	39	77	
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	38	49	29

सर्वे किये गये सभी किसानों ने संकेत दिया है कि उन्होंने एम.आर.पी. की जगह अन्य दर पर उवर्रक की खरीद की और यह भी संकेत दिया कि अपने लिए उर्वरकों की पूर्ण आवश्यकता को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। उनमें से अधिकांश ने संकेत दिया कि उन्हें उर्वरकों के छोटी मात्रा के बैगों की आवश्यकता थी।

9.15.3.3 क्षेत्रीय दौरा

हमारे लेखा दल द्वारा क्षेत्रीय दौरे से पता चला की खुला उर्वरक बैग, जीर्ण गोदाम के साथ खाली गोदाम (उर्वरकों की अनुपलब्धता को दर्शाना) के उदाहरण थे जैसा नीचे दर्शाया गया है:

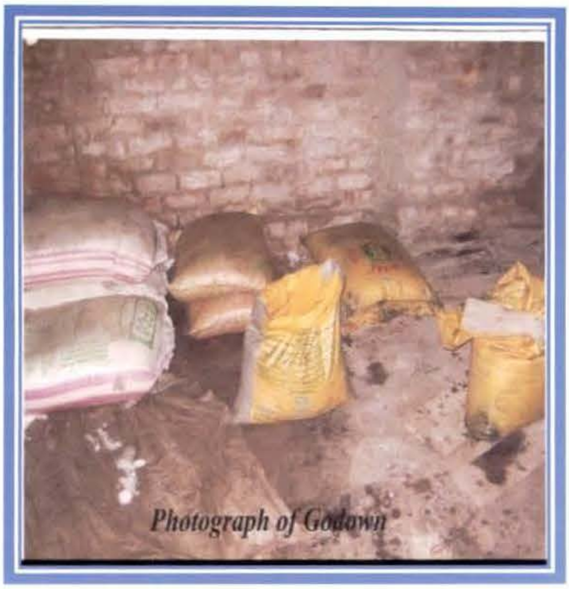

राजबाला वेस्ट गारो हिल्स जिले में एक थोक बिक्री गोदाम–उर्वरक खुले पड़े थे

मांलोंगघाट शिलांग–जीर्ण गोदान

मै. एम.ई.सी.ओ.एफ.ई.डी., मांलोंक, शिलांग–उर्वरक की अनुपलब्धता

9.16 नागालैंड

9.16.1 पृष्ठभूमि

- नागालैंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर एवं फसल के लिए 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। पर्वत श्रेणियां, गहरी घाटियां और ढलान क्षेत्र की वजह से इसकी स्थलाकृति बहुत दुर्गम है ओर जनसंख्या का लगभग 65 से 70 प्रतिशत अपनी अजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि के लिए मुख्य भूमि के उपयोग का पैटर्न बदल रहा है, स्थानीय इसे झूम के नाम से जानते हैं। इसलिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम है।

9.16.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.16.2.1 उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन

- आवश्यकता का आंकलन राज्य में डीलरों द्वारा बिक्री से एकत्र आंकड़ों के आधार पर बनाया गया था। 2006–07 से 2008–09 की अवधि के लिए उर्वरकों का आंकलन ओर खपत इस प्रकार है:

तालिका 9.45 – उर्वरकों की खपत एवं आंकलन

(एम.टी में मात्रा)

उर्वरक का नाम	मौसम	2006-07			2007-08			2008-09		
		आकलित आवश्यकता	खपत	प्रतिशत*	आकलित आवश्यकता	खपत	प्रतिशत*	आकलित आवश्यकता	खपत	प्रतिशत*
यूरिया	खरीफ	414	279	67	400	312	78	400	356	89
	रबी	714	233	33	487	404	83	300	200	67
डी ए पी	खरीफ	234	223	96	350	249	71	300	268	89
	रबी	534	257	48	314	258	82	240	165	69
एम ओ पी	खरीफ	42	62	148	100	128	128	130	93	72
	रबी	117	62	53	137	113	82	135	76	56
एस एस पी	खरीफ	74	74	100	100	95	95	100	111	111
	रबी	132	37	28	112	104	92	77	50	65

****प्रतिशत मूल्यांकन आवश्यकता से अधिक खपत को दर्शाता है***

(स्त्रोतः विभागीय आंकड़े)

- 2006–07 से 2008–09 की अवधि के दौरान मूल्यांकन आवश्यकता के संबध में औसत खपत, यूरिया के मामले में 33 से 89 प्रतिशत और डी ए पी में 49 से 96 प्रतिशत की विविधता थी। इन वर्षों के दौरान एस एस पी और एम ओ पी की आंकलन आवश्यकता के साथ ही साथ खपत के पैटर्न में कमी और अतिरिक्त खपत के मिश्रित रूझान को दर्शाता है।

9.16.2.2 बिक्री एवं वितरण की अप्रभावी निगरानी

2006–07 से 2008–09 के दौरान डी ए पी की 1972 एम टी की मूल्यांकन आवश्यकता के विपरीत विभाग ने 1420 एम टी के लिए एक खपत रिर्पोट प्रस्तुत की। तथापि निर्माता ने सिर्फ 70 एम टी डी ए पी की सब्सिडी का दावा किया जिसे विभाग द्वारा प्रमाणित कर दिया गया था। इस प्रकार विभाग ने सरकार को 1350.300 एम टी की अतिश्योक्ति पूर्ण खपत रिर्पोट प्रस्तुत की। राज्य में उर्वरक की कालाबाजारी के अस्तित्व की संभावना को भी नहीं जांचा गया।

- विभाग द्वारा किये गये आंकलन से आगे पता चला की डीलरों से एकत्र आंकडे (मई 2008 से दिसम्बर 2008) के क्रास सत्यापन में मूल्यांकन और खपत में विविधता थी नीचे विस्तृत रूप से दिया है:–

सारणी 9.46 – उर्वरकों के मूल्यांकन और खपत के बीच विविधता

(मात्रा एम टी में)

उर्वरक का नाम	विभाग द्वारा किया गया आंकलन	खपत (विभागीय आंकड़े)	सत्यापित खपत	अन्तर (4–3)
1	2	3	4	5
यूरिया	520	344	945.55	601.55
डी ए पी	380	227	487.77	260.77
एम ओ पी	210	113	180.25	67.25
एस एस पी	135	94	132.41	38.41

कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों को उठाने, बिक्री एवं वितरण की स्थिति की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं रखा गया था।

9.16.2.3 उर्वरक नीति का व्यवस्थापन न करना

- उर्वरकों की बिक्री को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार ने कोई मानदंड सूत्रबद्ध नहीं किये। दीमापुर स्थित डीलरों द्वारा थेक बिक्री को भी देखा गया।
- जबकि विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि मौसम के दौरान विनिंयत्रित उर्वरक जैसे डी ए पी कम्पनी (इफको) के पास उपलब्ध नहीं था और डीलर को आपूर्ति के लिए असम के डीलरों पर निर्भर होना पड़ा जो वृद्धि में लागत का कारण बना।

9.16.2.4 बिक्री का सत्यापन

- विभाग द्वारा सब्सिडी के दावे अग्रेसित करने से पहले की प्रक्रियाए जैसे बिक्री की प्रतियां प्राप्त करने के द्वारा बिक्री का स्वंतत्र सत्यापन, डिलीवरी चलान, बिक्री कर भुगतान की प्राप्तियां, स्टाक रजिस्टर, स्टाक का फिजीकल सत्यापन आदि नहीं किया गया।

9.16.2.5 एम आर पी से उपर उर्वरक की बिक्री

- किसानों द्वारा भुगतान किया गया मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित एम आर पी से ज्यादा था जो यूरिया के संदर्भ में 141 से 288 प्रतिशत, डी ए पी के संदर्भ में 171 से 235 प्रतिशत और एम ओ पी के संदर्भ में 213 से 359 था जैसा नीचे सारणीबद्ध है:–

सारणी 9.47 – निर्धारित मूल्य से उपर उर्वरक की बिक्री

(रुपये प्रति एम टी)

उर्वरक	2008-09		2008-09 किसानों की प्रतिक्रिया पर बिक्री मूल्य			
	एम आर पी	एस पी (डीलर प्रतिक्रिया के अनुसार)	कोहिमा जिला		दिमापूर जिला	
			जखामा खंड	कोहिमा खंड	नुलैंड खंड	धनसिरीपर खंड
यूरिया	Rs.4830	Rs.6800 से Rs.8000	Rs.10000	#	Rs.8500	Rs.12000
डी ए पी	Rs.9350	Rs.16000 से Rs.17500	Rs.18000	#	Rs.18000	Rs.22000
एम ओ पी	Rs.4455	Rs.9500 से Rs.11000	Rs.10000	#	Rs.16000	Rs.12000

 # सर्वे के दोरान, किसानों ने कहा उन्होंने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया

9.16.2.6 गुणवता नियंत्रण

- राज्य में न तो कोई गुणवत्ता नियंत्रण जांच प्रायोगशाला थी ना ही गुणवता जांच के लिए पिछले तीन सालों के दौरान उपयोगकर्ता सेलेकर डीलरों की वितरण श्रंखला तक उर्वरको के नमूने एकत्र किये गये थे। इस प्रकार नागालैंड में किसानों को उतम उर्वरक प्रदान करने के उद्देश्य को निश्चित नहीं किया जा सका।

9.16.2.7 निगरानी तंत्र का न होना

- राज्य में किसी भी उर्वरक विनिर्माण इकाइयों ने जिला स्तर स्टाक अंक/प्राथमिक गोदाम नहीं खोले।

9.16.3 किसान सर्वे और डीलर का परिणाम

9.16.3.1 डीलर सर्वे

तीन डीलरों की प्रतिक्रिया को नीचे संक्षेप में दिया गया है:–

क्र.सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया	
		हां	नहीं
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है?	2	1
		असीमित	सीमित
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	3	0
		हां	नहीं
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	3	0
		हां	नहीं
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	3	0
		हां	नहीं
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	3	0
		हां	नहीं
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	3	0
		हां	नहीं
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	0	3

9.16.3.2 किसान सर्वेक्षण

80 किसानों की प्रतिक्रियाओं को नीचे संक्षेप में है:–

क्र.सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया		
		सहकारी	डीलर	अन्य
1.	क्या आप अधिकृत डीलर/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हो?	1	55	24
		हां	नहीं	अन्य
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसें कि 5 थैले डी ऐ पी	1	55	24

	प्रति राशन कार्ड, एक थैला डी ऐ पी प्रति एकड़ कृप्या दर्शायें।			
		हां	नहीं	अन्य
3.	आपने पिछले 1 या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी किन कीमतों पर खरीदा है?	0	1	79
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	14	64	2
		हां	नहीं	
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं? (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)	4	76	
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	3	76	1
		हां	नहीं	अन्य
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	1	78	1
		हां	नहीं	अन्य
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	30	19	31
		हां	नहीं	अन्य
9.	क्या डीलर ने आपकों उर्वरक जो चाहिये थे के साथ अन्य आइटम को खरीदने के लिये मजबूर किया?	2	44	34
		हां	नहीं	अन्य
10.	क्या आपको उर्वरकों की छोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	52	2	26
		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिला कर, क्या आप उर्वरक की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं? आप सन्तुष्ट हैं जो उर्वरक की आपूर्ति आपको हुई?	7	35	38
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा?	34	16	30

एम आर पी से उंचे दामों पर खरीद के अलावा, बहुसंख्यक किसानों ने छोटी मात्रा के बैग को वरीयता देने का संकेत दिया क्योकि उर्वरकों की पूर्ण आवश्यकता के अनुसार उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने उर्वरकों की सटीक आवश्यकता के आंकलन के लिए मिट्टी का परीक्षण नहीं किया।

9.17 उड़ीसा

9.17.1 पृष्ठभूमि

उड़ीसा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 155707 वर्ग कि.मी. है तथा इसमें 30 जिले हैं। फसल के लिए 57.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। चावल, दाल, तेलहन, जूट, पटुआ, गन्ना एवं हल्दी यहां के मुख्य फसल हैं चाय, कपास एवं रबड़ जैसे नकदी फसल भी होते हैं। भारत में चावल के उत्पादन के दसवाँ भाग इस राज्य में होता है।

पांच जिले (बोलागिर, झरसुगुडा, नौपाड़ा, जगतसिंहपुर एवं मयूरभंज) एवं 10 प्रखण्ड अर्थात् प्रत्येक जिले में दो प्रखण्ड (अगलपुर, पुइंटाला, झरसुगुडा, लखनपुर, बोडेन, नौपाड़ा, बलिकुडा, नुअगांव, बादशाही एवं श्यामाखुंता) को विस्तृत जांच के लिए चुने गये।

9.17.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.17.2.1 उर्वरक की आवश्यकता का निर्धारण

- यद्यपि जिला कृषि अधिकारी (बिना किसानों को शामिल किए) और विभिन्न उर्वरक विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों के समक्ष जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा बुलाई गई योजना समिति की बैठक के बाद उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन किया गया। कृषि निदेशालय जिसने निर्धारण को समेकित किया, राज्य की आवश्यकता को पिछले वर्षों की खपत 5 से 10 प्रतिशत की मात्रा में वृद्धि करके प्रक्षेपित किया।
- उर्वरक की आवश्यकता के निर्धारण बनाते समय मृदा स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उर्वरक की संतुलित मात्रा को ध्यान में रखते हुए मृदा–परीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया।

9.17.2.2 उर्वरक की मांग एवं पूर्ति

- जोनल एग्रीकल्चरल इनपुट कांफ्रेंस में दर्शाये गये आपूर्ति एवं प्रति हेक्टेयर उर्वरक की वास्तविक खपत व्यवहारिक नहीं था, जैसा कि निम्नलिखित विवरण में देखा जा सकता है:

सारणी 9.48–उड़ीसा में उर्वरक का निर्धारण, आबंटन, प्राप्ति एवं खपत

(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष	निर्धारण	आबंटन	वास्तविक प्राप्ति	खपत	निर्धारण के विरूद्ध कम खपत
2006-07	886384	871600	860286	819646	66738 (8%)
2007-08	1143700	1077600	908332	909859	233841 (20 %)
2008-09	1369370	1143320	1019801	1052232	317138 (23%)

वास्तव में, खपत अनुमानित आवश्यकताओं की अपेक्षा आबंटन के ज्यादा नजदीक थी।

9.17.2.3 उच्चतर मूल्य पर उर्वरक की बिक्री

- मयुरभंज और बोलांगिर जिले में, विभिन्न प्रकार के उर्वरक को निर्धारित एम.आर.पी. के उच्च दरों पर बेचा गया तथा आधिक्य 12.66 रूपये प्रति कि.ग्रा. से 72.66 रूपये प्रति कि.ग्रा. रही। लाभार्थियों के साक्षात्कार के दौरान, 6 विक्रेताओं को एम.आर.पी. से अधिक मूल्य उर्वरक बेचते हुए पाया गया।

9.17.2.4 पृथक लेखे का मेन्टेन नहीं करना

- निश्चित थोक विक्रेता, जोकि फुटकर विक्रेता के रूप में कार्य कर रहे थे, पृथक बिक्री प्राप्ति जारी नहीं किए लेकिन उस दिन के कुल बिक्री के लिए किसानों के समूह को एकल प्राप्ति जारी कर दी और थोक एवं फुटकर बिक्री के लिए पृथक लेखे का मेन्टेन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, वे अन्य फुटकर विक्रेताओं को मात्रा जारी करने से मना कर दिया।
- जगतसिंहपुर, बोलांगिर, मयुरभंज एवं झरसुगुडा के थोक विक्रेताओं ने अपने खुद के फुटकर बिन्दु को समग्र/अधिकतम मात्रा जारी कर दी और जिले में व्यापार का पूर्ण एकाधिकार बनाये रखा।
- 23 विक्रेताओं में से, 9 विक्रेताओं ने समग्र मात्राओं को अपने खुद के फुटकर लेखें में परिवर्तित कर दिया, जैसाकि नीचे दिया गया है:

सारणी 9.49–मात्राओं का अपने खुदरा खाते में स्थानांतरण

क्र. सं.	जिला	व्यापारी का नाम	थोक एफ.सी.ओ. संख्या	मान्य	खुदरा एफ.सी.ओ. संख्या	मान्य	स्थिति
1	जे.एस. पुर	ए.के. रॉय	3/1.4.05	22.7.11	2/08-09	22.7.11	बालीकुड़ा
2		मेनका भंडार	3/24.6.2002	31.3.11	2/08-09	31.3.11	नौगांव
3		अर्चना भंडार	5/1.4.05	31.3.11	3/04-05	31.3.11	नौगांव
4		के.वी. निगम	6/1.4.05	31.3.11	4/04-05	31.3.11	नौगांव
5	मयुरभंज	ए.पी. साहा	25/00-01	1.5.12	4/00-01	7.8.09	बारीपाड़ा
6		आर.के. साहा	30/96-97	31.3.11	1/07-08	31.3.11	बारीपाड़ा
7		अनुपमा इन्टरप्राइज़ेज	45/03-04	11.8.09	46/03-04	10.8.09	बारीपाड़ा
8	बोलनगीर	साहू ट्रेडिंग	206/07-08	12.3.11	205/07-08	12.3.11	बोलनगरी
9		गोपाल फर्टिलाइज़र स्टोर	146/07-08	29.10.11	147/07-08	27.11.08	क्लब पैरा
10		के.के. कपाडिया	35/08-09	3.6.12	7/08-09	5.7.11	पटनागढ़
11		गर्ग फर्टिलाइज़र	90/08-09	12.5.12	8/08-09	30.3.09	कान्ताबेनजी
12		समलेशवरी फर्टिलाइज़र	210/07-08	26.3.11	155/07-08	3.8.10	तुसरा
13		क्रुशी सेवा केंद्र	2/08-09	31.3.11	158/07-08	3.8.10	आगलपुर
14	झारसुगड़ा	एस. कुमार एम. कुमार	70/06-07	31.8.12	15/07-08	16.10.10	झारसगुड़ा
15		झादेश्वर मार्केटिंग सी.एस.	46/05-06	31.8.11	45/05-06	31.8.11	झारसगुड़ा
16		शिव प्रसाद श्याम	67/81-82	31.3.11	68/81-82	31.3.11	झारसगुड़ा

क्र. सं.	जिला	व्यापारी का नाम	थोक एफ.सी. ओ. संख्या	मान्य	खुदरा एफ. सी.ओ. संख्या	मान्य	स्थिति
		सुन्दर					
17		शिव सुन्दर आलू भंडार	87/07-08	22.6.10	88/07-08	22.6.10	झारसगुड़ा
18		डी.पी. अग्रवाला	12/72-73	31.3.11	58/76-77	31.3.11	झारसगुड़ा
19	नौपाड़ा	लखमानिया ब्रदर्स ख. रोड	35/08-09	13.7.2011	177/07-08	03.7.2010	ख. रोड
20		तेजराज परेशमल खारियर रोड	1/04-05 Ren 19/07-08)	24.4.2010	26/07-08	31.5.2010	ख. रोड
21		अतुल स्टीलस खारियर रोड	84/06-07		173/07-08	9.4.2010	खारियर रोड
22		शर्मा फर्टिलाइजर राज खारियर	110/06-07	6.1.2010	3/05-06	7.6.2008	राज खारियर (नवीनीकरण नहीं हुआ)
23		एस.के. त्रिवेदी, राज खारियर	**36/08-09**	**7.7.2011**	**90/06-07**	**23.8.2009**	राज खारियर (नवीनीकरण नहीं हुआ)

9.17.2.5 उर्वरक व्यापार में अपंजीकृत व्यापारियों का मौजूद होना

- चार सहकारी समितियां (झारसुगुडा–3 और अलगपुर–1) और अगलपुर ब्लाक, बोलनगीर का एक व्यापारी बिना एफसीओ पंजीकरण प्रमाणपत्र के उर्वरक की बिक्री में लगी थीं तथा वह सहकारी लाइसेंस कीटनाशक की बिक्री के आधार पर यह कार्य कर रहा था।

9.17.2.6 उर्वरक की बिक्री के साथ अन्य उत्पादों को भी नथ्थी करना

- एक उत्पादक, मैसर्स सी.एफ.एल ने जबदस्ती 5 किलो सल्फर को प्रत्येक 100 किलो ग्रोमोर (जी.ए.पी.) के साथ और एक किलो महाजिंक को प्रत्येक 100 किलों एन.एफ.सी.एल. यूरिया के साथ नथ्थी करके व्यापारियों को दिया। बदले में व्यापारियों ने किसानों को ग्रोमोर रू. 500 से 550/– प्रति बैग की कीमत पर सल्फर की कीमत सहित बेचा, जिसका एम.आर. पी. रू. 389/– प्रति बैग था और नागार्जुन यूरिया रू. 260 कीमत पर महाजिंक को शामिल करके प्रति बैग बेचा जिसका एम.आर.पी. रू. 250.80 प्रति बैग था। सर्वेक्षण के दौरान किसानों ने ग्रोमर की आपूर्ति में कमी और अतिरिक्त कीमत के भुगतान पर रोष प्रकट किया।

9.17.2.7 राज्य सरकार द्वारा बिक्री का निरीक्षण (छूट के भुगतान से पहले)

- बिक्री के निरीक्षण की प्रोफार्मा 'बी' पर प्रमाणित कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और निदेशक (कृषि) द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं की गई। मार्कफेड प्राधिकरण ने भौतिक जांच के दौरान 65.550 एम.टी. उर्वरक की मार्कफेड अतिरिक्त भंडारन बिंदु बालीकुड़ा ब्लाक में नोट किया **(परिशिष्ट 9.6)** जिसके लिये रू. 13.40 लाख की सहायिका उत्पादक ने प्राप्त की थी। मार्कफेड ने रू. 4.07 लाख बिक्री–सहायक से वसूलने का आदेश दिया और रू. 0.35 लाख की राशि वसूल की गई (अगस्त 2009)।

9.17.2.8 गुणवत्ता नियंत्रण

- दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ भुवनेश्वर और समबलपुर में लक्ष्यों के मुताबिक सैंपलों की प्राप्ति में 9 से 22 प्रतिशत की श्रेणी में वर्ष 2006–09 के दौरान कमी पाई गई:

सारणी 9.50– सैंपलों के विश्लेषण और प्राप्ति में कमी

वर्ष	लक्षित सैंपलों की संख्या		प्राप्त सैंपल और विश्लेषण		मानक के ना होने वाले घोषित किये गये	
	भुवनेश्वर	संबलपुर	भुवनेश्वर	संबलपुर	भुवनेश्वर	संबलपुर
2006-07	2050	1450	1726 (84%)	1126 (78%)	41	36
2007-08	2050	1450	1714 (84%)	1282 (88%)	50	27
2008-09	2050	1450	1639 (80%)	1318 (91%)	34	26

वर्ष 2006–09 के दौरान दस्तावेजों की जांच में पाई गई अनियमिततायें:

- नवंबर 2007 में किये गये 41 सैंपलों को 31.12.2007 में लैबोरेट्री में भेजा गया और 3.09.08 से 30.09.08 तक इकट्ठे किये गये सैंपलों को 29.10.08 यानि निर्धारित 7 दिवसों के काफी बाद में भेजा गया।

- 2006–09 के लिये जिला बोलनगीर में लक्षित 200 सैंपलों के स्थान पर प्रत्येक साल में क्रमशः 93, 61 और 25 सैंपल लैबोरेट्री में भेजे गये।

- 2006–09 मे झारसुगुडा और नौपाड़ा जिलों में कोई भी सैंपल इकट्ठे नहीं किये गये।

- उपनिदेशक (कृषि) (डीडीए) कटक ने नवंबर 2008 में डीडीए (क्यूसी) को सूचित किया की 5 एम.टी. पी.पी.एल. 18:46 के सैंपल जोकि मैसर्स एल.एन.फर्टिलाइजर केंद्रपाडा से 6.09.08 मे लिये गये थे में मानक के नही घोषित किये गये थे और रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2008 को ही प्राप्त हुई जब तक किसानों द्वारा पूरी मात्रा प्रयोग कर ली गई। कोई वसूली/अभिग्रहण का सुझाव नहीं दिया गया।

- इसी प्रकार मैसर्स रेलवे रैक बिंदु, कटक से 1.09.08 को कुल 100 एम.टी. के एन.पी.के. 10:26:26 के भंडार से सैंपल प्राप्त हुआ और 4.10.08 को उसे मानक का नहीं होना घोषित किया गया किंतु पूरा भंडार बेचा गया और कुल प्राप्ति की रसीद भी गई गई।

9.17.2.9 30 एम.टी. इफको यूरिया का अंतर–जिला स्थानांतरण

- कालाहांडी जिले के कसिंगा क्षेत्र के एक व्यापारी ने अलतूरा गांव जोकि एम. रामपुर के अंतर्गत है की एक पार्टी को 600 बैग इफको यूरिया का इनवॉइस जारी किया किंतु यह उर्वरक तीसरी पार्टी जिसका नाम मैसर्स रूजुल एन्टरप्राइजस था के गोदाम परिसर ने प्रियदर्शनी मार्किट कॉम्पलेक्स सेनताला (बोलनगीर जिले) में उतारा गया। इस मामले की एफ.आई.आर. सेनताला पुलिस स्टेशन में दर्ज है जबकि मामले में प्रगति अभी प्रतीक्षित है (सितंबर 2009)।

9.17.3 व्यापारियों और किसानों के सर्वेक्षण नतीजे

9.17.3.1 डीलर सर्वे

60 व्यापारियों की अभिक्रिया का सार निम्न है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	32	28	
		सीमा नहीं	सीमित	
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	60	0	
		हां	नहीं	अन्य
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	14	44	2
		हां	नहीं	
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	37	23	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	60	0	
		हां	नहीं	
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	9	51	
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट

				प्राप्त नहीं हुये
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	0	37	23

सभी व्यापारियों ने यह इंगित किया कि वे मांग के मुताबिक आपूर्ति करने में सक्षम थे और जबकि कुछ मामलों में सैंपल लिये गय, पर किसी भी मामले में जांच–रिपोर्ट समय पर नहीं प्राप्त हुई।

9.17.3.2 किसान सर्वे

309 किसानों की अभिक्रिया का सार निम्न है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	
		सहकारी समिति / विक्रेता	अन्य
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता / सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	286	23
		हां	नहीं
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	0	309
		एम.आर.पी.	एम.आर.पी. से उच्चतर
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	236	73
		हां	नहीं
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	63	246
		हां	नहीं
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	236	73
		हां	नहीं
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	193	116
		हां	नहीं
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन	40	269

	का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?		
		हां	नहीं
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	59	250
		हां	नहीं
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	90	219
		हां	नहीं
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	173	136
		हां	नहीं
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	273	36
		हां	नहीं
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	59	250

लगभग सभी किसानों ने यह इंगित किया कि वे उर्वरक एम.आर.पी. पर खरीद रहे थे, परंतु उन्होंने मिट्टी की जांच करके यह नहीं पता लगाया किउर्वरक की आवश्यकता क्या थी। उन्हें उर्वरक कम मात्रा के बैग में चाहिये थे। बहुत से किसानों ने यह भी शिकायत की कि व्यापारी उन्हें अन्य उत्पाद उर्वरक के साथ खरीदने के लिये बाध्य कर रहे थे।

9.18 पंजाब

9.18.1 पृष्ठभूमि

पंजाब, जिसका औद्योगिक क्षेत्रफल 50.36 लाख हैक्टेयर है, में 20 जिले हैं। फसल के लिए 41.70 लाख हैक्टेयर (83 प्रतिशत) क्षेत्रफल है जिसमें 40.60 लाख हैक्टैयर (97 प्रतिशत) सिंचित है। राज्य में उर्वरक की खपत 213 कि ग्रा प्रति हैक्टेयर के साथ फसलों की तीव्रता 189 प्रतिशत है।

दो उर्वरक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशाला के साथ चार जिलों के दो–दो प्रखंड – अमृतसर (चोगवान, वर्का), भटिंडा (रामपुरा फुल, भटिंडा), फरीदकोट (फरीदकोट, कोट कपूरा) और लुधियाना (लुधियाना, खन्ना) विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए चुने गये।

9.18.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.18.2.1 उर्वरक के जरूरत का निर्धारण

- कृषि निदेशक कार्यालय में सभी मुख्य कृषि अधिकारियों से नियमित रूप से उर्वरक के जरूरत का निर्धारण नहीं पहुंच रहा था। इसके बदले, कृषि निदेशक पिछले वर्ष के खपत के डाटा का उपयोग छोटे बदलाव के साथ, अगले वर्ष के उर्वरक के जरूरत की गणना के लिए करते थे।
- मृदा जांच नियमित रूप से हो रहा था लेकिन इन जांचों के रिपोर्टों पर उर्वरक जरूरत के निर्धारण के समय विचार नहीं किया जाता था।
- उर्वरक के जरूरत के निर्धारण के लिए पंचायत समिति/प्रखंड समिति किसान सहकारी समिति और जिला के अन्य स्टेकहाल्डर को सम्मिलित नहीं किया जाता था।
- अमृतसर और लुधियाना के 2007–09 के उपलब्ध उर्वरक के निर्धारण के डाटा ने प्रकट किया कि मुख्य उर्वरकों के सम्बंध में मुख्य कृषि अधिकारियों एवं कृषि निदेशक के प्रक्षेपण में 61 प्रतिशत से 93 प्रतिशत तक का अंतर था, जिसने दिखाया कि जिलों द्वारा दी गई जरूरत एवं खपत के आंकड़ों का आंचलिक सम्मेलन में जिलेवार अंतिम प्रक्षेपण में उपयोग नहीं किया गया।

एम ओ पी और एन पी के कॉम्पलेक्स की वास्तविक खपत (आपूर्ति) पिछले वर्ष के खपत के पैटर्न के आधार पर जरूरत के निर्धारण से काफी कम थी।

सारणी 9.51 – एम ओ पी और एन पी के काम्पलेक्स की खपत एवं जरूरत

(मात्रा एम टी में)

वर्ष	एम ओ पी					एन पी के काम्पलेक्स			
	अवधि (सीजन)	निर्धारित जरूरत	खपत	अंतर	अंतर प्रतिशत	निर्धारित जरूरत	खपत	अंतर	अंतर प्रतिशत
2006-07	खरीफ	55000	32543	22457	41	30000	20206	9794	**33**
	रबी	35000	15858	19142	55	66000	48989	17011	**26**
	कुल	90000	**48401**	41599	**46**	96000	**69195**	26805	**28**
2007-08	खरीफ	60000	40954	19046	32	31000	19362	11638	**38**
	रबी	35000	16210	18790	54	66000	8878	57122	**87**
	कुल	95000	57164	37836	**40**	97000	**28240**	68760	**71**
2008-09	खरीफ	60000	58032	1968	3	31000	25895	5105	**16**
	रबी	35000	23444	11556	33	70000	23522	46478	**66**
	कुल	**95000**	**81476**	**13524**	**14**	**101000**	**49417**	**51583**	**51**

- वर्ष 2006–07 से 2008–09 के लिए प्रक्षेपित जरूरत एवं खपत (वास्तविक आपूर्ति) में अंतर एम ओ पी के लिए क्रमशः 46, 40 और 41 प्रतिशत और एन पी के (काम्पलेक्स) के लिए 28, 71 और 51 प्रतिशत था।

9.18.2.2 गुणवता नियंत्रण

- दो प्रयोगशालाओं की वार्षिक नमूना जांच क्षमता 3500 नमूनों की है। नमूनों को प्राप्त करने, जांच/पुनःजांच और जांच रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:–

सारणी 9.52 – नमूनों के प्राप्ती एवं जांच में कमी

वर्ष	प्राप्त नमूनों की संख्या	अमानक घोषित	पुनः जांच में पास घोषित	पुनःजांच में अमानक घोषित	न्यायालय में दर्ज केस	पुलिस को भेजे गए केस	चेतावनी जारी	की गई जब्ती की संख्या
2006-07	3429	45	20	25	20	2	3	2
2007-08	3524	90	38	52	6	35	11	15
2008-09	3146	15	10	5	0	4	0	0
जोड़	10099	150	68	82	26	41	14	17

- 2006–09 में आरम्भिक घोषित अमानक 150 नमूने (1.5 प्रतिशत) में से 82 नमूने अंततः अमानक साबित किए गए।

- 2006–07 में अमानक घोषित 25 केस में से केवल 5 केस में डी ए पी का 40.150 एम टी और ए एस पी (20:20:0) का 8.70 एम टी पर सब्सिडी की अस्वीकृति की अनुशंसा की गई। शेष 20 केस में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।

- 2007–08 में अमानक घोषित 52 केस में से वास्तविक रूप से 14 केस में जब्ती की गई। डी ए पी के अमानक नमूने के 6 केस (14 में से) में 187.95 एम टी के लिए, जो नमूने प्राप्त करते समय डीलरों के पास पड़े हुए थे, सब्सिडी की अस्वीकृति की अनुसंसा भारत सरकार को की गई, जबकि नमूना उर्वरक की कुल बिल की गई मात्रा 1062.40 एम टी थी। इसी प्रकार, एम ए पी के शेष आठ अमानक नमूनों के लिए 71.20 एम टी, जो डीलरों के पास जड़े हुए थे, के लिए सब्सिडी की अस्वीकृति की अनुशंसा की गई, जबकि बिल की गई मात्रा 163.00 एम टी थी।
- 2008–09 में अमानक घोषित पांच केस में न सब्सिडी अस्वीकृत किया गया न ही कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।
- दिसम्बर 2007 और जनवरी 2008 में जालंधर में अमानक घोषित आठ केस में काफी विलम्ब से जुलाई 2009 में विक्रय रोक के आदेश जारी किए गए। विक्रय रोक आदेश अर्थहीन थे, क्योकि इस समय तक डीलरों के पास पड़ा सारा स्टाक बिक चुका था।
- नमूनों को प्राप्त करने, उनको प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजने और परिणामों को वापस भेजने के निर्धारित लम्बे समय के कारण अमानक डी ए पी का 1250.35 एम टी और एम ए पी का 234.20 एम टी, जो लुधियाना, जालंधर और भटिंडा के विभिन्न रेक बिन्दुओं पर प्राप्त डी ए पी का 6732.45 एम टी और एम ए पी का 2519.55 एम टी का भाग था, की बिक्री विभाग रोक नहीं पाया। इसने किसानों को गुणवता उर्वरक सुनिश्चित करने के लिए समय से गुणवता जांच के उद्देश्य को ही असफल कर दिया।

9.18.2.3 स्टॉक की जांच

- अमृतसर जिला को छोड़कर अन्य तीन जिलों में (अर्थात भटिंडा, फरीदकोट और लुधियाना) में स्टाक की आविधिक जांच नहीं की गई, जिसका कारण विभाग ने तकनीकी फील्ड स्टाफ की कमी बताया।

9.18.3 डीलर और किसान सर्वे के परिणाम

9.18.3.1 डीलर सर्वे

48 डीलरों के जवाब के सारांश नीचे दिए गए हैं–

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है?	40	5	3
		कोई सीमा नहीं	सीमित	
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	48	0	

		हां	नहीं	अन्य
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	4	42	2
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	46	1	1
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी भाग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	38	10	
		हां	नहीं	
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	0	48	
		हां	नहीं	
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	48	0	

9.18.3.2 किसान सर्वे

240 किसानों के जवाब के सारांश नीचे दिए गए है–

कसं	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		सहकारी	डीलर	
1.	क्या आप अधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	240	0	
		हां	नहीं	
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/ राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी। कृप्या दर्शायें	0	240	
		एम आर पी	अन्य	
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?	240	0	
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	238	0	2

		हां	नहीं	
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)?	240	0	
		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	201	39	
		हां	नहीं	
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्‌टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	240	0	
		हां	नहीं	अन्य
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	239	0	1
		हां	नहीं	
9.	क्या डीलर ने आपकों उर्वरक जो चाहिये थे के साथ अन्य उर्वरकों को खरीदने के लिये मजबूर किया?	0	240	
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको उर्वरकों की टोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	0	240	
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं
11.	कुल मिला कर, आप सन्तुष्ट हैं जो उर्वरक की आपूर्ति आपको हुई?	222	15	3
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा?	0	230	10

डीलरों और किसानों के सर्वे ने महत्वपूर्ण कमियों को उजागर नहीं किया।

9.19 राजस्थान

9.19.1 पृष्ठभूमि

राजस्थान जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 342 लाख हेक्टयर है, में 33 जिले हैं। 2008–09 में बोआइ का कुल क्षेत्रफल 152 लाख हेक्टयर था। खाद्यान्न, तेलहन, कपास और ईख प्रमुख फसल हैं।

पांच जिले और दस प्रखंड (दो प्रखंड प्रत्येक जिला में) अलवर (बेहरोर, थानगाजी), चितौड़गढ़ (भूपलसागर, चितौड़गढ़), जयपुर (आमेर, सांगनेर), झालवार (झालरापटन, मनोहरथाना), श्रीगंगानगर (श्रीगंगानगर, श्रीकरनपुर) – विस्तृत जांच के लिए चुने गए। तीन उर्वरक जांच प्रयोगशालाओं को भी जांच के लिए चुना गया।

9.19.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.19.2.1 उर्वरक के जरूरत का निर्धारण

- पिछले पांच वर्षों में उर्वरक की खपत और सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान के साथ राज्य में कुल बोआई के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय के स्तर पर जरूरत का निर्धारण किया जा रहा था। लेकिन निर्धारित जरूरत जिला/प्रखंड स्तर के निर्धारण पर आधारित नहीं था, जिससे इसका सही होना संदेहास्पद है।

9.19.2.2 उर्वरक की उपलब्धता

- उर्वरक के बिक्री को नियमित करने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं था।
- किसानों को सलाह दी गई थी कि उर्वरकों का उपयोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किए गए अनुशंसाओं के आधार पर करें।

सारणी 9.53 – मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जारी किया जाना

क्रम सं.	वर्ष	जमीन धारकों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान जारी किए गए कार्डों की कुल संख्या	जमीन धारकों की तुलना में कार्ड की प्रतिशतता
1	2006-07	58,19,203	3,20,443	5.50
2	2007-08	58,19,203	3,00,047	5.15
3	2008-09	58,19,203	3,00,345	5.16

- 2006–07 से 2008–09 की अवधि के दौरान (खरीफ 2006 छोड़कर जिसका विवरण विभाग द्वारा नहीं दिया गया) उर्वरक की वास्तविक आपूर्ति निर्धारित जरूरत से कम थी जिसका अंतर 1 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक था जैसा कि नीचे दिखाया गया है–

सारणी 9.54 – उर्वरक की आपूर्ति एवं जरूरत में अंतर

सीजन	उर्वरक की जरूरत (एम टी)	वास्तविक आपूर्ति (एम टी)	अंतर (एम टी)	अंतर की प्रतिशतता
रबी–2006-07	12,21,000	12,12,057	(-) 8,943	1
खरीफ- 2007	10,40,000	9,21,988	(-) 1,18,012	11
रबी - 2007-08	15,40,000	11,69,633	(-) 3,70,367	24
खरीफ - 2008	10,60,000	10,47,737	(-) 12,263	1
रबी - 2008-09	14,28,000	11,07,099	(-) 3,20,901	22

- उसी अवधि में चार मुख्य उर्वरकों (यूरिया, डी ए पी, एस एस पी और एम ओ पी) की आपूर्ति जरूरत से दो प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक कम थी। लेकिन, कुछ मामलों में, वास्तविक आपूर्ति जरूरत से पांच प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक अधिक थी, जैसा कि **परिशिष्ट 9.7** में दिखाया गया है।

9.19.2.3 कम आपूर्ति

- इस अवधि में आपूर्ति योजना की तुलना में 4 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कम आपूर्ति की गई जैसा कि नीचे दिखाया गया है –

सारणी 9.55 – आपूर्ति योजना की तुलना में कम आपूर्ति

क्र. सं.	सीजन	आपूर्ति योजना (एम टी)	वास्तविक आपूर्ति (एम टी)	कम (–)/ अधिक (+) आपूर्ति (एम टी)	कम आपूर्ति की प्रतिशतता
1.	रबी- 2006-07	13,40,000	12,12,057	(-) 1,27,943	10
2.	खरीफ- 2007	10,10,000	9,21,988	(-) 88,012	9
3.	रबी - 2007-08	10,95,648	11,69,633	(+) 73,895	-
4.	खरीफ - 2008	13,06,697	10,47,737	(-) 2,58,960	20
5.	रबी - 2008-09	11,57,733	11,07,099	(-) 50,634	4

- अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 की अवधि में आपूर्ति योजना की तुलना में वास्तविक आपूर्ति की माहवार कमी 2 से 31 प्रतिशत (यूरिया), 2 से 100 प्रतिशत (डी ए पी), 18 से 99 प्रतिशत (एस एस पी) और 1 प्रतिशत से 100 प्रतिशत (एम ओ पी) थी। **(परिशिष्ट 9.8)**

9.19.2.4 राज्य सरकार द्वारा बिक्री की जांच (अनुदान भुगतान करने से पहले)

- स्टॉक रजिस्टर, कम्पनी के बिल और अन्य रिकार्ड के आधार पर प्रथम बिंदु बिक्री की जांच की जा रही थी। लेकिन प्रथम बिन्दु बिक्री के बाद बिक्री की जांच का कोई प्रक्रम नहीं था।

9.19.2.4.1 प्रौफार्मा 'ए' और 'बी' भेजने में देरी

- 2006–07 से 2008–09 में कृषि निदेशालय में प्रौफार्मा 'ए' प्राप्त होने में निर्धारित साठ दिनों के बाद दो से 49 दिनों, तीन से 254 दिनों और 12 से 47 दिनों डी ए पी, एस एस पी और एम ओ पी के लिए क्रमशः की देरी हुई जैसा कि नीचे दिखाया गया है:–

सरणी 9.56 प्रौफार्मा 'ए' प्राप्त होने में देरी

क्र. सं.	उर्वरक	विषय	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1.	डी ए पी	प्रौफार्मा 'ए' में देरी	2 (4 से 5 दिन)	4 (18 से 49 दिन)	7 (2 से 47 दिन)	13 (2 से 49 दिन)
2.	एस एस पी	प्रौफार्मा 'ए' में देरी	24 (3 से 254 दिन)	18 (3 से 82 दिन)	24 (5 से 218 दिन)	66 (3 से 254 दिन)
3.	एम ओ पी	प्रौफार्मा 'ए' में देरी	1 (12 दिन)	शून्य	2 (17 से 47 दिन)	3 (12 से 47 दिन)

- 2006–07 से 2008–09 में भारत सरकार को प्रौफार्मा 'बी' भेजने में निर्धारित 90 दिनों की अवधि के बाद डी ए पी, एस एस पी और एम ओ पी के लिए 3 से 588, 3 से 543 और 4 से 185 दिनों क्रमशः की देरी हुई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है–

सारणी 9.57 – प्रौफार्मा 'बी' भेजने में देरी

क्र. सं.	उर्वरक	विषय	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	डी ए पी	प्रौफार्मा 'बी' में देरी	68 (4 से 588 दिन)	62 (3 से 197 दिन)	25 (5 से 150 दिन)	155 (3 से 588 दिन)
2	एस एस पी	प्रौफार्मा ' बी ' में देरी	99 (14 से 543 दिन)	100 (3 से 511 दिन)	61 (8 से 25 दिन)	260 (3 से 543 दिन
3	एम ओ पी	प्रौफार्मा ' बी ' में देरी	11 (4 से 127 दिन)	12 (5 से 185 दिन)	3 (7 से 58 दिन)	26 (4 से 185 दिन)

- 2006–07 से 2008–09 में डी ए पी के 4.31 लाख एम टी, एस एस पी के 1.51 लाख एम टी और एम ओ पी के 0.34 लाख एम टी के प्रौफार्मा 'बी' बिना जांच के भारत सरकार को भेजे गए। डी डी ए से वास्तविक जांच रिपोर्ट प्रौफार्मा 'बी' भेजने के बाद प्राप्त किए गए या नवम्बर 2009 तक प्राप्त ही नहीं किए गए। विवरण नीचे दिए गए हैं:

सारणी 9.58 – बिना सत्यापन रिपोर्ट के नियम विरूद्ध प्रौफार्मा 'बी'

क्र. सं.	उर्वरक	विषय	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	डी ए पी	भेजी गई प्रौफार्मा 'बी' में मात्रा	एम टी	4,35,775	3,66,754	5,48,803	13,51,332
		प्रौफार्मा 'बी' में शामिल असत्यापित मात्रा	एम टी	1,41,337	75,741	2,13,822	4,30,900
2	एस एस पी	भेजी गई प्रौफार्मा 'बी' में मात्रा	एम टी	1,99,025	1,73,389	1,74,567	5,46,981
		प्रौफार्मा 'बी' में शामिल असत्यापित मात्रा	एम टी	51,931	55,859	42,789	1,50,579
3	एम ओ पी	भेजी गई प्रौफार्मा 'बी' में मात्रा	एम टी	8,996	19,735	18,856	47,587
		प्रौफार्मा 'बी' में शामिल असत्यापित मात्रा	एम टी	4,849	12,996	15,807	33,652

9.19.2.5 बफर स्टाक

- भारत सरकार द्वारा फरवरी से अप्रैल के लीन अवधि के लिए दी गई छूट को छोड़कर सितम्बर 2007 से मार्च 2009 तक 14 महीनों में से 8 महीनों में यूरिया का निर्धारित स्टाक उपलब्ध नहीं था। राज्य में 38 से 95 प्रतिशत तक की कमी नीचे दिखया गया है:–

सारणी 9.59 – बफर स्टाक में कमी

(एम टी में)

क्र. सं.	कमी का महीना	शेष निर्धारित	रखा गया अधिकतम शेष प्राप्ती एवं जारी को मिलाकर	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	सितम्बर-07	50,000.00	11,751.20	38,248.80	76
2	जनवरी-08	50,000.00	4,116.00	45,884.00	92
3	अगस्त-08	49,418.65	30,451.00	18,967.65	38
4	सितम्बर-08	49,418.65	20,254.40	29,164.25	59
5	अक्टूबर-08	49,418.65	20,153.75	29,264.90	59
6	नवम्बर-08	49,418.65	19,129.25	30,289.40	61
7	दिसम्बर-08	49,418.65	18,314.00	31,104.65	63
8	जनवरी-09	49,418.65	2,466.40	46,952.25	95

- जोधपुर, बांसवारा, जयपुर और पालि (सुमेरपुर) जिलों में स्थानवार बफर स्टाक की स्थिति ज्यादा प्रतिकूल थी जहां जरूरत के पीक सीजन (सितम्बर 2008 से जनवरी 2009) में कमी 80 से 100 प्रतिशत तक थी।

9.19.2.6 गुणवता नियंत्रण

- नमूना जांच किए गए तीन गुणवता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में स्वीकृत संख्या के अनुसार 18 विश्लेषक थे लेकिन 4 विश्लेषक को केन्द्रीय उर्वरक गुणवता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद से निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था।
- 2006–09 में प्रयोगशालाओं की क्षमता की तुलना में नमूनों के विश्लेषण में 11 से 38 प्रतिशत की कमी थी।

सारणी 9.60 नमूनों के विश्लेषण में कमी

क्र. सं.	वर्ष	प्रयोगशाला की क्षमता (नमूनों की संख्या)	विश्लेषित किए गए नमूनों की वास्तविक संख्या	उर्वरक का कुल वितरण (एम टी)
1	2006-07	8,000	4,951 (62%)	19,92,618
2	2007-08	8,000	7,123 (89%)	20,63,971

9.19.3 डीलर और किसान सर्वे के परिणाम

9.19.3.1 डीलर सर्वे

डीलरों के जवाब के सारांश नीचे दिए गए हैं–

क्र.सं.	प्रश्नावली	उत्तर	
		हां	नहीं
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही ह?	11	53
		सीमा नहीं	सीमित
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	64	0
		हां	नहीं
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	33	31

		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त क्रेडिट सुविधा है?	15	43	6
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी भाग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	15	49	
		हां	नहीं	
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	39	25	
		हां	नहीं	
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	44	20	

डीलर सर्वे ने उजागर किया कि ज्यादातर को उर्वरक की जरूरत मात्रा प्राप्त नहीं हो रहा था और उर्वरक को उठाने में परिवहन की समस्याओं का सामना कर रहे थे। फलस्वरूप, वे किसानों के मांग के अनुसार उर्वरक आमूर्ति करने में असमर्थ थे। पिछले 3 वर्षों में डीलरों के अच्छे अंश ने जांच के लिए नमूने नहीं भिजवाए थे।

9.19.3.2 किसान सर्वे

300 किसानों के जवाब के सारांश नीचे दिए गए हैं–

क्र. सं.	प्रश्नावली	उत्तर		
		सहकारी	डीलर	दानों
1.	क्या आप अधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	47	116	137
		हां	नहीं	
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/ राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी? कृप्या दर्शायें।	0	300	
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग)	100	200	

	एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?			
		हां	नहीं	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी?	111	189	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)?	63	237	
		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	134	166	
		हां	नहीं	हां, परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	3	286	11
		हां	नहीं	
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	241	59	
		हां	नहीं	
9.	क्या डीलर ने आपकों उर्वरक जो चाहिये थे के साथ अन्य आइटम को खरीदने के लिये मजबूर किया?	156	144	
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको उर्वरकों की छोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	193	107	
		हां	नहीं	
11.	कुल मिला कर, आप सन्तुष्ट हैं जो उर्वरक की आपूर्ति आपको हुई?	76	224	
		हां	नहीं	
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा?	242	58	

अधिकांश किसान उर्वरक एम आर पी से ज्यादा कीमत पर प्राप्त कर रहे थे। यूरिया 252 रुपये से 400 रुपये, डी ए पी 487 रुपए से 680 रुपये, एस एस पी 198 रुपये से 270 रुपये जबकि इन उर्वरकों के एम आर पी 251 रुपये, 486 रुपये और 197 रुपये प्रति बैग क्रमशः थे। 286 किसानों ने कहा कि उनके मृदा की जांच नहीं की गई और 11 ने कहा उनके मृदा के जांच की रिपोर्ट उनको प्राप्त नहीं हुई है। 241 किसानों ने कहा कि वे उर्वरक की आवश्यक मात्रा और समय से उर्वरक प्राप्त नहीं कर रहे थे। 156 किसानों ने कहा कि उनको अन्य उत्पाद जैसे जिंक, पोटाश, कीटनाश्क, इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य किया गया था। 193 किसान कम मात्रा वाले बैग चाहते थे।

9.19.3.3 क्षेत्र दौरा

लेखापरीक्षा दलों द्वारा किए गए क्षेत्र दौरों ने स्टाक के उपलब्धता के बावजूद कीमत और उपलब्ध स्टाक और कमी (जैसा कि सर्वे जवाब में दिखा) का प्रदर्शन नहीं होने के उदाहरण को उजागर किया।

बोर्ड पर कीमत और स्टाक की मात्रा उस तिथि को प्रदर्शित नहीं थे – भानकरोटा जयपुर (किसान सर्वे का क्र. सं. 5)

बोर्ड पर कीमत और स्टाक की मात्रा उस तिथि को प्रदर्शित नहीं थे – श्रीगंगानगर (किसान सर्वे का क्र. सं. 5)

बोर्ड पर कीमत और स्टाक की मात्रा उस तिथि को प्रदर्शित नहीं थे – श्रीगंगानगर (किसान सर्वे का क्र. सं. 5)

स्टाक की उपलब्धता के बावजूद किसानों ने कमी का सामना किया– मैसर्स बालकिशन ओमप्रकाश, श्रीगंगानगर (किसान सर्वे का क्र. सं. 8)

9.20 तमिलनाडु

9.20.1 पृष्ठभूमि

- तमिलनाडु राज्य, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 130058 वर्ग किमी है, में 32 जिले हैं। 2007–08 में सकल फसलीकृत क्षेत्र 58.15 लाख हेक्टयर था जबकि निवल फसलीकृत क्षेत्र 50.61 लाख हेक्टयर था। सकल सिंचित क्षेत्र 32.52 लाख हेक्टयर था जबकि निवल सिंचित क्षेत्र 28.64 लाख हेक्टयर था। मुख्य उगाये जाने वाले फसल धान, चोलम, कुम्बु, रागी, दाल, ईख, मूंगफली (सूखा) और कपास हैं।
- पांच जिले (धर्मपुरी, कांचीपुरम, मदुरइ, थनजावुर और त्रिचिरापल्ली) 10 प्रखंड (प्रत्येक जिला के दो प्रखंड) और 3 उर्वरक गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं को विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए चुना गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रखंड में 30 किसानों और 6 डीलरों का सर्वे किया गया।

9.20.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.20.2.1 उर्वरक के जरूरत का निर्धारण

- फसलीकृत क्षेत्र और सम्बद्ध प्रखंड के सहायक कृषि निदेशक (ए.डी.ए.) के परामर्श के बाद तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटुर के अनुशंसाओं के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशकों (जे.डी.ए.) द्वारा हरेक जिला में उर्वरक की जरूरत निश्चय किया जाता था। लेकिन जे.डी.ए. कार्यालय या प्रखंड ए.डी.ए. कार्यालय में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। राज्य स्तर पर जरूरत की गणना उच्चतम खपत (प्रथम स्टॉक प्वांइट पर की गई आपूर्ति), जो जोनल कान्फ्रेंस में प्रेक्षपित किया जाता था, में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर किया जाता था।
- जिला स्तर पर जरूरत निश्चय करने के लिए प्रखंड समितियों या किसानों से कोई विचार–विमर्श नहीं हुआ।
- निर्धारित जरूरत की तुलना में उर्वरक की कम आपूर्ति की प्रतिशतता 3 से 26 (यूरिया), 12 से 20 (डी.ए.पी.), 2 से 24 (एम.ओ.पी.), 14 से 66 (एस.एस.पी.) और 9 से 56 (एन.पी.के. कॉम्प्लेक्स) थी। निर्धारित जरूरत की तुलना में अधिक आपूर्ति की प्रतिशतता 3 से 9 (यूरिया), 10 से 28 (डी.ए.पी.), 11 से 34 (एम.ओ.पी.) थी।

9.20.2.2 उर्वरक की उपलब्धता और वितरण

- 2007–08 में उत्पादन पर रोक एवं डी.ए.पी. के आयात में कमी के कारण राज्य में डी.ए.पी की घोर कमी थी। इसलिए, भारत सरकार के निर्देश के आधार पर, आयातकों से डी.ए.पी. प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु मार्केटिंग फेडरेशन (टेनफेड) को नोडल एजेंसी नामित किया गया, जिसे किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक (पी.ए.सी.बी.) द्वारा वितरित किया गया। पी.ए.सी.बी. किसानों द्वारा उर्वरक खरीदने के लिए आय अधिकारियों द्वारा निर्गत जमीन के स्वामी होने का प्रमाण पत्र की मांग करता था। किसानों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि किसानों की जमीन पट्टे पर होती थी और प्रमाणपत्र जमीन के स्वामी के नाम से जारी होती थी। इसलिए, यद्यपि डी.ए.पी. उपलब्ध था, किसान इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे और उनको डी.ए.पी. के स्थान पर कम पोषक मूल्य वाले कॉम्प्लेक्स उर्वरक इस्तेमाल करना पड़ता था। कुछ पी.ए.सी.बी. में केवल पी.ए.सी.बी. के सदस्यों को उर्वरक दिया जाता था।

9.20.2.3 मृदा जांच

- तमिलनाडु के ज्यादातर मृदा में जैव पदार्थ का अंश कम है और सूक्ष्म पोषक (माइक्रोन्युटरिन्ट) की कमी सारे राज्य में देखा गया। मृदा जांच रिपोर्ट के आधार पर मैक्रो और माइक्रो पोषकों के इस्तेमाल के पद्धति को अपनाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 2006 में फार्म होल्डिंग (80 लाख) के लिए चरण–बद्ध तरीके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटने का फैसला किया। लेकिन, 2006–09 में 80 लाख फार्म होल्डिंग में से केवल 13.67 लाख (17.09 प्रतिशत) मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। (4.72 लाख–2006–07, 5.06 लाख–2007–08, और 3.89 लाख–2008–09)
- राज्य में 19 स्थिर और 16 चलंत मृदा जांच प्रयोगशालाएं (एस.टी.एल.) है। मृदा जांच का वार्षिक लक्ष्य स्थिर प्रयोगशालाओं के लिए 5,28,000 और चलंत प्रयोगशालाओं के लिए 2,88,000 है। 19 स्थिर एस.टी.एल. के लिए कर्मचारियों की कमी 46 से 54 प्रतिशत तक थी।
- मृदा नमूनों के कम लिये जाने का प्रतिशत 2 से 84 था। 2008–09 में स्थिति बहुत चिंताजनक थी जब छः प्रखंडों लालगुडी, मनचनल्लूर (तिरूचिरापल्ली जिला); कट्टनकुलाथुर, अचरपक्कम (कांचीपुरम जिला) और पलाकोड, मोराप्पुर (धर्मपुरी जिला) में 63 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक कम प्राप्ति की गई।
- 2006–2009 में नमूनेकृत जिलों में एस.टी.एल. के कार्य का विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 9.61 – तमिलनाडु में मृदा जांच प्रयोगशालाओं के कार्य

लक्ष्य	त्रिचिरापल्ली			कांचीपुरम			धर्मपुरी		
		33000			33000			26400	
वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
आद्य–शेष	-	2946	8811	3733	4086	4984	6354	8463	12637
प्राप्ति	32571	29600	11346	17049	24917	8304	27684	27882	7369
अन्य एस.टी. एल. से प्राप्ति	-	4553	-	3879	-	-	-	-	-
विश्लेषण	25576	22265	19747	20575	24019	4858	11872	21179	6459
अन्य एस.टी. एल. को स्थानान्तरण	4049	6023	-	-	-	-	13703	2559	10047
अंतशेष	2946	8811	410	4086	4984	3446	8463	12637	3500

- ऊपर से यह स्पष्ट है कि 2008–09 में एस.टी.एल. ने उचित संख्या में नमूने प्राप्त नहीं किए। तीन एस.टी.एल. के मृदा नमूनों के अंतशेष थे 2006–07 15495, 2007–08 26432 और 2008–09 7356। अंतशेष ने प्राप्तियों के 20 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और 27 प्रतिशत क्रमशः को दिखाया। यह अंतशेष अन्य एस.टी.एल को स्थानान्तरण के अतिरिक्त था। अंतशेष की अवधि 1 महीने से 6 महीने तक था। इसने दिखाया कि मृदा नमूना जांच नहीं किए गए और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड तुरंत

जारी किए गए उनके अगले सीजन में अनुशंसा को अपानाने के लिए। एस.टी.एल. के रिकार्ड जांच ने दिखाया कि मृदा परिणाम प्राप्ति के एक या दो सीजन बाद ही जारी किए गए।

9.20.2.4 क्षेत्र इकाइयों से मृदा नमूने की प्राप्ति

- नमूनेकृत जिलों में कृषि क्षेत्र कार्यालयों से मृदा नमूने प्राप्ति का लक्ष्य और उनका वास्तविक प्राप्ति नीचे दिया गया है।

सारणी 9.62 – मृदा नमूनों की प्राप्ति

जिला	2006-07			2007-08			2008-09		
	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी
त्रिचिरापल्ली	21600	10620	10980(51)	21600	5983	15617(72)	21600	6165	15435(71)
कांचीपुरम	28320	17049	11271(40)	28320	19713	8607(30)	28320	5797	22523(80)
धर्मपुरी	13440	6442	6998(52)	13440	11014	2426(18)	13440	3793	9847(72)

(कोष्ठक में अंक कमी की प्रतिशतता को दिखाता है)

- 2006–07 से 2008–09 में कम प्राप्ति की प्रतिशतता 18 से 80 तक थी। ऊपर के तीन जिलों में 2008–09 में स्थिति बहुत चिंताजनक थी और कम प्राप्ति 71 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थी।

9.20.2.5 सेल्स/स्टाक का सत्यापन न होना

- प्रखंड अधिकारियों द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। कुछ मामलों में स्टॉक प्रथम स्टॉक प्वाइंट से बिना स्टॉक उतारे खुदा विक्रेता के लिये भेज दिया गया और इनवाइस बाद में भेजा गया। इसलिए यदि आपूर्ति विवरण उसी दिन प्राप्त भी हुआ तो भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रखंड अधिकारियों द्वारा प्रथम स्टॉक प्वाइंट के आगे सत्यापन नहीं किया गया।

9.20.2.6 भौतिक एवं ग्रेनुलेशन मिक्सींग इकाइयों को अनुदानित उर्वरक की आपूर्ति

- सालेम जिला को छोड़कर राज्य सरकार ने मिक्सींग इकाइयों द्वारा उपयुक्त अनुदानित उर्वरक की मात्रा के बारे में भारत सरकार को नहीं बताया। 2007–08 से 2008–09 में मिक्सींग इकाइयों ने विभिन्न उर्वरकों के 5.46 लाख एम.टी. का उपयोग किया, जो अनुदानित दर पर प्राप्त किए गए और जो किसानों के लिए थे और इस प्रकार अनुदान कड़ी टूटा।

- मानक मिश्रण जो अवमानक पाये गए की प्रतिशतता 34 से 53 तक थी। अमानक मिश्रण को जब्त नहीं किया गया क्योंकि सम्पूर्ण मात्रा पहले ही किसानों को बेची जा चुकी थी।

9.20.2.7 गुणवता नियंत्रण

- गुणवता नियंत्रण को लागू करने के लिए राज्य में 14 उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला (एफ.सी.एल.), 17,500 नमूनों के विश्लेषण की क्षमता के साथ हैं। 14 एफ.सी.एल, में विश्लेषण कर्मचारियों के 44 पदों की तुलना में 26 पद ही भरे गए थे।

- 2008–09 में नमूना जांच किए तीन जिलो – कांचीपुरम, धर्मपुरी, थनजावुर के विभिन्न प्रखंडों में जांच के लिए लिए गए नमूनों की कमी 34 से 75 प्रतिशत तक थी।

- एफ.सी.एल. में प्राप्त नमूनों की कमी तीन प्रतिशत (त्रिचरापल्ली 2007–08) से 52 प्रतिशत (कुमबाकोनम 2008–09) थी।
- नमूने प्राप्त होने के 20 से 30 दिनों के बाद परिणाम भेजे जाते थे तब तक स्टॉक बिक चुका होता था। जो मानक मिश्रण अवमानक घोषित किए गए उनका कटौती नहीं किया गया ।
- 2006–09 में 2269.58 एम.टी. के स्ट्रेट/कॉम्प्लेक्स उर्वरक, जो अवमानक (डी.ए.पी., एन.पी.के., एम. ओ.पी. और एस.एस.पी.) को जब्त नहीं किया गया।

9.20.3 डीलर और किसान सर्वे

9.20.3.1 डीलर सर्वे

60 डीलरों के जवाबों का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	33	24	3
		सीमा नहीं	सीमित	
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	51	9	
		हां	नहीं	अन्य
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	20	39	1
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	26	31	3
		हां	नहीं	हां, शर्त के साथ
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	28	24	8
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	28	28	4
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	41	15	4

9.20.3.2 किसान सर्वे

300 किसानों के जवाबों का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर			
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों	अन्य
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	60	95	139	6
		हां	नहीं	अन्य	
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी. ए.पी. प्रति एकड़ आदि कृपया दर्शाएं।	165	105	30	
		एम.आर.पी.	अन्य	कोई टिप्पणी नहीं	
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. अन्य उर्वरक खरीदा है?	0	285	15	
		हां	नहीं	अन्य	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी?	269	15	16	
		हां	नहीं		
5.	क्या आप सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य जानते हैं। लेखापरीक्षा दल किसानों का विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता हैं?	122	178		
		हां	नहीं	अन्य	
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	134	162	4	
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये	
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	61	231	8	
		हां	नहीं	अन्य	
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	108	175	17	
		हां	नहीं	अन्य	
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	16	278	6	
		हां	नहीं	अन्य	
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	173	120	7	

		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	246	20	34
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	45	231	24

अधिकांश किसानों ने बताया कि वे एम.आर.पी. से भिन्न कीमतों पर उर्वरक खरीद रहे थे। यद्यपि सर्वे किए अधिकांश किसानों ने जरूरत के उर्वरक पाने में दिक्कतों का सामना नहीं किया लेकिन अधिकांश को उनके पूरे जरूरत का उर्वरक खरीदने के लिए पर्याप्त रूपए नहीं थे और वे उर्वरक कम मात्रा वाले बैग में चाहते थे।

9.21 त्रिपुरा

9.21.1 पृष्ठभूमि

राज्य में चार जिले हैं एवं कुल क्षेत्र 10492 वर्ग कि. मी. है। शुद्ध खेती को क्षेत्र 2.8 लाख हैक्टेयर एवं सिंचित भूमि 61000 हैक्टेयर है। मुख्य बागवानी/खेती फसलें अनानास, सन्तरा, नारियल, चाय, रबर, वनस्पति आदि है। राज्य में फलों की फसलें बिना किसी रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के ही उपजती है।

भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले रियायत के अतिरिक्त, राज्य सरकार भी आर्थिक सहायता द्वारा किसानों के बोझ का हिस्सा वहन करती है व केवल सरकारी माध्यम द्वारा विक्रय पर यूरिया पर 420 रूपये प्रति एम टी के दर से, एस एस पी पर 380 रुपये एम टी के दर से, एम ओ पी पर 500 रुपये एम टी के दर से एवं डी ए पी पर 760 रुपए प्रति एम टी के दर से सब्सिडी प्रदान करती है।

दो जिले–पश्चिम त्रिपुरा एवं उतर त्रिपुरा एवं प्रत्येक जिले में दो खंड (ब्लॉक)[23] विस्तृत जांच हेतु चयनित किये गये।

9.21.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.21.2.1 उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन

- प्रत्येक कृषि सब डिविजन स्तर पर यथार्थ योजना तैयार करते समय, संस्तुति की गई मानक मात्रा के आधार पर 1996–97 को समाप्त वर्ष तक की अवधि में तीन वर्षों की औसत खपत के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता आकलित की गई। यद्यपि 2004–05 में योजना संशोधित की गई क्योंकि निर्धारित लक्ष्य बहुत ऊंचा था। उदाहरणार्थ, संशोधित यथार्थ योजना में वर्ष 2004–05 के लिये निर्धारित उर्वरकों की आवश्यकता को 111156 एम टी (575 किलो प्रति हेक्टेयर) से घटाकर 46000 एम टी (130 किलो प्रति हेक्टेयर) कर दिया गया।
- सिंचित/अ–सिंचित क्षेत्र, भू–स्वास्थ्य एवं अन्य स्थानीय कारकों पर आधारित उर्वरकों की आवश्यकता को आकलित करने हेतु कोई सिद्धान्त/मानक उपलब्ध नहीं थे।

9.21.2.2 अप्रयुक्त उर्वरकों का भंडार

- संशोधित यथार्थ योजना में आकलित एवं उर्वरकों की वास्तविक खपत में वृहत अन्तर था जिसमें विगत तीन वर्षों में 30 से 52 प्रतिशत तक भिन्नता थी, जोकि निम्नानुसार है:

---

[23] दुकली, कल्याणपुर ब्लाक, पानीसागर एवं कदमतला

सारणी 9.63 – त्रिपुरा में उर्वरकों की आकांक्षित एवं वास्तविक खपत में अन्तर

(परिमाण एम टी में)

वर्ष	मद	यूरिया	आर पी	एम ओ पी	एस एस पी	कुल
2006-07	आवश्यकता	31145	6600	5500	12375	55620
	खपत	20865	1931	4165	12237	39198
	अन्तर	10280	4669	1335	138	16422
	भिन्नत (%)	**33.01**	**70.74**	**24.27**	**1.12**	**29.53**
2007-08	आवश्यकता	33740	7200	6000	13500	60440
	खपत	15877	5296	3656	8505	33334
	अन्तर	17863	1904	2344	4995	27106
	भिन्नत (%)	**52.94**	**26.44**	**39.07**	**37.00**	**44.85**
2008-09	आवश्यकता	37370	8000	6700	15000	67070
	खपत	15976	5078	4626	6185	31865
	अन्तर	21394	2922	2074	8815	35205
	भिन्नत (%)	**57.25**	**36.53**	**30.96**	**58.77**	**52.49**

- यथार्थ योजना तैयार करते समय भारत सरकार के समक्ष रबी एवं खरीफ आंचलिक सम्मेलनों के दौरान/पूर्व जानकारी के लिये प्रस्तुत करने हेतु जिलाधिकारियों को जिलेवार आवयकताएं उल्लिखित करने के लिये नहीं कहा गया।

9.21.2.3 प्रतिवेदित आंकड़ों का सत्यापत

- विभाग ने किसानों को खाद वितरित करने के लिये कोई प्रणाली नहीं अपनाया था। विलम्ब से आपूर्ति की शिकायतों के बावजूद, किसानों के पहचान उनके पास उपलब्ध भूमि की मात्रा के सत्यापन के बिना ही विक्रय किया गया।

9.21.2.4 उपलब्धता एवं कमी

- सर्वेक्षण के दौरान खुदरा व्यापारियों एवं किसानों ने शिकायत की कि उर्वरकों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण किसानों को बाजार से अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक खरीदना पड़ा।
- यूरिया के आबंटन एवं वास्तविक आपूर्ति के मध्य विस्तृत भिन्नता नीचे सारणीबद्ध है:–

सारणी 9.64 – यूरिया की आवश्यकता और वास्तविक आपूर्ति के मध्य भिन्नता

वर्ष	बी वी एफ सी एल ई सी ए आबंटन	इफको ई सी ए आबंटन	सरकारी चैनल द्वारा वास्तव में उठाया गया	सहकारी समिति द्वारा बास्तव में उठाया गया	निजी चैनल द्वारा वास्तव में उठाया गया	कालम 4 में उठाने का प्रतिशत कालम 2 की तुलना में	कालम 5 में उठाने का प्रतिशत काल3 की तुलना में	कालम 6 में उठाने का प्रतिशत कालम 2 की तुलना में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006-07	26000	4000	5474	2102	13190	21	53	50.71
2007-08	22600	2000	3750	3501	8626	17	175	38.16
2008-09	22500	5000	2481	4391	9104	11	88	40.46

9.21.2.5 विक्रय का सत्यापन

- 2006–09 के दौरान इकाईयों से 'प्रारूप–ए' की प्राप्ति में 1 से 22 माह तक विलम्ब था।
- भंडार प्रविष्टि प्रमाण पत्र के आधार पर 'प्रारूप–बी' सत्यापित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया। यद्यपि निरीक्षकों द्वारा भंडार के वास्तविक सत्यापन संबंधी साक्ष्य परिलक्षित नहीं हुये।

9.21.2.6 गुणवत्ता नियंत्रण

- निजी थोक व्यापारी एवं खुदरा व्यापारियों से सड़क द्वारा ले जाया गया उर्वरक की कोई भी नमूने परीक्षण के लिये एकत्र नहीं किये गये जिससे सड़क द्वारा ले जाये गये उर्वरकों की गुणवत्ता आश्वासन को छोड़कर मात्र रेलवे रेक से एकत्र नमूने केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद द्वारा परीक्षण किया गया।
- उर्वरकों के परीक्षण परिणाम प्राप्त करने में विलम्ब/हुआ जबतक परिणाम प्राप्त हुये तब तक उर्वरकों का विक्रय हो चुका था।
- विगत तीन वर्षों में परीक्षण किये गये नमूनों में से 27 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक गैर–मानक पाये गये।
- गैर मानक उर्वरकों की आपूर्ति के कारण हुई 3.33 करोड़ रुपये की वसूली हेतु राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों (2006–09) के दौरान कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई।

9.21.3 डीलर एवं किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.21.3.1 डीलर सर्वेक्षण

24 डीलरों के उत्तरों का संक्षेप निम्नवत् है:

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है	8	16	
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	18	5	1
		हां	नहीं	
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	12	12	
		हां	नहीं	
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त ऋण सुविधा है?	7	17	
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी भाग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	5	19	
		हां	नहीं	
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	19	5	
		हां	नहीं	हां, परिणाम प्राप्त नहीं हुये
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	4	19	1

डीलर सर्वेक्षण परिणाम से ज्ञात हुआ कि 24 में से 12 डीलरों को उर्वरक उठाने में और परिवहन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। 19 डीलरों ने कहा कि वे किसानों के मांग के अनुरूप उर्वरकों की समय पर आपूर्ति नहीं कर पाये। इसके अतिरिक्त, 19 डीलरों ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नमूने कभी भी चयनित नहीं किये गये।

9.21.3.2 किसान सर्वेक्षण

120 किसानों से प्राप्त उत्तरों का सार निम्नवत् है:

क्रसं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया			
		सहकारी	डीलर	दोनों	अन्य
1.	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो?	6	34	77	3
		हां	नहीं	अन्य	
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/ राशन कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ऐ पी। कृप्या दर्शायें	0	119	1	
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	कोई टिप्पणी नहीं	
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया?	0	118	2	
		हां	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी	1	118	1	
		हां	नहीं	अन्य	
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं? (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)	64	55	1	
		हां	नहीं	अन्य	
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है?	7	109	4	
		हां	नहीं	हां, परिणाम प्राप्त नहीं हुये	
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके?	17	70	33	

		हां	नहीं	अन्य
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था?	103	12	5
		हां	नहीं	अन्य
9.	क्या डीलर ने आपकों उर्वरक जो चाहिये थे के साथ अन्य उर्वरकों को खरीदने के लिये मजबूर किया?	3	114	3
		हां	नहीं	अन्य
10.	क्या आपको उर्वरकों की टोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है?	117	0	3
		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिला कर, आप सन्तुष्ट हैं जो उर्वरक की आपूर्ति आपको हुई?	8	79	33
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा?	47	59	14

वृहत बहुमत में किसानों ने उल्लेख किया किवे एम आर पी से भिन्न दरों पर उर्वरकों का क्रय कर रहे है एवं उन्हें अपनी पूर्ण वांछित मात्रा में उर्वरको की प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें छोटी मात्रा में उर्वरकों की थैली की आवश्यकता है क्योंकि उनके पास पूर्ण वांछित/अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों के क्रय हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है।

9.22 उत्तर प्रदेश

9.22.1 पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 242 लाख हेक्टेयर है जिसमें 71 जिलें हैं। शुद्ध खेती का क्षेत्र 166 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 132 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। कुल सकल फसल क्षेत्र 254 लाख हेक्टेयर हे।

राज्य के आधे से अधिक कार्य बल की आजीविक का मुख्य स्त्रोत कृषि हे। राज्य की मुख्य फसलें धान एवं गेहूं है।

सात जिलें एवं प्रत्येक जिले में दो खण्ड (ब्लॉक) विस्तृत लेखापरीक्षा जांच हेतु चयनित किये गये, जो कि निम्नवत् है:

सारणी9.65 विस्तृत लेखापरीक्षा जांच हेतु चयनित जिलें एवं खण्ड (ब्लॉक)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	चयनित जिले का नाम	खण्ड (ब्लॉक) का नाम
1	पूर्वी उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	**दरियाबाद एवं सिधौर**
2		गोरखपुर	**बाँसगांव एवं बेलघाट**
3		वाराणसी	**हरहुआ एवं पिन्दरा**
4	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	**बिजौली एवं एकराबाद**
5		बुलन्दशहर	**बुलन्दशहर एवं ऊंचागांव**
6		मुरादाबाद	**मूंदापाण्डे एवं दिलारी**
7	**अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलें**	**लखीमपुर खीरी**	**लखीमपुर एवं मुहम्मदी**

चार उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में से तीन प्रयोगशालायें लेखापरीक्षा जांच हेतु चयनित किये गये।

9.22.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.22.2.1 राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की मांग का निर्धारण

- जिले स्तर पर उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन लेखापरीक्षा जांच के लिये चयनित जिलों में से गोरखपुर को छोड़कर, नहीं किया गया। गोरखपुर जिले में वर्ष 2008–09 के लिये उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन किसानों, सहकारी समितियों आदि से बैठक किये बिना ही एवं फसल पद्धति जैसे कारकों का उपेक्षा करते हुये, केवल फसल क्षेत्र के आधार पर किया गया।
- इसके बजाय, राज्य के उर्वरक की आवश्यकता का आकलन कृषि विभाग द्वारा, गत वर्षों में उर्वरकों की खतप में वृद्धि करने हुये, प्रदर्शित किया गया। वर्ष 2006–09 में उर्वरकों की खपत एवं प्रक्षेपित आवश्यकता का विवरण निम्नवत् हैं:

सारणी 9.66–उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की आवश्यकताएं एवं उठाव

(लाख एम.टी. में)

उत्पाद का नाम	किसानों द्वारा उठाव (लाख एम. टी.)	आवश्यकता (लाख एम.टी.)	किसानों द्वारा गत वर्ष के उठाव से आवश्यकता में वृद्धि/कमी	
	2005-06	**2006-07**		**प्रतिशत**
यूरिया	45.98	50	(+)4.02	**9**
अमोनियम सल्फेट	0.15	0.3	(+)0.15	**100**
एम.ओ.पी.	1.67	2.3	(+)0.63	**38**
डी.ए.पी.	12.17	14.5	(+)2.33	**19**
एस.एस.पी.	3.03	2.75	(-)0.28	**9**
एन.पी.के. कॉम्प्लेक्स	7.34	8.7	(+)1.36	**19**
	2006-07	**2007-08**		
यूरिया	51.67	55	(+)3.33	**6**
अमोनियम सल्फेट	0.12	0.2	(+)0.08	**67**
एम.ओ.पी.	1.24	3	(+)1.76	**142**
डी.ए.पी.	13.21	15	(+)1.79	**14**
एस.एस.पी.	2.7	3	(+)0.30	**11**
एन.पी.के. कॉम्प्लेक्स	6.93	8.75	(+)1.82	**26**
	2007-08	**2008-09**		
यूरिया	52.54	57	(+)4.46	**8**
अमोनियम सल्फेट	0.08	0.2	(+)0.12	**150**
एम.ओ.पी.	1.16	2.5	(+)1.34	**116**
डी.ए.पी.	13.24	16	(+)2.76	**21**
एस.एस.पी.	1.34	3	(+)1.66	**124**
एन.पी.के. कॉम्प्लेक्स	7.05	10.5	(+)3.45	**49**
	2008-09	**2009-10**		
यूरिया	54.57	55	(+)0.43	**1**
अमोनियम सल्फेट	0.24	0.3	(+)0.06	**25**
एम.ओ.पी.	2.46	1.85	(-)0.61	**25**
डी.ए.पी.	14.46	17	(+)2.54	**18**
एस.एस.पी.	2.39	3	(+)0.61	**26**
एन.पी.के. कॉम्प्लेक्स	7.06	8.5	(+)1.44	**20**

9.22.2.2 उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण

- परीक्षण जांच की जिलों में उर्वरक की उपलब्धता माहवार आपूर्ति योजना के अनुरूप नहीं था जैसा कि विभिन्न उर्वरक कम्पनियों द्वारा अप्रैल, 2008 से दिसम्बर, 2008 के दौरान उल्लेख किया गया था, जिनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है:
- बारांबकी एवं लखीमपुर खीरी में डी.ए.पी. की कम आपूर्ति 7 से 78 प्रतिशत के मध्य तथा अलीगढ़, बुलन्दशहर, गोरखपुर, मुरादाबाद एवं वाराणसी में डी.ए.पी. की अतिरिक्त आपूर्ति 6 से 139 के मध्य।
- बाराबंकी, बुलन्दशहर, गोरखपुर एवं लखीमपुर खीरी में आपूर्ति योजना के विपरीत, यूरिया की कम आपूर्ति 8 से 71 प्रतिशत के मध्य तथा अलीगढ़, मुरादाबाद एवं वाराणसी में यूरिया की अतिरिक्त आपूर्ति 6 से 75 प्रतिशत के मध्य।
- बाराबंकी, लखीमपुर खीरी एवं मुरादाबाद में एम.ओ.पी. की कम आपूर्ति 41 से 100 प्रतिशत के मध्य तथा अलीगढ़, बुलन्दशहर, गोरखपुर एवं वाराणसी में एम.ओ.पी. की अतिरिक्त आपूर्ति 159 से 722 प्रतिशत के मध्य।
- अलीगढ़, बाराबंकी, बुलन्दशहर, लखीमपुर खीरी एवं मुरादाबाद मे एन.के.पी. की कम आपूर्ति 18 से 100 प्रतिशत के मध्य तथा गोरखपुर एवं वाराणसी में एन.के.पी. की अतिरिक्त आपूर्ति 126 से 148 प्रतिशत के मध्य।
- सात परीक्षण जांच की जिलों में डी.ए.पी. की वास्तविक आपूर्ति 6 से 139 प्रतिशत के मध्य अतिरिक्त आपूर्ति किया गया था। इन जिलों में यूरिया के मामले में, आपूर्ति योजना के विपरीत वास्तविक अतिरिक्त आपूर्ति अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 के दौरान 6 से 75 प्रतिशत के मध्य थी, इसी प्रकार एम.ओ.पी. में भी, अतिरिक्त आपूर्ति 41 प्रतिशत से 722 प्रतिशत थी। एन.के.पी. की वास्तविक अतिरिक्त आपूर्ति 18 प्रतिशत से 148 प्रतिशत थी। विवरण ***परिशिष्ट 9.9*** पर है।
- वर्ष 2006–07 से 2008–09 के मध्य उर्वरक पोषक तत्वों का अनुचित प्रयोग के फलस्वरूप बुलन्दशहर एवं वाराणसी में (2006–07), बाराबंकी, बुलन्दशहर, गोरखपुर, मुरादाबाद एवं वाराणसी (2007–08), बाराबंकी, बुलन्दशहर, गोरखपुर, मुरादाबाद एवं वाराणसी (2008–09) में नाइट्रोजन उर्वरक की अत्यधिक खपत 148 किलोग्राम से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मध्य थी। वाराणसी में उपर्युक्त तीन वर्षों में फॉस्फेट की अत्यधिक खपत हुई थी ***(परिशिष्ट 9.10)।***
- पी. एवं के. पोषक तत्वों का प्रयोग सभी परीक्षण जांच की जिलों में, वाराणसी के अतिरिक्त, कम मात्रा में किया गया जो कि क्रमशः 21 से 56 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं 3 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मध्य थी, जो कि इन जिलों में कम आपूर्ति की ओर इंगित करता है ***(परिशिष्ट 9.11)।***

9.22.2.3 उर्वरकों की विक्रय का सत्यापन

- परीक्षण जांच की जिले में कृषि निदेशालय द्वारा डी.ओ.एफ. को 'प्रोफार्मा बी' निर्गत करने में एक माह से दो वर्ष तक का विलम्ब किया गया।
- चार परीक्षण जांच की जिले में यथा; अलीगढ़, बुलन्दशहर, लखीमपुर खीरी एवं वाराणसी में वर्ष 2008–09 में कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जबकि शेष तीन जिले अर्थात्; बाराबंकी,

गोरखपुर एवं मुरादाबाद में भंडार का भौतिक सत्यापन केवल छापे एवं उर्वरक के नमूने संग्रह करते समय किया गया।

- छः परीक्षण जांच जिले में थोक में एक जिले से दूसरे में उर्वरक का क्रय एवं विक्रय वर्ष 2008–09 के दौरान परिलक्षित हुई, जो कि राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन था।

9.22.2.4 गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण

- वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान उर्वरकों के नमूनों के विश्लेषण के निर्धारित लक्ष्य में 24 से 37 प्रतिशत के मध्य कमी थी जो कि निम्नवत है:

सारणी 9.67–उत्तर प्रदेश में नमूनों के परीक्षण में कमी

वर्ष	राज्य स्तर पर		कमी (प्रतिशत में)
	लक्ष्य	उपलब्धि	
2006-07	15000	11433	24
2007-08	15000	10072	33
2008-09	15000	9454	37

- वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान परीक्षण जांच प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने परीक्षण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई एवं कमी 13 से 72 प्रतिशत के मध्य थी।

सारणी 9.68–परीक्षण जांच प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने परीक्षण में कमी

प्रयोगशाला का नाम	लक्ष्य	2006-07		2007-08		2008-09	
		उपलब्धि	कमी (प्रतिशत में)	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत में)	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत में)
आलमबाग, लखनऊ	5500	5541	--	4771	13	4178	24
रहमानखेड़ा, लखनऊ	1500	490	67	415	72	743	50
वाराणसी	3000	2389	20	2404	19	2388	20

- परीक्षण जांच के तीन प्रयोगशालाओं (आलमबाग, रहमान खेड़ा एवं वाराणसी) में उपलब्ध जांच उपकरण उचित कार्यात्मक स्थिति में नहीं थे क्योंकि उनमें से कुछ बहुत पुराने थे व कतिपय उपकरण बेकार थे। आलमबाग एवं रहमान खेड़ा, प्रयोगशालाओं में छः उपकरण बेकार पड़े थे तथा वाराणसी में 25 उपकरण बेकार/अप्रयुक्त पड़े थे।

- आलमबाग, रहमान खेड़ा एवं वाराणसी प्रयोगशाला के लिये विश्लेषक सहायक के 8 स्वीकृत पदों में से 4 तकनीकी कार्मिक के पद रिक्त थे।

9.22.2.5 अन्य बिंदु

- साधन सहकारी समिति, हरदोई, खण्ड (ब्लॉक) बिजौली, अलीगढ़ में डी.ए.पी. की गैर बिक्री योग्य थैलियां एवं यूरिया की 40 थैलियां तथा साधन सहकारी समिति, बिलपुर, खण्ड (ब्लॉक) बिजौली, अलीगढ़ में गैर बिक्री योग्य यूरिया की 132 थैलियां विगत 20 वर्षों से पड़े थे।
- किसान सेवा सहकारी समिति, खानपुर, बुलन्दशहर में यूरिया की गैर बिक्री योग्य 303 थैलियां विगत 20 वर्षों से पड़े थे।

किसान सेवा सहकारी समिति, खानपुर, बुलन्दशहर में पड़े यूरिया की गैर बिक्री योग्य थैलियां

एफ.एस.एस. गोदाम, खानपुर में पड़े गैर बिक्री योग्य उर्वरक

एस.एस.एस. देवरादबाबू, बांसगांव खण्ड (ब्लॉक) गोरखपुर जिले में उत्यन्त खराब स्थिति (नमी) में रखे गये उर्वरक

9.22.3 डीलर एवं किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.22.3.1 डीलर सर्वेक्षण

84 डीलरों के उत्तरों का संक्षेप निम्नवत् है:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	52	30	02
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	63	18	3
		हां	नहीं	अन्य
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	28	54	2
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	74	7	3
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	63	19	2
		हां	नहीं	अन्य

6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	27	55	2
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	32	50	2

डीलर सर्वेक्षण परिणाम से ज्ञात हुआ कि 84 डीलरों में से 30 ने कहा कि उन्हें समय पर वांछित प्रकार एवं परिणाम में उर्वरक प्राप्त नहीं हो रहे हैं, 27 डीलरों ने कहा कि उनसे किसान छोटी मात्रा की उर्वरकों की थैलियों की मांग कर रहे थे, 50 डीलरों ने कहा कि उनके स्टॉक/भंडार से नमूने परीक्षण नहीं किये गये तथा 58 डीलरों ने कहा कि उन्हें चरम फसल मौसम के दौरान डी.ए.पी. की आपूर्ति में कमी हुई।

9.22.3.2 किसानसर्वेक्षणः

420 किसानों से प्राप्त उत्तर का संक्षेप निम्नवत् हैः—

क्रमांक	प्रश्न			
		सहकारी समिति	डीलर	दोनों से
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	131	66	223
		हां	नहीं	
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	135	285	
		एम.आर.पी.	एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर	
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	415	05	
		हां	नहीं	
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	266	154	
		हां	नहीं	
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	136	284	
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	392	21	7
		हां	नहीं	
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	19 (पर उन्हें परिणाम प्राप्त नहीं हुये)	401	

		हां	नहीं
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	268	152
		हां	नहीं
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मजबूर किया?	12	408
		हां	नहीं
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	207	213
		हां	नहीं
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	303	117
		हां	नहीं
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	303	117

420 किसानों के सर्वेक्षण में 135 किसानों ने कहा कि उर्वरकों की आपूर्ति राशन की जाती है, 284 किसानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) ज्ञात नहीं है। 401 किसानों ने कहा उनकी मृदा परीक्षण नहीं किया गया तथा 19 किसानों ने कहा कि उनकी मृदा परीक्षण के उपरान्त परिणाम प्राप्त नहीं हुए। 268 किसानों ने कहा कि वांछित परिमाण में उर्वरक प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ा है, जबकि 207 किसानों ने कहा कि उन्हें उर्वरक की छोटी मात्रा की थैलियों की आवश्यकता है। 152 किसानों ने कहा कि फसल के चरम मौसम में उन्हें डी.ए.पी. प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ा।

9.23 उत्तराखण्ड

9.23.1 पृष्ठभूमि

उतराखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 53,483 वर्ग कि. मी. है जिसमें 13 जिलें हैं। शुद्ध कृषि क्षेत्र 765150 हेक्टेयर है जिसमें से निवल सिंचित क्षेत्र 345020 हेक्टेयर (2006–07) है। राज्य में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेंहू, जौ, मक्का, गन्ना एवं तिलहन है।

तीन जिले, पिथौरागढ़, देहरादून एवं उधमसिंह नगर एवं छः खण्ड (ब्लॉक)[24] (प्रत्येक जिले में दो खण्ड (ब्लॉक)) विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिये चयनित किये गये। इनके अतिरिक्त, दो उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, जो कि रूद्रपुर एवं श्रीनगर में स्थित है, लेखापरीक्षा जांच हेतु चयनित किये गये।

9.23.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.23.2.1 राज्य में उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन

- राज्य में उर्वरक की आवश्यकता का सभी स्तरों पर आकलन फसल के प्रकार, सिंचित/गैर सिंचित क्षेत्र एवं अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर करने के स्थान पर गत वर्ष/सत्र के खपत पर आधारित था।
- पंचायत समिति और ब्लॉक समिति उर्वरकों की आवश्यकता के आकलन में शामिल थे।
- क्षेत्रीय सम्मेलन पुस्तिका में समेकित रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत से संबंधित कोई आकड़े उपलब्ध नहीं पाये गये।

9.23.2.2 राज्य सरकार द्वारा की गई विक्रय का सत्यापन

- विक्रय का सत्यापन मात्र प्रथम भंडारण बिंदु पर ही किया गया। किसान स्तर पर विक्रय की पुष्टिकरण के लिये कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं था।

9.23.2.3 प्रोफार्मा 'बी' में विलम्ब

- प्रोफार्मा 'बी' निर्गत करने में विलम्ब पाई गई जिनका विवरण निम्नवत है:–

सारणी 9.69 - प्रोफार्मा बी में विलम्ब

वर्ष	डी ए पी	काम्पलेक्स	एस एस पी	एम ओ पी
	विलम्ब की अवधि (दिन में)			
2006-07	7 से 319	6 से 165	5 से 671	7 से 330
2007-08	8 से 385	8 से 113	107 से 390	50 से 385
2008-09	21 से 292	26 से 293	14 से 293	26 से 264

[24] गंगोली हाट, मनस्यारी, सहसपुर, दोईवाला, खटीमा एवं गदरपुर

9.23.2.4 गुणवत्ता नियंत्रण

दो चयनित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में वर्ष 2006–09 के दौरान आहरित नमूनों में कमी 31 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के मध्य थी जैसा कि नीचे चित्रित है:–

सारणी 9.70 –चयनित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में नमूनों के आहरण में कमी

प्रयोगशाला का नाम	2006-07			2007-08			2008-09		
	नमूनों की क्षमता	वास्तव में आहरित	कमी	नमूनों की क्षमता	वास्तव में आहरित	कमी	नमूनों की क्षमता	वास्तव में आहरित	कमी
एफ क्यु सी एल, रूद्रपुर	400	278	122 (31%)	400	198	202 (51%)	400	155	245 (61%)
एफ क्यु सी एल, पौड़ी	400	206	194 (49%)	400	125	275(69%)	400	61	339(85%)

देरादून एवं पिथौरागढ़ जिलों में आहरित नमूनों के विश्लेषण से पर्याप्त खामियाँ परिलक्षित हुई, जिनका विवरण निम्नवत है:

सारणी – 9.71 – देहरादून जिले में नमूनों के आहरण में कमी

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य के संदर्भ में कमी
2006-07	100	57	43 (43%)
2007-08	100	21	79 (79%)
2008-09	100	22	78 (78%)

सारणी 9.72 – पिथौरागढ़ जिले में नमूनों के आहरण में कमी

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य के संदर्भ में कमी	प्राप्त लॉटो की संख्या	प्राप्त लॉट के संदर्भ में कमी
2006-07	20	4	16 (80%)	लागू नहीं	लागू नहीं
2007-08	20	7	13 (66%)	लागू नहीं	लागू नहीं
2008-09	20	2	18 (90%)	16	14 (87%)

- वर्ष 2006–09 के दौरान प्रोफार्मा 'बी' जारी करते समय, 13 प्रकरणों में घोषित गैर–मानक परिमाण के कारण आगणित 16.03 रुपये की वसूली प्रस्तावित नहीं किये गये।
- श्रीनगर एवं पौड़ी में प्रयोगशाला खराब स्थिति में थे तथा कोई भी उर्वरक विश्लेषक तैनात न होने के कारण उपकरणों को मृदा परीक्षण विश्लेषक द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे थे।

श्री नगर, पौड़ी प्रयोगशाला में गैर–कार्यात्मक अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के उपर पड़ी इटें

9.23.2.5 अन्य बिंदु

- दसइथल, गंगोलीहाट स्थित उर्वरकों के लिये भंडारण कक्ष में नमी और खराब रोशनी थी जबकि यह पाया गया कि ओलीगांव, गंगोलीहाट में स्क्रैप सामग्रीयां उर्वरकों की थैलियों के साथ रखा गया था (जैसा कि चित्रों में अवलोकन किया जा सकता है)

दसइथल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ जिले में भंडारण कक्ष में नमी और न्यून रोशनी

ओलीगांव, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ में स्क्रैप सामग्रीओं के साथ रखी गई उर्वरकों की थैलियाँ

- दिनेशपुर में अज्ञात निर्माण मूल के एन.के.पी. की एक सौ सत्तर थैलियां एवं उधम सिंह नगर में एन.के.पी. की 10 थैलियां जब्त किया गया एवं प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

के के एस, खटीमा दक्षिण, उधम सिंह नगर जिले में जब्त एन के पी 12:24:12

9.23.3 डीलर एवं किसान सर्वेक्षण के परिणाम

9.23.3.1 डीलर सर्वेक्षण

36 डीलरों के उत्तरों का संक्षेप निम्नवत् है:

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया		
		हां	नहीं	अन्य
1.	क्या आप को आवश्यक मात्रा और उर्वरक की किस्म अपने स्रोत (प्रथम भण्डारण पाइंट या थोक विक्रेता) से समय पर मिल रही है	27	7	2
		सीमा नहीं	सीमित	अन्य
2.	क्या आप किसानों को उर्वरक बिना किसी सीमा या इस तरह की सीमा जैसे प्रति एकड़ एक डी ए पी थैला दे रहे हैं?	12	22	2
		हां	नहीं	अन्य
3.	क्या आप आवश्यक उर्वरकों की ढुलाई आदि उठाने में कोई समस्या आ रही है?	6	28	2
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या आप की जरूरत के उर्वरक उठाने के लिये पर्याप्त ऋण सुविधा है?	32	2	2
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप किसानों को उनकी भाग के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति करने योग्य हो? आपकी क्या समस्या है?	33	1	2
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आप से किसान उर्वरकों की छोटी मात्रा वाले थैलों की मांग कर रहे हैं?	18	16	2
		हां	नहीं	हां, परिणाम प्राप्त नहीं हुये
7.	पिछले 3 वर्षों में आपके स्टाक से नमूनों का चयन उर्वरकों की गुणवत्ता जांच के लिये कृषि विभाग द्वारा किया गया? परिणाम क्या थे?	15	19	2

डीलरों ने बहुमत में उल्लेख किया कि उनके द्वारा किसानों के सीमित मात्रा में उर्वरक का विक्रय किया जाता है तथा गुणवत्ता निरीक्षण हेतु नमूने कभी भी चयनित नहीं किये गये।

9.23.3.2 किसान सर्वेक्षण

180 किसानों से प्राप्त उत्तरों का संक्षेप निम्नवत है:

क्र.सं.	प्रश्नावली	प्रतिक्रिया			
		सहकारी	डीलर	दोनों	अन्य
1.	क्या आप प्राधिकृत डीलर/सहकारी संघ से उर्वरक खरीद रहे हो	169	1	6	4
		हां	नहीं	अन्य	
2.	क्या आप को बेची जा रही उर्वरक की मात्रा अनुपात में है? जैसे 5 थैले डी ऐ पी/ राशन	31	2	147	

	कार्ड, प्रति एकड़ एक थैला डी ए पी। कृप्या दर्शायें			
		अधिकतम खुदरा मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक	कोई टिप्पणी नहीं
3.	आपने पिछले 1 वर्ष या 2 मौसमों में उर्वरक (क) यूरिया (ख) डी ए पी (ग) एम ओ पी (घ) अन्य उर्वरक किन कीमतों पर लिया	147	16	17
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री की रसीद दी थी	123	45	12
		हां	नहीं	अन्य
5.	क्या आप सरकार द्वारा तय उर्वरक का मूल्य जानते हैं (लेखापरीक्षा दल किसानों को विभिन्न उर्वरकों का अधिकतम मूल्य दिखा सकता है)	71	93	16
		हां	नहीं	अन्य
6.	क्या आपके पास आवश्यक उर्वरकों को खरीदने के लिये पर्याप्त धन है? आपकी क्या समस्या है	74	100	6
		हां	नहीं	हां, परिणाम प्राप्त नहीं हुये
7.	क्या आपने अपनी जमीन के लिये उर्वरकों की विभिन्न प्रकार की वास्तविक आवश्यकता के लिये मिट्टी जांच करायी थी जिससे कि फसल की अधिकतम उपज मिल सके	28	141	11
		हां	नहीं	अन्य
8.	क्या आपको मौसम के लिये पूर्ण आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा था	68	110	2
		हां	नहीं	अन्य
9.	क्या डीलर ने आपकों उर्वरक जो चाहिये थे के साथ अन्य उर्वरकों को खरीदने के लिये मजबूर किया	10	162	8
		हां	नहीं	अन्य
10.	क्या आपको उर्वरकों की टोटी मात्रा थैली की आवश्यकता है	115	63	2
		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिला कर, आप सन्तुष्ट हैं जो उर्वरक की आपूर्ति आपको हुई	124	51	5
		हां	नहीं	अन्य
12.	क्या उर्वरकों की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा	61	98	21

बृहत बहुमत में किसानों ने उल्लेख किया कि पूर्ण वांधित मात्रा में उर्वरकों के क्रय हेतु उनके पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है, उन्होंने अपनी मृदा परीक्षण नहीं करवाई है तथा उन्हें छोटी मात्रा में उर्वरकों की थैली की आवश्यकता है।

9.24 पश्चिम बंगाल

9.24.1 पृष्ठभूमि

पश्चिम बंगाल के वास्तविक बोने वाले क्षेत्र (52.94 लाख हेक्टयर) के 18 जिले हैं जोकि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 61 प्रतिशत है, राज्य में किसानों की संख्या 69.91 लाख है और वर्ष 2008–09 तक कुल 98.01 लाख हेक्टेयर फसल वाला क्षेत्र था। चावल के साथ मक्का, दालें, तेलबीज, गेहूं जौ, आलू, सब्जियां, पटसन, चाय, तम्बाकू और गन्ना मुख्य फसल है।

चार जिले (दक्षिण बंगाल में वर्धामान पश्चिम मिदनापुर और मालदा तथा उत्तरी बंगाल क्षेत्र में जलपाईगुरी) और प्रत्येक जिला के दो ब्लाक विस्तुत लेखापरीक्षा के लिए चुने गये इसके अलावा चारों जिलों में चुने गये प्रत्येक आठ ब्लाकों में छः डीलर तथा 30 किसानों का सर्वेक्षण किया गया। तोलीगुनगी मैदनीपुर ब्रह्मपुर में तीन उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं के निष्पादन का पुनरीक्षण किया गया।

9.24.2 लेखापरीक्षा उपलब्धियां

9.24.2.1 उर्वरक की जरूरतों का निधारण

- राज्य सरकार ने प्रति हेक्टयर की दर से उर्वरक खपत के लिए मानक निर्धारित किये हुए थे जोकि फसल जोतने की किस्म पर आधारित था तथापि मिट्टी की उर्वरता तथा सिंचाई की सुविधा के ध्यान के बिना जिला के सभी ब्लाक्स के लिए वही मानक निर्धारित किये गये थे। हालांकि प्रत्येक मौसम में फसल के उगने के आधार पर उर्वरक की जरूरत का मूल्यांकन किया जाता है, यह राज्य स्तर पर प्रक्षिप्त नही होता।

- भारत की उर्वरक संस्था तथा प्रमुख उर्वरक विक्रेता की सलाह से प्रत्येक मौसम में उर्वरक की जरूरत का पिछले वर्ष की खपत के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है जोकि मिट्टी के उपजाऊपन स्तर और फसल के बौने की किस्म पर आधारित नहीं था।

- प्रत्येक वर्ष 2006–07 से 2007–08 राज्य की औसतन उर्वरक की प्रति हेक्टयर (खपत से वर्धामान और मालदा जिले की खपत कहीं ज्यादा थी राज्य की औसतन खपत से जलपाईगुरी जिले की खपत काफी कम थी हालांकि ये खपत 2007–08 की खपत से वर्ष 2008–09 मे 95 प्रतिशत बढ़ गई थी

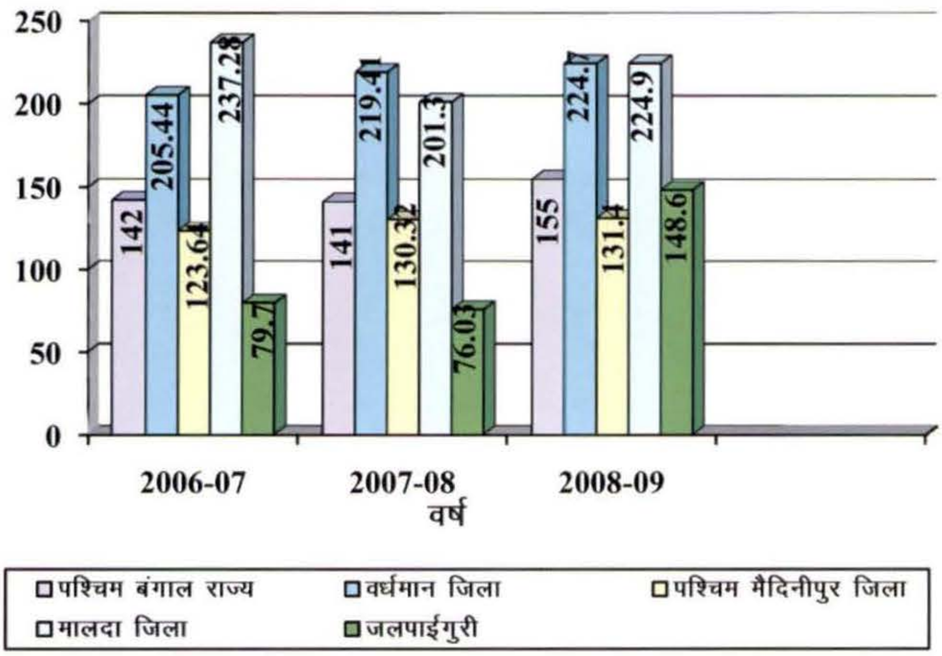

चित्र 9.1–पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में उर्वरक की खपत में विभिन्नता

- मिट्टी के निरीक्षण के बिना किसानों को जमीने में डालने के लिए सही उर्वरक की मात्रा की जानकारी नहीं थी नतीजे के तौर पर किसान सही उर्वरक की मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे जोकि प्रति हेक्टयर खपत ज्यादा थी।

9.24.2.2 आर्थिक सहायता के दावों का सत्यापन

- उपनिदेशक कृषि द्वारा उर्वरक की प्राप्ति को भौतिक सत्यापन नहीं किया।
- किसान स्तर पर पहले बिक्री बिन्दु के परे बिक्री के सत्यापन का कोई भी तरीका नहीं थी। डीलर के बिन्दु पर उर्वरक के भण्डार के प्रक्रिया भौतिक सत्यापन का भी कोई भी तरीका नहीं था।
- किसानों का उचित उर्वरक वितरण सुनिश्चित रखने के लिए उर्वरक की बिक्री को नियंत्रण करने के लिए कोई मानक नहीं थे।
- मई 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि में नमूना परीक्षण में पाया गया कि जिला स्तर पर कंपनियों को भेजी गई मात्रा और पहले स्टाकिनि बिन्दु पर प्राप्त उर्वरक की मात्रा में फर्क है। ***परिशिष्ट 9. 12*** में दर्शाया गया है पैरा 24174.85 मीट्रिक टन उर्वरक की 64.93 करोड़ रूपये के राजकीय सहायता में फर्क पाया गया तथापि भारत सरकार द्वारा उर्वरक राजकीय सहायता पहले स्टाकिन बिन्दु डीलर द्वारा प्राप्त की उर्वरक का मात्रा पर दी जाती थी। जोकि पहले स्टाकिन बिन्दु डीलर द्वारा वास्तविक उर्वरक की प्राप्ति की मात्रा भौतिक जांच के बिना संबंधित जिलों के डी.डी.एस.ए. के प्रमाण पत्र पर दी जाती थी।

9.24.2.3 उर्वरक की उपलब्धता तथा कमी

- वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता एवं आपूर्ति नीचे दिखाई गई।

सारणी 9.73– पश्चिम बंगाल में उर्वरक की आवश्यकता तथा आपूर्ति

(000 मीट्रिक टन में)

	2006-07			2007-08			2008-09		
	आवश्यकता	आपूर्ति	कमी की प्रतिशता	आवश्यकता	आपूर्ति	कमी की प्रतिशता	आवश्यकता	आपूर्ति	कमी की प्रतिशता
यूरिया	1200	1166	3	1255	1167	7	1300	1165	10
डीएपी	410	374	9	451	378	16	486	380	22
एमओपी	358	286	20	364	276	24	415	459	-11
एसएसपी	450	374	17	445	301	32	445	371	17
एनपीके*	618	597	1	706	642	9	749	722	4
कुल	3036	2797	7	3221	2764	14	3395	3097	9

(स्त्रोतः क्षेत्रीय उर्वरक पर कृषि इनपुट सम्मेलन का कार्यवृत्त)

** परिसर विभिन्न अनुपातों में एन, पी और के मिश्रण युक्त उर्वरक*

- वर्ष 2006–07 से वर्ष 2008–09 में आवश्यकता की तुलना में उर्वरक की प्रत्येक मद में आपूर्ति की कमी थी (वर्ष 2008–09 में एमओपी के सिवाय)
- वर्ष 2006–07 में मिश्रित उर्वरक के मामले में आपूर्ति का कमी कम महत्वपूर्ण थी लेकिन वर्ष 2006–07 से 2008–09 में दूसरों मामलों में 3 से 33 प्रतिशत आवश्यकता की कमी में विभिन्नता थी।
- वितरण असामान था उदाहरणता दूर और अव्यवस्थित जिलों में आवश्यकता के मुकाबले में कोई रेक बिन्दु ना होने के कारण वितरण कम था इसके एकदम विपरीत में बेहतर पहुंच वाले जिलों में वितरण ज्यादा था।
- रैक बिन्दु की उपलब्धता के निरेपक्ष में एक जिले के सिवाय (उत्तर दिनाजपुर–बॉर्डर जिला) सभी में आवश्यकता से काफी कम उर्वरक पाया गया।

9.24.2.4 ऊंची दरों पर उर्वरक की बिक्री

- उत्पादनकर्त्ता द्वारा उर्वरक को रैक बिन्दु तक आपूर्ति करना था और डीलरों द्वारा यातायात तथा हैंडलिंग चार्ज पर अतिरिक्त खर्चा करते हुए रैक बिन्दु से गोदाम तक अपना अभ्यंश उठाना था बल्कि किसानों के सर्वेक्षण से पता चला कि किसानों द्वारा दिया गया मूल्य एम.आर.पी. से काफी अधिक था डीलर की दुकान पर मूल्य सूची तथा प्रतिदिन भंडारण की स्थिति नहीं दर्शाई गई थी नतीजा यह हुआ कि किसानों को एम.आर.पी. तथा उर्वरक के भण्डार की उपलब्धता की जानकारी नहीं थी।

सारणी 9.74–एम.आर.पी. की तुलना में उर्वरक का मूल्य

किस्म	पचास किलो के प्रति वेग की एमआरपी (रुपये)		पचास किलो के प्रति वेग की खरीद मूल्य (रुपये)
	17.06.2008तक	**18.06.2008से**	
यूरिया	251.00	251.00	250.00 से 300.00
डीएपी	486.00	486.00	485.00 से 600.00
एमओपी	231.66	231.66	250.00 से 300.00
एनपीके 10:26:26	434.00	374.00	400.00 से 500.00
एसएसपी (पी)	177.00	177.00	280.00 से 340.00

(स्त्रोतः जी ओ डब्ल्यू बी आर्डर नं. 1372 (20) इनपुट/12–एफ–04/08 दिनांक 28.7.08 और सर्वेक्षण रिपोर्ट)

9.24.2.5 दूसरों जिलों में उर्वरक का विपथन

- डीलरों के रिकार्ड के प्रतीक होता है कि वर्धामान जिला में 950 मीट्रिक टन उर्वरक दूसरों डीलरों को बेचा गया **परिशिष्ट 9.13**में विस्तृत हैं। बल्कि उर्वरक प्रत्येक जिले की निर्धारित आवश्यकता के आधार पर जिलावार बांटा जाता था, उर्वरक की अंतर जिला बिक्री की रोक नहीं थी।

9.24.2.6 उर्वरक की तस्करी

- जनवरी से सितम्बर 2008 तक 177.89 लाख रुपये के 548.331 मीट्रिक टन के उर्वरक को बॉर्डर सिक्योरिटी फोरस ने जब्त किया था।

सारणी 9.75–पश्चिम बंगाल में तस्कर उर्वरक का जब्त

जिला	जब्त मात्रा (एम.टी.)	जब्त मात्रा का मूल्य (रुपये लाख में)
मुर्शिदाबाद	323.757	105.03
नादिया	28.391	9.21
उत्तरी तथा दक्षिणी 24 पारगानास	53.502	17.36
मालदा और दक्षिण दिनाजपुर	142.681	46.29
कुल	**548.331**	**177.89**

(स्त्रोतः दक्षिणी बंगाल फ्रंटीयर मुख्यालय बीएसएफ के इंसपैक्टर जर्नल की रिपोर्ट)

- सीमा क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने के लिए कोई रोक नहीं थी (उर्वरक की खरीद तथा बेच तथा अनाज के लिए सीमा क्षेत्र में 740 लाइसेंस विभिन्न डीलरों को जारी किये गये) कुछ मामलों में औचित्य प्रतिपादन के बिना चार से पांच परिवार के सदस्यों को (पत्नी, बेटे, बेटियां के नाम) डीलर परमिट जारी किये गये। इस प्रकार अधिक संख्या में परमिट को जारी करना, सीमाक्षेत्र में

अनुपातहीन माल की मात्रा का प्रवाह, सीमा क्षेत्र के आर–पार तस्करी का माल (उर्वरक) सहित को बढ़ावा देता है। सीमा के आर–पार उर्वरक की तस्करी को रोकने के लिए विभाग में सीमा क्षेत्र के डीलरों के निष्पादन के लिए संविक्षा प्रक्रिया नहीं थी।

9.24.2.7 राज्य सरकार द्वारा बिक्री का सत्यापन

- पहले स्टाकिंग बिन्दु डीलरों के भंडार रजिस्टरों के सत्यापन के बाद विभाग को जिला में प्राप्त उर्वरक का प्रमाणित करना चाहिए था। किसी भी स्तर पर भण्डार के भौतिक सत्यापन की प्रणाली नहीं थी।
- अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2008 तक उत्पादनकर्त्ताओं से प्रोफार्मा 'ए' की निर्धारित प्राप्ति साठ दिन की अवधि के बाद 2 से 94 दिन की देरी थी।
- अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2008 तक कृषि निदेशालय ने उर्वरक की प्राप्ति के प्रोफार्मा 'बी' को उर्वरक विभाग को भेजने में 1 से 665 दिन की देरी थी (90 दिन के निर्धारित समय के बाद)

9.24.2.8 उर्वरक की बिक्री में विभिन्नता

- होलसेल तथा रिटेल डीलरों का भण्डार रजिस्टर को उचित प्रकार से जारी नहीं रखा था। निर्धारित लाभार्थियों के परे उर्वरक के रिसाव के इंकार नहीं जा सकता क्योंकि रिटेल डीलरों द्वारा प्राप्त की उर्वरक की मात्रा ओरजिन होलसेल डीलरों से जो उर्वरक खरीदा था, के रिकार्ड में भिन्नता थी।
- विभिन्न स्तर पर डीलरों के बीच में (होलसेल, रीटेल इत्यादि) उर्वरक की खरीद और बेच के मिलान का कोई प्रक्रिया नहीं थी।

9.24.2.9 प्रतिरोधक भण्डार (यूरिया) का रखरखाव नहीं

- वर्ष 2007 और 2008 में व्यस्ततम काल (मई से दिसम्बर) में प्रतिरोधक भण्डार के रखरखाव में हर महीने में 61 से 99 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से 77 प्रतिशत क्रमशः गिरावट थी।
- 10 निर्धारित स्थानों पर प्रतिरोधक भण्डार का रखरखाव होना था बल्कि ये छः निर्धारित स्थानों पर किया गया यद्यपि चार स्थानों में परिवर्तन किया गया।
- व्यस्ततम समय में 50000 मीट्रिक टन यूरिया के प्रतिरोधक भण्डार की अपेक्षित मात्रा का रखरखाव नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिरोधक भण्डार बिन्दू पर अपेक्षित 5000 मीट्रिक टन यूरिया का भण्डार का रखरखाव नहीं किया गया। और भण्डार में 1000 से 4000 मीट्रिक टन भिन्नता थी कुछ निर्धारित भण्डार बिन्दुओं पर भण्डार नहीं थे।

9.24.2.10 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

पश्चिम बंगाल में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण तीन (टोलीगुनीगी, ब्रह्मपोर तथा मैदनीपुर) प्रयोगशालाएं हैं। हमने पाया कि:

- 43 पदों के लिए स्वीकृत तीन प्रयोगशालाएं हैं। जिनमें से सिर्फ 34 पद की पूर्ति हुई हैं।
- सभी प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी थी जैसा नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 9.76 – गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशलाओं में उपकरणों की कमी

क्रम संख्या	अपेक्षित मानक पर उपकरणों का नाम	मौजूद (हां) नहीं मौजूद (नहीं)		
		टोलीगुनीगी	मैदनीपुर	ब्रह्मपोर
1	स्पैक्टरोफोटोमीटर	हां	हां	नहीं
2	मुफल भट्टी	हां	हां	नहीं
3	कारल फिशर टीटरेट्रर	नहीं	हां	नहीं
4	वाटर वाथ कम शैकर	नहीं	हां	नहीं
5	केजिलडाल डाईजेशन और डिसटीलेशन यूनिट	हां	हां	नहीं
6	मैगनेटिक स्ट्रीट	नहीं	नहीं	हां
7	वैक्कम डिस्सीकेटर	हां	नहीं	नहीं
8	इंडियन स्टैण्र्ड स्वीस	नहीं	नहीं	नहीं
9	सैम्पल गाराईण्डर	हां	नहीं	नहीं
10	टाप पेन बैलन्स	हां	हां	नहीं
11	डिओनिज़र	नहीं	नहीं	नहीं
12	आटोमिक अवजोरप्शन स्पेट्रोफोटोमीटर	हां	हां	नहीं

(स्त्रोतः एफक्यूसीएलज के कृषि केमिस्टों द्वारा दिये गये उत्तर)

- वर्ष 2006–07 से 2008–09 में प्रत्येक तीनों प्रयोगशालाएं की 52 से 73 प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल हुआ। मानकरहित घोषित सैम्पलों की प्रतिशतता परीक्षण किये गये सैम्पलों में 4 से 16 की दूरी थी।
- मानकरहित नमूनों के 649 मामलों में डीलरों को कारण बताओं नोटिस तथा चेतावनी दी थी बल्कि वर्ष 2006–07 में 216 मामलों में कोई क्रिया शुरू नहीं की गई। वर्ष 2007–08 में 198 मामलों में से सिर्फ तीन मामलों को पकड़ा गया तथा मुकदमा चलाया गया। वर्ष 2008–09 में 235 मामलों में से तीन मामलों को पकड़ा गया तथा मुकदमा चलाया गया।
- वर्ष 2006–09 में चार जिलों की नमूनों लेखा परीक्षण के दौरान 54 प्रतिशत सिर्फ लक्ष्यांक सैम्पल इकट्ठे किये जैसा नीचे दर्शाया गया:

सारणी 9.77– नमूनों को इकट्ठा करने में कमी

नमूना परीक्षण जिला	वर्ष	सैम्पलों के इकट्ठा करने का लक्ष्य	नमूनों को इकट्ठा करने की संख्या और परीक्षण के लिए भेजे गये	परीक्षण के लिए भेजे गये नमूनों की प्रतिशतता नमूनों को इकट्ठा करने के लक्ष्य से	विश्लेषण किये गये नमूनों की संख्या	मानक रहित पाये गये नमूनों की संख्या
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
वर्धामान	2006-07	550	234	43	59	1
	2007-08	550	201	37	50	0
	2008-09	550	168	31	42	5
कुल		**1650**	**603**	37	**151**	**6**
जलपाईगुरी	2006-07	-	अभिलेख उपलब्ध नहीं	अभिलेख उपलब्ध नहीं	अभिलेख उपलब्ध नहीं	अभिलेख उपलब्ध नहीं
	2007-08	-	अभिलेख उपलब्ध नहीं	अभिलेख उपलब्ध नहीं	अभिलेख उपलब्ध नहीं	अभिलेख उपलब्ध नहीं
	2008-09	130	66	51	66	7
कुल		**130**	**66**	**51**	**66**	**7**
पश्चिम मैदनीपुर	2006-07	254	248	98	248	18
	2007-08	254	206	81	206	18
	2008-09	254	131	52	131	2
कुल		**762**	**585**	**77**	**585**	**38**
मालदा	2006-07	173	124	72	124	2
	2007-08	208	153	74	153	2
	2008-09	208	161	77	161	8
कुल		**589**	**438**	**74**	**438**	**12**
कुल योग		**3131**	**1692**	**54**	**1240**	**63**

(स्त्रोत: चुने गये जिलाओं के डी डीज ए द्वारा दिये गये अंक)

9.24.2.11 खाद्यान्न का उत्पादन

- हालांकि वर्ष 2006–07 की खपत के मुकाबले के वर्ष 2008–09 में वर्धामान जिले में उर्वरक की खपत वर्ष 2007–08 में 7 प्रतिशत और 2008–09 मे 9 प्रतिशत बढी थी। फसल 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत क्रमशः वर्षों में प्रति हेक्टयर कम हुई।

- वैसे ही वर्ष 2006–07 की तुलना में उर्वरक की खपत मालदा जिला में 12 प्रतिशत बढ़ने के बावजूद वर्ष 2008–09 में 4 प्रतिशत की दर से फसल कम हुई।
- जलपाईगुरी जिला में वर्ष 2007–08 में दस प्रतिशत फसल कम हुई हालांकि वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 उर्वरक की खपत थोड़ी ही कम हुई थी, वर्ष 2008 में उर्वरक की खपत में 86 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी चाहे वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2008–09 में फसल में 7 प्रतिशत की कमी हुई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–09 में राज्य को औसतन फसल से जलपाईगुरी की फसल बहुत कम थी।

वर्ष 2006–07 से 2008–09 में चयन किये गये जिलों में तथा सम्पूर्ण राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन और फसल की दरों की तुलना में उर्वरक (एनपीके) की खपत प्रति हेक्टयरनीचे तालिका 9.78 दर्शाता है कि:

सारणी 9.78– खाद्यान्न की उत्पादन और उर्वरक की खपत में तुलना

चयन किये गये जिला	वर्ष	खाद्यान्न का उत्पादन (हजार टन में)			फसल दर किलो प्रति हेक्टयर में	उर्वरक की खपत प्रति हेक्टयर (किलो)
		अनाज	दलहन	कुल खाद्यान्न		
पश्चिम बंगाल राज्य	2006-07	15820.5	154.4	15974.9	2510	142
	2007-08	15902.6	158	16060.5	2521	141
	2008-09	16167.1	129.7	16296.8	2493	155
वर्धामान जिला	2006-07	1973.6	1.4	1975	3043	205.44
	2007-08	1865.5	0.8	1866.3	2917(- 4%)	219.41(7%)
	2008-09	1881.9	1.5	1883.4	2804(-8%)	224.70(9%)
पश्चिम मैदनीपुर जिला	2006-07	1815.9	3.4	1819.3	2576	123.64
	2007-08	1816.5	4.3	1820.8	2747	130.32
	2008-09	1863.5	3.0	1866.5	2569	131.40
मालदा जिला	2006-07	613.0	22.5	635.5	2667	237.28
	2007-08	643.1	24.2	667.3	2890	201.30
	2008-09	803.4	17.9	821.3	2762(4%)	224.90(-12%)
जलपाईगुरी जिला	2006-07	475.5	2.1	477.6	1823	79.70
	2007-08	437.2	2.2	439.4	1633(10%)	76.03(5%)
	2008-09	453.7	2.2	455.9	1704(-7%)	148.60(86%)

प्रतिशतता फसल की बढ़ोतरी तथा कमी को दर्शाता है
(स्त्रोतः इक्नॉमिक समीक्षा)

9.24.3 किसानों तथा डीलरों के सर्वेक्षण का नतीजा

9.24.3.1 डीलर सर्वे

48 डीलरों के जवाबों का सारांश नीचे दिया गया है:

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न		
		हां	नहीं	
1.	क्या आपको आपेक्षित मात्रा और टाइप की खाद फर्स्ट स्टोकिंग प्वांइट/थोक व्यापारी से समय पर मिल रही है? आपकी कोई समस्या है?	7	41	
		सीमा नहीं	सीमित	
2.	क्या आप किसानों को किसी भी सीमा के बिना खाद देते हैं या कोई सीमा, जैसे एक बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़, निर्धारित की गई है?	48	0	
		हां	नहीं	
3.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद उठाने में कोई परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है?	30	18	
		हां	नहीं	आवश्यक नहीं
4.	क्या आपको जरूरत के अनुसार खाद खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा है?	15	21	12
		हां	नहीं	
5.	क्या आप किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति करने में सक्षम है? इस मामले में आपकी क्या समस्या है?	7	41	
		हां	नहीं	
6.	क्या किसान छोटी मात्रा की बैग की मांग करता है?	31	17	
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये
7.	क्या आपके स्टॉक से पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा खाद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिये नमूना लिया गया और उसका क्या परिणाम निकला?	8	26	14

48 डीलरों के सर्वेक्षण के दौरान तीस डीलरों ने बताया कि उन्हें यातायात में मुश्किल हुई थी क्योंकि उन्हें अपने खर्च पर रेंक बिन्दु से उर्वरक को सीधा उठाना था उसके अनुसार उन्होंने एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर उर्वरक को बेचा। 31 डीलरों ने बताया कि किसान कम मात्रा की थैलियों को वरीयता देते हैं, 26 डीलरों ने बताया कि उनके भंडार से नमूने जांच के लिए नहीं लिये गये और 14 डीलरों ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

9.24.3.2 किसान सर्वे

240 किसानों के जवाबों का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर		
		सहकारी समिति	विक्रेता	दोनों
1.	क्या आप खाद अधिकृत विक्रेता/सहकारी समिति से उर्वरक खरीद रहे हैं?	233	6	1
		हां	नहीं	
2.	क्या खाद आपको राशन की मात्रा में बेचा जाता है? जैसे कि 5 बैग डी.ए.पी. प्रति राशन कार्ड, 1 बैग डी.ए.पी. प्रति एकड़ आदि?	3	237	
		एम.आर.पी.	अन्य	
3.	आपने पिछले एक या दो मौसम में किस दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खरीदा है?	0	240	
		हां	नहीं	अन्य
4.	क्या डीलर ने आपको बिक्री के लिये रसीद दी?	11	154	75
		हां	नहीं	
5.	क्या आपको सरकार द्वारा निर्धारित खाद के अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) की जानकारी दी?	9	231	
		हां	नहीं	
6.	क्या आपके पास अपनी पूरी आवश्यक खाद खरीदने के लिये पर्याप्त पैसा है। आपकी कोई समस्या है?	56	184	
		हां	नहीं	हां परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुये
7.	आप आपने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने के लिए अपनी जमीन का परीक्षण (टेस्ट) करवाया ताकि आपको फसलों की अधिकतम उपज मिले?	31	175	34
		हां	नहीं	
8.	क्या आपको समय पर खाद मिलने के लिये, कोई समस्या का सामना करना पड़ा?	171	69	
		हां	नहीं	
9.	क्या डीलर ने खाद के साथ कोई अन्य आइटम खरीदने के लिये मज़बूर किया?	128	112	
		हां	नहीं	
10.	क्या आपको छोटी मात्रा बैग में खाद की आवश्यकता है?	176	64	

		हां	नहीं	अन्य
11.	कुल मिलाकर क्या आप खाद की आपूर्ति से सन्तुष्ट हैं?	74	162	4
		हां	नहीं	
12.	क्या आपको खाद की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा?	164	76	

किसानों के सर्वेक्षण के नतीजे से पता चला है कि 240 किसानों में से 231 किसानों को एम.आर.पी. की दरों के विषय से पता नहीं था, 175 किसानों ने बताया कि उनकी मिट्टी का परीक्षण नहीं किया ग या, यद्यपि 34 किसानों को जांच रिपोर्ट नहीं मिली। सभी किसानों ने लगभग बताया कि व्यस्ततम समय में डीलरों ने कृत्रिम संकट स्थिति बनाई थी और उन्हें सामान्य मार्केट दर से काफी उच्चतम दर पर उर्वरक को खरीदने के लिए मजबूर किया गया जोकि एम.आर.पी. से ऊपर थे। 162 किसानों ने बताया कि उर्वरक के वितरण से संतुष्ट नहीं थे।

10 –निष्कर्ष

कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पिछले पांच दशकों से ज्यादा समय से उर्वरक राजसहायता देश की रणनीति का मूल घटक रही है। भारत सरकार द्वारा उर्वरक राजसहायता/रियायतों पर वर्ष 2003–10 की अवधि के सात सालों के दौरान भारी धनराशि 2,70,648 करोड़ रू. के व्यय के बावजूद, (जिसमें व्यय वर्ष 2009–10 में 61,636 करोड़ रूपये तक आने से पहले, वर्ष 2008–09 में अपने उच्चतम स्तर 96,603 करोड़ रूपये तक पहुँचा।) उर्वरकों का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2003–04 में 284 एम.टी. से वर्ष 2008–09 में 298 एम.टी. तकमामूली सा ही बढ़ पाया। राजसहायता प्रणाली में बदलाव, उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रोत्साहन देने में असफल रहे। यूरिया के लिए नई मूल्य योजना (एन.पी.एस.) के लागू होने के परिणामस्वरूप नेफ्था पर आधारित यूरिया उत्पादन से गैस पर आधारित यूरिया उत्पादन का महत्वपूर्ण परिवर्तन आया लेकिन इससे यूरिया की क्षमता या उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धिनहीं हो पाई। जबकि यूरिया के उत्पादन की भारित औसत लागत बहुत अधिक बढ़ गई। फॉस्फेटिक उर्वरक के मामले में क्षमता में पर्याप्तवृद्धि के बावजूद डी.ए.पी. उत्पादन में काफी गिरावट आई (केवल एन.पी.के. मिश्रण के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी दिखाई दी)यहाँ तक कि फॉस्फेटिक उर्वरक का स्वदेशी उत्पादन मुख्य रूप से आयातित कच्चे माल/मध्यस्थों पर निर्भर है। देश की पोटाश उर्वरक की मांग को पूर्णतया आयातों से पूरा किया जाता है। कुल मिलाकर, उर्वरकों की बढ़ी हुई खपत को बड़े पैमाने पर उर्वरकों के आयात को बढ़ाकर ही पूरा किया जाता है।

उर्वरकों की आवश्कयताओं के विस्तृत आंकलन की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी जिसमें पिछले मौसम/वर्ष की आवश्यकता में मात्र 5 से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ(जैसाकि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में पाया गया) प्रक्षेपण की सामान्य प्रथा को अपनाया गया था। इन प्रक्षेपणों में जिला तथा निचले स्तरों के आंकड़े नहीं थे और आमतौर पर संगत कारकों जैसे कि संचित क्षेत्र का अनुपात, मिट्टी की गुणवत्ता, उगाई गई फसलों की किस्म इत्यादि पर आधारित नहीं थे। इसके अतिरिक्त प्रथम बिन्दु बिक्री को उर्वरक राजसहायता को देने के उद्देश्य से खपत माना जा रहा था। प्रत्येक राज्य के भण्डारों को भी लेखें में नहीं लिया गया।

उर्वरकों की आपूर्ति की योजना में महत्वपूर्ण कमियां थी, जिसमें जिला और निचले स्तरों पर अधिक आपूर्ति और कम आपूर्ति दोनों के ही कई उदाहरण थे, जिसके परिणामस्वरूप, जब किसानों को इनकी जरूरत होती थी तब आवश्यक उर्वरकों का आधिक्य/कमी होती थी। यहां तक कि राज्य सरकारों द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री के सत्यापन के लिए बनाए गए निर्धारित नियंत्रणों (यूरिया के अतिरिक्त) को भी बड़े पैमाने पर प्रथम बिन्दु बिक्री केन्द्रों तक ही सीमित कर दिया गया, और उन्हें ब्लॉक और निचले स्तरों और अंतिम उपभोक्ताओं यानि किसानों तक लागू नहीं किया गया, बिक्री और भण्डारों (यहां तक एक नमूना/प्रतिशत आधार पर भी) का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। उर्वरकों के वितरण की ब्लॉक तथा निचले स्तर को छोड़ दें तो पहले स्तर के भण्डार बिन्दु पर जोकि उर्वरक विभाग, उर्वरक संविक्षा प्रणाली (एफ.एम.एस.) में उपलब्ध था,वास्तविक प्राप्ति के साथ मिलान की कोई व्यवस्था नहीं थी। डीलरों के संदर्भ में संविक्षा प्रक्रिया में कमी थी जिसमें अपंजीकृत डीलरों/लाइसेंस समाप्त डीलरों द्वारा की गई बिक्री की बहुत सी रिपोर्टें थी।

विभिन्न राज्यों में मिश्रक इकाईयों द्वारा राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की खपत 'राजसहायता श्रृंखला' में बहुत बड़ा दोष निरूपित करती है क्योंकि यह इकाईयां राजसहायता प्राप्त उर्वरक का उपयोग करती हैं परन्तु मिश्रणों को अधिक मूल्य पर बेचती हैं और ये विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्तरों पर (बिना किसी केन्द्रीय नियंत्रण के) लाइसेंस/नियमन/स्वनियमन के अधीन हैं।

राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में अपर्याप्त/निम्नस्तरीय आधारभूत संरचना, पर्याप्त प्रशिक्षित मानवशक्ति की कमी, उर्वरकों के नमूनों के परीक्षण में भारी कमी जैसी महत्वपूर्ण कमियां भी हमने पाई। यहां तक कि उर्वरक नमूनों के वास्तव में किए गए सीमित परीक्षणों से भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये क्योंकि परीक्षणों, परीक्षणों के विश्लेषण करने और विश्लेषित निष्कर्षों के प्रेषण में बहुत अधिक देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप तब तक घटिया उर्वरक का बचा हुआ भंडार असंदिग्ध किसानों को बेच दिया गया। अंतिम लाभार्थियों (किसानों) को निर्धारित कीमत पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उचित समय पर आपूर्ति में भी हमारे डीलरों और किसानों के सर्वेक्षण में कमियों की पुष्टि हुई।

हमारे उपरिलिखित लेखा निष्कर्षों के आधार पर हमें यह आश्वासन प्राप्त करने में कठिनाई हुई कि उर्वरक निर्माताओं/आयातकों को राजसहायता के रूप में किए गए विशाल भुगतान ने वास्तव में किसानों को समय पर, आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में, उचित कीमत पर, उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों की पूर्ण सुलभता को सुनिश्चित किया। फलस्वरूप, सरकार द्वारा उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए उपायों, वैज्ञानिक/सुव्यवस्थित तरीकों से उर्वरकों की आवश्यकताओं के बेहतर आंकलन, निचले स्तर पर उर्वरकों की प्राप्ति/खपत के कड़ाई से सत्यापन को लागू करने और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रभावशाली उपायों की समीक्षा की आवश्यकता है।यह क्षेत्र इस समय उर्वरक राजसहायता के द्वारा किसानों को उचित कीमत पर, पर्याप्त मात्रा में, उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समय पर उपलब्धता के अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर स्तर पर संवीक्षा के लिए पर्याप्त और प्रभावी मशीनरी की कमी से जूझ रहा है।

(के आर श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

दिनाँकः 8 जून 2011

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनाँकः 4 जुलाई 2011

परिशिष्ट

Top Soil

परिशिष्ट 3.1

(पैरा 3.1.3)

लेखापरीक्षा नमूना

केन्द्रीय स्तर (प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (ई.एस.एम.) समूह के लिये नमूना लेखा परीक्षा इस प्रकार है:

- 100 प्रतिशत ईकाइयों के लिए रबी 2008 मौसम का उत्पादन एवं चलन/प्रेषण आंकड़ा संगठित करना।
- 6 उर्वरक बनाने वाली ईकाइयों के परिदान दावों की जाचं अर्थात् एन.एफ.एल बठिंडा, आर.सी.एफ., थाल, जैड आई.एल., गोवा, के.एस.एफएल, शाहजहांपुर, करिभको, हजीरा और इफको कलोल इसके अतिरिक्त चार डी.ए.पी./समाविष्ट उत्पादन ईकाइयां अर्थात् जैड.आई.एल. गोवा, पी.पी.एल., प्रदीप, जी.एस.एफ.सी. बडौदरा, इफको कांडला व 2 एस.एस.पी. ईकाइयां अर्थात् रामा फॉस्फेट्स और चैम्टेक उर्वरक की गई।
- एक बन्दरगाह (कांडला) पर उर्वरक के आयात को संभालना
- एक ही धारा एजेंसी (आई.पी.एल.) की आयात प्रक्रिया द्वारा अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं दिये गये।

राज्य प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार समूह निम्न नमूना लेखापरीक्षा थी:

- आवश्यकता का निर्धारण प्रेषित आंकड़ों की जांच, प्रात्यता/उपभोगता, गुणवत्ता प्रेषित नियंत्रण आदि की छानबीन के लिए चयनित हुये राज्यवार जिले।

क्रम संख्या	राज्य	चयनित राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण की प्रयोगशालाओं की संख्या	सर्वेक्षित विक्रेता की संख्या	सर्वेक्षित कृषकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	गूंटूर, कडाप्पा, करीमनगर और बारांगल (4 जिले) और आठ खंड अर्थात् नरसारावपेट अमरावती, दुब्बुर, परादुटूर, सिरचिल्ला,, जगताल, जनगांव एवं महबूबावाद	3	49	242
2.	आसाम	जोरहट, हिलाकांडी, कामरूप, एवं धुवरी (4 जिले) आठ खंड अर्थात् केन्द्रीय जोरहट, टीटाबोर, अल्गापुर, लाला, बोका, हाजो, अजोमनी एवं महामाया	1	48	240
3.	बिहार	छपरा, दरभंगा, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) भागलपुर, पूर्णिया और गया (6 जिले) व 12 खंड अर्थात् छपरा, नागरा, बहेरी, मनीगाछी, रक्सौल, ढाका, गोरधी, सुल्तानगंज, बैसी, श्रीनगर, गयासदर,	1	70	360

क्रम संख्या	राज्य	चयनित राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण की प्रयोगशालाओं की संख्या	सर्वेक्षित विक्रेता की संख्या	सर्वेक्षित कृषकों की संख्या
		और खीजर सराय			
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर, सुरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर (4 जिले) व आठ खंड अर्थात् अरंग, अभनपुर, सुरजपुर, लुदंरा, धमधा, पटन, बिल्हा और मुंगेली	1	48	240
5.	गुजरात	कुच्छ, अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़ (4 जिले) व आठ खंड अर्थात् भाचाऊ, भुज, बावला, सनन्द कामरेज, बारदौली, जूनगढ़ एवं केशोद	3	48	240
6.	हरियाणा	फरीदाबाद, हिसार, करनाल और सोनीपत (4 जिले) व आठ खंड अर्थात् फरीदाबाद बल्लभगढ़, हांसी, बरबाला, इन्द्री निसिंग, मुंडलाना व गन्नौर	2	51	242
7.	हिमाचल प्रदेश	कांगडा और किन्नौर (दो जिले) व चार जिले अर्थात् बैजनाथ, कांगडा, कलपा और निच्वर	2	30	124
8.	जम्मू कश्मीर	जम्मू, कटुआ, अनन्तनांग व बारामूला (4 खंड) व आठ खंड अर्थात् मरह, आर.एस. पूरा, बनौटी, हीरानगर, शाहबाद, शानगस, पट्टन और उरी	2	47	240
9.	झारखंड	दियोघर, पूर्वी, सिंहभूम व रांची (3 जिले) व छः खंड अर्थात् दियोघर, सदर, सारथ, जमशेदपुर, घाटशिला, ओरमंझी व बंदु	1	22	190
10.	कर्नाटक	हवेरी, उदुप्पी, मांदेया, ओर चिकमंगालूर (4 जिले) व आठ खंड अर्थात् हानांगल, शिगोन, उदुप्पी, करकाला, पांडवपुरा, माधुर चिकमंगतलूर व नरसिंहराजापुरा	4	48	240
11.	केरल	कोटायम व पालाकड़ (2 जिले) व चार खंड अर्थात् कांजीरापल्ली, काडुथरुथी, अलाथुर और पालाकड़	2	24	120
12.	मध्य प्रदेश	सतना, इंदौर, छत्तरपुद बैतुल, खण्डवा, भोपाल और रतलाम (7 जिले) व दस खंड अर्थात् सोहावाल, रामपुर भागेलन, इंदौर, संवेर, छत्तरपुर, नोगांव, बेतुल, मुलताई, खण्डवा, पंडाना, फंडा, वेरासिया, जरोरा और रतलाम	2	78	295

क्रम संख्या	राज्य	चयनित राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण की प्रयोगशालाओं की संख्या	सर्वेक्षित विक्रेता की संख्या	सर्वेक्षित कृषकों की संख्या
13.	महाराष्ट्र (नागपुर)	सांगी, लाटुर, पुने, अमरावती व ओसमानाबाद (5 जिले) व कादेगाव, पालुस, चाकुर, निलंगा, भौर, जुन्नेर, अनाजंगगांव सूरजी, शिकालधरा, लोहारा व तुलजापुर	3	69	300
14.	मणिपुर	थुबल व चंदेल (2 जिले) थुबल व चंदेल चार खंड थुबला, काकाचिंग चाकपिनकरोंग व चन्देल।	--	15	120
15.	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स (2 जिले) व चार खंड अर्थात् खदरशनोंग लैतखरोह, पिनुरसुला, सेलसैला व डालू	--	18	120
16.	नागालैण्ड	कोहिमा व दीमापुर (2 जिले) व चार खंड अर्थात् जकामा, कोहिमा नुईलैंड व दसरीपर	--	3	80
17.	उड़ीसा	बौलांगीर, झारसुगुडा, नाउपाडा, जगतसिंहपुर व मयूरभंज, (5 जिले) व दस खंड अर्थात् अगालपुर, पुइनताला, जारसुगुडा लखनपुर, बोयेन, नाऊपाडा, बैकुडा नौगांव, बडासाही व श्यामाखुंटा	2	60	3-0
18.	पंजाब	लुधियाना, फरीदकोट, भटिंडा व अमृतसर (4 जिले) व आठ खंड अर्थात् लुधियाना, खन्ना, फरीदकोट, कोटकापुरा, रामुपरा फुल, भटिंडा, चौगवान और वेरका	2	48	240
19.	राजस्थान	गंगानगर, अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ व झालावार (5 जिले) व दस खंड अर्थात् श्री गंगानगर, श्री कर्णपुर, बेहरूर थानागाजी, अम्बर, सांगानेर, चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, झालारपट्टन	3	64	300
20.	तमिलनाडु	कांचीपुरम, मदुराई, थांजावर, धर्मपुरी और तिरूचिरापल्ली (5 जिले) व दस खंड अर्थात् काट्टनगुलाधुर, अचारापक्कम, वादीपट्टी, टी.कालुपट्टी पपानासम, थिरूविदायमारूथुर, मोरपुर, पालाकोड, मानाचनालुरू व लालगुडी	3	60	300
21.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा व उत्तरी त्रिपुरा (2 जिले) व चार खंड अर्थात् कल्याणपुर,	--	24	120

क्रम संख्या	राज्य	चयनित राज्य का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण की प्रयोगशालाओं की संख्या	सर्वेक्षित विक्रेता की संख्या	सर्वेक्षित कृषकों की संख्या
		दुकली, कदमतला, व पानीसागर			
22.	उत्तर प्रदेश	बारावांकी, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, लखीमपुर, खेडी (7 जिले) व 14 खंड अर्थात् दरियाबाद, सिदुर, बानसगांव बेलघाट, हाराहुआ, पिंडरा, बिजौली, एकराबाद, बुलंदशहर, ऊंचागांव, दिलारी, मुंडापांडे, लखीमपुर, व मुहम्मदी	3	84	420
23.	उत्तराखंड	देहरादून, उधमसिंह नगर व पिथौरागढ़ (3 जिले) व छः खंड अर्थात् दवाला, सहसपुर, गदनपुर, खटीमा, गंगोलीघाट और मनसयारी	2	36	180
24.	पश्चिम बंगाल	मालदा, जगदलपुर, वर्धमान, मेदनीपुर (4 जिले) व आठ खण्ड अर्थात् हबीबपुर, कालियाचक III, मोयनगुरी, राजगंज, भातर, रैना II, गरवेटा III व केशपुर	2	48	240

अनुलग्नक 4.1

(पैरा 4.3)

राज्यवार निर्धारित बफर स्टाक *(मी.टन में मात्रा)*

क्र.स.	राज्य	डीएपी		एमओपी	यूरिया*
		2006-07	2007-09	2006-09	
1	ऑन्ध्र प्रदेश	10000	17000	9000	50000
2	असम	0	5000	5000	0
3	बिहार	15000	30000	9000	50000
4	छत्तीसगढ़	0	5000	0	0
5	गुजरात	0	5000	5000	50000
6	हरियाणा	35000	40000	7000	50000
7	जम्मू एवं कश्मीर	5000	5000	0	0
8	झारखण्ड	0	2500	2500	0
9	कर्नाटक	10000	20000	7000	50000
10	मध्यप्रदेश	20000	30000	7000	50000
11	महाराष्ट्र	10000	25000	10000	50000
12	पंजाब	40000	55000	7000	50000
13	राजस्थान	10000	18000	2000	50000
14	तमिलनाडू	10000	15000	7500	50000
15	उत्तर प्रदेश	25000	60000	15000	50000
16	उत्तराचॅल	0	2500	0	0
17	पश्चिमी बंगाल	10000	15000	7000	50000
18	उड़ीसा	0	0	0	50000
	योग	200000	350000	100000	650000

** एन पी एस III अवधि के लिए यूरिया के लिए बफर स्टाक*

अनुलग्न– 5.1

(पैरा 5.3.5)

पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदंडों में एन पी एस समूहों के अंदर विविधता

ऊर्जा के आंकड़े जी कैल/एम टी यूरिया (संयंत्र) में

क्र.स.	यूनिट का नाम	प्रायः II एन पी एस 1.04.2004 से 30.09.2006 तक लागू ऊर्जा	प्रायः III एन पी सी 1.10.2006 से 31.03 2010 तक लागू ऊर्जा	वास्तविक ऊर्जा खपत				
				2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
समूह –I- प्रायः 1992 गैस								
1	बीवीएफसीएल नामरूप-III	12.688	12.688	14.495	13.914	13.224	12.102	17.679
2	इफको, आवला-I	5.938	5.690	5.710	5.594	5.648	6.682	5.676
3	इन्डो गल्फ – जगदीशपुर	5.874	5.534	5.411	5.364	5.041	5.536	5.402
4	क्रिभको–हजीरा	5.952	5.952	5.835	5.866	5.945	5.892	5.914
5	एनएफएल–विजयपुर	5.952	5.952	5.807	5.795	5.754	5.808	5.834
समूह –II- बाद में 1992 गैस								
1	एनएफसीएल–काकीनाडा-I	5.712	5.712	5.689	5.61	5.569	5.531	5.536
2	सीएफसीएल–गडेपन-I	5.712	5.621	5.654	5.606	5.607	5.615	5.670
3	टीसीएल बबराला	5.507	5.417	5.21	5.109	5.163	5.151	5.295
4	केएसएफएल–शहाजहांपुर	5.712	5.712	5.976	5.823	5.784	5.746	5.769
5	एनएफसीएल काकीनाडा-II	5.712	5.712	5.703	5.674	5.675	5.656	5.667
6	इफको आवला-II	5.660	5.522	5.534	5.484	5.502	5.508	5.515
7	एनएफएल–विजयपुर-II	5.712	5.712	5.464	5.488	5.415	5.524	5.526
समूह -III प्रायः 1992 नेफ्था								
1	एसएफसी–कोटा	7.847	7.847	7.841	7.875	7.840	7.766	7.707

क्र.स.	यूनिट का नाम	प्रायः II एन पी एस 1. 04.2004 से 30.09.2006 तक लागू ऊर्जा	प्रायः III एन पी सी 1.10.2006 से 31.03 2010 तक लागू ऊर्जा	वास्तविक ऊर्जा खपत				
				2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
2	इफको फूलपुर-I	7.847	7.584	7.573	7.373	7.038	6.803	6.841
3	एमसीएफएल–मंगलोर	7.356	7.356	6.867	6.986	6.650	6.744	6.712
4	एफएफएल–मद्रास	8.337	8.337	7.742	8.062	7.872	7.774	7.896
5	स्पिक–टूटीकोरिन	7.475	7.382	7.064	7.013	6.947	0	0
6	जेडआइएल–गोवा	7.585	7.308	7.215	7.098	6.802	6.839	6.894
समूह -IV बाद मे 1992 नेफ्था								
1	इफको फूलपुर-II	5.883	5.883	6.012	5.788	5.760	5.791	5.948
2	सीएफसीएल –गड़ेपन-II	5.678	5.678	5.601	5.550	5.597	5.545	5.560
समूह -IV एफओ/एलएसएचएस								
1	जीएनवीएफसी–भरूच	7.989	7.989	7.866	7.727	7.936	7.848	7.969
2	एनएफएल–नंगल	9.517	9.517	9.518	9.566	9.507	9.505	9.505
3	एनएफएल–भंटिडा	10.221	10.221	9.708	9.641	9.616	9.608	9.606
4	एलएफएल–पानीपत	9.654	9.654	9.653	9.863	9.976	9.917	10.483
समूह -VI मिश्रित फीड स्टोक								
1	जीएसएफसी–बड़ोदा	6.935	6.935	6.308	6.209	6.311	6.327	6.532
2	इफको कलोल	6.836	6.607	6.323	6.155	5.954	5.925	5.919
3	आरसीएफ–थाल	7.004	6.938	6.470	6.499	6.502	6.554	6.471
1	बीवीएफसीएल–नामरूप-II	--	--	--	--	20.226	17.974	22.624

अनुलग्न 6.1

(पैरा 6.1.2)

राज्य सहायता/छूट दावों की लेखापरीक्षा जॉच

क्र.स.	यूनिट/उत्पाद का नाम	कुल राशि (करोड रू. मे)	दावों की संख्या
1.	रामा फास्फेट (एसएसपी)	42	32
2.	चम्बल फर्टीलाइजर्स एन्ड केमीकल लिमिटेड, गडेपन (यूरिया)	185	18
3.	श्रीराम फर्टीलाइजर्स एन्ड केमीकल, कोटा (यूरिया)	679	21
4.	गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एन्ड केमीकल लि. (डीएपी,एनपीके,एएस)	876	63
5.	मंगलौर केमीकल एन्ड फर्टीलाइजर्स लि. (यूरिया)	936	23
6.	नागार्जुना फर्टीलाइजर्स एन्ड केमीकल लि. (यूरिया)	1065	62
7.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. हजीरा (यूरिया)	1491	53
8.	मोजेक इन्डिया प्राइवेट लि. (डीएपी)	1549	45
9.	कृभको श्याम फर्टीलाइजर्स लि. शाहाजहांपुर (यूरिया)	1790	82
10.	नेशनल फर्टीलाइजर्स लि. (यूरिया)	2483	100
11.	राष्ट्रीय केमीकल फर्टीलाइजर्स, थाल (यूरिया)	4416	67
12.	प्रदीप फासंफेटस लिमिटेड (डीएपी, एमओपी)	4456	71
13.	मै. जुआरी इन्डष्ट्रीज लिमिटेड, गोवा (यूरिया,डीएपी)	4983	119
14.	इन्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर्स, कोआपरेटिव लि. (यूरिया, डीएपी)	11846	122
15.	मे. इन्डियन पोटाश लि. (यूरिया, डीएपी, एमओपी)	17561	101
	कुल	54,358	979

अनुलग्न– 6.2

पैरा–6.9

प्रेषण एवं प्रथम भंडारन स्थल पर प्राप्ति के बीच अन्तर

वर्ष 2008–09 के लिए प्रथम भंडारन स्थल के रिकार्ड के सत्यापन नूमना जॉच में पाया कि 0.49 लाख मे.ट. उर्वरक जिसकी कीमत 83.14 करोड़ रूपये थी, उत्पादक यूनिट द्वारा भेजी गई लेकिन कुछ राज्यों के प्रथम भंडारन स्थलों पर प्राप्त नही हुई थी जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	उत्पादक का नाम	उत्पाद	भेजी गयी मात्रा (मे.ट.)	प्राप्त हुई मात्रा मे.ट.	प्राप्त नही हुई मात्रा मे.ट.	राशि (करोड़ रूपये में)
पश्चिम बंगाल						
1.	टाटा केमीकल्स लि. (टीसीएल)	एमओपी	21441.00	18492.60	2948.40	5.01
2.	राष्ट्रीय केमीकल फर्टीलाइजर लि. (आरसीएफ)	एमओपी	2609.70	2453.90	155.80	1.01
3.	इफको	एनपीके	32962.05	19724.25	13237.80	39.44
4.	प्रदीप फासफेट लि.(पीपीएल) प्रदीप	डीएपी, एमओपी, एनपीके	2166.90 2615.80 2519.80	1851.60 2040.05 2435.50	315.30 575.75 84.30	1.40 0.85 0.10
5.	मै. इन्डिया पोटास लि. (आइपीएल)	डीएपी, एमओपी	8914.00 17492.30	6707.10 12841.70	2206.90 4650.60	4.42 12.70
	टोटल		90721.55	66546.70	24174.85	64.93
बिहार						
1.	कृभको, हजीरा	यूरिया	1373.60	1151.40	222.20	0.12
2.	इन्डोगल्फ, जगदीशपुर	यूरिया	36543	24521.20	12021.80	6.24
3.	आरसीएफ	यूरिया एमओपी	15284.80 1321.80	13408.35 767.20	1876.45 554.60	1.87 1.13
4.	केएसएफएल	यूरिया	18319.50	14611.85	3707.65	3.10
5.	नागार्जुना फर्टीलाइजर्स केमीकल लि.	यूरिया	5144.40	3825.60	1318.80	0.32
6.	टीसीएल	यूरिया	5185.70	4356.60	829.10	0.54
7.	आइपीएल	डीएपी यूरिया	6557.70 10461.80	6526.10 10332.35	31.60 129.45	0.10 0.15
8.	पीपीएल	एमओपी	933.75	431.95	501.80	1.03
	टोटल		101126.05	79932.60	21193.45	14.60

क्र. स.	उत्पादक का नाम	उत्पाद	भेजी गयी मात्रा (मै.ट.)	प्राप्त हुई मात्रा मे.ट.	प्राप्त नही हुई मात्रा मे.ट.	राशि (करोड़ रूपये में)
मध्य प्रदेश						
1	आइपीएल	एमओपी डीएपी	2957.30 91096.35	2932.25 90944.10	25.05 152.25	0.71
	टोटल		94053.65	93876.35	177.3	0.71
हरियाणा						
1	आइपीएल	डीएपी	5376.65	5285.25	91.4	0.28
	टोटल		5376.65	5285.25	91.4	0.28
गुजरात						
1	कृभको	यूरिया	4216	1636	2580	1.37
2	हिन्डालको	डीएपी	214	0	214	0.66
3	इफको	यूरिया	33	0	33	0.07
4	जीएनवीएफसी	एनपीके	10	0	10	0.03
	टोटल		4473	1636	2837	2.13
झारखंड						
1	पीपीएल	एमओपी एनपीके	76 74	0 0	76 74	0.19 0.30
	टोटल		150	0	150	0.49
	कुल टोटल		295900.90	247276.90	48624.00	83.14

परिशिष्ट 9.1 गुजरात

(पैरा 9.5.2.2.2)

खरीदारों की पहचान बिना उच्च मूल्य की बिक्री

विक्रेता का नाम	जिला	उच्च मूल्य बिक्री के मामलों की संख्या
श्री सरदार बारदौली तालूका खेदूत सहकारी खरीद वेचान संघ लिमिटेड, बारदौली	सूरत	25
दिगास सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड, दिगास	सूरत	12
कामराज विभाग को–ओपरेटीव फल एवं सब्जी ग्रोवर सोसाइटी लिमिटेड, कामराज चार रास्ता	सूरत	12
चिखाली डूंगर विभाग सेवा सहकारी मंडली, चिखाली डूंगर	सूरत	7
खोज विभाग सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड	सूरत	16
पार्थ एग्रो सेन्टर, लाखोद (भुज)	कच्छ	15
मैसर्स/माधापार एस.एस.एम., भुज	कच्छ	13
एग्री बिजनैस सेन्टर, नारनपार (भुज)	कच्छ	19
देसालपार सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड, देसालपार (भुज)	कच्छ	7
कुल		**126**

परिशिष्ट 9.2 हिमाचल प्रदेश

(पैरा 9.7.2.4.2.)

किन्नौर जिले के कल्पा खंड में गैर सत्यापित बिक्री

क्र.म.	उप विक्रेता का नाम	हिमफैड के शांगटांग प्रथम बिक्री बिन्दु द्वारा जारी कैश मैमो का नं. व दिनांक		उर्वरक की बेची गई मात्रा (बैग में)		सब्सिडी लिप्त			
				प्रकार	मात्रा	राज्य सरकार		भारत सरकार	
						प्रति बैग बेसिक रेट	दर (रू.)	प्रति बैग दर	दर (रू.)
1.	**मैसर्स के.सी.एच.सी. कल्पा (मैसर्स कृष कस्टूम हायरिंग सेंटर)**	74795	19/04/2007	यूरिया	25	10	250	704	**17,600**
		74770	03/04/2007	एनपीके 12:32:16	2	25	50	284	**568**
		74793	17/04/2007	एनपीके15: 15:15	27	25	675	160	**4,320**
		74796	19/04/2007	वही	10	25	250	160	**1,600**
		74769	03/04/2007	एमओपी	6	-	-	298	**1,788**
		74768	03/04/2007	एसएसपी	6	-	-	48	**288**
		74792	17/04/2007	वही	18	-	-	48	**864**
		74521	23/02/2007	सीएएन	15	--	-	-	-
		74520	23/02/2007	एमओपी	23	-	-	298	**6,854**
		74519	23/02/2007	एसएसपी	50	-	-	48	**2,640**
		योग:			**182**		**1,225**		36,522
2.	मैसर्स कविता एग्रो कैमिकल्स, सांगला	26600	29/01/2009	सीएएन	100	-	-	-	-
		32153	30/01/2009	सीएएन	50	-	-	-	-
		32154	30/01/2009	यूरिया	100	10	1,000	704	**70,400**
		32177	04/03/2009	-वही	300	10	3,000	704	**2,11,200**
		32191	20/03/2009	एनपीके10: 26:26	164	25	4,100	1590	**2,60,760**
		32152	30/01/2009	एनपीके15: 15:15	40	25	1,000	1015	**40,600**
		32157	30/01/2009	एनपीके 15:15:15	100	25	2,500	1015	**1,01,500**

क्र.म.	उप विक्रेता का नाम	हिमफैड के शांगटांग प्रथम बिक्री बिन्दु द्वारा जारी कैश मैमो का नं. व दिनांक		उर्वरक की बेची गई मात्रा (बैग में)		सब्सिडी लिप्त			
				प्रकार	मात्रा	राज्य सरकार		भारत सरकार	
						प्रति बैग बेसिक रेट	दर (रू.)	प्रति बैग दर	दर (रू.)
		32189	20/03/2009	एनपीके 15:15:15	293	25	7,325	1015	**2,97,395**
		32151	30/01/2009	एनपीके 12:32:16	100	25	2,500	1660	**1,66,000**
		योग:			**1247**		**21,425**		11,47,855
3.	मैसर्स अजीत एग्रो केमिकल्स, रेकांग पेयो	32187	20/03/2009	यूरिया	267	10	2,670	704	**1,87,968**
		10853	17/04/2008	एनपीके 10:26:26	170	25	4,250	1590	**2,70,300**
		10856	21/04/2008	एनपीके10: 26:26	139	25	3,475	1590	**2,21,010**
		32184	19/03/2009	एनपीके10: 26:26	300	25	7,500	1590	**4,77,000**
		32182	20/03/2009	एनपीके15: 15:15	500	25	12,500	1015	**5,07,500**
		योग:			**1376**		**30,395**		16,63,778
4.	मैसर्स तेलंगी फ्रूट प्रोसोसिंग व मार्केटिंग सभा लि.	026559	27/11/2008	एनपीके10: 26:26	70	25	1,750	1590	**1,11,300**
		कुल योग:			2875		54,795		29,59,455

नोटः उर्वरक का एक बैग 50 किलोग्राम का है व कुल मात्रा 2875 बैगों की 143.75 मी.टन आती है व कुल सब्सिडी रू. 30.14 लाख (रू. 29.59 लाख + रू. 0.55 लाख) है।

परिशिष्ट–9.3

(पैरा 9.13.2.4)

उर्वरक की आपूर्ति जोकि एडीओज द्वारा जाँची नहीं गई

जिला–I अमरावती

उर्वरक कंपनियों के नाम	ग्रेड	आपूर्ति महीना	एडीओ द्वारा प्राप्त बीजको के कथन	मात्रा मी. टन. में
वसंत उर्वरक	एसएसपी	12/08	13.1.09	**600**
बी.ई.सी.	एसएसपी	12/08 03/09	12.1.09 13.4.09	**352** **517**
दीपक उर्वरक	23 :23 :0	02/09	16.3.09	**13.00**
दीपक उर्वरक	एमओपी	12/08	13.1.09	**755**
जीएसएफसी	डीएपी	12/08	28.1.09	**823**
जीएसएफसी	20 :20 :13	01/09	11.2.09	**580**
कोरोमंडल	डीएपी	12/08	19.1.09	**284**
हिण्डैलको	एमएपी	01/09 11/08	09.3.09 23.12.08	**831.400** **818.40**
आईपीएल	एमओपी	08/08 11/08 12/08	06.10.08 28.01.09 28.01.09	**189.450** **472** **1083**
इफको	डीएपी	10/08 12/08	06.12.08 16.02.09	**2394.400** **2523.75**
इफको	10 :26 :26	01/09	16.02.09	**1402.15**
आरसीएफ	15 :15 :15	02/09	05.03.09	**1250**
जिला–II लतूर				
आरती उर्वरक	एसएसपी	3/06	20.4.06	**114**
गोदावरी	10 :26 :26	5/06	5.7.06	**62**
आरती उर्वरक	एसएसपी	6/06	18.7.06	**1857**

उर्वरक कंपनियों के नाम	ग्रेड	आपूर्ति महीना	एडीओ द्वारा प्राप्त बीजको के कथन	मात्रा मी. टन. में
शिवा	एसएसपी	7/06	18.8.06	**138**
हिण्डैलको	डीएपी	7/06	14.9.06	**34**
जीएसएफसी	डीएपी	7/06	8.11.06	**393.350**
रामा फॉस्फेट	एसएसपी	8/06	1.11.06	**12**
हिण्डैलको	डीएपी	9/06	19.1.07	**37**
दीपक उर्वरक	23 :23 :0	11/06	14.12.06	**45**
शिवा	एसएसपी	12/06	19.1.07	**52**
आरती उर्वरक	एसएसपी	12/06	2.2.07	**46**
दीपक उर्वरक	23 :23 :0	1/07	12.2.07	**32**
आरती उर्वरक	एसएसपी	1/07	28.2.07	**161**
लिबर्टी	एसएसपी	1/07	2.3.07	**80**
लिबर्टी	एसएसपी	1/07	16.3.07	**100**
आरसीएफ	15 :15 :15	2/07	7.3.07	**460.75**
लिबर्टी	एसएसपी	2/07	16.3.07	**151**
बाला उर्वरक	एसएसपी	2/07	16.3.07	**9**
इफको	12 :32 :16	2/07	22.3.07	**55**
आरकेआर	एसएसपी	2/07	5.4.07	**349**
राम फॉस्फेट	एसएसपी	3/07	20.4.07	**23**
आरकेआर	एसएसपी	3/07	20.4.07	**134**
दीपक उर्वरक	एमओपी	8/07	23.4.07	**16**
इफको	10 :26 :26	3/07	23.4.07	**35**
आरती उर्वरक	एसएसपी	3/07	9.5.07	**16**
जीएसएफसी	20 :20 :0	3/07	17.5.07	**959**
वसंत	एसएसपी	4/07	28.5.07	**9**

उर्वरक कंपनियों के नाम	ग्रेड	आपूर्ति महीना	एडीओ द्वारा प्राप्त बीजको के कथन	मात्रा मी. टन. में
शिवा	एसएसपी	4/07	22.5.07	**27**
आरकेआर	एसएसपी	4/07	22.5.07	**232**
ज़िल	डीएपी	1/09	21.3.09	**1549.950**
ज़िल	एमओपी	2/09	25.5.09	**50**
ज़िल	डीएपी	3/09	25.5.09	**360.350**
ज़िल	डीएपी	3/09	25.5.09	**1378.350**
ज़िल	एमओपी	3/09	25.5.09	**1171.250**
ज़िल	**12 :32 :16**	**3/09**	**25.5.09**	**354**

जिला–III पुणे

उर्वरक कंपनियों के नाम	ग्रेड	आपूर्ति महीना	एडीओ द्वारा प्राप्त बीजको के कथन	मात्रा मी. टन. में
भारत उर्वरक		12/06	27.12.06	**20**
आरती उर्वरक		4/06	29.6.06	**362**
आरसीएफ		12/06	10.1.07	**231**
जुआरी	19x19x19	6/07	29.9.07	**2000.250**
		8/07	29.9.07	**5**
		10/07	7.12.07	**168**
		12/07	24.1.08	**342.150**
	डीएपी	10/07	7.12.07	**1717.500**
	12x32x16	7/08	29.9.07	**1346.600**
	एमओपी	3/08	7.4.08	**613**
		6/07	17.7.07	**28**
	10x26x26	9/07	10.10.07	**1641.5**

उर्वरक कंपनियों के नाम	ग्रेड	आपूर्ति महीना	एडीओ द्वारा प्राप्त बीजको के कथन	मात्रा मी. टन. में
		10/07	22.11.07	**51.650**
		1/08	25.2.08	**1505.280**
हिण्डैलको	डीएपी	8/07	10.10.07	**135**
		11/07	28.12.07	**205**
		12/07	7.12.08	**691**
		2/08	15.4.08	**585**
आईपीएल	एमओपी	1/08	26.2.08	**274**
जुआरी	12x32x16	3/09	18.7.09	**1458**
	डीएपी	2/09	18.7.09	**1353**
		3/09	18.7.09	**1541.400**
	एमओपी	1/09	20.3.09	**412.700**
		2/09	18.7.09	**1700**
		3/09	18.7.09	**2552**
आरसीएफ	एमओपी	3/09	8.4.09	**45**
जीएफसीएल	12x32x16	12/08	19.1.09	**21**
आईपीएल	डीएपी	9/08	19.9.08	**118.150**
आईपीएल	डीएपी	11/08	18.12.08	**131**
लिबर्टी फॉस्फेट	एसएसपी	3/09	18.12.08	**1339**
जीएसएफसी	**12x32x16**	**12/08**	**20.1.09**	**141**

जिला–IV उस्मानाबाद

उर्वरक कंपनियों के नाम	ग्रेड	आपूर्ति महीना	एडीओ द्वारा प्राप्त बीजको के कथन	मात्रा मी. टन. में
इफको	डीएपी	2/07	22.02.07	**50**
	10:26:26	2/07	20.03.07	**179**
	12:32:16	2/07	20.03.07	**107**
	12:32:16	3/07	19.04.07	**10**
	10:26:26	3/07	19.04.07	**63**
	डीएपी	3/07	19.04.07	**23**
	डीएपी	3/07	30.05.07	**10**
कोरोमंडल	10:26:26	12/06	23.01.07	**64.500**
	10:26:26	10/06	23.01.07	**60**
	10:26:26	1/07	20.01.07	**10**
	10:26:26	2/07	21.05.07	**20**
	10:26:26	3/07	21.05.07	**140**
	डीएपी	10/07	27.12.07	**10**
	10:26:26	11/07	07.12.07	**20**
गुजरात उर्वरक	डीएपी	8/06	14.11.06	**19**
	डीएपी	10/06	20.12.06	**287**
	डीएपी	3/07	19.04.07	**247**
दीपक	एमओपी	10/06	17.11.06	**42**
	10:26:26	11/06	17.11.06	**10**
आरकेआर	एसएसपी	10/06	14.11.06	**10**
		1/07	01.03.07	**191**
		2/07	10.04.07	**206**
शिवा	एसएसपी	5/06	07.07.06	**27**
		11/06	02.01.07	**9**
		1/07	21.02.07	**35**
		2/07	20.03.07	**156**
		3/07	03.05.07	**197**
आरती	**एसएसपी**	**6/06**	**02.09.06**	9
		1/07	**03.03.07**	31
		2/07	**22.03.07**	16
		10/07	**02.01.08**	16

-

परिशिष्ट–9.4

(पैरा 9.13.2.5)

क्र.सं.	आपूर्तिकर्त्ता या थोक विक्रेता का नाम	ग्रेड/उर्वरकों के निर्माता	बीजक की संख्या व दिनांक	न्यूनतम आपूर्ति (एम.टी. में)	व्यापारी का नाम जिसे आपूर्ति की गई	टिप्पणी
1.	संतोष एग्रो एजेंसी, पुणे	एसएसपी(पी)/ दीपक उर्वरक	08-3204/ 24.1.09	3	मैसर्स सी.ए. बाटेबारा, उराली कंचन, तालहवेली जिला पुणे	**व्यापारी के स्टॉक बुक में प्रविष्टि नहीं मिली**
2.	रामा कृषि रसायन, पुणे	एसएसपी ग्रैनुलेटिड	SO476/0020/ 22.5.08	3	मैसर्स श्री कृषि सेवा केन्द्र, काडेगांव जिला सांगली	**व्यापारी के स्टॉक बुक में प्रविष्टि नहीं मिली**
3.	डीएमओ उस्मानाबाद	डीएपी/आईपी एल	416/31.5.08	6	मैसर्स साईं कृषि सेवा केन्द्रा, तुलजापुर	**व्यापारी के स्टॉक बुक में प्रविष्टि नहीं मिली**
		यूरिया/कृभको	986/30.9.08	85		
		10x26x26/ इफको	986/30.9.08	5		
		यूरिया(जीएनवी एफसी)	986/30.9.08	10		
4.	उमा ट्रेडर्स नॉदेड	एसएसपी(जी)/ शिवा	5008Y-283 17.6.08	10		
5.	मैसर्स कृषि वास्तु भंडार, उस्मानाबाद	एमओपी/आईपी एल	11863/ 19.10.08	2		
6.	मैसर्स लक्ष्मीचन्द कृषि सेवा केन्द्र, उस्मानाबाद	एमओपी (ज़िल)	5917/4.6.08	2		
7.	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोवा	यूरिया (जेके)	271012796, 271012797& 271012798 Dt.13.11.08	10	अशोक कृषि सेवा केन्द्र नालेगांव तालुका–चाकुर, जिला–लतूर	**स्टॉक बुक मे 30 में से 20 मी.टन यूरिया ही दिखाई गई**
8.	डीएमओ, सांगली	10x26x26/ इफको	381/ 10.7.08	30	मैसर्स नरसिंह उर्वरक और कैमिकल्स, सांगली	**व्यापारी के स्टॉक बुक में प्रविष्टि नहीं मिली**
		10x26x26/ इफको	764/ 20.10.08	20		
9.	आरसीएफ	यूरिया	1208000332/7. 4.08	20	मैसर्स परसेवार और कंपनी, सांगली	**व्यापारी के स्टॉक बुक में प्रविष्टि नहीं मिली**
			1028000025/7. 4.08	20		
			1028000333/7. 4.08	20		
			1028000369/1 0.4.08	20		

क्र.सं.	आपूर्तिकर्त्ता या थोक विक्रेता का नाम	ग्रेड/उर्वरकों के निर्माता	बीजक की संख्या व दिनांक	न्यूनतम आपूर्ति (एम.टी. में)	व्यापारी का नाम जिसे आपूर्ति की गई	टिप्पणी
			1028000368/10.4.08	20		
			1028000430 /23.4.08	10		
			1028000858/29.5.08	20		
			1208004274/24.9.08	300		
			1208004369/25.9.08	300		
			1208004487/30.9.08	200		
		15:15:15	1208007342/2.2.09	10		
10.	डीएमओ, सांगली	एमओपी/ ज़िल	26267/ 27.5.08	175	मैसर्स परसेवार और कंपनी, सांगली	**व्यापारी के स्टॉक बुक में प्रविष्टि नहीं मिली**
11.	जीएसएफसी	डीएपी	27164/ 9.4.08	4	मैसर्स राज उर्वरक और कैमिकल्स, सांगली	**140 मी.टन मे प्रविष्टि में से 136 मी.टन ही स्टॉक बुक में पाई गई**
				1307		

परिशिष्ट– 9.5

(पैरा 9.13.2.6)

(मात्रा थैलों की संख्या में)

क्र. सं.	व्यापारियों के नाम	उर्वरक के ग्रेड	31.03.09 को अंतिम शेष	1.04.09 को प्रारंभिक शेष	कम/अधिक
1.	दत्राराज उर्वरक एण्ड कंपनी सलोरा, तालुका–भोर	यूरिया (जेके)	44	शून्य	**(-) 44**
		18:18:10	40	शून्य	**(-) 40**
2.	मैसर्स यशोधन कृषि सेवा केन्द्र, रामानन्द नगर तालुका–पालुस	यूरिया	9	238	**229**
		डीएपी	11	8	**(-) 3**
		एसएसपी (पी)	21	19	**(-) 2**
		एसएसपी (जी)	0	10	**(-) 10**
3.	श्री एग्रो एजेंसी, तुलजापुर जिला–उस्मानाबाद	यूरिया (एनएफएल)	17	1	**(-)16**
		यूरिया (आरसीएफ)	73	257	**184**
		डीएपी (कोरामंडल)	9	शून्य	**(-) 9**
		डीएपी (ज़िल)	89	77	**(-) 12**
		यूरिया(ज़िल)	85	1	**(-) 84**
		10x26x26 (ज़िल)	9	शून्य	**(-)9**
		10x26x26 (कोरामंडल)	11	शून्य	**(-)11**
		12x32x16 (इफको)	12	शून्य	**(-)12**
		12x32x16 (ज़िल)	6	शून्य	**(-)6**
		डीएपी (आईपीएल)	89	85	**(-)4**
		एमओपी(आईपीएल)	193	185	**(-)8**
		एसएसपी (पाउडर) बसंत	49	16	**(-)33**
		यूरिया(इफको)	5	शून्य	**(-)5**
		10x26x26 (इफको)	7	शून्य	**(-) 7**
		डीएपी(इफको)	57	37	**(-) 20**
		15x15x15 (आरसीएफ)	8	6	**(-) 2**
		एमएपी (आईपीएल)	78	65	**(-) 13**
		डीएपी (आरसीएफ)	7	शून्य	**(-) 7**
		यूरिया (कृभको)	463	459	**(-) 4**
4	जगदम्बा एग्रो एजेंसी	एमएपी (आईपीएल)	7	शून्य	**(-) 7**
		10x26x26	2	शून्य	**(-) 2**

क्र. सं.	व्यापारियों के नाम	उर्वरक के ग्रेड	31.03.09 को अंतिम शेष	1.04.09 को प्रारंभिक शेष	कम/अधिक
		एसएसपी (पाउडर) कृषि संजीवनी	3	शून्य	**(-) 3**
5.	वसंत कृषि सेवा केन्द्र, सस्तुर, ताल–लोहारा, जिला उस्मानाबाद	डीएपी/आईपीएल	115	शून्य	**(-)115**
6.	मैसर्स गणेश क्रुषी सेवा केन्द्रा, चपौली, ताल–चाकुर, जिला लतुर	यूरिया/आरसीएफ	5	शून्य	**(-) 5**
		डीएपी/इफको	14	शून्य	**(-) 14**
		डीएपी/ज़िल	2	शून्य	**(-) 2**
7.	मैसर्सज शिव ट्रेडिंग कंपनी निलांगा, जिला लतूर	एसएसपी(पी)/आरकेआर	95	54	**(-) 41**
		एसएसपी(जी)/आरकेआर	198	170	**(-) 28**
		एमओपी/आईपीएल	**68**	**64**	**(-) 4**

परिशिष्ट–9.6

(पैरा 9.17.2.7)

बालीकुडा बिक्री बिंदु, मार्कफेड में उर्वरकों की कमी को दर्शाती हुई विवरणी

(मात्रा एम.टी. में)

उत्पाद	उत्पादक	आदि शेष	प्राप्ति	कुल	बिक्री	अंतिम शेष जो होना था	अंतिम शेष जो दिखाया	कमी
यूरिया	आईपीएल	00	41.00	41.00	35.5	5.5	1.25	4.25
यूरिया	इफको	11.75	310.00	321.75	228.2	93.55	52.90	40.65
एमओपी	आईपीएल	00	136	136	80.30	55.70	52.15	3.55
डीएपी	इफको	2.70	129.0	131.70	118.55	13.15	1.45	11.70
20:20:0	इफको	00	52.0	52.0	38.65	13.35	7.95	5.40
कुल								**65.550**

जिला	बफर/डिपो	वार्षिक भौतिक जांच का वर्ष	उत्पाद का नाम	उत्पादक	मात्रा एम.टी. में	टिप्पणी
बालासोर	दाहुँडा	2006-07	एमओपी	इफको	6.600	कमी
			डीएपी	इफको	1.550	कमी
			जीएपी28:28	सीएफएल	6.850	कमी
			20:20:0	इफको	1.400	कमी
			डीएपी	पीपीएल	60.000	स्टॉक में नहीं शामिल किया गया
बालासोर	चांदाबाली	2006-07	यूरिया	इफको	64.200	कमी
			एमओपी	इफको	12.100	कमी
			डीएपी	पीपीएल	19.750	कमी
			20:20:0	पीपीएल	7.200	कमी
			20:20:0	इफको	16.650	कमी
जगतसिंह पुर	रघुनाथपुर	2006-07	28:28:0	सीएफएल	0.05	क्षतिग्रस्त
			डीएपी		4.600	क्षतिग्रस्त
			10:26:26	इफको	0.550	क्षतिग्रस्त
गंनजम	बुगुडा	2006-07	एमओपी	आईपीएल	10.550	कमी
			28:28:0	सीएफएल	3.000	कमी
			10:26:26	इफको	7.900	कमी
			डीएपी	आईपीएल	0.900	कमी
			डीएपी	पीपीएल	0.700	कमी
			20:20:0	पीपीएल	5.000	कमी
			यूरिया	एनएफसीएल	3.000	कमी
			यूरिया	इफको	161.00	कमी

परिशिष्ट–9.7

(पैरा 9.19.2.2)

मुख्य चार उर्वरकों की वास्तविक आपूर्ति और आवश्यकता के बीच अंतर दर्शाती हुई विवरणी

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	ब्यौरा	खरीफ			रबी		
			2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	यूरिया	(i) आवश्यकता	500000	550000	560000	792000	1000000	1000000
		(ii) वास्तविक आपूर्ति		537011	545053	834072	829517	713363
		(iii) अंतर (ii) घटा (i) (प्रतिशत अंतर)		(-) 12989 (2%)	(-) 14947 (3%)	42072 (5%)	(-) 170483 (17%)	(-) 286637 (29%)
2.	डीएपी	(i) आवश्यकता	260000	280000	260000	292000	350000	228000
		(ii) वास्तविक आपूर्ति		192402	313236	225984	253668	250768
		(iii) अंतर (ii) घटा (i) (प्रतिशत अंतर)		(-) 87598 (31%)	53236 (20%)	(-) 66016 (23%)	(-) 96332 (28%)	22768 (10%)
3.	एसएसपी	(i) आवश्यकता	125000	135000	135000	80000	110000	110000
		(ii) वास्तविक आपूर्ति		113088	131327	93850	61593	107268
		(iii) अंतर (ii) घटा (i) (प्रतिशत अंतर)		(-) 21912 (16%)	(-) 3673 (3%)	13850 (17%)	(-) 48407 (44%)	(-) 2732 (2%)
4.	एमओपी	(i) आवश्यकता	7000	8000	15000	15000	15000	18000
		(ii) वास्तविक आपूर्ति		13811	16266	2338	9438	12966
		(iii) अंतर (ii) घटा (i) (प्रतिशत अंतर)		5811 (73%)	1266 (8%)	(-) 12662 (84%)	(-) 5562 (37%)	(-) 5034 (28%)

परिशिष्ट–9.8

(पैरा 9.19.2.3)

अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 के अवधि में उर्वरक के कम आपूर्ति का विवरण

(एम.टी. में मात्रा)

सीजन	माह	यूरिया			डी.ए.पी			एस.एस.पी.			एम.ओ.पी		
		आपूर्ति योजना	वास्तविक आपूर्ति	कम आपूर्ति और इसका प्रतिशत	आपूर्ति योजना	वास्तविक आपूर्ति	कम आपूर्ति और इसका प्रतिशत	आपूर्ति योजना	वास्तविक आपूर्ति	कम आपूर्ति और इसका प्रतिशत	आपूर्ति योजना	वास्तविक आपूर्ति	कम आपूर्ति और इसका प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
रबी 07-08	अक्टूबर 07	123300	143220	-	85129	126289	-	40000	32793	7207(18%)	3624	219	3405(94%)
	नवम्बर 07	131370	135845	-	75755	70997	4758(6%)	25000	20533	4467(18%)	2068	551	1517(73%)
	दिसम्बर 07	156350	287262	-	25191	24732	459(2%)	3000	5177	-	3600	6098	-
	जनवरी 08	165152	157874	7278(4%)	10800	19171	-	11000	1694	9306(85%)	1300	893	407(31%)
	फरवरी 08	62337	60458	1879(3%)	12400	8573	3827(31%)	11000	1098	9902(90%)	1000	1587	-
	मार्च 08	53082	44858	8224(15%)	7690	3906	3784(49%)	20000	298	19702(99%)	500	90	410(82%)
	कुल योग	**691591**	**829517**		**216965**	**253668**		**110000**	**61593**		**12092**	**9438**	
खरीफ08	अप्रैल08	81050	81502	-	6100	9737	-	0	413	-	1500	96	1404(94%)
	मई 08	90850	89471	1379(2%)	29500	11525	17975(61%)	24670	32221	-	1000	93	907(91%)
	जून 08	80510	55751	24759(31%)	51900	45823	6077(12%)	71945	33241	38704(54%)	1500	1004	496(33%)

	जुलाई08	97840	99610	-	72525	97916	-	51685	19502	32183(62%)	2600	8701	-
	अगस्त08	123960	92600	31360(25%)	89400	68400	21000(23%)	77200	17697	59503(77%)	7500	1143	6357(85%)
	सितम्बर08	128373	126119	2254(2%)	77265	79835	-	81200	28253	52947(65%)	8500	5229	3271(38%)
	कुल योग	**602583**	**545053**		**326690**	**313236**		**306700**	**131327**		**22600**	**16266**	
रबी 08-09	अक्टूबर 08	129000	134753	-	114300	110341	3959(3%)	67700	32362	35338(52%)	7500	1863	5637(75%)
	नवम्बर 08	98400	155244	-	90100	93604	-	54970	10668	44302(81%)	3400	731	2669(79%)
	दिसम्बर 08	185368	254234	-	27100	11747	15353(57%)	16910	12458	4452(26%)	6000	0	6000(100%)
	जनवरी 09	84900	104788	-	11400	24214	-	39460	19894	19566(50%)	2000	1987	13(1%)
	फरवरी 09	44580	31651	12929(29%)	12700	10862	1838(14%)	36270	13028	23242(64%)	1000	8285	-
	मार्च 09	41970	32693	9277(22%)	17900	0	17900(100%)	34105	18858	15247(45%)	5000	100	4900(98%)
	कुल योग	**584218**	**713363**		**273500**			**249415**	**107268**		**24900**	**12966**	

परिशिष्ट 9.9

(पैरा 9.22.2.2)

वर्ष 2008–09 के नौ माह में चयनित जाँच किये गये जिलों की आपूर्ति योजना एवं वास्तविक आपूर्ति

(मात्रा एम.टी. में)

डी.ए.पी.		अलीगढ़	बाराबंकी	बुलंदशहर	गोरखपुर	लखीमपुर खीरी	मुरादाबाद	वाराणसी
अप्रैल 08 से दिसम्बर 08	योजना	41897	17006	43579	27470	12560	16018	**26528**
अधिक (-) एवं कमी	वास्तविक	55487	15824	46104	44291	2711	26736	**63467**
	योजना–वास्तविक (प्रतिशत)	(-)13590 **(32)**	(+)1182 **(7)**	(-)2525 **(6)**	(-)16821 **(61)**	(+)9849 **(78)**	(-)10718 **(67)**	**(-)36939 (139)**
यूरिया								
अप्रैल 08 से दिसम्बर 08	योजना	**82491**	**87049**	**93257**	**182196**	**155063**	**130147**	**46232**
	वास्तविक	**101917**	**79692**	**81581**	**164349**	**45049**	**138393**	**80957**
	योजना–वास्तविक (प्रतिशत)	**(-) 19426 (24)**	**(+)7357 (8)**	**(+)11676 (13)**	**(+)17847 (10)**	**(+)110014 (71)**	**(-) 8246 (6)**	**(-) 34725 (75)**
एम.ओ.पी.								
अप्रैल 08 से दिसम्बर 08	योजना	**4874**	**5406**	**943**	**5113**	**2175**	**6552**	**4482**
	वास्तविक	**20730**	**2708**	**7752**	**14790**	**0**	**3853**	**11591**
	योजना–वास्तविक (प्रतिशत)	**(-) 15856 (325)**	**(+)2698 (50)**	**(-) 6809 (722)**	**(-) 9677 (189)**	**(+)2175 (100)**	**(+)2699 (41)**	**(-) 7109 (159)**
एन.के.पी.								
अप्रैल 08 से दिसम्बर 08	योजना	**2330**	**28399**	**7706**	**15465**	**24686**	**46672**	**13087**
	वास्तविक	**1261**	**23227**	**5902**	**34915**	**0**	**35521**	**32427**
	योजना–वास्तविक (प्रतिशत)	**(+)1069 (46)**	**(+)5172 (18)**	**(+)1804 (23)**	**(-) 19450 (126)**	**(+)24686 (100)**	**(+)11151 (24)**	**(-) 19340 (148)**

परिशिष्ट 9.10

(पैरा 9.22.2.2)

परीक्षण जांच जिलों में उर्वरक पोषक तत्वों की विगत तीन वर्षों के दौरान खपत के आंकड़े

जिले का नाम	खपत के आंकड़े (एम.टी. में)			सकल फसल क्षेत्र	सकल फसल क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत
2006-07	एन	पी	के	हजार हेक्टयेर में	किलो ग्राम में
अलीगढ़	40898	22610	1484	583	**70:39:03**
बाराबंकी	57172	20090	5520	463	**123:43:12**
बुलन्दशहर	73147	17766	2910	409	**179:43:07**
गोरखपुर	47585	15862	4013	380	**125:42:11**
लखीमपुर खीरी	85902	21453	5388	728	**118:29:07**
मुरादाबाद	85562	15464	7497	480	**178:32:16**
वाराणसी	39949	16083	3986	136	**293:118:29**
2007-08					
अलीगढ़	52161	20592	3487	583	**90:35:06**
बाराबंकी	68507	15892	2425	463	**148:34:05**
बुलन्दशहर	66169	21351	2538	409	**162:52:06**
गोरखपुर	64080	15621	6073	380	**169:41:16**
लखीमपुर खीरी	86900	12718	4244	728	**119:17:06**
मुरादाबाद	87708	13861	4324	480	**183:29:09**
वाराणसी	40067	17851	4674	136	**294:131:34**
2008-09					
अलीगढ़	53233	21691	4968	583	**91:37:09**
बाराबंकी	70546	17001	3191	463	**152:37:07**
बुलन्दशहर	67802	22909	3472	409	**166:56:08**
गोरखपुर	65809	18020	8481	380	**173:47:22**
लखीमपुर खीरी	89891	15254	6067	728	**123:21:08**
मुरादाबाद	90236	14549	5872	480	**188:30:12**
वाराणसी	**40916**	**19847**	**6589**	**136**	**300:146:48**

परिशिष्ट 9.11

(पैरा 9.22.2.2)

विगत तीन वर्षों में बुन्देलखण्ड जिलों में उर्वरक पोषक की खपत के आंकड़े

जिले का नाम	खपत के आंकड़े (एम.टी. में)			सकल फसल क्षेत्र	सकल फसल क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत
2006-07	एन	पी	के	हजार हेक्टयेर में	किलो ग्राम में
झांसी	15915	10937	104	457	**35:34:00**
ललितपुर	7629	6237	90	364	**21:17:00**
जालौन	20035	9634	154	406	**49:24:00**
हमीरपुर	7928	4921	5	357	**22:14:00**
महोबा	4706	4549	64	298	**16:15:00**
बांदा	7093	3785	64	446	**16:08:00**
चित्रकुट	5644	2809	0	214	**26:13:00**
2007-08					
झांसी	17406	8136	1591	457	**38:18:03**
ललितपुर	7961	5533	5392	364	**15:15:03**
जालौन	18408	6960	1139	406	**45:17:03**
हमीरपुर	5964	1924	921	357	**17:05:03**
महोबा	3283	2163	1322	298	**11:07:04**
बांदा	7988	3867	918	446	**18:09:02**
चित्रकुट	4029	3000	943	214	**19:14:04**
2008-09					
झांसी	17511	8383	2091	457	**38:18:05**
ललितपुर	5629	5962	1308	364	**15:16:04**
जालौन	18452	7171	1494	406	**45:18:04**
हमीरपुर	5977	1958	1212	357	**17:05:03**
महोबा	2386	2205	1728	298	**11:07:06**
बांदा	8054	3882	1207	446	**18:09:03**
चित्रकुट	**4066**	**3050**	**1241**	**214**	**19:14:06**

परिशिष्ट– 9.12

(पैरा 9.24.2.2)

क्रम संख्या	निर्माता का नाम	उत्पादन	भेजी गई मात्रा (मीट्रिक टन)	मात्रा प्राप्ति (मीट्रिक टन)	जो मांग प्राप्त नहीं हुई (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ों में)
1.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड, (टीसीएल)	एमओपी	21441.00	18492.60	2948.40	5.01
2.	राष्ट्रीय केमिकल्स उर्वरक, लिमिटेड, (आर.सी.एफ.)	एमओपी	2609.70	2453.90	155.80	1.01
5.	इफको	एनपीके	32962.05	19724.25	13237.80	39.44
6.	पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, (पीपीएल) पारादीप	डीएपी एमओपी एनपीके	2166.90 2615.80 2519.80	1851.60 2040.05 2435.50	315.30 575.75 84.30	1.40 0.85 0.10
7.	मैसर्स इंडिया पोटाश लिमिटेड (आईपीएल)	डीएपी एमओपी	8914.00 17492.30	6707.10 12841.70	2206.90 4650.60	4.42 12.70
	कुल		**90721.55**	**66546.70**	**24174.85**	**64.93**

परिशिष्ट– 9.13

(पैरा 9.24.2.5)

दूसरों जिलों में डीलरों को उर्वरक की बिक्री दर्शाता हुआ विवरण

डीलर का नाम	जिस डीलर को दिया गया	जिस जिलों को विचलित किया	बिक्री का महीना	उत्पादन की बिक्री	मात्रा मीट्रिक टन
श्रीधरपुर सहाकारी बैंक लिमिटेड, मीमारी वर्धमान	डी.के. भगत, भोलपुर	वीरभूम	अगस्त-08	यूरिया	**100**
	डी.के. भगत, भोलपुर	वीरभूम	अगस्त–सित.-08	एनपीके*	**115**
	एच.सी. पाल, पंडूवा	हुगली	सितम्बर-08	एनपीके 10.26.26	**10**
	एच.सी. पाल, पंडूवा	हुगली	अगस्त-08	डीएपी	**5**
	आर.एन. पाटी, मोंगरा	हुगली	सितम्बर-08	एनपीके*	**20**
	बी. सिरकर, पंडूवा	हुगली	सितम्बर-08	एनपीके*	**15**
के.एस. राय भत्तर, वर्धमान	एस.के. अमजद अली, खुजलियापारा	वीरभूम	जुलाई–अग.-08	एमओपी	**100**
	एस.के. अमजद अली, खुजलियापारा	वीरभूम	जुलाई–अग.-08	यूरिया	**200**
	भोलपुर के.बी.एस.एस. लि. भोलपुर	वीरभूम	जुलाई-08	यूरिया	**120**
	एस.के. अमजद अली, खुजलियापारा	वीरभूम	जुलाई-08	एनपीके 10.26.26	**100**
वर्धमान केन्द्रीय सहाकरी कृषि उत्पादन मार्केटिंग सोसाइटी लि. मीमारी, वर्धमान	सतीनाथ सरकार, पंडूवा	हुगली	दिसम्बर-2008	एनपीके 10.26.26	**10**
	सतीनाथ सरकार, पंडूवा	हुगली	जून-2008	एनपीके 15.15.15	**15**
	सतीनाथ सरकार, पंडूवा	हुगली	अक्टू.–सित.-08	यूरिया	**30**
	सतीनाथ सरकार, पंडूवा	हुगली	अप्रैल–जून-08	एमओपी	**50**
	सतीनाथ सरकार, पंडूवा	हुगली	अप्रैल-08	एनपीके 20.20.13	**10**
	सतीनाथ सरकार, पंडूवा	हुगली	अगस्त-08	टीएसपी	**10**
	सतीनाथ सरकार, पंडूवा	हुगली	अगस्त-08	डीएपी	**5**
	विश्वाजीत पाल, सिक्ता	हुगली	अग.–दि.-2008	एनपीके10.26.26	**24**
	विश्वाजीत पाल, सिक्ता	हुगली	सितम्बर-08	एनपीके 15.15.15	**10**
	विश्वाजीत पाल, सिक्ता	हुगली	अगस्त-08	एमओपी	**1**
कुल मात्रा					950

(स्त्रोतः डीलरों का बिक्रकी रजिस्ट्रर)

* बिक्री विवरण में नाइट्रोजन (एन) फॉस्फेट (पी) पोटाश (के) का सर्जन नहीं बताया गया

संक्षेपकों नाम की सूची

ए डी ए	सहायक कृषि निदेषक
ए एस	अमोनियम सल्फेट
ए आई डी सी एल	एग्रो इण्डस्ट्रीज़ डेवलपमेन्ट कारपोरेषन लिमिटेड
बी ए यू	बिरसा कृषि विष्वविद्यालय
बी आई एफ आर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बी वी एफ पी एल	ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेषन लिमिटेड
सी एण्ड एफ	लागत एवं भाड़ा
सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सी ए ओस	मुख्य कृषि अधिकारी
सी सी ई ए	आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी
सी एफ सी एल	चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स
सी एफ एल	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर लिमिटेड
सी आई एफ सी	मै. कमपेगने इण्डो–फ्रानसेंस डी कामर्स प्राइवेट लिमिटेड
सी एम एस	सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी
सी ओ ए	कृषि आयुक्तालय
सी आर सी	पूंजीगत खर्च
सी एस आई एस	रियायत योजना सूचना तंत्र
डी ए पी	डाई अमोनियम फॉस्फेट
डी डी एस ए	कृषि उप निदेषक
डी एम ओ	जिला मार्केटिंग अधिकारी
डी ओ ए	कृषि निदेषक (राज्य सरकार के)
डी ओ ए सी	कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
डी ओ एफ	उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक और रसायन मंत्रालय, भारत सरकार
इ सी ई	आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम
इ आर सी	व्यय सुधार आयोग
एफ ए सी टी	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
एफ सी ओ	उर्वरक नियंत्रण आदेश
एफ आई सी सी	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति
एफ एम सी ओ	उर्वरक गति नियंत्रण आदेष
एफ एम एस	उर्वरक निगरानी प्रणाली
एफ ओ/एल एस एच एस	ईधन तेल/निम्न सल्फर भारी स्टॉक
एफ एस	उर्वरक सांख्यिकी
जी एन एल सी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड

जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस एफ सी	गुजरात राज्य उर्वरक निगम
हिमफेड	हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी मार्केटिंग एण्ड उपभोक्ता संघ
इफ्को	इण्डियन फार्मस फर्टिलाइजर कोओपरेटिव
आई पी एल	इण्डियन पोटाश लिमिटेड
जैकफेड	जम्मू एण्ड काष्मीर कोओपरेटिव एण्ड मार्केटिंग फेडरेषन
जै डी ए	कृषि संयुक्त निदेषक (राज्य सरकार के)
जे पी सी	संयुक्त संसदीय समिति
के एस एफ एल	कृभको श्याम फर्टिलाइजर लिमिटेड
एल सी	लेटर आफ क्रेडिट
एल एन जी	तरलीकृत प्राकृतिक गैस
एम ए पी	मोनो अमोनियम फॉस्फेट
एम सी एफ एल	मैंगलोर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड
मेकोफेड	मेघालय सहकारी संघ
एम एफ एल	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड
एम एम टी सी	मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिग कारपोरेषन लिमिटेड
एम ओ पी	म्यूरिएट ऑफ पोटाश
एम आर पी	अधिकतम खुदरा मूल्य
एम टी	मीट्रिक टन
एन ए	लागू नहीं
एन बी एस	पोषकतत्व आधारित राजसहायता
एन एफ सी एल	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
एन एफ एल	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड
एन जी	प्राकृतिक गैस
एन पी के	नाइट्रोजन फास्फोरस एण्ड पोटेषियम
एन पी एस	नई मूल्य निर्धारण योजना
ओ एम आई एफ सी ओ	ओमान इण्डिया फर्टिलाइजर कम्पनी
पी ए सी बी एस	प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक
पी पी एल	पारदीप फॉस्फेट लिमिटेड
आर सी एफ	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर
आर पी एस	प्रतिधारण मूल्य योजना
एस के यू ए एस टी	शेरे–काष्मीर कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विष्वविद्यालय
एस आर एस डब्ल्यू ओ आर	सरल बेतरतीव ढंग से बिना बदलाव
एस एस पी	सिंगल सुपर फॉस्फेट
एस टी सी	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेषन

एस टी एल	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला
एस टी ई एस	स्टेट ट्रेडिंग इन्टरप्राईस
टी सी एल	टाटा कैमिकल्स लिमिटेड
टेनफेड	तमिलनाडू मार्केटिंग फेडेरेषन
टी एस पी	ट्रिपल सुपर फॉस्फेट
यू ओ टी ए	यूरिया उठान करार
जैड आई एल	जुआरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2011-12
www.saiindia.gov.in